आपदा प्रबन्धन योजना
जिला भरतपुर (राज0)
वर्ष 2019

तकनीकी मार्गदर्शन

आपदा प्रबन्धन, सहायता एंव नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान

प्रस्तुति

जिला प्रशासन भरतपुर (राजस्थान)

सम्पादक मण्डल

संरक्षक

डॉ.आरूषी मलिक, आई0ए0एस0
जिला कलक्टर, भरतपुर

सम्पादक

श्रीमती बीना महावर, आर0ए0एस0
प्रभारी अधिकारी, आ0प्र0एंव सहायता,
कलक्ट्रेट, भरतपुर

सहयोग

- जिला स्तरीय अधिकारी, भरतपुर

आपदा प्रबन्धन योजना वर्ष 2019

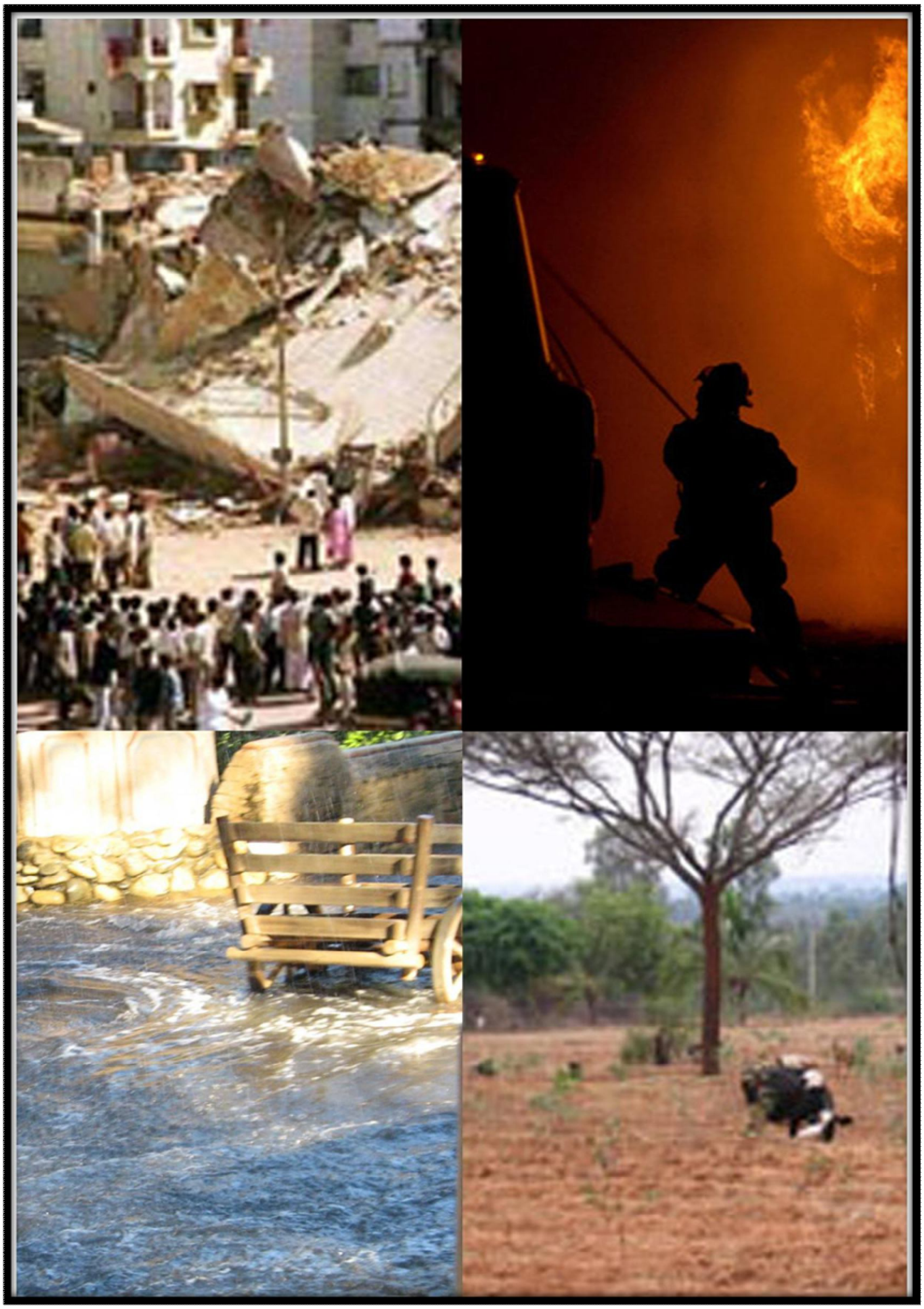

जिला प्रशासन, भरतपुर (राज०)

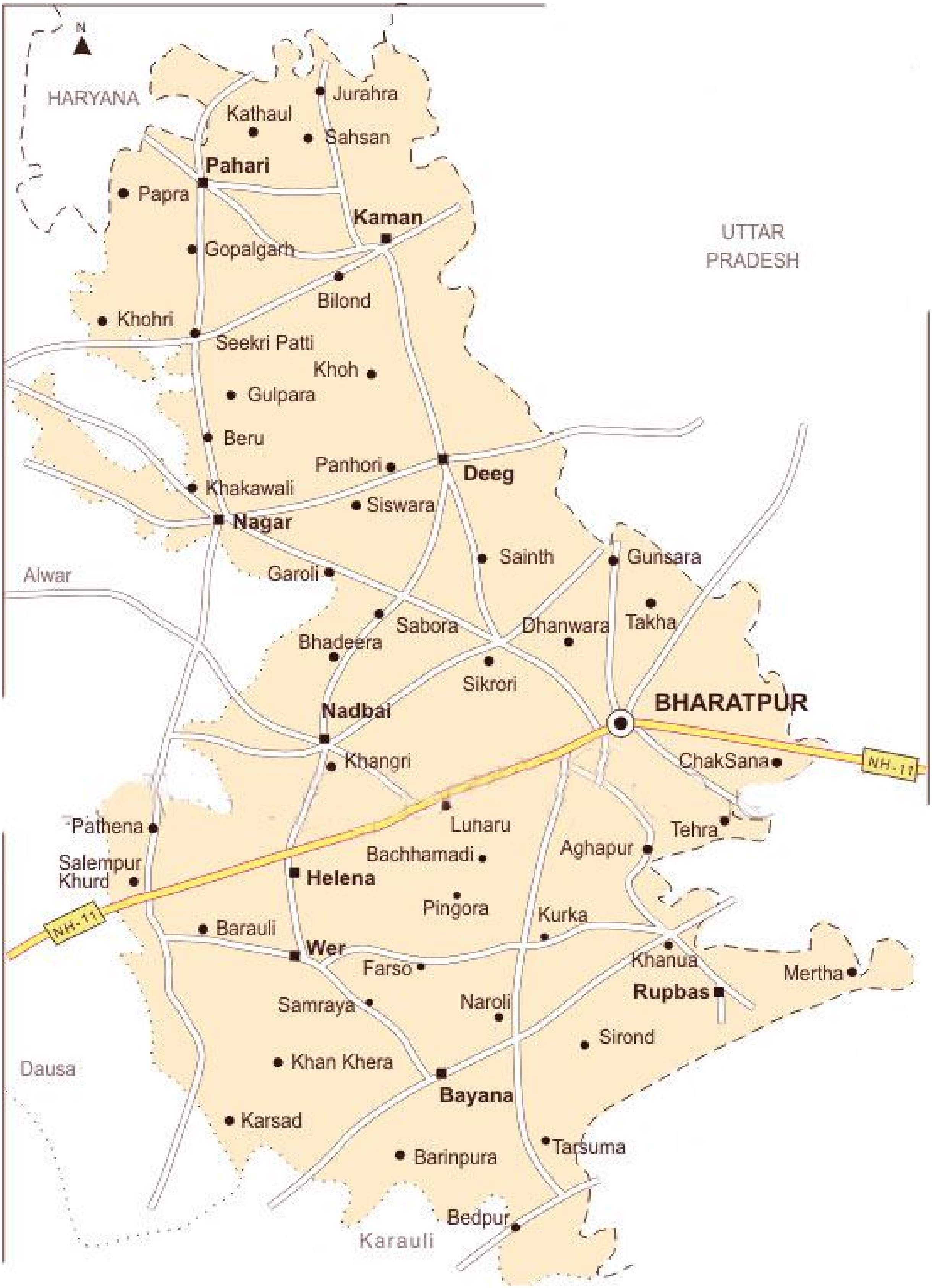
N
HARYANA
UTTAR
PRADESH
Jurahra
Kathaul
Sahsan
Pahari
Papra
Kaman
Gopalgarh
Bilond
Khohri
Seekri Patti
Khoh
Gulpara
Beru
Panhori
Deeg
Khakawali
Siswara
Nagar
Alwar
Garoli
Sainth
Gunsara
Takha
Sabora
Dhanwara
Bhadeera
Sikrori
Nadbai
BHARATPUR
Khangri
ChakSana
NH-11
Luharu
Pathena
Tehra
Aghapur
Bachhamadi
Salempur
Khurd
Helena
Pingora
NH-11
Barauli
Kurka
Wer
Khanua
Farso
Mertha
Rupbas
Samraya
Naroli
Sirond
Dausa
Khan Khera
Bayana
Karsad
Tarsuma
Barinpura
Bedpur
Karauli

अनुक्रमणिका

अध्याय – 1

जिले की रूपरेखा

क्र.सं0	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
1.1	कार्ययोजना की आवश्यकता	1
1.2	कार्ययोजना के उद्देश्य	1–2
1.3	आपदा प्रबन्धन अधिनियम – 2005	2

अध्याय – 2

आपदा की संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम मूल्यांकन (HVCRA)

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
2	जिले की भौगोलिक स्थिति	3
2.1	प्रशासनिक ढांचा	3
2.2	भौतिक स्थिति	3
2.3	जलवायु	4
2.4	भरतपुर जिला आंकड़ों की दृष्टि में	4–8
2.5	स्वायत्त शासन	8
2.6	सामाजिक एंव सांस्कृतिक गतिविधियां	8–9
2.7	पुरातत्व व ऐतिहासिक महत्व तथा पर्यटन आकर्षण के स्थान	9–12
*	लोहागढ़ किला	9
2.8	भरतपुर जिले का मानचित्र (नक्शा)	13
2.9	जलवायु संबंधी आपादा	14–17

अध्याय – 3

आपदा प्रबन्धन हेतु संस्थानिक व्यवस्थायें

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
3.1	संभाग स्तरीय जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र	18
3.2	तहसील स्तर पर आपदा प्रबन्धन केन्द्र की स्थापना	18
3.3	जिला स्तरीय संस्थानिक व्यवस्था	18
3.4	जिला कलक्टर की भूमिका	18
3.5	जिला स्तरीय समन्वय संरचना	19–21
3.5.1	आपदा के समय/घटने की स्थिति में चेतावनी	21
3.6	आपदा घटना या चेतावनी की सूचना	21–22
3.7	संभागीय आयुक्त की भूमिका	22
3.8	स्थल संचालन केन्द्र तथा सहायता शिविर	22
3.8.1	सहायता शिविर	23
3.8.2	स्थल संचालन केन्द्र की गतिविधि	23
3.8.3	डेस्क व्यवस्था	23–24
3.8.4	सर्विस डेस्क	24

3.8.5	आधारभूत डेस्क	24
3.8.6	चिकित्सा डेस्क	24–25
3.8.7	कम्यूनिकेशन एंव सूचना प्रबन्धक डेस्क	25
3.8.8	साधन डेस्क	25
3.8.9	ले आउट	25
3.8.10	जरूरतमंद फर्नीचर व आलमारियां	26
3.8.11	संचार कक्ष	26
3.8.12	परिवहन	26
3.8.13	स्टॉफ	26–27
3.8.14	आपातकालीन स्टॉफ कॉल (दूरभाष पंजिका) (एनेक्जर–2 में संकलित)	27

अध्याय – 4

प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत एंव बचाव के उपाय

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
4.1	जिले में वर्षा व बाढ़ की स्थिति	28
4.2	प्रभावित क्षेत्र	29
4.3	बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों की सूची	29–30
4.4	गम्भीर नदी के संवेदनशील बिन्दुओं के टूटने पर बाढ़ से प्रभावित होने वाले मुख्य गांवों की सूची	30
4.5	रूपारेल नदी के संवेदनशील बिन्दुओं के टूटने पर बाढ़ से प्रभावित होने वाले मुख्य गांवों की सूची	30–31
4.6	बाण गंगा नदी के संवेदनशील बिन्दुओं के टूटने पर बाढ़ से प्रभावित होने वाले मुख्य गांवों की सूची	31–32
4.7	बांधों का विवरण	32
4.7.1	बांधों का वर्गीकरण	33
4.7.2	जल संसाधन विभाग द्वारा संधारित बांध	33–34
4.8	बाढ़ नियंत्रण कक्ष	34
4.9	पूर्व चेतावनी व्यवस्था	34–35
4.10	सिंचाई एवं पुलिस विभाग के महत्वपर्ण वायरलैस स्टेशन	35
4.11	विभिन्न विभागों में उपलब्ध संसाधन	35–38
4.12	चिकित्सा केन्द्रों की सूची	39–40
4.13	सुरक्षित स्थानों की सूची	41–42
4.14	नाविकों व तैराकों की सूची	42
4.15.1	बाढ़ के पहले, दौरान एवं बाद में विभिन्न विभागों का दायित्व	42–45
4.2	सूखा	46–47
4.2.1	Identifitation of Drought Prone(Based on past ten years data)	47
4.2.2	Repairs and Mentinace Works	47
4.2.3	Relief Employment	47–48
4.2.4	Preparedness of Contengency Plan	48
4.2.5	No. of Reservoirs	49
4.2.6	Ground Level water	49–51

4.2.7	Shwon Area	52
4.2.8	Change of Cropping Pattern	52
4.2.9	Avability of Food Grains	52
4.2.10	Avability of Fodder	52
4.2.11	अकाल के दौरान कार्यवाही	52—53
4.2.12	अकाल के बाद कार्यवाही	53
4.2.13	सूखा से पूर्व प्रशासन के उत्तरदायित्व	53
4.2.14	सूखा के दौरान दायित्व	53—54
4.2.15	मौसम निगरानी समिति	54
4.2.16	सूखे से बचने के दीर्घकालिक उपाय	54
4.2.17	शिक्षा विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य	54
4.2.18	वन विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य	54—55
4.2.19	कृषि विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य	55
4.2.20	सिंचाई विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य	55
4.2.21	ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य	55—56
4.3	चक्रवात	56
4.4	बादल का फटना (अतिवृष्टि)	57
4.5	लू	57
4.5.1	गर्मी के प्रभाव (Heat Exhaustion)	57
4.5.2	लू लगना (Heat stroke)	58
4.5.3	जिला प्रशासन की जिम्मेदारियां	58—59
4.6	शीतलहर	59
4.6.1	प्रशासन की जिम्मेदारियां	59
4.7	ओलावृष्टि / पाला / आंधियां / तूफान	59—60
4.8	बिजली गिरना	60—61
4.9	भूकम्प	61
4.9.1	भूकम्प निवारक उपाय	61
4.9.2	भूकम्प से पूर्व के उत्तरदायित्व	61—62
4.9.3	विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी	62
4.9.4	पुनर्वास	63
4.10	खान में आग लगना	63
4.11	रासायनिक विपदा	63—64
4.12	औद्योगिक विपदा (जिले के हारिकारक कारखानों का चिन्हीकरण)	64
4.12.1	उत्तरदायी विभाग / अधिकारी	65
4.13	परमाणु विपदा	65—66
4.14	आग	66
4.14.1	उपलब्ध संसाधन	66
4.14.2	आग लगने पर 'क्या करें', 'क्या न करें'	67
4.14.3	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबन्धन योजना	67
4.14.4	पूर्व तैयारी	67
4.14.5	विलेज फॉयर की सूचना	68
4.14.6	उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा तत्काल की जाने वाली कार्यवाही	68

4.15	बम विस्फोट	68
4.15.1	पूर्व तैयारी	68–69
4.15.2	बम विस्फोट होने के बाद के कार्य	69–70
4.15.3	पुनर्वास	70
4.16	रेल दुर्घटना	71
4.17	सड़क दुर्घटना	71–72
4.18	खान में बाढ़ आना व ढहना	72
4.19	मुख्य भवनों का ढहना	72
4.20	महामारी	72–73
4.20.1	महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने की योजना	73
4.21	टिड्डी दल आक्रमण	73–74
4.22	जानवरों की महामारी	74
4.23	आतंकवादी गतिविधियां	74–75
4.24	उपद्रव, दंगों, बलवों, त्यौहारों, उत्सवों, मेलों आदि पर होने वाली भगदड़	75

अध्याय – 5

जिले के सम्बन्ध में प्राकृतिक आपदा एंव पूर्व तैयारी

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	पूर्व तैयारी	76–83

अध्याय – 6

क्षमता, निर्माण एंव प्रशिक्षण उपाय

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	क्षमता, निर्माण एंव प्रशिक्षण उपाय	84–85

अध्याय – 7

उत्तरदायी एंव सहायता के उपाय

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	उत्तरदायी एंव सहायता के उपाय	86

अध्याय – 8

पुनर्निर्माण, पुनर्वास एंव राहत उपाय

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	पुनर्निर्माण, पुनर्वास एंव राहत उपाय	87–100

अध्याय – 9

जिला आपदा प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्त्रोत

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	जिला आपदा प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्त्रोत	101–102

अध्याय – 10

समन्वय प्रक्रिया

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	समन्वय प्रक्रिया	103–104

अध्याय – 11

आपदा प्रबन्धन योजना का मूल्यांकन एंव अद्यतन

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	आपदा प्रबन्धन योजना का मूल्यांकन एंव अद्यतन	105

अध्याय – 12

मानदण्ड परिचालन प्रक्रिया

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	मानदण्ड परिचालन प्रक्रिया (SOP)	106

एनेक्जर

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	सुरक्षित स्थानों की सूची – एनेक्जर–1	107–108
2	आपातकालीन स्टॉफ–कॉल (दूरभाष पंजिका) – एनेक्जर–2	109–124
3	बाढ़ से प्रभावित गांवों की तहसीलवार सूची – एनेक्जर–3	125
4	बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांव – एनेक्जर–4	126–129
5	सुरक्षित स्थानों की सूची – एनेक्जर–5	130–131
6	उपलब्ध संसाधन – एनेक्जर–6	132–135
7	निजी क्षेत्र में उपलब्ध मछुआरा नाव व मछुआरों की नामों की सूची – एनेक्जर–7	136
8	चिकित्सा केन्द्रों की सूची – एनेक्जर–8	137–138
9	स्माचार–पत्र/मीडिया रिपोर्टर – एनेक्जर–9	139–140
10	स्वयंसेवी संस्थायें – एनेक्जर–10	141–142

अध्याय – 1

जिले की रूपरेखा

1. प्रस्तावना

भरतपुर राजस्थान का पूर्वी द्वार है। ये 26° 22' से 27° 83' उत्तरी अंक्षाश व 76° 53' से 78° 17' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। यह समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भरतपुर जिला दक्षिण पूर्व में दिल्ली से 184 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। उत्तरी सीमा हरियाणा राज्य के गुरूग्राम जिले से व पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले से लगती है। जिले की दक्षिणी सीमा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले और राजस्थान के धौलपुर जिले से मिलती है। इसके दक्षिण–पश्चिम में दौसा जिला और उत्तर पश्चिम में अलवर जिला स्थित है।

गुजरात के भुज जिला एवं समीपवर्ती क्षेत्र में दिनांक 26 जनवरी, 2001 को आये विनाशकारी भूकम्प से हुई त्रासदी जानमाल की क्षति एवं राजस्थान प्रदेश में अन्य आपदाऐं जैसे आयुध डिपो में आग, विभिन्न रसायनिक पदार्थो के परिवहन के समय हुई दुर्घटनाओ से भली प्रकार से निपटने एवं बचाव हेतु पूर्व तैयारी की आवश्यकताओ को दृष्टिगत रखते हुये जे.सी. पन्त जी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंषा के अनुसार राज्य एवं जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन नियोजन की सिफारिश की गई है।

भरतपुर जिला समय–समय पर विभिन्न आपदाओ से ग्रस्त रहा है। भरतपुर जिले के लिए बाढ़ पर्याय बन गई है तथा हर पॉच साल में जिले को कम से कम एक बाढ से अवश्य जूझना पडता है जान तथा माल की अत्यधिक क्षति उठानी पडती है। भौगोलिक रूप से जिले की भू आकृति कटोरेनुमा है तथा वर्षा होने पर पानी का सही ढंग से निकास नहीं हो पाता है तथा पानी निचले क्षेत्रो में भर जाता है। केवला देव राष्ट्रीय पक्षी बिहार का वन क्षेत्र, आयुध डिपो, ऑयल कारपोरेशन संग्रहण स्थल, गैस तथा तेल की पाइप लाइन आदि में अग्निकाण्ड जैसी आपदाओं की अत्यधिक संभावना बनी रहती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग जिले को इस राज्य व अन्य राज्य के जिलो को जोडने के कारण भारी मात्रा में यातायात रहता है, जिसके कारण सडक दुर्घटनाऐ होती है। यह जिला भूकम्प के लिए भी अतिसंवेदनशील है।

इस योजना में सामान्य रूप से होने वाली आपदाओ की पहचान करने के साथ ही आपदा आने से पूर्व की तैयारियॉ, आपदा के घटित होने के दौरान की कार्यवाहियों में प्राथमिक आधार पर की जाने वाली कार्यवाहियों का निर्धारण व कार्यो का बंटवारा सरकार व जनता के पास उपलब्ध संसाधन, जिनका उस समय लोगों की जानमाल की रक्षा के लिए उपयोग किया सके, संकलित किया गया है।

इस कार्य योजना में बहुद्धेशीय कार्यक्रमों का समावेश तहसील व जिला स्तर पर किया गया है। इसमें संस्था अन्तरविभागीय गैर सरकारी संगठनो एवं समुदाय की सहभागिता को जोडा गया है।

1.1. कार्य योजना की आवश्यकता

आपदा प्रबंधन एवं विभिन्न प्रकार की आपदाओ का विश्लेषण कर उनके बचाव व दुघर्टना के होने वाले प्रभाव को कम करने तथा दुघर्टना घटित हो जाने पर खतरे के प्रभाव को कम कर जान माल की क्षति से भली प्रकार निपटने के लिए पूर्व तैयारी।

1.2. कार्ययोजना के उद्देश्य

1–जिले में विभिन्न आपदाओ के दुष्प्रभावों का विश्लेषण कर पूर्व तैयारी अनुसार जान माल की क्षति को कम करना।

2–समाज में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा कर सामुदायिक सहभागिता, प्रशासन के सहयोग के साथ क्षमता बढाना।

3–आपदा नियंत्रण में मूलभूत संसाधन के स्तर का पता लगाकर कार्यप्रणाली को चुस्त दुरूस्त रखना।

4–आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओ का क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए विकास योजना में समावेश करना।

5–राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन नियोजन को प्रभावी प्रबंधन यत्रं बनाना।

6–संभावित आपदाओ का विवरण, अभिलेखन रखना व उनके अनुभव के आधार पर रूपरेखा सुनिश्चित करना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा के आने पर कार्यो का समन्वय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है और किसी अन्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है को बिल्कुल नकार दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है।

अतः पूर्व आपदा प्रबंधन योजना अति आवश्यक है। जिसके कार्य बिन्दु निम्नानुसार हैः–

(क) प्रतिक्रिया कार्यो के सही क्रम में पूर्व योजना तैयार करना।
(ख) भागीदारी विभागो की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
(ग) कार्यरत विभिन्न विभागो के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
(घ) उपलब्ध सुविधा और स्त्रोतो की सूची तैयार करना।
(ड) स्त्रोतो के प्रभावी प्रबंधन की रचना करना।
(च) सभी सहायता कार्यो में पारस्परिक समन्वय बनाना।
(छ) राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिये समन्वय स्थापित करना

1.3. आपदा प्रबन्धन अधिनियम – 2005 के तहत जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गठित है, जो निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	पद नाम अधिकारी	पद
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	अध्यक्ष जिला परिषद	सह–अध्यक्ष
3	जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अति.जिला कलक्टर)	सदस्य
4	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
6	अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
7	अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग	सदस्य

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 25 (4) में प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त जिला दण्डनायक इस जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, जो जिले की जिला आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने हेतु उत्तरदायी हैं।

अधिनियम की धारा 31 अनुसार प्रत्येक जिले के लिये जिला प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श उपरान्त जिला आपदा प्रबन्धन योजना को तैयार की जाती है, जिसका अनुमोदन जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से करवाने के पश्चात् राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है तथा प्रतिवर्ष जिला आपदा प्रबन्धन योजना को प्राधिकरण द्वारा पुर्नवलोकन एंव अद्यतन किया जाता है।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में आपदा की स्थिति में सभी महत्वपूर्ण विभागों के संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य हैं, जिनके विभागानुसार दायित्व निर्धारित हैं।

अध्याय – 2

आपदा, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम मूल्यांकन (एच.वी.सी.आर.ए.)

जिले की भौगोलिक स्थिति

जहॉ जिले की भरतपुर व नदबई तहसीलें मैदानी व समतल है, वहीं बयाना व रूपवास, तहसीलों का क्षेत्र पहाडियो के कारण भिन्नता लिए हुए है। भरतपुर, बयाना व डीग उपखण्डो की भूमि उपजाऊ है और यह क्षेत्र सामान्यतः समतल है। जिले की प्रमुख नदियॉ बाणगंगा, गंभीर व रूपारेल है। ये सभी वर्षाती नदियॉ हैं। सामान्यतः यह क्षेत्र मैदानी, मैदानी वन प्रदेश व विभक्त पहाडियो से युक्त है।

2.1 प्रशासनिक ढांचा

भरतपुर जिला प्रशासनिक दृष्टि से डिविजनल कमिश्नर भरतपुर के अधीन है। जिले के उपखण्ड, तहसील व नगरो के अनुसार वर्गीकरण निम्नानुसार हैः–

उपखण्ड	तहसील	नगर / कस्बे	ग्रामो की संख्या (2011)			जनसंख्या 2011
			आबाद	गैर आबाद	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7
1–बयाना	बयाना	1	186	13	199	269512
2–रूपबास	रूपबास	1	148	16	164	257952
3–वैर	वैर	1	89	4	93	136714
4–भुसावर	भुसावर	1	71	1	72	143378
5–भरतपुर	भरतपुर	1	188	18	206	453015
6–नदबई	नदबई	1	122	4	126	215136
7–कुम्हेर	कुम्हेर	1	129	6	135	201341
8–डीग	डीग	1	133	9	142	226710
9–नगर	नगर	1	165	10	175	241858
10–कामॉ	कामॉ	1	119	14	133	203949
11–पहाडी	पहाड़ी	1	137	4	141	198897
योग		**11**	**1482**	**99**	**1586**	**2548462**

विकास कार्यो के लिए जिले के क्षेत्र का विभाजन 10 पंचायत समितियो में किया गया है। पुलिस प्रशासन हेतु पुलिस महानिरीक्षक का मुख्यालय कार्यरत है, जिनकी सहायता पुलिस अधीक्षक करते हैं।

2.2 <u>भौतिक स्थिति</u>

जहॉ जिले की भरतपुर व नदबई तहसीले मैदानी व समतल है, वहीं बयाना व रूपवास तहसीलों का क्षेत्र पहाडियो के कारण भिन्नता लिए हुए है। भरतपुर, बयाना व डीग उपखण्डो की भूमि उपजाऊ है और यह क्षेत्र सामान्यता समतल है। जिले की प्रमुख नदियॉ बाणगंगा, गंभीर व रूपारेल है। ये सभी मौसमी नदियॉ हैं। सामान्यताः यह क्षेत्र सममतल मैदानी, मैदानी सामान्य वन प्रदेश व विभक्त पहाडियो से युक्त है।

2.3 जलवायु

जिले की जलवायु शुष्क है जो ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्म, शीत ऋतु में बहुत ठण्डी होती है। मानसून की अवधि बहुत कम है। न्यूनतम व अधिकतम तापमान क्रमशः 3.0 डिग्री व 47.0 डिग्री सेन्टिग्रेड तक रहता है। जिला मुख्यालय पर सामान्य वार्षिक वर्षा 67.5 सेमी होती है। पिछले 10 वर्ष के तापमान में आंकड़े यही धारणा सिद्ध करते हैंः–

तापमान, आर्द्रता एवं वास्तविक वर्षा

वर्ष	अधिकतम तापमान	न्यूनतम तापमान	औसत तापमान		वास्तविक वर्षा	वास्तविक सामान्य से अन्तर वृद्धि(+)या कमी(–)
			अधिकतम	न्यूनतम		
2002	46.8	6.3	28.1		39.46	–28.4
2003	46.9	2.2	–		75.19	वृद्धि 7.69
2004	45.8	–	–		54.64	–12.88
2005	49.0	3.5	29.0		67.16	वृद्धि 0.11
2006	46.0	3.5	33.7		40.39	–26.66
2007	46.7	5.0	29.5		49.20	–18.30
2008	47.3	4.2	31.7		73.8	बृद्धि 6.3
2009	46.2	2.2	24.2		47.025	सामान्य से कम–28.34
2010	48.2	2.5	26.1		37.7	वृद्धि 8.4
2011	47.1	–0.1	31.8	17.8	687.7	+76
2012	48.8	0.4	31.9	17.8	793	+182
2013	48.0	–1.5	31.6	18.0	690	+78
2014	48.0	0.4	31.7	17.8	558	–53
2015	47.0	2.0	32.0	18.9	648	+36
2016	46.3	2.0	32.6	19.0	719	+107
Normal Rainfall (MM)						612

2.4 भरतपुर जिला आंकडो की दृष्टि से

क्र.सं.	मद	इकाई	सन्दर्भ वर्ष	विवरण
1	**क्षेत्रफल**	वर्ग.कि.मी.	2012	5066
2	**जनसंख्या**			
	1–पुरूष	संख्या	2011–12	1355726
	2–स्त्री	संख्या	2011–12	1192736
	योग	संख्या	2011–12	2548462
	ग्रामीण	संख्या	2011–12	2053363
	(अ) पुरूष	संख्या	2011–12	1093357
	(ब) स्त्री	संख्या	2011–12	960006
	शहरी	संख्या	2011–12	495099
	(अ) पुरूष	संख्या	2011–12	262369
	(ब) स्त्री	संख्या	2011–12	232730
	जनसंख्या का घनत्व	वर्ग.कि.मी.	2011–12	503

	कुल साक्षरता प्रतिशत	प्रतिशत	2011–12	70.11
	(अ) पुरूष	प्रतिशत	2011–12	84.11
	(ब) स्त्री	प्रतिशत	2011–12	54.24
	कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	प्रतिशत	2011–12	19.42
	स्त्री प्रति एक हजार पुरूष	संख्या	2011–12	880
	अनुसूचित जाति	संख्या	2011–12	557305
	(अ) पुरूष	संख्या	2011–12	296293
	(ब) स्त्री	संख्या	2011–12	261012
	अनूसूचित जनजाति	संख्या	2011–12	54090
	(अ) पुरूष	संख्या	2011–12	28705
	(ब) स्त्री	संख्या	2011–12	25385
	जनसंख्या की दस वर्षीय वृद्धि पर (2001–2012)	प्रतिशत	2011–12	21.28
3	**कस्बे एवं ग्राम**			
	1–उपखण्ड	संख्या	2015–16	11
	2–तहसील	संख्या	2015–16	11
	3–पंचायत समिति	संख्या	2015–16	10
	4–जिले में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	संख्या	2015–16	1586
	5–कुल आबाद ग्रामो की संख्या	संख्या	2015–16	1482
	6–कुल गैर आबाद ग्रामों की संख्या	संख्या	2015–16	99
	7–जिले में कुल आई.एल.आर.सर्किलों की संख्या	संख्या	2015–16	125
	8–जिले में कुल पटवार मण्डलों की संख्या	संख्या	2015–16	501
	6–कुल कस्बो की संख्या	संख्या	2015–16	10
4	**कृषि**			
	1–कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	हैक्टेयर	2015–16	506731
	2–जंगलात	हैक्टेयर	2015–16	33645
	3–कृषि अयोग्य भूमि	हैक्टेयर	2015–16	51653
	4–स्थाई एवं अन्य चारागाह	हैक्टेयर	2015–16	7540
	5–विविध वृक्ष, फसले तथा वृक्षकुन्ज जो बोया गया निलब क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं है	हैक्टेयर	2015–16	150
	6–कृषि खाली	हैक्टेयर	2015–16	16198
	7–बोया गया निलब क्षेत्रफल	हैक्टेयर	2015–16	396466
	8–एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	हैक्टेयर	2015–16	195085
	9–कुल बोया गया क्षेत्रफल	हैक्टेयर	2015–16	391398
	10–औसत उत्पादन प्रति	हैक्टेयर	2015–16	
	(अ)खाद्यान्न	कि.ग्रा.प्रति है.	2015–16	2623
	(ब)तिलहन	कि.ग्रा.प्रति है.	2015–16	1479
	(स)गन्ना	कि.ग्रा.प्रति है.	2015–16	15214
	(द)कपास	कि.ग्रा.प्रति है.	2015–16	2951
	11–सिंचाई के लिए प्रयुक्त पम्पसैटो की संख्या	संख्या	2011–12	332067
	12–सामान्य वर्षा	से.मी.	2011–12	4865.86
	13–वास्तविक वर्षा	से.मी.	2011–12	486.59
	14–जोत का औसत आकार	हैक्टेयर	2011–12	1.70

5	**पशुधन चिकित्सालय**			
	1–बहुदेदशीय पशु चिकित्सालय/कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	संख्या	2015–16	1
	2–प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	संख्या	2015–16	23
	3–राजकीय पशु चिकित्सालय	संख्या	2015–16	52
	4–पशु औषधालय	संख्या	2015–16	7
	5–उप केन्द्र	संख्या	2015–16	119
	6–जिला स्तरीय पशु चल चिकित्सा इकाई	संख्या	2015–16	1
	7–तहसील स्तारीय पशु चल चिकित्सा इकाई	संख्या	2015–16	11
	पशुधन			
	1–कुक्कट वंश	संख्या	2012	173348
	2–भैंस वंश	संख्या	2012	836220
	3–गौ वंश	स्ंख्या	2012	166894
	4–सूअर वंश	संख्या	2012	24297
	5–ऊॅट वंश	संख्या	2012	2287
	6–भेड वंश	संख्या	2012	65049
	7–बकरी वंश	संख्या	2012	172391
	8–घोडा वंश	संख्या	2012	754
	9–गधा वंश	संख्या	2012	1442
	10–श्वान वंश	संख्या	2012	26972
	कुल पशुधन संख्या			1469654
6	**उद्योग**			
	1–उद्योग विभाग द्वारा पंजीकृत लघु उद्योग	संख्या	2015–16	103
	2–पंजीकृत उद्योगों में अनुमानित औसत कर्मचारियों की संख्या	संख्या	2015–16	660
	3–वृह्द एवं मध्यम उद्योग	संख्या	2015–16	07
	4–वृह्द एवं मध्यम उद्योगों में कर्मचारी	संख्या	2015–16	526
	5–औद्योगिक क्षेत्रो की संख्या	संख्या	2015–16	07
7	**विद्युत शक्ति**			
	1–विद्युतीकृत कस्बे	संख्या	2015–16	8
	2–विद्युतीकृत गॉव	संख्या	2015–16	1530
	3–कुल शक्ति का उपभोग			
	4–घरेलू उपभोग	यूनिट.लाख में	2015–16	2396.55
	5–व्यवसायिक उपभोग	यूनिट.लाख में	2015–16	598.59
	6–औद्यौगिक उपभोग	यूनिट.लाख में	2015–16	1849.75
	7–सार्वजनिक विद्युत उपभोग	यूनिट.लाख में	2015–16	2885.59
	8–सिंचाई में उपभोग	यूनिट.लाख में	2015–16	73.73
	9–अन्य उपभोग	यूनिट.लाख में	2015–16	237.09
	कुल उपभोग विद्युत			9249
8	**जलापूर्ति**			
	1. शहरी क्षेत्र			
	अ. शहरी जल परियोजना	संख्या	2015–16	9

	ब. जल योजनाओं में प्रतिदिन स्त्रोत से जल उत्पादन	संख्या	2015–16	444
	स. कार्यरत हैडपम्पों की संख्या	संख्या	2015–16	743
	2. ग्रामीण क्षेत्र			
	अ. जलापूर्ति ग्रामों की संख्या	संख्या	2015–16	1432
	बीस सूत्री कार्यक्रम(लाभान्वित ग्राम)	संख्या	2015–16	105
	आर.ओ. प्लांट	संख्या	2015–16	249

9	**शिक्षण संस्थान**			
	1. कुल विद्यालयो संख्या	संख्या	2015–16	3171
	छात्र	संख्या	2015–16	3026
	छात्रा	संख्या	2015–16	145
	(अ) राजकीय प्राथमिक विद्यालय	संख्या	2015–16	738
	छात्र	संख्या	2015–16	735
	छात्रा	संख्या	2015–16	03
	(ब) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	संख्या	2015–16	1295
	छात्र	संख्या	2015–16	1205
	छात्रा	संख्या	2015–16	90
	(स) राजकीय माध्यमिक विद्यालय	संख्या	2015–16	486
	छात्र	संख्या	2015–16	461
	छात्रा	संख्या	2015–16	25
	(द) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	संख्या	2015–16	652
	छात्र	संख्या	2015–16	625
	छात्रा	संख्या	2015–16	27
	2. महाविद्यालयो की संख्या	संख्या	2015–16	22
	3. व्यवसायिक महाविद्यालयो की संख्या	संख्या	2015–16	21
	4. व्यावसायिक शिक्षा विद्यालयो की संख्या	संख्या	2015–16	31
9.1	**विद्यार्थियों की संख्या**			
	(अ) राजकीय प्राथमिक विद्यालय	संख्या	2015–16	88177
	छात्र	संख्या	2015–16	47420
	छात्रा	संख्या	2015–16	40757
	(ब) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	संख्या	2015–16	140540
	छात्र	संख्या	2015–16	86462
	छात्रा	संख्या	2015–16	54078
	(स) राजकीय माध्यमिक विद्यालय	संख्या	2015–16	123137
	छात्र	संख्या	2015–16	71708
	छात्रा	संख्या	2015–16	51429
	(द) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	संख्या	2015–16	256892
	छात्र	संख्या	2015–16	146319
	छात्रा	संख्या	2015–16	110573
	(य) महाविद्यालय	संख्या	2015–16	28870
	छात्र	संख्या	2015–16	14585
	छात्रा	संख्या	2015–16	14285
10	**स्वास्थ्य**			
	1.ऐलोपैथिक चिकित्सालय	संख्या	2015–16	02
	2.एलोपैथिक चिकित्सालयो में शैय्याऐं	संख्या	2015–16	1460
	3.आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालय	संख्या	2015–16	159
	4.आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयो में शैय्याऐं	संख्या	2015–16	35
	5.प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	2015–16	67

	6.उपस्वास्थ्य केन्द्र / उच्चीकृत उपस्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	2015–16	395
	7.एम.सी.डब्ल्यू.सेन्टर	संख्या	2015–16	02
	8.प्राइवेट चिकित्सालय	संख्या	2015–16	34
	9.सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	2015–16	17
11	**बैंकिंग**	संख्या	2015–16	13
	1.व्यावसायिक बैंक	संख्या	2015–16	106
	2.सहकारी बैंक	संख्या	2015–16	21
12	**सहकारिता**			
	1. सहकारी समितियों की संख्या	संख्या	2015–16	1245
	2. सदस्य संख्या	संख्या	2015–16	324244
	3. केन्द्रीय सहकारी बैंक	संख्या	2015–16	1
	4. सदस्य संख्या	संख्या	2015–16	633
	5. दुग्ध उत्पादक सदस्य संख्या	संख्या	2015–16	18281
13	**यातायात एवं संचार**			
	1. डाकघर	संख्या	2015–16	305
	प्रधान डाकघर			
	अ. ग्रामीण	संख्या	2015–16	–
	ब. शहरी	संख्या	2015–16	02
	1. उप डाकघर			
	अ. ग्रामीण	संख्या	2015–16	16
	ब. शहरी	संख्या	2015–16	19
	2. शाखा डाकघर			
	अ. ग्रामीण	संख्या	2015–16	266
	ब. शहरी	संख्या	2015–16	02
	2 .टेलीफोनों की संख्या			
	(अ)ग्रामीण	संख्या	2015–16	6404
	(ब)शहरी	संख्या	2015–16	822
	3. पंजीकृत मोटर वाहन	संख्या	2015–16	370832
14	**पुलिस**			
	1. स्वीकृत सर्किल	संख्या	2016–17	6
	2. पुलिस थाना	संख्या	2016–17	25
	3. महिला पुलिस थाना	संख्या	2016–17	1
	4. पुलिस चौकी	संख्या	2016–17	46
	5. जेल लॉकअप सहित	संख्या	2016–17	34
15	**स्वायतशाषी संस्था**			
	1. ग्राम पंचायत	संख्या	2016–17	374
	2. नगर निगम	संख्या	2016–17	1
	3. नगर पालिका	संख्या	2016–17	9

2.5 स्वायत्त शासन

जिले में 1 नगर निगम तथा 9 नगरपलिका हैं। नगर पालिकाओं की आय का मुख्य स्त्रोत सरकारी अनुदान व कर तथा खर्च की मुख्य मदें सार्वजनिक प्रकाश व जलप्रदाय, जल निकास, सफाई व स्वच्छता, मरम्मत व निर्माण कार्य आदि है।

2.6 सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियॉ

चूँकि भरतपुर जिला बृज क्षेत्र का ही भाग है एवं मथुरा के निकट है, अतः इस स्थान में सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन में रासलीला, फाग, रसिया, लांगुरिया, स्वांग व नौटंकी का विशेष महत्व है।

जिले के मुख्य मेले निम्नलिखित है :–

1–जसवंत प्रदर्शनी मेला

यह मेला भरतपुर में 10 दिन तक रहता है। आश्विन सुदी 1 से 10 तक लगता है। इस अवसर पर एक पशुमेला लगता है, जिसमें अनुमानतः 03 से 04 लाख व्यक्ति भाग लेते हैं।

2–कंस का मेला

यह मेला कुम्हेर में लगता है व दो दिन तक रहता हैं। करीब 12 हजार से 15 हजार व्यक्ति इस मेले में एकत्रित होते हैं। इसमें पशु मेला लगता है।

3–तीजो का मेला

यह मेला कुम्हेर में चार दिन तक लगता है। यह पशु मेले के साथ सम्पन्न होता है व इसमें करीब 10 हजार लोग एकत्रित होते हैं।

2.7 पुरातत्व व ऐतिहासिक महत्व तथा पर्यटक आकर्षण के स्थान

जिले में नौंह बछामदी, मण्डी, बयाना, कामां, रूपवास, में पुरातात्विक खुदाई की गई है। इसके अतिरिक्त जिले में पर्यटन के कई स्थान है।

लोहागढ़ किला

भरतपुर

नगर के महत्वपूर्ण भवनो में दो मंदिर है। एक यहॉ के पूर्व शासको के कुल देवता लक्ष्मण जी का तथा दूसरा गंगाजी का। एक मस्जिद जो जामा मस्जिद कहलाती है, मोती महल (भरतपुर के महाराजा का निवास स्थान) व विक्टोरिया अस्पताल। नगर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ऊॅचे परकोटे का ऐतिहासिक पक्का चौकोर दुर्ग है जो 61 मीटर चौडी व गहरी खाई से घिरा हुआ है। किले के दो द्वारो से अंदर जा रही सडक पक्के पुलो द्वारा खाई पार करती है। गोपालगढ की तरफ से द्वारो के किवाड अष्ट धातु या अष्ट प्रकार की धातुओ के योग से बनी है।

बयाना

यह नगर भरतपुर के भरतपुर के दक्षिण पश्चिम में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नगर के पास बसा हुआ प्रसिद्ध दुर्ग विजैगढ (विजयगढ) कई सैन्य व एतिहासिक घटनाओं का केन्द्र रहा है। बयाना में हिन्दू व मुसलमान दोनों ही धर्मो के कई अवशेष विद्धमान है, जिनमें बालू पत्थर की बनी एक लाठ प्रमुख है। बयाना का प्राचीन नाम श्रीपथ या श्री प्रस्था था। यहॉ एक शिलालेख में अकबर की इस क्षेत्र में होकर यात्रा का उल्लेख है जो उसने खान देश की विजय के बाद 1601–02 ई0 में की।

बंध वारेठा

यह स्थान एक घाटी में भरतपुर से 57 किलोमीटर व बयाना से 9 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है इसका निमार्ण 1897 मे पूरा हुआ था। बंध के चारो ओर सैर का एक सुन्दर स्थान बन गया है। नौकायन की सुविधा प्राप्त है। बंध वारैठा से पेयजल सुविधा भी मुहैया कराई जाती है।

डीग

डीग भरतपुर जिले का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगर है। यह भरतपुर से 31 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है व अलवर–भरतपुर और देहली से पक्की सडक से जुडा हुआ है। कहा जाता है कि डीग को दीर्घ का जाता था जिसका अर्थ बडा है व स्कन्ध पुराण तथा भागवत महात्म्य में इसको वर्णित किया गया है। डीग अपने फव्वारे, महलों के लिये विख्यात है जो भवन कहलाते हैं। यह भवन भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने 1755–1763 के मध्य बनवाये थे। पश्चिम का मुख्य भवन गोपाल भवन कहलाता है एवं सब महलों से बडा है। यह तीन तरफ से दो मंजिला है व मध्य में बडा व ऊया कक्ष है। डीग का किला वर्ष 1730 के आसपास बना बताया जाता है।

केवला देव (घना) राष्ट्रीय उद्यान

केवला देव घना भरतपुर शहर से करीब 5 कि0मी0 (3मील)की दूरी पर स्थित है। यह जल पक्षियों के प्रजनन का प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण है। यह स्थान जल पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान करने केलिस महत्वपूर्ण केन्द्र है। इस अभ्यारण में पक्षियों का आना वर्षा के प्रारंभ होते ही शुरू हो जाता है। साईबेरियन पक्षियो क अलावा पैडी पक्षी नाइट हैरन आदि मुख्य हैं।

भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों के लिए राज्य सरकार द्वारा फतेहपुर सीकरी मार्ग पर सारस नामक होटल बनाया गया है। केन्द्र सरकार की ओर से भी एक फारेस्ट लॉट विकसित

की गई है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा 26 जनवरी, 1982 से शीही रेलगाडी चलाई गई है जो भरतपुर से गुजरती है। पर्यटक भरतपुर में विभिन्न होटलों/लॉजों में रह सकते हैं। जो सर्दियो में पर्यटन आकर्षण के कारण काफी व्यस्त रहते हैं।

2.8 भरतपुर जिले का नक्शा

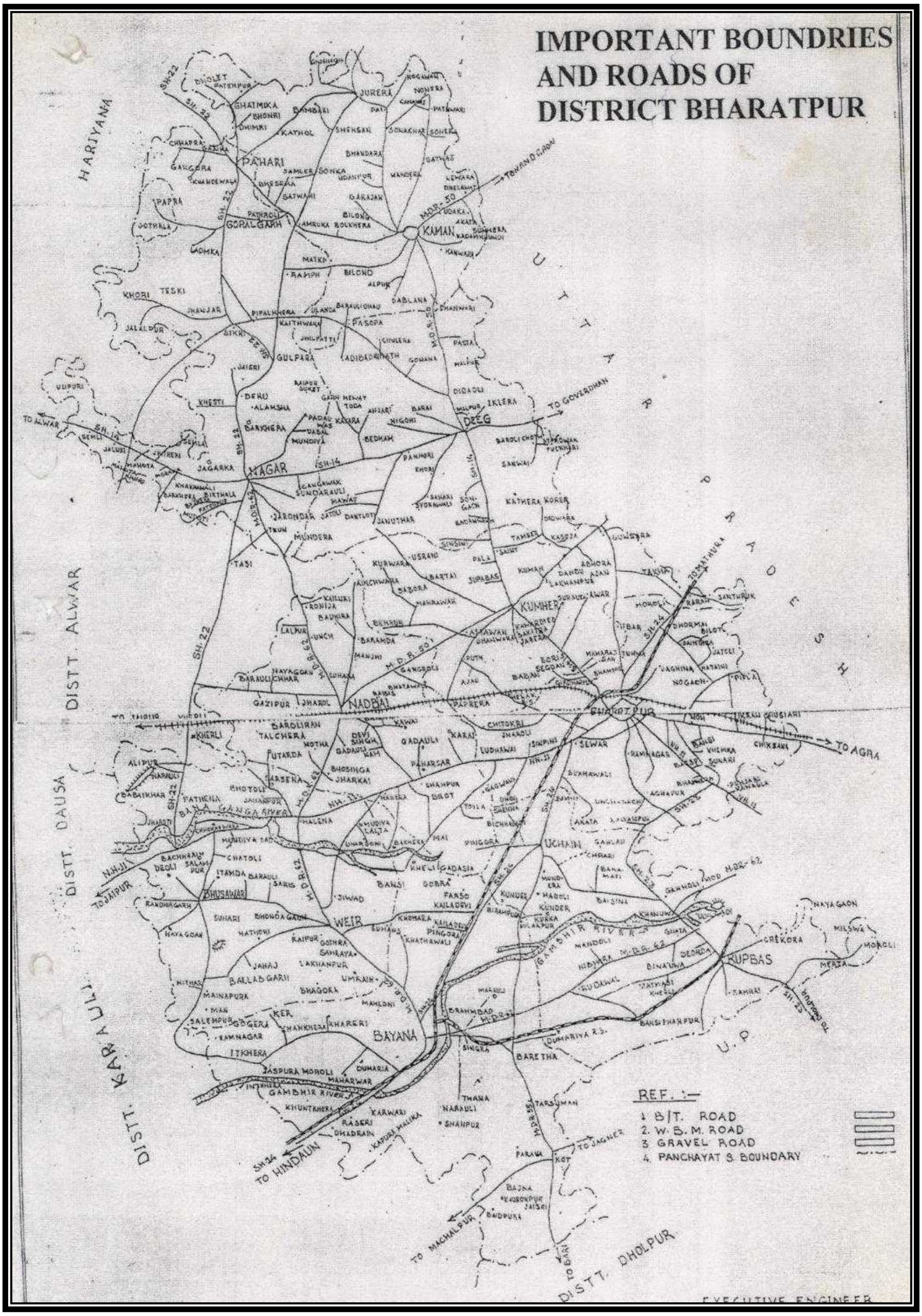

2.9 जलवायु संबंधी आपदा

भरतपुर जिला समय समय पर विभिन्न जलवायु संबंधी आपदाओ से ग्रस्त रहा है। बाढ भरतपुर जिले के लिए पर्याय बन गई है हर पॉच साल में जिले को कम से कम एक बाढ से अवश्य जूझना पडता है जिसमें जान तथा माल की अत्यधिक क्षति उठानी पडती है। भौगोलिक रूप से जिले की भू आकृति कटोरेनुमा है तथा वर्षा होने पर पानी का सही ढंग से निकास नहीं हो पाता है, जिसमें पानी निचले क्षेत्रो में भर जाता है। कई बार जिले ने सूखा का सामना किया है। इनके दुष्प्रभाव से कृषि उत्पादन, पशुपालन एवं मानव के लिए भोजन पानी की कमी का सामना करना पडता है तथा अर्थव्यवस्था प्रभावित होती हैं। प्राकृतिक आपदाओं से बचा तो नहीं जा सकता परन्तु इनके पूर्वानुमान एवं सजगता बरती जावे तो इसके प्रभाव को न्यूनतम स्तर तक लाया जा सकता है।

प्रकृति द्वारा सृजन और संहार की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। लागों द्वारा प्रकृति के विरूद्ध कार्य करने से प्राकृतिक आपदायें आती हैं। मानव का जीवन प्रारम्भ होने से विकास की गति प्रारम्भ हुई है जो निरन्तर चलती रही है। आपदाओं से बचने के लिये संपति के बचाव के लिये ग्रामीण जनों एवं विद्वानों द्वारा अपने अनुभवों के आधार पर आपदाओं की पहचान व उनसे बचाव के उपाय खोजे हैं जो आपदा से बचने का प्रथम उपाय है।

जिले में वर्षा एवं बाढ की स्थिति

भरतपुर जिले की औसत वर्षा 674 मिलीमीटर है। जिले में बहकर आने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में अतिवृष्टि होने की स्थिति में जिला बाढ की चपेट में आता रहा है। यहॉ प्रत्येक दशक में एक दो बाढ की स्थिति का सामना करना पडता है। वर्ष 1956, 1972 ,1975, 1976, 1977, 1978 ,1982, 1995, 1996, 1998, 2003, एवं 2016 में जिला मध्यम से भारी बाढों से प्रभावित होता रहा है। अंतिम दो दशको में आई बाढ की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	वर्ष	जिले की औसत वर्षा मि. मी. में	वर्ष के दौरान हुई औसत वर्षा मि.मी. मे	बाढ की स्थिति
1	1995	674	922 दिनांक 8.8.95 को अधिकतम 494 मि.मी. एक दिन में रूपबास क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई।	भारी बाढ की स्थिति
2	1996	674	1036 दिनांक 23–24 जून को कामां–नगर क्षेत्र मे मात्र 36 घण्टे में 536 मि.मी. अतिवृष्टि हुई।	शताब्दी बाढ की स्थिति उत्पन्न हुई
3	1998	674	915	आंशिक बाढ की स्थिति उत्पन्न हुई।
4	2003	674	716	आंशिक बाढ की स्थिति उत्पन्न हुई।
5	2008	674	758	सामान्य से अधिक
6	2010	674	697	सामान्य से अधिक
7	2016	674	685.00	सामान्य से अधिक

				आंशिक बाढ़ की स्थिति

दिनांक 16 व 17 जुलाई, 2016 को भारी वर्षा व करौली जिले के पांचना बांध से अचानक 06 गेट खोल कर गम्भीरी नदी में पानी छोड़ दिये जाने से जिला भरतपुर जिले की तहसील बयाना व रूपवास में निम्न भूमि वाले क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुये, जिसके चलते प्रभावित लगभग 1150 लोगों को बयाना व रूपवास के विभिन्न राहत शिविरों में पहुंचाया गया।

जिले में आने वाली बाढ़ों से काफी बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है। प्रभावित गांवों की तहसीलवार सूची निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	तहसील का नाम	प्रभावित गांवों की संख्या
1	भरतपुर	55
2	नदबई	41
3	बयाना	29
4	रूपवास	54
5	डीग	27
6	कामां	95
7	नगर	19
8	वैर	68
9	कुम्हेर	63

बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों की विस्तृत विवरण अध्याय नं0 4 में अंकित है।

<u>सूखा</u>

क्र. सं.	वर्ष	जिले की औसत वर्षा मि. मी. में	वर्ष के दौरान हुई औसत वर्षा मि.मी. मे	वर्षा की स्थिति
1	1997	674	502	सामान्य से कम
2	1999	674	480	
3	2000	674	389	
4	2001	674	535	
5	2002	674	290	
6	2004	674	403	
7	2005	674	661	
8	2006	674	316	
9	2007	674	394	
10	2009	674	483	
11	2013	674	547.84	
12	2014	674	449.89	

13	2015	674	419.97	
14	2017	674	305	
15	2018	674	679	सामान्य

आंधी/अंधड़–तूफान :– भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में हालांकि आंधी/अंधड़–तूफान शामिल नहीं है तथापि मई–जून के महीने में चलने वाली तेज आंधी एंव अंधड़ से व्यापक पैमाने पर जन/पशु/भवन क्षति होती रही हैं। गत् वर्ष 2018 में दिनांक 02.05.2018 को आये भीषण आंधी–तूफान, जो राज्य की विशेष प्राकृतिक आपदा में शामिल की गई है, से जिला भरतपुर में 19 व्यक्तियों की मृत्यु व 43 व्यक्ति घायल हुये, जिन्हें राज्य आपदा मोचन निधि के नौर्म्स अनुसार सहायता प्रदान की गई। साथ ही जिले की विद्युत तंत्र व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होने के कारण पेयजल व विद्युत रोशनी की समस्या का सामना करना पड़ा है। विद्युत तंत्र को हुई क्षति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्षतिग्रस्त इएचवी टावरों की संख्या	220, 132 केवी जीएसएस पर विद्युत आपूर्ति बाधित	क्षतिग्रस्त बिजली के खम्भे	क्षतिग्रस्त वितरण ट्रासंफारमर्स	क्षतिग्रस्त बिजली के तार (कि.मी. में)	ग्राम कस्बे जहां विद्युत आपूर्ति बन्द हो गई थी
15	220–01 132–05	7409	491	200 कि.मी.	1487

ओलावृष्टि :– जिले में वर्ष 2012–13 (सम्वत् 2069) से ओलावृष्टि से हुये फसल खराबा व प्रभावित कृषकों (लघु+सीमान्त व अन्य) का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	सम्वत्	तहसील	तहसील के प्रभावित कृषक सं0	कुल प्रभावित कृषकों की संख्या
1	2	3	4	5
1	सम्वत् 2069 (वर्ष 2012–13)	नदबई	1213	3799
		नगर	1308	
		पहाड़ी	1278	
2	सम्वत् 2070 (वर्ष 2013–14)	नगर	5806	10,862
		पहाड़ी	4998	
		बयाना	58	
3	सम्वत् 2071 (वर्ष 2014–15)	कुम्हेर	51434	90556
		नदबई	7550	
		डीग	1681	
		नगर	6977	
		कामां	15057	
		पहाड़ी	7857	
4	सम्वत् 2072 (वर्ष 2015–16)	भरतपुर	551	551

सड़क दुर्घटना :– आगरा–जयपुर नेशनल हाईवे नं. 11 व स्टेट हाईवे पर वाहनों के काफी आवागमन होने से गत् 05 वर्षों में हुई दुर्घटनाओं का तहसीलवार विवरण पर निम्नानुसार है, जिनमें मुख्य मंत्री सहायता कोष से तात्कालीक सहायता उपलब्ध कराई गई :–

क्र.सं.	तहसील	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1	भरतपुर	85	91	91	77	136	127

2	कुम्हेर	28	26	33	30	41	52
3	नदबई	38	34	43	37	28	40
4	डीग	19	27	26	26	10	25
5	नगर	36	17	25	22	21	29
6	कामां	31	23	18	20	15	21
7	पहाड़ी	15	19	08	09	22	35
8	वैर	22	30	24	23	45	21
9	भुसावर	21	22	28	18	17	36
10	बयाना	28	19	22	37	26	43
11	रूपवास	27	31	27	25	21	53
	योग –	**350**	**339**	**345**	**324**	**382**	**482**

तहसील भरतपुर में नेशनल हाईवे नं. 11 (फोरलेन) गुजरने के कारण तहसील सड़क दुर्घटनाओं के लिये काफी संवेदनशील है।

अग्निकाण्ड

क्र.सं.	तहसील	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1	भरतपुर	06	03	270	07	08	28
2	कुम्हेर	10	06	33	17	04	07
3	नदबई	17	08	13	02	01	02
4	डीग	29	05	05	03	04	03
5	नगर	15	11	33	05	00	08
6	कामां	08	13	17	04	07	01
7	पहाड़ी	03	09	03	08	03	05
8	वैर	27	31	18	31	04	14
9	भुसावर	10	11	22	03	12	05
10	बयाना	40	86	84	39	25	24
11	रूपवास	118	33	23	11	21	13
	योग –	**283**	**216**	**521**	**130**	**89**	**110**

जिले में तहसील बयाना व रूपवास के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे/छप्परपोश घरों के बहुतायात होने के कारण अग्नि दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशील है।

अध्याय – 3

आपदा प्रबंधन हेतु संस्थानिक व्यवस्थाऐं

3.1 संभाग स्तरीय जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के दायित्वों के निर्वहन के मद्देनजर जिला आपदा प्रबन्धन नियन्त्रण कक्ष हेतु जिला कलक्ट्रेट में EOC को तैयार करवाया गया है। यह केन्द्र आपदा से पीड़ित लोगों के लिए राहत पहुंचाने हेतु विभिन्न विभागो में समन्वय स्थापित करने तथा तत्काल राहत पंहुचाने के लिए उत्तरदायी है। यह केन्द्र आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अधीन कार्य करेगा तथा राज्य सरकार को सूचना सम्प्रेषण का कार्य भी करेगा।

3.2 तहसील स्तर पर आपदा प्रबन्धन केन्द्र की स्थापना

जिले के सभी 11 तहसील मुख्यालयों पर आपदा प्रबन्धन केन्द्र की स्थापना कर दी गयी है, जो 24 x 7 संचालित है।

3.3 जिला स्तरीय संस्थानिक व्यवस्था

आपदा प्रबन्धन में भागीदार संस्थानो के बहुत स्तर शामिल होते हैं। राज्य, जिला तथा आपदा स्थल तीन केन्द्रीय स्तर होते हैं। राज्य स्तरीय संस्थान नीति निर्णय स्त्रोत का निर्धारण, कार्यो की प्राथमिकता, बजट निर्धारण तथा आपात संचालन द्वारा प्रशिक्षण का कार्य करेगी।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक शीर्ष योजना बनाने की संस्था होगी, जो आपदा प्रबंधन की तैयारी तथा आपदा के न्यूनीकरण में एक बडा रोल अदा करेगी।

जिला कलक्टर के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय प्रतिक्रिया का समन्वय होना, जो जिला आपदा प्रबन्धन के रूप में कार्य करेगें।

3.4 जिला कलक्टर की भूमिका

जिला कलक्टर निम्नलिखित के लिये जिम्मेदार होगें :–

1. जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की मदद से जिला आपदा प्रबन्धन योजना को तैयार करना, जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना, क्षेत्र में दिशा की जिम्मेदारी जिला स्तरीय संस्था पर होगी, जो अलग–अलग संस्थाओ के माध्यम से चेतावनी से राहत तथा पुर्नवास का कार्य करेगी। आपदा प्रबंधन के लिये विशिष्ट कार्य आपदा स्थल पर होगें। जिला कलक्टर, जिला नियंत्रण कक्ष का प्रमुख अंग होगा।
2. कलक्टर, ई.ओ.सी. की सहायता से कार्य करेगा।
3. स्थल प्रबंधक इ.ओ.सी. का प्रधान होगा।
4. स्थल संचालन केन्द्र जिला नियंत्रण केन्द्र को सूचना देगा।
5. कलक्टर क्षेत्र की प्रतिक्रिया का समन्वय करेगा, जिसमे तहसील स्तर पर सहायता/राहत शिविर तथा पशु शिविर की स्थापना करना, शामिल होगा।
6. डेस्क व्यवस्था, कार्यो का विभाजन, सूचना इकट्ठा करना तथा रिकार्ड संग्रह करना, जिसमें डेस्क अधिकारी की जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के प्रति जबावदेही होगी। प्रत्येक डेस्क पर एक डेस्क अधिकारी नियुक्त होगा। सूचना के आवागमन एवं प्रबंधन की व्यवस्था होगी।

3.5 जिला स्तरीय समन्वय संरचना

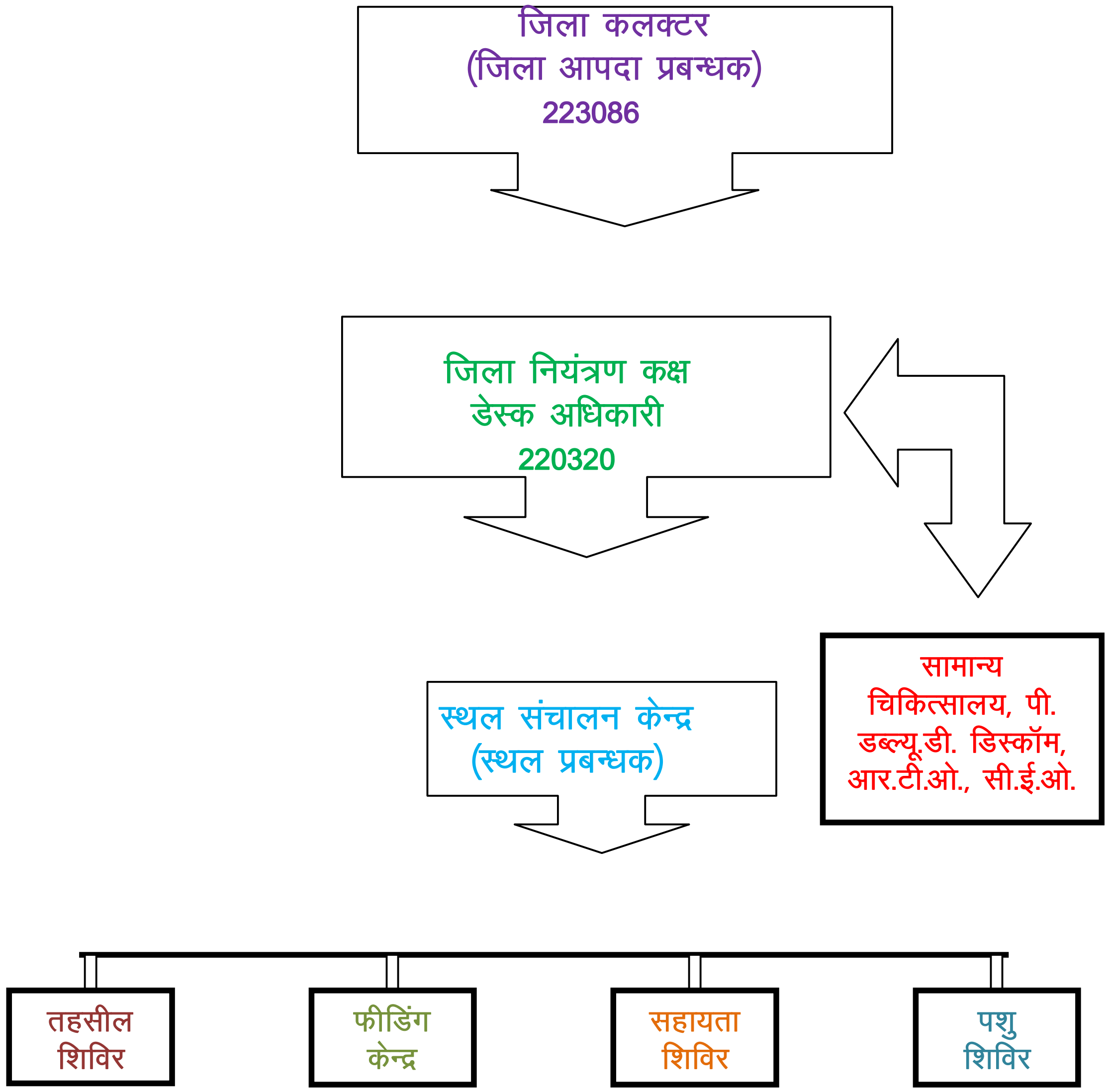

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

- राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है।
- आपदा की आशंका का पुर्नावलोकन करना।
- आपदा से जिले की असुरक्षा का अवलोकन करना।
- तैयारियो का जायजा लेना।

आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निम्न सदस्य होगें :–

क्र.सं.	पद नाम अधिकारी	पद
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	अध्यक्ष, जिला परिषद	सह–अध्यक्ष
3	जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अति.जिला कलक्टर)	सदस्य
4	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
6	अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
7	अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग	सदस्य

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 25(4) में प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त जिला दण्डनायक, इस जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।

जिला आपदा नियंत्रण कक्ष

जिला कलक्टर के नियंत्रण में जिला नियंत्रण कक्ष की निम्न जिम्मेदारी होगीं :–

- मांनिटरिंग करना
- समन्वय करना
- आपदा प्रबंधन के कार्यो को लागू करना
- आपदा काल में जिला कलक्टर, मुख्य अधिकारी होगा, जो अपने आपातकालीन शक्तियों का उपयोग, किसी भी विभाग को आपातकालीन सेवा प्रदान करने हेतु दिशा–निर्देश प्रदान कर सकता है।

सामान्य स्थिति के कार्य

- यह सुनिश्चित करना कि सभी चेतावनी देने वाले यंत्र कार्य करने की स्थिति में हैं।

- जिले के विभागों से नियमित रूप से तहसील तथा गांव की आपदा से असुरक्षा की सूचना एकत्रित करना।
- जिला कलक्टर, सभी विभागों से तैयारियों की सूचना प्राप्त करेगा और उसे आपदा प्रबन्धन, सहायता एंव नागरिक सुरक्षा विभाग, संभागीय आयुक्त तथा इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र को प्रेषित करेगा।
- जिले की बदलती परिस्थिति में जिला आपदा प्रबंधन योजना को अपडेट करना।
- डाटा बैंक को अपडेट करना, स्त्रोतो की सूची को टेबिल एक की तरह तैयार करना।
- आपात कालीन सूचना, जिला आपदा केन्द्र को देना।
- तैयारियो का जायजा लेना, प्रशिक्षण कार्य तथा अभ्यास करवाना।
- डी.डी.एम.पी. का जिला स्तर पर तथा आपदा केन्द्र पर ठीक से लागू करना।
- आपदा के बाद परिस्थिति का जायजा लेना।

- जिला स्तर पर आपदा की सूची तैयार करना तथा इसको इमरजेन्सी केन्द्र को भिजवाना। इस सूचना में निम्न बिन्दु होगें :–
  1. आपदा का प्रकार व स्त्रोत
  2. आपदा आने पर की गई प्रतिक्रिया की कोशिश का व्याख्यान
  3. आपदा का न्यूनीकरण तथा रोकने के उपायो की सिफारिश करना
  4. संकटकालीन तैयारियॉ तथा प्रतिक्रिया की योजना तैयार करना।

3.5.1 आपदा के समय/घटने की स्थिति में चेतावनी

संबंधित आपदा स्थल की सूचना या सक्षम संस्थाओ की चेतावनी या इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र की सूचना या चेतावनी के आधार पर जिला कलक्टर की सभी शक्तियॉ तथा जिम्मेदारी का उपयोग करेगा।

जिला प्रशासन की चेतावनी तथा सावधानी जारी करने वाली मुख्य संस्था होगीं। इसके अलावा संबंधित सक्षम संस्थानो की सूची निम्न है :–

आपदा	संस्था
बाढ	जल संसाधन विभाग/मौसम विभाग
तूफान	जिला प्रशासन
महामारी	स्वास्थ विभाग
सड़क दुर्घटना	पुलिस एवं चिकित्सा विभाग
इण्डस्ट्रीय तथा रासायनिक दुर्घटना	उद्योग एवं चिकित्सा विभाग
आग	फायर बिग्रेड, पुलिस

3.6 आपदा घटना या चेतावनी की सूचना निम्न को प्रेषित होगी :–

1. मुख्य सचिव, सहायता, आयुक्त, इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर
2. संभागीय आयुक्त कार्यालय
3. सभी जिला स्तरीय अधिकारी, नगर निगम/नगरपालिकाऐं
4. जिले में काम करने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारी
5. चेयरमेन नगर निगम, अध्यक्ष जिला परिषद, एम.पी.और एम.एल.ए.
6. रक्षा सेना की स्थानीय इकाई आपदा की सूचना प्राप्त होने पर सभी तैयारियॉ कार्य करने की स्थिति में आ जायेंगी।

7. जिला कलक्टर, जिला नियंत्रण कक्ष को जिला आपदा प्रबंधक के रूप में चलायेगा।
8. जिला नियंत्रण कक्ष, डेस्क व्यवस्था तक फैल जावेगी।
9. जिला स्तरीय कर्मचारी, जिला आपदा प्रबंधक के दिशा निर्देशो में तथा उसके अधीन कार्य करेगें।

इसमें निम्न विभागों के जिला स्तरीय कर्मचारी होगें :–
जिला परिषद, नगर निगम, डिस्कॉम, पी.डब्ल्यू.डी., सिंचाई, जिला उद्योग केन्द्र, दूरसंचार

उपरोक्त सभी विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियॉ स्वतः ही जिला आपदा प्रबंधक द्वारा रद्द कर दी जावेगीं। और संस्था अपने कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने का आदेश जारी करेगा।

सहायक आयुक्त /सचिव प्रकृतिक आपदा कोष से सभी प्रभार के अनुदान जारी करने में सक्षम होगा। सहायता आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि एडीक्यूट अनुदान कलक्टर के पास उपलब्ध होगा, इसकी कमी से आपदा सहायता में बाधा आयेगी।

- बहुत बडी आपदा की स्थिति में जिला आपदा प्रबंधक स्थानीय रक्षा इकाई की सहायता लेगा।
- जिला आपदा प्रबंधक के पास निजी क्षेत्र के यंत्र रिर्सोस लेने का अधिकार होगा।
- जिला आपदा प्रबंधक को उद्योग इकाई को खाली कराने का अधिकार होगा।
- जिला आपदा प्रबंधक साइट ऑपरेशन, सेन्टर अफेक्टेड एरिया में डेस्क अरेजमेन्ट के साथ स्थापित करेगा।
- जिला आपदा प्रबंधक तहसील सहायता शिविर में फीडिंग केन्द्र तथा पशु शिविर अधिकृत करेगा।
- जिला आपदा कक्ष से साइट ऑपरेशन केन्द्र तहसील शिविर फीडिंग केन्द्र सहायता शिविर तथा पशु शिविर का वायरलैस कम्पयूकेशन कार्य करने लगेगा।
- जिला आपदा प्रबंधक प्रारंभिक सूचना तथा एक्शन टेकन रिपोर्ट मुख्य सचिव /सहायता आयुक्त इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर तथा संभागीय आयुक्त को भेजेगा।
- जिला आपदा प्रबंधक को जरूरत पडने पर किसी भी स्थल को खाली कराने का अधिकार होगा।
- संभावित आपदा की स्थिति में जिला आपदा प्रबंधक अपने पडौसी जिले को सूचित करेगा।
- एक से अधिक जिलों में एक साथ आपदा की स्थिति में एक अतिरिक्त सहायता आयुक्त लगाया जायेगा और जिला आपदा प्रबंधक को रिपोर्ट करेगा। जिला आपदा प्रबंधक उसको रिपोर्ट करेगा।
- जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त कलक्टर, प्रशासन /शहर जिला आपदा प्रबंधक के अधिकार तथा जिम्मेदारी का प्रयोग करेगा।

3.7 <u>संभागीय आयुक्त की भूमिका</u>

आपदा की स्थिति में संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा निम्न कार्य किये जावेगें।

- संभाग के अन्तर्गगत जिलो से संसाधन उपलब्ध कराना।
- मुख्य सचिव सहाता आयुक्त तथा ई.ओ.सी. से लगातार संपर्क बनायेगें।

3.8 स्थल संचालन केन्द्र तथा सहायता शिविर

- छोटे स्तर की आपदा की स्थिति बिना किसी डेस्क व्यवस्था के कलक्टर द्वारा प्रबन्ध की जा सकती है।
- एक आपदा से, कई ग्राम प्रभावित हो सकते हैं। घरो को काफी नुकसान हो सकता हैं। आपदा कई स्थानो पर फैल सकती है। इससे प्रबंधन में मुश्किल आ सकती है। बी.सी.आर. की गतिविधियो के विकेन्द्रीकरण से बढावा मिल सकता है। ऐसी स्थिति डेस्क व्यवस्था की आवश्यकता पडती है। स्थल संचालन केन्द्र तथा शिविर लगाने से प्रबंधन विकेन्द्रीकरण को बल मिलता है। आपदा की प्रकृति तथा विध्वंस के प्रकार को देखते हुये, सहायता शिविर तथा पशु शिविर के संख्या की जानकारी की जा सकती है। ऐसी स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन स्थल केन्द्र की स्थापना कर सकता है। जिससे जिला नियंत्रण कक्ष में दबाव कम हो सके। आपदा की जगह सहायता शिविर की संख्या पर निर्भर करते हुये जिला आपदा प्रबंधक से ज्यादा स्थल, ऑपरेशन केन्द्र स्थापित कर सकता हैं।
- स्थल ऑपरेशन केन्द्र का संचालन उपखण्ड स्तर के अधिकारी/उपजिला कलक्टर के द्वारा किया जावेगा। इस तरह की बनावट से कई क्षेत्रों में जिला नियंत्रण कक्ष स्थल ऑपरेशन केन्द्र/ओवर लेप करेगें। लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये जिससे गतिविधि की पुर्नावृति न हो स्थल संचालन केन्द्र का मुख्य कार्य जिला नियंत्रण कक्ष तथा शिविर स्थल के बीच कम्यूनिकेशन तथा समन्वय बैठाना है।

3.8.1 सहायता शिविर

जिला आपदा प्रबंधक प्रत्येक प्रभावित गांव में शिविर लगाने का निर्णय करेगा तथा इसके आकार को निश्चित करेगा। सहायता शिविर का प्रशासनिक ढॉचा टेबिल नं0 3 में दिया गया है, जो प्रत्येक प्रभावित लोगो की मदद के लिये जिम्मेदार होगा। सहायता शिविर तहसीलदार स्तर के अधिकारी द्वारा संचालित होगा। यदि सहायता शिविर नगर निगम क्षेत्र में है, तो यह वार्ड स्तर के अधिकारी द्वारा संचालित किया जावेगा। जिला आपदा प्रबंधक यह निर्णय ले सकता है कि यदि कोई एन.जी.ओ. सहायता शिविर संचालन में सक्षम हो, तो उसे संचालन का अधिकार देकर सहायता शिविर स्थापित कर सकता है लेकिन ऐसे शिविर डी.सी.आर./स्थल संचालन केन्द्र के साथ समन्वय बैठा कर कार्य करेगें।

3.8.2 स्थल संचालन केन्द्र गतिविधि

(क) निम्न कार्य करना

- बचाव एवं प्रभावित स्थल खाली करवाना।
- शवो का निस्तारण कराना।
- फीडिंग केन्द्र (दो सप्ताह के लिये स्थापित करना)
- पानी तथा भोजन की पूर्ति करना।

(ख) निम्न के साथ कम्यूनिकेशन

- ई.ओ.सी.

- जिला नियंत्रण कक्ष
- क्षेत्र में कार्यरत जिला प्रशासन के कर्मचारी
- अलग–अलग स्थापित शिविरो के शिविर अधिकारी
- एन.जी.ओ.

(ग) जिला नियंत्रण कक्ष से सम्प्रेषण करना

- बचाव एवं खोज की जरूरत ।
- जरूरत की सामग्री।
- नकद मुआवजा।
- ट्रान्सपोर्ट सहायता सामग्री।
- सहायता तथा पशु शिविर की जरूरत को प्राप्त करना तथा इसे इकट्ठा करना।

(घ) भोजन, पानी की पूर्ति साफ सफाई का निरीक्षण

3.8.3 डेस्क व्यवस्था

डेस्क संचालन कार्य

(क) निम्न गतिविधि करना

- नुकसान से बचाव कार्य
- दो सप्ताह के लिये फीडिंग केन्द्र अतिशीघ्र स्थापित करना।

(ख) निम्न से समन्वय स्थापित करना

- स्थल संचालन केन्द्र जिला नियंत्रण कक्ष।
- जिला प्रशासन के कार्यरत कर्मचारी।
- एन.जी.ओ.।
- व्यक्तिगत दानदाता।

(ग) निम्न प्रबन्ध करना

- सभी प्रकार की सूचनाओं और जरूरतों को जिला नियंत्रण कक्ष/स्थल संचालन केन्द्र तक पहुँचाना।
- कर्मचारियों की पारी को निश्चित करना तथा इनकी निगरानी करना।

3.8.4 सर्विस डेस्क

(क) निर्धारित करना

- बचाव कार्य की जरूरत

(ख) प्रबंध करना

- भोजन बनाने के लिये रसद तथा परिवार किट की व्यवस्था करना। (दो सप्ताह के लिये)

(ग) वैलफेयर सुविधा प्रदान करना

- परिवार के सदस्यों को मिलाना
- खोये हुये पशुओ की संख्या का निर्धारण करना।

- विद्यार्थियों का पता लगाना जिससे वे अपनी पढाई कर सकें।
- दिमागी स्वास्थ्य के लिये सेवा प्रदान करना।
- काउन्सलिंग की सेवा प्रदान करना।

3.8.5 आधारभूत डेस्क

(क) मलवे को साफ करना

(ख) सामुदायिक सहयोग व हिस्सेदारी बढाना

- प्रभावित लोगों को आश्रय व स्वच्छता।
- भोजन की व्यवस्था।
- चिकित्सा सुविधा।
- शिक्षा सुविधा।
- मनोरंजन।
- डाक सुविधा।
- क्षतिग्रस्त आधार की अस्थायी मरम्मत।

3.8.6 चिकित्सा डेस्क

(क) संघटन करना

- मृत शरीरों का निस्तारण।
- कूडे व खराब पानी की व्यवस्था।
- बीमारो व घायलों का इलाज।
- महामारी के फैलने के खतरे से बचाव।
- खाना, जलापूर्ति, सफाई की जॉच।

(ख) संभार तंत्र

- ग्राम सहायता टिकिट प्रभावित परिवारों को देना।
- सहायता सामग्री का वितरण।
- प्राप्ति, भण्डार सहायता शिविरों को सहायता सामग्री पहॅुचाना।
- व्यक्तिगत दानदाताओं व एन. जी. ओ. के वितरण को समन्वित करना।
- वाहन और यंत्रो का उचित रख रखाव।
- स्वंय सेवी व सामुदायिक कार्यकर्ताओं को संचारित व समन्वित करना।
- स्वंय सेवी व स्टॉफ की सेवायें उपलब्ध कराना।

3.8.7 कम्यूनिकेशन एवं सूचना प्रबंधक डेस्क

निम्न सूचनाओं को एकत्रित कर जिला नियंत्रण कक्ष को भेजना।

- डाटा संग्रहण।
- रिकार्ड रखना।
- खोये व्यक्तियों को पहचानना।
- सूचना केन्द्र।
- प्राप्त व प्रेषित सूचनाओं का लेखा।

- सभी प्रेषित सूचनाओं को सहायता केम्प ऑफीसर के द्वारा भेजना।

3.8.8 साधन डेस्क

(क) रख रखाव करना

- नकद प्राप्ति का लेखा।
- नकद वितरण का लेखा।
- भण्डारित सहायता माल का लेखा।
- अवशेष सामग्री का स्टॉक रजिस्टर।
- सहायता कर्मचारियों को दिये गये दैनिक भत्ते आदि का लेखा।
- प्रशासन व सहायता केम्पों में खर्च की गई राशि का लेखा।

(ख) सामान्य

- सभी नकद अनुदानों को जिला नियंत्रण कक्ष पर दर्ज कराया जावे व प्रत्येक अनुदान की प्राप्ती भी ली जावे।
- सभी के अनुदान भी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर जिला नियंण के कक्ष के अधिकारी को निरीक्षण हेतु प्रदान कना।
- पेट्रोल व डीजल के बिलो का हिसाब रखना।
- साधन सुविधायें जो कि जिला नियंत्रण कक्ष को प्रदान करनी होती है।
- योजना के पूर्व अनुमान।
- कलेक्ट्रेट सभागार को कॉन्फ्रेन्स कक्ष के रूप में काम लिया जावेगा।
- संचार कक्ष कलक्टर के ऑफिस के पास होगा।

3.8.9 ले आउट

- कार्य क्षेंत्र के लिये पर्याप्त स्थान।
- आपातकाल में विभिन्न डेस्कों की व्यवस्था।
- डी.सी.आर. में संसाधन।

3.8.10 जरूरतमन्द फर्नीचर व आलमारियॉ

- कार्य योजना सव प्लान और लोकल प्लान सहित।
- खतरा संभावित क्षेत्रों के नक्शे।
- महत्वपूर्ण लोगों की सूची।
- महत्वपूर्ण नम्बरों को दीवार पर चिपका देना चाहिये ताकि वे आराम से देखे जा सकते है।

3.8.11 संचार कक्ष

वर्तमान पुलिस की वायरलैस सेवायें डी.सी.आर. निरन्तर सम्पर्क रखेगी।

इसके अतिरिक्त अन्य सुविधायें :–

- दूरभाष, फैक्स
- इन्टर कॉम
- सिविल वायरलैस नेटवर्क तहसीलदार स्तर तक
- बी.एस.ए.टी. कनैक्शन
- कम्प्यूटर मॉडम प्रिन्टर
- फोटो कॉपी मशीन

डेस्कों की व्यवस्था

सभी आठ डेस्कों पर होनी चाहिये

- एक फोन एस.टी.डी. के साथ
- इन्टर कॉम कलेक्ट्रेट व सभी विभागों के अफसरों से जुडा होना चाहिये।
- कार्यालय की जगह पर साफ–साफ आपदा नियंत्रण कक्ष लिखा होना चाहिये।

3.8.12 परिवहन

सामान्य काल में एक वायरलैस व्यवस्था युक्त वाहन होना चाहिये। आपात कक्ष में अतिरिक्त वाहन लगाये जा सकते है।

3.8.13 स्टॉफ

डी.सी.आर. के लिये तीन तरफ का स्टॉफ होना चाहिये।
नियमित स्टॉफ स्टॉफ –ऑन–कॉल व आपातकालीन स्टॉफ
नियमित स्टॉफ में होना चाहियेः–
1–डेस्क ऑफीसर–संचार कक्ष ये पद अतिरिक्त जिला कलक्टर देखेगें। वह संचार कक्ष के नियमित कार्यो को देखेगें।
2–संचार कक्ष सहायक
यह पद बहुत महत्वपूर्ण है इस पद पर आसीन व्यक्तियो को हमेशा संचार कक्ष में उपस्थित रहना होगा व आने वाली सूचनाओं को डेस्क ऑफीसर या कलक्टर को भेजेगा।
3–स्टेनोग्राफर इस पद पर आसीन व्यक्ति सभी तरह की लिपिकीय सुविधा उपलब्ध करायेगा तथा उसे कम्पयूटर डाटावेस सिस्टम का ज्ञान होना चाहिये।
4–संचार यंत्र ऑपरेटर, (24 घन्टे) ये वायरलैस सेट का ध्यान रखेगा।

5–चालक/सन्देश वाहक/अटेन्डेन्ट (24 घन्टे)
चालक की जरूरत डी.सी.आर. के वाहन के लिये पडेगी व चालक को गाडी में लगे वायरलैस सेट को भी नियंत्रण करना आना चाहिये।

स्टॉफ ऑन–कॉल

यह स्टॉफ आपातकालीन स्थिति में तुरन्त कार्य पर आयेगा।
1–दो अतिरिक्त जिला कलक्टर
2–जिला सेटलमेन्ट ऑफीसर
3–उपखण्ड अधिकारी

3.8.14 आपातकालीन स्टॉफ–कॉल (दूरभाष पंजिका) – एजेक्जर '2' पृष्ठ सं0 109–124 पर अंकित है।

अध्याय – 4

प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत एंव बचाव के उपाय

4.1 जिले में वर्षा एवं बाढ की स्थिति

भरतपुर जिले की औसत वर्षा 674 मिलीमीटर है जिले में बहकर आने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में अतिवृष्टि होने की स्थिति में जिला बाढ की चपेट में आता रहा है। यहॉ प्रत्येक दशक में एक दो बाढ की स्थिति का सामना करना पडता है। वर्ष 1956, 1972 ,1975, 1976, 1977, 1978 ,1982, 1995, 1996, 1998, 2003, एवं 2016 में जिला मध्यम से भारी बाढों से प्रभावित होता रहा है। गुजरी शताब्दी के अंतिम दो दशको में आई बाढ की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	वर्ष	जिले की औसत वर्षा मि. मी. में	वर्ष के दौरान हुई औसत वर्षा मि.मी. मे	बाढ की स्थिति
1	1995	674	922 दिनांक 8.8.95 को अधिकतम 494 मि.मी. एक दिन में रूपबास क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई	भारी बाढ की स्थिति
2	1996	674	1036 दिनांक 23–24 जून को कामां–नगर क्षेत्र मे मात्र 36 घण्टे में 536 मि.मी. अतिवृष्टि हुई	शताब्दी बाढ की स्थिति उत्पन्न हुई
3	1997	674	502	सामान्य से कम
4	1998	674	915	आंशिक बाढ की स्थिति उत्पन्न हुई।
5	1999	674	480	सामान्य से कम
6	2000	674	389	सामान्य से कम
7	2001	674	535	सामान्य से कम
8	2002	674	290	सामान्य से कम
9	2003	674	716	आंशिक बाढ की स्थिति उत्पन्न हुई
10	2004	674	403	सामान्य से कम
11	2005	674	661	सामान्य से कम
12	2006	674	316	सामान्य से कम
13	2007	674	394	सामान्य से कम
14	2008	674	758	सामान्य से अधिक
15	2009	674	483	सामान्य से कम
16	2010	674	697	सामान्य से अधिक
17	2011	674	671.05	सामान्य
18	2012	674	682.73	सामान्य
19	2013	674	547.84	सामान्य से कम

20	2014	674	449.89	सामान्य से कम
21	2015	674	419.97	सामान्य से कम
22	2016	674	685.00	सामान्य
23	2017	674	305	सामान्य से कम
24	2018	674	679	सामान्य

4.2 प्रभावित क्षेत्र

जिले में आने वाली बाढो से काफी बढा क्षेत्र प्रभावित होता है। यहॉ भरतपुर शहर क्षेत्र के अलावा काफी गॉव भी प्रभावित होते है। प्रभावित गांव की तहसीलवार सूची निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	तहसील का नाम	प्रभावित गांव की संख्या
1	भरतपुर	55
2	नदबई	41
3	बयाना	29
4	रूपबास	54
5	डीग	27
6	कामां	95
7	नगर	19
8	वैर	68
9	कुम्हेर	63

4.3 बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों की सूची

बाणगंगा नदी के संवेदनशील बिन्दुओं के टूटने पर बाढ़ से प्रभावित होने वाले मुख्य–मुख्य गांवों की सूची :–

1. पथैना हैड से ऊपर ओवर फ्लोईंग होने पर

पथैना केनाल हैड के ऊपर साइड से बांयी तटबंध से ओवर फ्लोईंग होने पर मुख्यतः निम्न गांव बाढ से प्रभावित होते हैं ।

तह.–वैर पथैना, महाराजपुरा, नवलपुरा, खदराया, नैवारी, अखैगढ, सेमपुर, से होकर खुर्रमपुर नहर में गिरता है,

तह.–नदबई आगे भदीरा, उसेर

तह.–कुम्हेर तथा दहवा, बिरहरू, कुरवारा, लांकी, थेरावर, उसरानी

तह.–डीग सिनसिनी, माढेरा डीग तहसीलों के गांवों को प्रभावित कर होम्स कैनाल में मिलता है ।

2. सैडल नं. 2 व सैडल नं. 3 के टूटने पर

सैडल नं.3 के टूटने पर आंशिक प्रभाव ही पड़ता है जबकि सैडल नं.2 के टूटने पर बाणगंगा नदी का सम्पूर्ण बहाव ही बदल कर भरतपुरशहर की तरफ हो जाता है। इससे प्रभावित होने वाले गांवों की तहसीलवार सूची निम्न प्रकार है :—

तह.वैर—भैसीना, बिजवारी, जहानपुर, सरसेना, मुखैना, भूतौली, न. हेतराम, पाली, नया गांव, गाजीपुर इत्यादि ।

तह.नदबई—न्यौठा, नूरपुर खांगरी, नाम, झारकई, गुदावली, अरोदा, हन्तरा, डहरा, रैना, बीलौठ, शाहपुर, बुखारी, कवई, बैलारा, रायशीश, नदबई, लुलहारा शाहपुर, पहरसर, गादौली इत्यादि।

तह.कुम्हेर—पपरेरा, भटावली, गुहावली, आजउ, पाहुआ, धनवाडा, पूंठ, चकबनी, न. मना, नगला गंगा, चिमनी, सरसई, बांसरौली, बावेन, सत्यनगर, डहरा, बौरई, सैह, इत्यादि से होम्स कैनाल द्वारा मोतीझील में होकर बाढ़ का पानी निकलता है।

तह.भरतपुर—हेलक, हिण्डौला, बहुआ, सिनपिनी, सेवर, गुदावली, पडौला, सीही, बनी, भाण्डौर, अवार, तुहिया इत्यादि।

3. **बारा, ललिता मूड़िया, मंदिर गांव, धरसोनी, बरखेडा से बांये तटबंध के टूटने पर –**
तह.वैर हलैना, खेडली गूजर, मूडिया, न्यामदपुर, हतीजर, धरसोनी, मंदिरगांव, बेवर, तह.नदबई–झामरी, डहरा, अरौदा, हन्तरा, शाहपुर, बीलौठ, बरखेडा, लुलहारा, से फिर सैडल नं.2 के बाद रास्ते पर प्रभावित नदबई, कुम्हेर व भरतपुर तहसील के गांवों में होकर बाढ़ का पानी गुजर कर पड़ने वाले गांवों को प्रभावित करता है।

4. **खरवेरा दांये तटबंध के टूटने पर**
भारी बाढ़ की स्थिति में ही इस कोर्स से गांव प्रभावित होते हैं जो कि निम्न हैं–
तह.वैर रमासपुर, खरवेरा के पास के नगले, नया बरखेडा, बांसी,लुहासा,
तह.बयाना गुर्धा, नगला होता, फरसो, खोरा, पिदावली, नगला बहादुरिया, वीरमपुरा, मिलकपुरा, सिंघाड़ा होकर पिचूना नहर में मिलता है ।

5. **बरखेडा, नगला मई के टूटने से प्रभावित गांव –**
तह.नदबई – बरखेडा, नगला मई, मई लखनुपर, रेहिला, जहांगीरपुर, बछामदी, सैंत, तह. भरतपुर – मुरवारा, अड्डी बंध के द्वारा मोतीझील से गुजरता है ।

6. **शेखपुर, दूदूपुरा दांये तटबंध के टूटने पर प्रभावित होने वाले गांव –**
तह.बयाना – खेडली गढासिया, दूदूपुरा,
तह.नदबई – गोबरा, शेखपुर, जहांगीरपुर,
तह.रूपवास – बहरा रेखपुरा पना, नगला तेहरिया,

4.4 गम्भीर नदी के संवेदनशील बिन्दुओं के टूटने पर बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों की सूची

1. **पांचना बांध के काफर डेम टूटने पर**
तह.रूपवास–रीठौठी, पीपरी, मिलकपुर, हाडौली, कुन्देर, मुढेरा
2. **चौखण्डा से दांये तटबंध टूटने पर –**
तह.रूपवास–चोखंडा, ककरऊआ, कंजोली, माडापुरा, श्रीनगर, बोसोली, मडोली
3. **कुरका मार्जिनल बंध के टूटने पर**
तह.रूपवास–कुरका, पीलू का नगला, छटी का नगला, सोनौठी, बहरावली, मदरियापुरा, बंशी बागरी, भैंसा
4. **खुडासा बंधली के टूटने पर –**
तह.रूपवास–खुडासा, बाघा, चन्दनपुरा, चक खुडासा, चांदौली
5. **अत्यधिक पानी आने की स्थिति में**
तह. बयाना – के नदी के तटबंधों के पास बसे निम्न गांवों को प्रभावित करता है – चीकरू, पीपरिया, धुरेरी, मावली, महरावर, नदी का गांव, नहरौली, चक बीछी
तह.रूपवास–दाहिना, महलपुर काछी, मुर्रिका, कांधौली, दौलतगढ, सिकरौदा, पिचूना, रसीलपुर, मिल्सवां, देवरी, पांड्री, मैरथा

4.5 रूपारेल नदी के संवेदनशील बिन्दुओं के टूटने पर बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों की सूची

तह.नगर सीकरी, गाजूका, गोलपुरा, कैथवाडा, रॉफ, डाबक, मातूकी, पथरौली, खेरली, रामपुरा, मोहनपुरा, निहाय, पीपलखेडा, वर्दी, सतवारी, बिहारी, आलमपुर,गोपालगढ, नगर, जयश्री, बेरू, विधारी, कुरकैन, बनौरी, धोकला, पडलवास, इत्यादि ।

तह.कामां सहसन, लाडलाका, हुसना, कबतरिया, हल्का, खेडली काजी, वमनपुरा, कचनेरा करहरी, सादपुरा उहलखेडा, खेडा नानू, घोसिंगा, ईखनका, मूसका, काकनखेडी, सागवैर, मल्हाका, हीराहेडा इत्यादि गांव।

तह.डीग ककड़ा बेडम, पूछरी, डबारा, जनूथर, मौरोली, कुचावटी, अऊ, डीग, क्षोह, महमदपुर, बंधा चौथ, बहत, खालसा, बरई, निगोही, शहपुर, बहज, दिदावली माढेरा, तमरेर, करऊआ, सेंहती, न. चाहर, कटैला, इत्यादि।

तह.कुम्हेर गांगरौली, नगला कूम्हां, नगला लखन, नगला समनका, इन्दूका, नगला दांदू, का, नगला खनका, अधेया, सूरौता, सुनारी, अभोर्रा, बेलारा, नगला गोपाल, बाबूला, सेह, बोरई, बावेन, उवार, डहरा से होकर होम्स कैनाल द्वारा मोतीझील में बाढ़ का पानी निकलता है ।

तह.भरतपुर भांडोर, सोगर, तुहिया, अवार, भरतपुर शहर क्षेत्र, जघीना, पीपला, बछामदी, नोह, मैनड्रेन के आस पास के गांवों को प्रभावित करता है ।

4.6 बाण गंगा नदी के संवेदनाशील बिन्दुओं के टूटने पर बाढ़ से प्रभावित होने वाले मुख्य–मुख्य गांव

तहसील भरतपुर

1. धानौता 2. बांसीखुर्द 3. बांसी कला 4. रूंध बांसी खुर्द 5. चितोकरी 6. नगलाभान 7. नगला धर्म सिंह 8. झारौली 9. हिण्डौला 10. सेवर 11. घाट 12. दारापुर 13. दारापुर नं1 14. दारापुर नं. 2 15. चक नगला फटियार 16. नगला फटियार 17. नगला टीकेता 18. चक टीकेता 19. चक नसवारिया 20. चक काजी 21. अघापुर 22. चक श्योरावली 23. चक श्यो सिंह 24. चक कुरका 25. चक धोबी 26. चक चौका 27. कपरौला 28. कपरौली 29. चक ऊंचा गांव 30. धनागढ. 31. मई गूजर 32. सनहूली 33. चिचाना 34. गहनौली 35. नगला दूल्हेराम 36. नगला सोलम 37. कल्याणपुर 38. नगला कल्यानपुर 39. नगला अजान 40.अजान 41. चक कपरौली 42. सुनारी 43. खैमरा 44. मांझी 45. ऊंचा गांव 46.खरेरा 47.खडेरा 48. चक एक्टा 49. रामनगर 50. चक रामनगर 51. श्योराना 52. कूम्हां 53. बहनेरा 54. चक बहनेरा 55. नगला अभयराम

तहसील नदबई

1. महरमपुर 2. डहरा 3. बीलोठ शाहपुर 4.रैना 5. बझेरा 6. गुदावली 7. नाम 8. पहरसर 9. लुलहारा 10. हन्तरा 11.गादौली 12.हसनपुर 13. झारकई 14.घोसिंगा 15.खेडिया ब्राह्मण 16. अरोदा 17. खेडी देवी सिंह 18.बैलारा 19.लालबाग 20.खटोटा 21.नगला खटोटी 22. बढवारी कलां 23. बुढवारी खुर्द 24. कवई 25. बिनऊआ 26. सेवला 27. नगला बुढवारी खुर्द 28. डांगरो 29. चौंठा 30.नूरपुर 31.रायसीस 32. कलां बड़ा 33. पीली 34. नगला मई 35. मई 36. गोबरा 37. होता 38. अस्थल 39. जहांगीरपुर 40. पींगोरा 41. अटारी

तहसील बयाना

1. कस्वा बयाना 2. मुर्रिका 3. सिंघान खेडा, 4. खीसराय, 5. नगला झामडा. 6. चक नावली 7. मोरपुर 8. फरसो 9. नगला बहादुरिया 10. चक वीछी 11. नगला कुलाटिया 12. नगला खुशफहम 13. नगला भेद सिंह 14. नदीगांव 15. मिलकपुर 16. सेवला 17. मोलोनी 18. चोखण्डा 19. बड़ोदा 20. पुरावई खेडा 21. साधपुरा 22. बहल 23. नगला निर्माण 24.विडयारी 25. पीलूपुरा 26. सिंघाड़ा 27. वीरमपुरा 28. शेखपुर 29. दूंदूपुरा

तहसील रूपवास

1. महलपुर काछी 2. मुर्रिका 3. कांधोली 4. भैंसा 5. वंशी वागरी 6. वेदपुरा 7. महल 8. वारिया 9.खुडासा 10. चन्दनपुरा 11. चक खुडासा 12.जिन्दपुरा 13. चांदोली 14.सोनोकी 15.

मदरियापुरा 16. नगला भगवत 17. नगला राम 18. बहरावली 19. दौलतगढ 20. सिकरौदा 21.पिचूना 22. माडापुरा 23. ककरवा 24. कंजोली 25. खातीपुरा 26. मंडौली 27. बोसोली 28. श्रीनगर 29. सूपरा 30. निभेरा 31. रतऊआ 32. रसीलपुर 33.सीनेर 34. दाहिनागांव 35. मिल्सवां 36. मोरोली डहर 37.पोहरी 38. वैरवा 39. पना 40. नगला तेहरिया माफी 41. नगला दौजा 42. शेरी खुर्द 43.रहीमपुर 44. बहरा रेखपुरा 45. मुडेरा 46 नेकपुर 47. चुरारी गूजर 48. गहलऊ 49. कैमासी 50. तुहिया पट्टी 51. कारा माफी 52. पनोह 53.नगला बीजा 54. नगला तेरहिया इत्यादि

तहसील डीग

1. कस्वा डीग 2. घसारी 3. चक घसारी 4. दीनापुर 5. रासका 6. रौनीजा 7. अढावली 8. निगोही 9. अऊ 10. डहरखोह 11.मधुवना 12. ककड़ा 13. अनजीरी 14. डभादा 15. महमदपुर 16. बरई 17. नगला खोह 18. बंधा चौथ 19.श्योपुरा 20. बंधा खालसा 21. शाहपुर 22. बेढम 23. मालपुर 24. किशनपुरा 25. अचलपुर 26. चक ऊंदरा 27. फना 28. गिरसे

तहसील कांमा

1.सहजन 2.लाडलाका 3.हूसना 4.कवतरिया 5.हल्का 6.खेडली काजी 7.वमनपुरा 8. कंचननेर 9. करहरी 10.सादपुरा 11.उहलखेडी 12. खेडा नानू 13. घोसिंगा 14. सबलाना 15. दाहिना 16. वानिया कलां 17. सोमका 18. खेराका 19. बड़ौदा 20. ईशनका 21. मूसाका 22.चानिया खुर्द 23. जीराहेडा 24. बहादुरपुर 25.काकनखोरी 26.सांगवेर 27. मल्हाका 28.धोरा 29. भीमाका 30.खल्लूका 31.सामराका 32.खेडा अलीमुद्दीन 33. धीमरा 34. कस्वा कांमा 35.नन्देरा 36.गुडगांवा 37. आसूका 38. सतवास 39.आराजी सतवास 40. पालडी 41.नगला सीताराम 42.कुलवाना 43. नगला कुलवाना 44.दिलावटी 45.उदाका 46. टैंकोरा 47.धनवाडा 48. बझेरा 49.डाना 50. नरोला 51.अकासा 52.राधानगरी 53.तुन्हारा 54. कनवाडा 55.अगमा 56.छिछरवाडी 57. रूंध कनवाडा 58. करमूला 59. मुदाका 60. लालपुर 61. कलावटी 62.ऊधन 63. मूसेपुर 64. खेडली बल्लो 65. समधारा 66.नौगांवा 67.वादीपुर 68. नगला वादीपुर 69. कोतका 70. नितबाड़ी 71. यामनी 72. खेंचातान 73. नगला डूबोखर 74. नगला मोगरा 75. नगला खोहरा 76. नगला बल्देव 77.नगला जालिम सिंह 78. ऐंचवाडा 79.सहेडा 80. बसई डहरा मय लोहागढ़ 81. नगला दादू 82. खेडली गुमानी 83. नगला कुन्दन 84. किरायता 85. चम्बाड़ी 86.पथराली 87.नावड़ी 88. रसूलपुर 89. नौनेरा 90. पन्डारा 91. सबलगढ 92. पाई 93. धुहरा 94. बावरी

तहसील नगर

1. सीकरी 2. खेडेकमा 3. गाजूका 4. गोलकी 5. कैथवाडा 6. रॉफ 7. डाबक 8. मातूकी 9. पथराली 10. खेरली 11. वूडली 12. रामपुर 13. मोहनपुर 14. निहाम 15. पीपलखेडा 16. वर्दी 17. सतवारी 18. बिहारी

तहसील वैर एवं भुसावर

1. नैवाड़ा 2. नैवाड़ी 3. बिजवारी 4. रूंध नैवाडी 5.आमोली 6. मूडिया जाट 7. झालाटाला 8. भूतौली 9. मुखैना 10. जहानपुर 11. नगला हेतराम 12.रहीमगढ 13. बबला बंध 14. नगला कोठारी 15. ताजपुर 16. झरनिंग 17.बारा खुर्द 18. गांगारोली 19. सिंगरावली 20. हिसामडा 21. मूडिया साद 22.शाहपुरा 23. गादौली 24.धरसोनी 25.न्यामदपुर 26. हतीजर 27. ओना खुर्द 28. सिदीकी 29. पाली 30. जेठली गूजर 31. बेवर 32. सरसेना 33. भैसीना 34. गाजीपूर 35.खदराया 36. बाछरैन 37. अनु 38. आराजी बवेखर 39. नवलपुरा 40. महाराजपुरा 41. बवेखर 42. नारौली 43. खानपुर 44. हींगोटारकलां 45. सलेमपुर खुर्द 46. चैंटोली 47. गनावेती 48. झारोटी 49. मालाहेडा 50. छोंकरवाडा 51. छोंकरवाडा खुर्द 52. गोविन्दपुरा 53. गढी साद 54. कमालपुरा 55. मुखैना 56. खरवेरा 57. रमासपुर 58. चक धरसोनी 59. मौलापुरा 60. बांसी 61. गढ बांसी 62. बरखेडा 63. जटबलाई 64. चक खेडली गूजर 65. उम्मेदपुरा 66. अजरोदा 67.दीवली 68. इटामदा

4.7 बांधों का विवरण

क्र. सं.	जिला	बांधों का विवरण	कुल जल भराव क्षमता(एमसीएफटी)	सी.सी.ए. हेक्टयर में

		जल संसाधन विभाग	पंचायत को स्थानान्तरित	कुल	जल संसाधन विभाग	पंचायत को स्थानान्तरित	कुल	जल संसाधन विभाग	पंचायत को स्थानान्तरित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	भरतपुर	41	156	197	6393	1829	8222	52801	16251	69052

4.7.1 बांधों का वर्गीकरण

क्र. सं.	जिला	वृहद बांध		मध्यम बांध		लघु सिंचाई बांध	
		संख्या	भराव क्षमता (एमसीएफटी)	संख्या	भराव क्षमता (एमसीएफटी) संख्या	संख्या	भराव क्षमता (एमसीएफटी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भरतपुर	1	—	2	2495	38	3808

4.7.2 जल संसाधन विभाग द्वारा संधारित बांध

क्र. सं.	जिला	बांध का नाम	कुल डिजायन		सी.सी.ए. (हेक्टयर में)	वर्ष 2016 में प्राप्त पानी एमसीएफटी में
			गेज फीट में	भराव क्षमता एमसीएफटी		
1	2	3	4	5	6	7
1	भरतपुर	सीकरी	11.00	—	10467	402
2		आलमपुर	6.20	15.30	483	5
3		डाबक	5.23	7.00	390	—
4		डरावना	4.80	5.00	374	—
5		कैथवाडा	6.20	10.00	447	—
6		पापडा	15.00	11.50	768	1
7		रॉफ	5.00	10.00	427	—
8		अऊ	3.32	40.30	336	—
9		जनूथर	6.00	28.00	352	—
10		कुचावटी	4.50	83.00	760	—
11		आजऊ	5.00	89.60	1920	55
12		हुसना	3.00	20.00	480	12
13		धनवाडा	8.39	17.55	892	2
14		सेह	8.00	65.00	640	50
15		अजान लोअर	11.00	635.00	8097	214.21
16		उड्डी	7.56	4.00	330	—
17		अजान अपर	7.50	90.32	6400	—
18		बहनेरा	5.00	139.00	944	—
19		चिकसाना	10.00	500.00	810	150
20		मुरवारा	5.00	122.00	880	—
21		चक्काजी बांध	4.30	72.00	768	—
22		हिण्डोला	4.80	77.40	323	35
23		सेवर अपर	9.50	200.00	800	—
24		बारेठा	29.00	1860.00	4243	1860

25		भौंट	4.00	202.35	988	—
26		रीछोली	4.30	41.65	971	—
27		सहना	4.00	65.20	810	—
28		बरबार	3.50	21.90	340	—
29		बसेरी	7.00	33.90	485	—
30		कंजर बरोली	4.45	35.00	648	35
31		खानुआ	9.00	162.00	648	—
32		खानसूरजापुर	7.50	26.00	324	26
33		कुरका	5.00	139.00	567	—
34		नेकपुर	5.25	78.40	324	—
35		समेसरा लोअर	4.5	28.60	534	5
36		बहुआ	7.07	80.00	1134	—
37		शाहपुर	6.60	35.00	320	—
38		बछामदी	7.00	54.00	800	—
39		जहानपुर	4.50	17.22	308	—
40		सरसेना	4.40	22.00	488	—
41		लालपुर	12.00	260.00	781	45.30
भरतपुर जिले का योग—				**6393.65**	**52801**	

4.8 बाढ नियंत्रण कक्ष

जिले में बाढ नियंत्रण हेतु 15 जून से नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाते है। सिंचाई विभाग द्वारा जिले के विभिन्न चिन्हित 22 स्थानों पर बाढ नियंत्रण कक्षो की स्थापना की जाती है, जिसमें से 16 केन्द्रो को टेलीफोन, 7 केन्द्रो पर वायरलैस व 6 केन्द्रो को वायरलैस तथा टेलीफोन दोनो सुविधाओ से सुसज्जित किया जाता है। इनके अतिरिक्त जिला कलक्ट्रेट मुख्यालय में केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना के साथ—साथ प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर भी बाढ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है।

महत्वपूर्ण सूचना के माध्यम

जिले में बाढ आपदा के दौरान सूचना का आदान—प्रदान करना एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। इस हेतु आवश्यक सूचना माध्यमो को चिन्हित किया गया है ताकि शीघ्रतिशीघ्र सूचना प्रसारित की जा सके तथा त्वरित बचाव कार्य समय रहते कराये जा सकें। ऐसे माध्यमो की सूची निम्नानुसार दर्शित है।

4.9 पूर्व चेतावनी व्यवस्था

जिले में बाढ नियंत्रण हेतु विभिन्न मुख्य—मुख्य स्थानो पर सिंचाई विभाग द्वारा 22 नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाते हैं जो 15 जून से कार्य प्रारंभ करते हैं तथा 30 सितम्बर तक स्थापित रहते हैं। इनके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय पर मुख्य नियंत्रण कक्ष के साथ साथ प्रत्येक तहसील स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाते हैं। इनके साथ भरतपुर जिले में प्रवेश से पूर्व तीनो प्रमुख नदियो वाणगंगा, गम्भीर तथा रूपारेल पर दूसरे जिलों के नियंत्रण कक्ष मय दूर संचार/वायरलैस सुविधा के स्थापित किये जाते हैं तथा सिंचाई विभाग का मुख्य नियंत्रण कक्ष हाइड्रोलोजी युनिट जयपुर में स्थापित किया जाता है।

वर्षा सत्र के दौरान रोजाना सुबह 8 बजे स्थापित नियंत्रण कक्षों के माध्यम से जिले के समस्त क्षेत्र की वर्षा एवं गेजों की सूचना प्राप्त की जाती है तथा प्राप्त सूचना प्रातः 10 बजे तक जिला कलेक्ट्रेट नियंत्रण कक्ष तथा मुख्य नियंत्रण कक्ष जयपुर को भेजी जाती है। इसी तरह बाढ के पानी के नियंत्रण एवं संग्रहण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कार्यरत प्रभारी अधिकारियो/कर्मचारियो को इन्ही नियंत्रण कक्षो के माध्यम से सूचना दी जाकर त्वरित कार्यवाही की जाती है।

मानसून काल में मय मौसम विभाग जयपुर से समय–समय पर चेतावनी मुख्य नियंत्रण कक्ष, जयपुर के माध्यम से प्राप्त होती है। जिसकी अविलम्ब सूचना स्थापित नियंत्रण कक्षों के माध्यम से कार्यरत प्रभारी अधिकारियो को दी जाती है। साथ ही बाणगंगा नदी पर दौसा जिले में स्थापित बांदीकुई नियंत्रण कक्ष से गंभीर नदी पर पांचना बांध जिला करौली पर स्थापित नियंत्रण कक्ष से सूचना प्राप्त की जाकर तथा रूपारेल नदी पर स्थापित नियंत्रण कक्ष घाट पिकअप वीयर, अलवर से दूरभाष द्वारा सम्पर्क स्थापित कर सूचना प्राप्त की जाकर स्थिति का आंकलन कर आवश्यक निर्देश/चेतावनी सभी नियंत्रण कक्षों के माध्यम से दी जाती है।

प्रभावी बाढ नियंत्रण हेतु नदियो के जिले में विद्यमान गेज स्टेशनो तथा अप स्ट्रीम में दूसरे जिलों में स्थापित गेट स्टेशनों के गेजों के आंकडे लिये जाकर तैयार ग्राफ से प्राप्त आंकडो के अनुसार संभावित गेज एवं पानी की मात्रा तथा पानी पहुँचने की अवधि का आंकलन कर बाढ पूर्व की चेतावनी सूचना तथा दिशा–निर्देश नियंत्रण कक्षों के माध्यम से क्षेत्रों में कार्यरत प्रभारी अधिकारियो/कर्मचारियो को प्रसारित किये जाते हैं तथा सभी संबंधित विभागों से सामंजस्य स्थापित कर कार्य योजना अमल में ली जाती है बाढ आपदा की स्थिति में विभिन्न तहसीलों पर स्थापित प्रशासनिक नियंत्रण कक्षों को एलर्ट कर संभावित प्रभावित क्षेत्रों को उपलब्ध हरसंभव संचार/सूचना/सरकारी मशीनरी गैर सरकारी संस्थाओं/जन सेवकों के माध्यम से सूचना गांवो तक ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचाई जाती है ताकि समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुँच सके।

संभावित बाढ की स्थिति में नियंत्रण कक्षों को 24 घन्टे खुले रखकर हर आधे घन्टे पर गेजों एवं फील्ड की स्थिति प्राप्त की जाकर आवश्यक कार्य योजना अमल में ली जाती है जिसके लिये विभिन्न विभागो के दायित्व अगले पैरा में दर्शाये गये हैं, जिसमें बाढ पूर्व, दौरान एवं बाढ के बाद में ली जाने वाली योजना विभिन्न विभागों द्वारा अमल में लाई जावेगी।

4.10 सिंचाई एवं पुलिस विभाग के महत्वपूर्ण वायरलैस स्टेशन

जिले में सिंचाई विभाग द्वारा कुल 5 स्थानों पर वायरलैस केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं तथा 3 केन्द्र जिले से बाहर जयपुर, करौली, बांदीकुई में स्थापित होते हैं, जिनका जिले की बाढ नियंत्रण कक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इनके अतिरिक्त बाढ के समय में जिले के प्रत्येक थाने में स्थापित वायरलैस स्टेशनो की भी सहायता ली जाती है। प्रस्तावित वायरलैस केन्द्रो की सूची निम्नानुसार है :–

भरतपुर जिले में जल संसाधन विभाग वायरलैस स्टेशनों की सूची

1.	केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष	जल संसाधन खण्ड भरतपुर
2.	सेवला रैस्ट	रेस्ट चौकी सेवला हैड ग्राम मिलकपुर तह.बयाना

3.	बंध बारैठा	रैस्ट हाउस बारैठा बांध तहसील बयाना
4.	बाढ़ नियंत्रण केन्द्र, डीग	जल संसाधन खण्ड कार्यालय कचहरी परिसर डीग
5.	बाढ़ नियंत्रण केन्द्र सीकरी बाध तहसील नगर	सीकरी बांध ग्राम वजीरखेड़ी ग्राम पंचायत झंझार

4.11 विभिन्न विभागो में उपलब्ध संसाधन

बाढ बचाव के लिए जिले के विभिन्न विभागो में, जो आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं, उनकी विभागवार सूची निम्नानुसार है :–

जल संसाधन विभाग

क्र. सं.	नाम सामग्री	तादाद		
		भरतपुर खण्ड	डीग खण्ड	कुल तादाद
1.	खाली सीमेंट के कट्टे	11200	6000	17200
2.	खाली जूट के कट्टे	3450	–	3450
3.	बल्ली	130	25	155
4.	बान–मूंज	155 किलो	15 किलो	170 किलो
5.	सुतली	53 किलो	10 किलो	63 किलो
6.	नारियल रस्सी	50 किलो	10	60 किलो
7.	फावड़े बटों सहित	6	20	26
8.	परात	5	20	25
9.	बांस	500	200	700
10.	छाता	2	10	12

पम्प सैट (उपलब्ध संसाधन)

क्र.सं.	आईटम	मात्रा	स्थान का नाम
1	पम्प सैट इलैक्ट्रिक 7.5 एच.पी	4	कामां
2	पम्प सैट डीजल 40 एच पी	1	कामां
3	पम्प सैट डीजल 25 एच पी	1	कामां
4	पम्प सैट डीजल 15 एच पी	1	कामां
5	पम्प सैट डीजल 12 एच पी	1	वर्कशॉप भरतपुर
6	पम्प सैट डीजल 6 एच पी	2	वर्कशॉप भरतपुर
7	पम्प सैट डीजल 5 एच पी	2	वर्कशॉप भरतपुर
8.	पम्प सैट डीजल 7 एच पी	2	वर्कशॉप भरतपुर

नगर सुधार न्यास, भरतपुर

क्र.सं.	नाम वस्तु	तादाद
1.	फावड़े	5 नग
2.	परात	5 नग
3.	इंजन	3 नग
4.	टार्च (3 सैल)	2 नग
5.	पैट्रोमैक्स	3 नग

6.	छाता	2 नग

नगर निगम, भरतपुर

क्र.सं.	नाम वस्तु	तादात
1.	ट्रेक्टर	1 नग
2.	ट्रक	2 नग
3.	ऑटो ट्रिप्स	50 नग
4.	जे.सी.बी. मशीन	4 नग
5.	फायर वाहन	7 नग
6.	फ्लैड लाईट	10 छोटी, 3 बडी
7.	रस्सा	80 मीटर

आपदा प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षित गृह रक्षा स्वंय सेवकों की सूची

क्र. सं.	नाम स्वंय सेवक	बैल्ट नं0	निवास का पता	मोबाईल नं0
1	2	3	4	5
1.	श्री प्रेम चन्द	27	जसवन्त नगर, भरतपुर	9667205848
2.	श्री दलवीर सिंह	30	सूरजपोल, भरतपुर	9950038142
3.	श्री भानू	38	गांधी नगर, भरतपुर	9549010335
4.	श्री बलवीर सिंह	43	गिराई लाइन, भरतपुर	9887787015
5.	श्री प्रदीप कुमार	48	गिराई लाइन, भरतपुर	9610652992
6.	श्री पीयूष शर्मा	49	रोज विला, भरतपुर	8947943802
7.	श्री प्रद्युमन	55	मडरपुर रोड, भरतपुर	9782683182
8.	श्री हरीकान्त	85	धौरमुई, भरतपुर	9875093714
9	श्री आविद खान	86	अल्लादीन का नगला	8107926786
10	श्री निहाल सिंह	106	जिरोली	9829514968
11	श्री जाकिर हुसैन	124	सूरजपोल, भरतपुर	9613685018
12	श्री महेन्द्र सिंह	128	पक्का बाग, भरतपुर	843783513
13	श्री पुष्पेन्द्र सिंह	131	नीमदागेट, भरतपुर	8741829898
14	श्री देवेन्द्र प्रसाद	142	जघीना गेट, भरतपुर	8824850995
15	श्रीकान्त	158	गिराई लाइन, भरतपुर	8233323366
16	श्री रोहतास	165	बछामदी	9460493053
17	श्री प्रदीप कुमार	200	नबाव गली, मथुरा गेट	9414584092
18	श्री नरेन्द्र सिंह	222	बीनारायण गेट, भरतपुर	8857980520
19	श्री नरेन्द्र कुमार	318	सूरजपोल, भरतपुर	9828863919
20	श्री गम्भीर सिंह	455	महुआ	9636325981
21	श्री मुकेश कुमार	483	जवाहर नगर भरतपुर	9887196602
22	श्री निहाल सिंह	491	तिलक नगर, भरतपुर	9828556674
23	श्री रामप्रकाश	494	मथुरागेट, भरतपुर	9649429994
24	श्री वीरीसिंह	502	कूँम्हा	9636255370
25	श्री ताराचन्द	508	महुआ	7898812147
26	श्री भूपेन्द्र सिंह	610	महुआ	9783465684

27	श्री करतार सिंह	613	महुआ	9785651154
28	श्री भागीरथ	614	महुआ	7898812147
29	श्री अजय कुमार	617	मथुरा गेट, भरतपुर	9413238485
30	श्री दिलीप शर्मा	622	सोगर	9782634625
31	श्री सोनू कुमार	625	मथुरा गेट, भरतपुर	9785651154
32	श्री घनश्याम	626	सोगर	9660160910
33	श्री रामफूल	650	सी 43 इन्द्रानगर, भरतपुर	9882614619
34	श्री मुरारी लाल	652	महाराजसर	8560999803
35	श्री विजय सिंह	653	जघीना	8696108368
36	श्री संजय सिंह	663	जघीना	9414902782
37	श्री सूरजभान	666	बरसो	9772346492
38	श्री देवीसिंह	667	बरसो	7891359576
39	श्री गजेन्द्र सिंह	668	बरसो	9636955848
40	श्री देवेन्द्र सिंह	673	जघीना	9166652907
41	श्री जोगेन्द्र सिंह	680	धौरमुई, भरतपुर	9460181824
42	श्री अनिल कुमार	683	गोपालगढ, भरतपुर	7742791633
43	श्री ओमप्रकाश	717	हथैनी	9672823812
44	श्री रामभरोसी	727	जिरोली	9694227656
45	श्री भरतसिंह	734	घसौला	9694447221

<u>नागरिक सुरक्षा, भरतपुर</u>

क्र. सं.	नाम वस्तु	तादात
1	स्ट्रेचर	4
2	फाइवर रोप 14 एम.एम.	345′
3	टार्च 3 सैल वाली	17 (मरम्मत योग्य)
4	लाईफ जैकेट	12
5	हैलमेट	88
6	वेल्चा	13
7	फावडा	1
8	गेंती	6
9	कुल्हाडी	1
10	हेमर	2
11	क्रोवार	4
12	बिलाई	3
13	फर्स्ट एड बॉक्स	10
14	पोर्टेबल इनफ्लमेबल इमरजेन्सी लाइटिंग सिस्टम	1
15	सन का मोटा रस्सा	175 फुट
16	लाईफ बॉय	10
17	ड्रेगन लाईट	4 (2 नये व 2 इस्तेमाली)
18	वी.ओ.वी.रोप 9 एम.एम.	90 मीटर

साधारण तैराक नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवकों की सूची

क्र. सं.	तैराक का नाम	सदस्य संख्या	पता	मो. नम्बर
1	श्री भूपेन्द्र	35	गोलपुरा पो0 मुरवारा, भरतपुर	9929463526
2	श्री भरत सिंह	44	गोलपुरा पो0 मुरवारा, भरतपुर	9649442783
3	श्री मानिक चन्द	94	विजय नगर कॉलोनी, भरतपुर	8740876944
4	श्री लेखराज	95	विजय नगर कॉलोनी, भरतपुर	8058809151
5	श्री प्रीतम सिंह	114	बीनारायण गेट, छोंकरा वाली बाखर, भरतपुर	9549764296
6	श्री सुखवीर सिंह	160	नगला पूठिया पो0 ऊँदरा, भरतपुर	9521357063
7	श्री बच्चू सिंह	175	चन्द्रशेखर स्कूल के सामने तिलक नगर, भरतपुर	9887378274
8	श्री वीरेन्द्र सिंह	190	नोह, वार्ड नं. 40, भरतपुर	8963891179
9	श्री राकेश सैनी	207	बीनारायण गेट, छोंकरा वाली बाखर, भरतपुर	9887471293
10	श्री शशिकान्त	220	म.नं. 67 खादी कॉलोनी, जवाहर नगर, भरतपुर	8561999004
11	श्री भागमल	229	गावं व पोस्ट मलाह, भरतपुर	7891087057
12	श्री सुन्दर सिंह	234	जवाहर नगर, भरतपुर	8104368660
13	श्री विजय शंकर	257	सहयोग नगर, भरतपुर	9784901515
14	श्री हरीश चन्द	504	इन्द्रा नगर कॉलोनी, भरतपुर	8875239347
15	श्री तेजवीर	514	इन्द्रा नगर कॉलोनी, भरतपुर	9785889942

4.12 चिकित्सा केन्द्रो की सूची

जिले में उपलब्ध सरकारी चिकित्सा केन्द्रो एवं प्राईवेट चिकित्सा केन्द निम्नानुसार हैः–

राजकीय चिकित्सालय

1. बाबू राजबहादुर मेमोरियल चिकित्सालय भरतपुर 05644–223633
2. टी0वी चिकित्सालय भरतपुर 05644–223712
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डीग 05641–220017
4. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बयाना 05648–220097
5. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भुसावर 05643–230020
6. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कामॉ 05640–200098
7. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगर 05641–242010
8. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवर 05644–261549
9. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रूपवास 05645–243044
10. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नदबई 05643–223032
11. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुम्हेर 05644–240562
12. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भरतपुर 05644–220320
13. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीकरी 05640–260232
14. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रारह 05644–27250

15. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैर 05643–272667

प्राइवेट नर्सिग होम

1. फतह सिंह हास्पीटल भरतपुर 05644–223025
2. चाइल्ड वैलफेयर हास्पीटल, भरतपुर 05644–225142
3. गुप्ता नर्सिग होम, भरतपुर 05644–223955
4. दिगम्बर हास्पीटल, भरतपुर 05644–223436
5. भरतपुर नर्सिंग होम, भरतपुर 05644–222836
6. तारा महेन्द्र हास्पीटल, भरतपुर 05644–225507
7. रस्तोगी नर्सिंग होम, भरतपुर 05644–236550
8. जिन्दल नर्सिंग होम, भरतपुर 05644–223368
9. अशोक नर्सिंग होम, भरतपुर 05644–260144
10. सिंघल नर्सिग होम, भरतपुर 05644–225867
11. किरन नर्सिंग होम, भरतपुर 05644–224653
12. अरोड़ा नर्सिंग होम, भरतपुर 05644–224650
13. आर्य नर्सिंग होम, भरतपुर 05644–223098
14. अग्रवाल नर्सिंग होम, भरतपुर 05644–223399
15. सलूजा नर्सिंग होम, भरतपुर 05644–222517
16. नीतम नर्सिंग होम, भरतपुर 05644–225088
17. संगीता नर्सिंग होम, भरतपुर 05644–238135
18. डा0 हरेन्द्र नर्सिंग होम, भरतपुर (नेत्र) 05644–238135
19. डा0 व्यास नर्सिंग होम, भरतपुर (नेत्र) 05644–222626
20. डा0 बापना नर्सिंग होम, भरतपुर (अस्थि) 05644–223311
21. डा0 महेश क्लीनिक, डीग 05641–220343
22. डा0 काजरा नर्सिंग होम, डीग 05641–230363
23. कृष्णा क्लीनिक, डीग 05641–220934
24. पाठक, क्लीनिक, डीग 05641–220314
25. डा0 वेदप्रकाश सिंघल क्लीनिक, डीग 05641–220554
26. गिर्राज क्लीनिक, डीग 05641–221139
27. गुप्ता क्लीनिक, डीग 05641–220217
28. गॉधी क्लीनिक, डीग 05641–220110
29. डा0 बी0 के0 बंगाली क्लीनिक, डीग 05641–220697
30. डा0 सी0पी0 गोदिया क्लीनिक, डीग 05641–220697
31. श्याम बंगाल चिकित्सालय, डीग 05641–221217
32. नत्थामल चिकित्सालय, कामॉ 05640–220359
33. डा0 आहूजा चिकित्सालय, कामॉ 05640–220206
34. डा0 लूथरा चिकित्सालय, कामॉ 05640–220150
35. डा0 महबूब चिकित्सालय, कामॉ 05640–220225
36. डा0 किशन चिकित्सालय, कामॉ 05640–220730
37. कामेश्वर चिकित्सालय, कामॉ 05640–220846
38. डा0 गोविन्द शर्मा, क्लीनिक, नगर 9414017814
39. डा0 लक्ष्मण क्लीनिक, नगर 05641–242377
40. नृसिंह नर्सिंग होम, बयाना 05648–220393
41. सिंह हास्पीटल, भुसावर 05643–230500

42. कल्सी चिल्ड्रन हॉस्पीटल	05644—262031
43. बलवीर हॉस्पीटल, भरतपुर	05644—224085
44. मानव सेवा हॉस्पीटल, भरतपुर	05644—237264
45. शर्मा हॉस्पीटल, भरतपुर	05644—231614
46. एस0आर0हॉस्पीटल, भरतपुर	05644—261361
47. एम0जे0हॉस्पीटल, भरतपुर	05644—226070
48. संजीवनी हॉस्पीटल, भरतपुर	05644—238120
49. डा0 कुसुम शर्मा, मेटरनिटी होम, भरतपुर	05644—229210
50. यशवन्त हॉस्पीटल,307कृष्णा नगर, भरतपुर	05644—220699
51. प्रदीप हॉस्पीटल, भरतपुर	05644—227222
52. गुरुनानक हॉस्पीटल, भरतपुर	05644—237029
53. विजय हॉस्पीटल, भरतपुर	05644—237599
54. डा0 पदमेश आई हॉस्पीटल, भरतपुर	05644—224321
55. गोपाल नर्सिंग होम दत्त मौ0 कांमा	05640—220098

4.13 सुरक्षित स्थानों की सूची

सुरक्षित स्थानों की सूची

क्र.सं.	नाम तहसील	स्थान का नाम
1.	वैर	रा.उ.मा.विद्यालय, वैर
2.		रा.उ.मा.विद्यालय भुसावर
3.		रा.मा.विद्यालय, सरसैना
4.		रा.उ.मा.विद्यालय, हलैना
5.		रा.मा.विद्यालय ललिता मूडिया
6.		रा.मा.विद्यालय, छोंकरवाडा
7.		रा.मा.विद्यालय, बाछरैन
1	नगर	रा.सी.मा.वि. सीकरी
2		रा.प्रा.वि. जयश्री
3		रा.प्रा.वि. रायपुर सुकेती
4.		रा.मा.विद्यालय डाबक
5		रा.मा.विद्यालय, पालका
6.		रा.मा.विद्यालय वेरू
7.		रा.मा.विद्यालय सुन्दरावली
8.		सिटी स्कूल, बोर्डिंग हाउस, नगर पालिका, वैर नगर कस्वा
1.	नदबई	अग्रवाल धर्मशाला,
2.		जगवायन धर्मशाला,
3.		रा.सी.मा.वि. नदबई
1.	बयाना	रा.मा.वि. कलसाडा,
2.		रा.मा.वि. खरैरी, बागरैन,
3.		रा.उ.मा.वि. समोगर,
4.		रा.सी.मा.यवि. बयाना,
5.		कन्या उ.मा.वि. बयाना,
6.		रा.उ.मा.वि. खेडली गडासिया
7.		रा.उ.मा.वि. लहचौरा,
8.		रा.उ.मा.वि. ब्रह्मवाद,
9.		अग्रवाल धर्मशाला, बयाना
1	रूपवास	रैस्ट चौकी रूपवास
1.	कांमा	कोट ऊपर कांमा
2.		जैन धर्मशाला कांमा,
3.		अग्रवाल धर्मशाला
4.		खण्डेलवाल धर्मशाला कांमा
5.		रा.उ.मा.वि. कांमा,
6.		पहाड़ स्थल नन्देरा
7.		रा.मा.वि. नौनेरा
8.		जी.एम.सी. नहर के बैंक
9.		पहाड़ स्थल, लेवड़ा

10.		पहाड़ स्थल कनवाड़ी
1	डीग	किशनलाल जोशी रा0सी0सै0स्कूल, डीग
2		मास्टर आदित्येन्द्र कॉलेज, डीग
3		पंचायत समिति भवन डीग
4		तहसील भवन डीग
1	पहाड़ी	ग्राम पंचायत भवन पहाड़ी
2		केहरीसिंह रा0उ0मा0वि0, पहाड़ी
3		रा0उ0मा0वि0, पहाड़ी

4.14 नाविकों एवं तैराकों की सूची

1. निजी क्षेत्र में उपलब्ध मछुआरा नावों की सूची :–

क्र. सं.	नाव मालिक का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर	नाव चालक का नाम, पता एंव मो.नं.	नावों की संख्या	नावें उपलब्ध होने का स्थान
1	2	3	4	5
1	झमील खॉ/अल्लाबवश मछली मार्केट के पास, गोवर्धन गेट भरतपुर मो.नं. 9785754384	झमील खॉ/अल्लाबवश मछली मार्केट के पास, गोवर्धन गेट भरतपुर मो.नं. 9785754384	02 (मछुआरा नावें)	मछली मार्केट, गोवर्धन गेट, भरतपुर
2	श्री इरशाद अहमद/अब्दुल रहमान, मत्स्य ठेकेदार, बंध बारैठा, भरतपुर मो.नं. 983358884	श्री इरशाद अहमद/ अब्दुल रहमान, मत्स्य ठेकेदार, बंध बारैठा, भरतपुर मो.नं. 983358884	05 (मछुआरा नावें)	बंध बारैठा

2. निजी क्षेत्र में उपलब्ध मछुआरों के नामों की सूची :–

क्र. सं.	मछुआरों का नाम	आयु	पता
1	कदीर/झमील खां	30	मछली मौहल्ला गोवर्धन गेट, भरतपुर
2	मुस्तकीम/सलीम खॉ	42	
3	उस्मान/अब्दुल रहमान	43	
4	फज्जो/सुभान खॉ	48	
5	फकरूद्दीर/रसीद खॉ	36	
6	आफताब/फरजन्दअली	28	
7	अयूब/यूसुफ	45	
8	महबूब/यूसुफ	40	

4.15.1 बाढ के पहले, दौरान व बाद में विभिन्न विभागों का दायित्व

इस आपदा से भली प्रकार निपटने एवं राहत पहुॅचाने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न विभागों को कार्य एवं दायित्व सौंपे गये हैं जिनका विवरण निम्न है :–

अ. मानसून पूर्व के दायित्व

क्र.सं.	संबंधित अधिकारी	मानसून पूर्व दायित्व
1	जिला कलक्टर भरतपुर	संभावित बाढ प्रभावी क्षेत्रो की सूची तैयार कराना, क्षेत्र में उपलब्ध स्थानीय ट्रेक्टरो, पम्प सेटो, नावों, तैराक स्वंय सेवको की सूची तैयार कराना, संबंधित विभागो की बाढ की पूर्व तैयारी की समीक्षा एवं मोनिटरिंग
2	अधीक्षण अभियन्ता जलसंसाधन, भरतपुर	समस्त प्रणाली का विस्तृत निरीक्षण करना तथा मानसून पूर्व कराये जाने वाले कार्य का चिन्हीकरण कर मरम्मत कराया जाना। नदी में कैनाल हैड पर क्रास बन्द बनाने, नहरों की डीसिल्टंग, कमजोर तट बन्दों की मरम्मत के के प्रस्ताव तैयार करना तथा सम्पादन 15 जून से पूर्व कराया जाना। 15 जून से पूर्व समस्त गेटो की जॉच कर आवश्यक मरम्मत तथा ऑयलिंग व ग्रीसिंग कराना। 15 जून से बाढ नियंत्रण कक्षो को सौपना तथा टेलीफोन व वायर लैस सैटो की स्थापना सुनिश्चित करना। मानसून सत्र में आवश्यक सामग्री का भण्डारण एवं 15 जून तक की सभी चिन्हित स्थानो पर सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक विभाग, भरतपुर	सडक मार्ग में प्राकृतिक ड्रेनेज की पुलियों, काजवे इत्यादि के निरीक्षण कर आवश्यक सफाई मरम्मत कार्य कराये जाकर बहाव क्षेत्र को सुरक्षित बनाना काजवे पर गेज लगाना, जिले के मार्गो (सडकों) का मानचित्र तैयार करना।
4	मण्डल /जोन अधिकारी, रेल्वे विभाग	रेल मार्गो से क्रास हो रहे नाले, नदियॉ के सी.डी. वर्क्स एवं तटबंधो का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कराया जाना।
5	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	संभावित बाढ प्रभावित क्षेत्रों की पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था तथा पीने के शुद्ध पानी हेतु ब्लीचिंग पाउडर आदि की व्यवस्था बावत प्लान तेयार करना।
6	चिकित्सा विभाग	संभावित बाढ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, दवाओ की उपलब्धता बीमारियो की रोकथाम की व्यवस्था एवं कुओ में ब्लीचिंग पाउडर डाले जाने की व्यवस्था हेतु कार्य योजना तैयार करना।
7	अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग	संभावित बाढ प्रभावित क्षेत्रो में गुजर रही पावर लाइनो को खिंचवाना तथा बाढ के दौरान करन्ट से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावनाओ को समाप्त करने तथा सप्लाई बनाये रखने हेतु प्लान तैयार करना।
8	उप निदेशक पशुपालन विभाग	पशुओ को बाढ के दौरान चारा आपूर्ति व्यवस्था एवं चिकित्सा सुविधा तथा दवाओ की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना तैयार करना।
9	जिला रसद अधिकारी	बाढ प्रभावित संभावित क्षेत्रो में खाद्य सामग्री उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा पेट्रोल, डीजल मिट्टी के तेल की आपूर्ति हेतु कोटा आरक्षित करने बावत प्लान तैयार करना।
10	आयुक्त नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, भरतपुर	नगर परिषद व नगर न्यास क्षेत्रो में बहने वाले पानी के निकास के नाले नालियॉ आदि के बहाव क्षेत्र की सफाई कराई जाकर सुरक्षित करना तथा बाढ की स्थिति से निपटने हेतु कार्य योजना तैयार करना।

ब. मानसून के दौरान दायित्व

क्र.सं.	संबंधित अधिकारी	मानसून के दौरान दायित्व
1	जिला कलक्टर भरतपुर	बाढ मे घिरे लोगो को सुरक्षित स्थानो पर पहुॅचावाना संभावित बाढ हेतु सूचना, चेतावनी, प्रसारित करवाना, खाने व पीने के पानी की व्यवस्था कराना, बीमार लोगो को चिकित्सा सेवा मुहैया कराना ।
2	अतिरिक्त कलक्टर, प्रशासन	सभी संबंधित विभागो में सांमजस्य बिठा कर बाढ नियंत्रण एवं सहायता कार्य संपादित करने हेतु मोनिटरिंग करना

3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिलापरिषद भरतपुर	विभिन्न पंचायत समितियो द्वारा कार्यरत विभागो से समन्वय बनाना।
4	उपजिला कलक्टर समस्त जिला भरतपुर	कार्य प्रबधंन हेतु उच्चाधिकारियो द्वारा निर्देशित कार्यो की पूर्णता
5	तहसीलदार,,समस्त जिला भरतपुर	कार्य प्रबधंन हेतु उच्चाधिकारियो द्वारा निर्देशित कार्यो की पूर्णता
6	अधीक्षण अभियन्ता जलसंसाधन, भरतपुर	बाढ की स्थिति की नियंत्रण कक्षो से प्राप्त सूचना से जिला प्रशासन को अवगत कराना। बाढ के पानी का समुचित नियंत्रण कर सुरक्षित निकाले जाने की व्यवस्था करना। बाढ से क्षतिग्रस्त बांध, नहरों, नदयो के तट बन्धो की त्वरित मरम्मत कराना। अनियंत्रित बाढ की स्थिति में जिला प्रशासन को भारी मदद हेतु सूचित करना, जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों से सामजस्य स्थापित कर बाढ पर नियंत्रण करना।
7	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निमार्ण विभाग, भरतपुर	बाढ के दौरान क्षतिग्रस्त मार्गो की त्वरित मरम्मत कर मार्गो को चालू करना, प्राकृतिक ड्रेनेज की पुलियो के अवरोधो को हटाकर बहाव क्षेत्र सुरक्षित करना।
8	मण्डल /जोन अधिकारी, रेल्वे विभाग	क्षतिग्रस्त रेलमार्गो कार्य की त्वरित मरम्मत कराया जाना।
9	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	बाढ प्रभावित क्षेत्र में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करना।
10	मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी	बाढ के दौरान बीमार व्यक्तियो को चिकित्सा सुविधा एवं दवाये उपलब्ध कराना।
11	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	बाढ के दौरान विद्युत सप्लाई बहाल करने तथा करन्ट से होने वाली दुर्घटनाओ से बचाव।
12	उप निदेशक पशुपालन विभाग	बाढ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को सुरक्षित स्थानो पर पहुॅचाने की व्यवस्था, बीमार पशुओ को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना तथा चारे की व्यवस्था कराया जाना।
13	जिला रसद अधिकारी,भरतपुर	बाढ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री की सप्लाई बनाये रखना तथा मूलभूत आवश्यकताओ की वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करना।
14	नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, भरतपुर	शहर क्षेत्र में भरे पानी को निकालने की व्यवस्था करना। लोगों को सुरक्षित स्थानो पर पहुॅचाना। मिट्टी के भरे बोरे लगाकर पानी पर नियंत्रण करना।
15	चिकित्सा/शिक्षा/पंचायती राज विभाग/स्वयंसेवी संस्थायें	जन–साधारण को जलजनित एंव मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के उपायों की छात्रों/अध्यापकों/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से जानकारी देकर जनसाधारण को जागरूक करना।

<u>स. मानसून के पश्चात् दायित्व</u>

क्र.सं.	संबंधित अधिकारी	मानसून के बाद दायित्व

1	जिला कलक्टर भरतपुर	सभी विभागो से बाढ से हुई क्षति की सूचना से सरकार को सूचित करना, सभी विभागो की मांनिटरिंग कर क्षति ग्रस्त कार्यो की मरम्मत सुनिश्चित कराना
2	अधीक्षण अभियन्ता जलसंसाधन, भरतपुर	बाढ क्षतिग्रस्त कार्यो का निरीक्षण कर हुई क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट जिला कलक्टर के माध्यम से राहत विभाग, राजस्थान सरकार को भेजना, सहायता की स्वीकृति पर क्षतिग्रस्त कार्यो की मरम्मत करना तथा निचले क्षेत्रो में भरे पानी को निकालने की व्यवस्था करना।
3	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक विभाग, भरतपुर	बाढ क्षतिग्रस्त मार्गो का निरीक्षण कर हुई क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट जिला कलक्टर के माध्यम से राहत विभाग जयपुर को भेजना तथा बाद स्वीकृति कार्यो की मरम्मत करना
4	मण्डल /जोन अधिकारी, रेल्वे विभाग	क्षतिग्रस्त रेलमार्गो कार्यो की मरम्मत करना।
5	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	पेयजल आपूर्ति बहाल करना तथा क्षतिग्रस्त कार्यो की क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा बाद स्वीकृति मरम्मत कराया जाना।
6	चिकित्सा विभाग	बाढ के बाद फैलने वाली बीमारियो की रोकथाम सुनिश्चित करना।
7	अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग	विद्युत आपूर्ति बहाल करना तथा क्षतिग्रस्त लाइनो की त्वरित मरम्मत करना।
8	पशुपालन विभाग	बाढ उपरान्त फैलने वाली बीमारियो की रोकथाम करना तथा चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करना।
9	रसद विभाग	प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुए एवं खाद्य सामग्री की सप्लाई बनाये रखना।
10	आयुक्त नगर निगम, नगर सुधार न्यास, भरतपुर	क्षतिग्रस्त जल निकास प्रणाली की त्वरित मरम्मत करना तथा निचले क्षेत्रो में भरे पानी को निकालना।

1. **विभिन्न स्थलो पर विद्यमान क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स :–** राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरतपुर जिले की सीमा मे क्रास हो रही नहरों रमेश स्वामी, हलैना कैनाल, अजान कैनाल, रामनगर दो मोरा कैनाल, डिग्गी चैनल, घना–जाटौली कैनाल, चिकसाना कैनाल इत्यादि के क्रास ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स की लम्बाई बढाई जाकर पुनः निर्माण करवा दिये गये हैं। इसके साथ ही विभिन्न स्थलो पर पूर्व में निर्मित क्रास ड्रेनेज मोरियो की भी लम्बाई बढाकर स्टेटस यथावत रखा जा रहा है जिससे आगामी बाढ सत्रो में कोई विपरीत प्रभाव नहीं रहेगा।
2. **राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ–साथ बहने वाली नहरो/ चैनलो बांधों सम्बधी सिंचाई प्रणाली :–** राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ–साथ हलैना–हेलक फीडर, डहरा–बांसी चैनल एवं डहरा बांध स्थित हैं। जिनमे से हलैना चौकी, डहरा– बांसी चैनल का अस्तित्व समाप्त हो चुका है तथा डहरा बांध में इस चैनल के हैड रेग्यूलेटर का अस्तित्व भी समाप्त हो चुका है जिसकी वैकल्पिक व्यवस्था हेतु एन.एच.ए. आई. प्रशासन से निरन्तर प्रयास जारी हैं तथा उनके द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने हेतु आश्वस्त किया जाता रहा है। लेकिन आज दिनांक तक कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। एवं ना ही हलैना चौकी का निर्माण कराया गया है। बाढ के समय देखभाल /बाड सामग्री एकत्रित करके हलैना चौकी से नियंत्रण होता है।

4.2 सूखा

सूखा एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो धीरे–धीरे विकसित होकर लम्बे समय तक बनी रहती है। इसका प्रभाव धीरे–धीरे समय के साथ होता है। वर्षात की कमी, पानी के सही संरक्षण का अभाव, अनावश्यक एवं गलत तरीके से पानी का प्रयोग सूखे की विकरालता को बढा देता है। सूखा दो भागो में विभक्त किया जा सकता है प्रचंड सूखा एवं सामान्य सूखा।

राज्य की राजधानी जयपुर और केन्द्र की राजधानी की समान दूरी पर राजस्थान के पूर्व में स्थित भरतपुर कृषि प्रधान जिला है। ग्यारह तहसीलों में विभक्त इस जिले की कुल जनसंख्या 25.48 लाख के लगभग है, जो 1586 गांवो में निवास करती है। जिले का अधिकांश भाग मैदानी है किन्तु बयाना तहसील का ज्यादा हिस्सा पहाड़ी है। बाणगंगा, रूपारेल, और गम्भीर नदी के माध्यम से बरसाती पानी आवक के कारण सामान्यतः जहॉ बाढ की सम्भावना बनी रहती है, वहीं कृषि प्रधान जिला होने के कारण वर्षा नहीं होने या कम होने पर अकाल की पीडा भी जिले के नागरिकों को झेलनी पडती है, सामान्य वर्षा होने पर भी भू जल स्तर बहुत नीचा रहता है। सामान्य काल में गर्मी के मौसम में चारे और पानी के अभाव के चलते यहां के लोग अपने पशुधन को जिले के मैदानी भाग स्थित रिश्तेदारियो में भेजते हैं, बदले मे बाढ के दौरान बाढ पीडित क्षेत्रों से पशुधन बाद में सुरक्षित क्षेत्र में भेज दिया जाता है।

वर्षा की कमी होने पर डांग क्षेत्र में भू–जल स्तर बहुत नीचा चला जाता है। परिणाम स्वरूप अकाल की भयावह स्थिति सामने आती है। मानव और पशुधन पानी की बूंद–बूंद को तरसते हैं।

4.2.1 Identification of Drought prone (Based on past 10 year data)

	Total Number	Identified as drought prone
Districts	1	0
Blocks	10	0
Tehsils	11	0
Mandals	-	0
Taluka	-	0

गत् 10 वर्षों में जिले में कहीं भी सूखे की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।

4.2.2 Repairs and maintenance works

	Total Nunber	Identified works for repairs	No. of repairs undertaken
Hand Pumps	12670	668	640
Tanks & Wells	273 & 700 (TW)	5 & 0	5
Transformers	1288	26	26
Repairs/Disiltation of canals (Dn.Deeg)	53	20	12
Repairs/Disiltation of canals (Dn.Bharatpur)	44	38 Nos. under MGNREGA	34
Drainage	-	-	-
Drinking water supply syatem	38 Piped Scheme	0	0

4.2.3 Relief Employment

S. No.	Name of Mandal/Taluka/Block	Demand for wage employment under MGNREGS (inperson days)		Actual wage employment provided under MGNREGS (inperson days)	wage employment provided under other scheme (in person days)	Migration(in nos.)	
		Normal	Current			Normal	Current
1	Pahari	197418	245331	233649	-	118451	147199
2	Kumher	210158	253706	241625	-	0	0
3	Kaman	229359	272942	259945	-	91744	136471
4	Deeg	219479	267790	255038	-	0	0
5	Nagar	224809	193352	184145	-	66443	67673
6	Nadbai	166582	169370	161305	-	0	0
7	Bayana	211133	244034	232413	-	0	0
8	Roopwas	219232	269747	256902	-	0	0
9	Weir	213408	248822	236973	-	0	0
10	Sewar	166985	153003	145717	-	0	0
Total -		2058563	2318098	2207712	-	277637	351343

4.2.4 Preparedness of Contingency Plan

(i) Water - सूखा की स्थिति में जिले के प्रभावित क्षेत्रों टेंकरों के माध्यम से पेयजल परिवहन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

(ii) Health -

पशुपालन विभाग – भरतपुर जिले में वर्तमान में पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के स्वास्थ्य हेतु 01 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, 23 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, 52 पशु चिकित्सालय, 07 पशु औषधालय, 03 चल चिकित्सा इकाई तथा 219 पशु चिकित्सा उप केन्द्र कार्यरत् हैं, जिनमें बीमार पशुओं को 28 प्रकार की दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध करा पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में कोई आउटब्रेक की सूचना नहीं है।

चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें – किसी भी आपदा से निपटने के लिये जिला स्तर पर एक रेपिड रेस्पोन्स टीम का गठन किया गया है। उक्त टीम मय समुचित औषधियों के आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित क्षेत्र में प्रस्थान कर आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध करायेगी। जिला मुख्यालय की टीम के अलावा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी रेपिड रेस्पोन्स टीम का गठन किया गया है। सामान्य चिकित्सालय एंव सभी राजकीय चिकित्सलय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारियों को रोगियों के उपचार हेतु वार्डों में सभी प्रकार की समुचित व्यवस्था रखने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक दवाईयां उपलब्ध करा दी गई हैं। जिले के सभी 11 ब्लॉकों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी हैं।

(iii) Power/Energy -

1. जल स्त्रोतों के लिये विद्युत व्यवस्था को नियमित रूप से आवश्यकतानुसार चालू रखने की व्यवस्था की गई है।
2. जल स्त्रोतों के लिये स्थापित लाईन एंव ट्रांसफार्मर को खराब होने पर तुरन्त प्रभाव से दुरूस्त करने हेतु वृत भण्डार में प्रचुर मात्रा में सामान रखा गया है।

3. जलदाय विभाग द्वारा जमा पत्रावलियों के कनेक्शन 7 दिवस में जारी करने हेतु सहायक अभियंताओं को निर्देश दे दिये गये हैं, जिसके लिये सामान की उपलब्धता को सहायक अभियन्ता कार्यालय में सुनिश्चित कर दिया गया है।
4. कृषि के निर्धारित ब्लॉकों में विद्युत सप्लाई दी जा रही है तथा कृषि के लिये ब्लॉकों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यदि भविष्य में सूखा पड़ता है, तो राज्य सरकार द्वारा पुनः निर्धारित ब्लॉकों में समुचित विद्युत सप्लाई दी जायेगी।

4.2.5 Number of Reservoir

Maintained by CWC	0
Maintained by State	41

4.2.6 Ground Water Level

S. No.	Well/ Tank	Month/ Week	Max. observed water level depth from ground surface for given month	Average water level depth from ground surface for given month	Actual observed Water level depth from ground surface (in Metre)	Difference in water level depth from average month	G W DI
1	Bandh Baretha	Pre monsoon water level 2016 collected during 15 May to 15 June, 2016 (One time)	-	-	2.80	-	
2	Bayana		-	-	20.80	-	
3	Bhagori		-	-	13.30	-	
4	Bheemnagar		-	-	30.00	-	
5	Bidyari		-	-	20.50	-	
6	Birampura		-	-	12.10	-	
7	Brahmbad		-	-	16.10	-	
8	Dhurairi		-	-	13.90	-	
9	Khatnawali		-	-	52.00	-	
10	Milakpur		-	-	31.00	-	
11	Mohmadpur		-	-	6.20	-	
12	Nagla Hota		-	-	12.20	-	
13	Nagla sewakurwar		-	-	17.90	-	
14	Purbai Khera		-	-	10.20	-	
15	Samogar		-	-	15.00	-	
16	Sikandra		-	-	19.00	-	
17	Supa		-	-	7.00	-	
18	Thanadang		-	-	12.00	-	
19	Baisora		-	-	8.35	-	
20	Jaisora		-	-	7.40	-	
21	Kot		-	-	7.80	-	
22	Tarbeejpur		-	-	16.00	-	
23	Tarsuman		-	-	15.35	-	
24	Behtana		-	-	12.20	-	
25	Bahaj		-	-	9.00	-	
26	Bahaj		-	-	3.70	-	
27	Mabai		-	-	15.10	-	

28	Malipura		-	-	5.10	-	
29	Nagla Ghata		-	-	11.30	-	
30	Samai		-	-	2.00	-	
31	Siswara		-	-	16.05	-	
32	Adhawali		-	-	7.70	-	
33	Didawali		-	-	8.80	-	
34	Kasot		-	-	6.30	-	
35	Mandhera		-	-	6.45	-	
36	Panhori		-	-	15.00	-	
37	Sinsini		-	-	7.90	-	
38	Baroli Dhau		-	-	15.30	-	
39	Fatehpur		-	-	8.20	-	
40	Gundgaon		-	-	11.50	-	
41	Jurhara		-	-	4.10	-	
42	Kaman		-	-	9.80	-	
43	Lohagarh		-	-	3.30	-	
44	Nawgaon		-	-	5.00	-	
45	Vaulkhera		-	-	30.10	-	
46	Indrauli		-	-	14.20	-	
47	Satwas		-	-	11.00	-	
48	Awar		-	-	9.50	-	
49	Kumher		-	-	6.70	-	
50	Pachora		-	-	15.00	-	
51	Rarah		-	-	12.00	-	
52	Sabora		-	-	11.00	-	
53	Talphara		-	-	5.00	-	
54	Ainchera		-	-	27.40	-	
55	Astawan		-	-	9.20	-	
56	Bahlera Kalan		-	-	15.00	-	
57	Gunsara		-	-	5.40	-	
58	Induka		-	-	9.50	-	
59	Paprera		-	-	15.90	-	
60	Pichumar		-	-	6.90	-	
61	Saint		-	-	4.90	-	
62	Sogar		-	-	9.80	-	
63	Therawar		-	-	12.00	-	
64	Bhadira		-	-	22.60	-	
65	Dehwa		-	-	8.80	-	
66	Hantra		-	-	20.90	-	
67	Khangri		-	-	32.00	-	
68	Mai		-	-	12.20	-	
69	Nadbai		-	-	17.80	-	
70	Roneeja		-	-	24.00	-	
71	Roneeja		-	-	23.70	-	
72	Utarda		-	-	42.90	-	
73	Gangroli		-	-	9.00	-	
74	Lulehra		-	-	13.60	-	
75	Pingora		-	-	13.60	-	
76	Jaluki		-	-	46.80	-	
77	Laharwara		-	-	26.30	-	
78	Manapuri		-	-	25.30	-	
79	Punchri		-	-	12.00	-	

80	Putkha		-	-	47.00	-		
81	Semla Khurd		-	-	41.20	-		
82	Udpuri		-	-	26.00	-		
83	Bhanpur		-	-	4.80	-		
84	Buchaka		-	-	18.80	-		
85	Domraki		-	-	14.10	-		
86	Gulpada		-	-	12.10	-		
87	Hingota		-	-	13.10	-		
88	Moondoti		-	-	15.85	-		
89	Nagar		-	-	16.90	-		
90	Dheemri		-	-	9.90	-		
91	Kaithwara		-	-	17.00	-		
92	Nakatpur		-	-	8.30	-		
93	Satwari		-	-	16.00	-		
94	Somka		-	-	14.60	-		
95	Barkheda Sad		-	-	9.00	-		
96	Ladlaka		-	-	12.10	-		
97	Bansi Paharpur		-	-	6.40	-		
98	Baramafi		-	-	53.20	-		
99	Barwar		-	-	8.50	-		
100	Bhawanpura		-	-	6.15	-		
101	Chekora		-	-	13.90	-		
102	Daulatgarh		-	-	20.30	-		
103	Ghatoli		-	-	6.40	-		
104	Hadoli		-	-	27.60	-		
105	Jatmansi		-	-	14.10	-		
106	Kakraua		-	-	6.40	-		
107	Khan Surjapur		-	-	6.30	-		
108	Mertha		-	-	8.30	-		
109	Milsawan		-	-	6.60	-		
110	Nekpur		-	-	23.10	-		
111	Pichuna		-	-	7.40	-		
112	Roopwas		-	-	8.10	-		
113	Roopwas		-	-	2.40	-		
114	Rudawal		-	-	10.40	-		
115	Uchain		-	-	19.60	-		
116	Bharatpur		-	-	2.10	-		
117	Bharatpur		-	-	34.60	-		
118	Dhurmui		-	-	9.90	-		
119	Fulwara		-	-	9.60	-		
120	Kuma		-	-	6.90	-		
121	Kuma		-	-	7.90	-		
122	Ludhawai		-	-	8.00	-		
123	Nauganwa		-	-	9.15	-		
124	Sewar		-	-	6.00	-		
125	Uncha Nagla		-	-	17.20	-		
126	Bachamdi		-	-	7.50	-		
127	Helak		-	-	12.10	-		
128	Jagheena		-	-	5.90	-		
129	Knajoli		-	-	20.00	-		
130	Moroli kalan		-	-	6.20	-		
131	Tyonga		-	-	4.90	-		

132	Alipur		-	-	32.00	-	
133	Deewli		-	-	37.10	-	
134	Dharsoni		-	-	10.30	-	
135	Hingota		-	-	33.60	-	
136	Jaggeevanpura		-	-	10.10	-	
137	Jaggeevanpura		-	-	9.50	-	
138	Khatipura		-	-	24.20	-	
139	Muhari		-	-	3.20	-	
140	Pathena		-	-	24.20	-	
141	Saleempur		-	-	21.20	-	
142	Uhlupura		-	-	42.00	-	
143	Muhari		-	-	113.00	-	
144	Weir		-	-	21.30	-	
145	Chek Bansi		-	-	9.10	-	
146	Gangroli		-	-	59.40	-	
147	Jhalatala		-	-	60.10	-	
148	Luhasa		-	-	5.20	-	
149	Nithar		-	-	32.40	-	
150	Hatyori		-	-	28.90	-	
151	Khairora		-	-	47.00	-	

4.2.7 Shown Area

(AREA IN LAKH HECTARES)

S.No.	Crop	Normal Area	Coverage (as on)			INCREASE(+)/ DECREASE (-) IN AREA COVERAGE	
			2017-18 (current year)	2016-17 (last Year)	Normal upto the week	w.r.t. last year	w.r.t. Normal upto the week
1	Bajra	1.07	0.21	1.09	0.17	(-) 0.18	(+) 0.04
2	Jwar	0.48	0.12	0.48	0.08	(-) 0.09	(+) 0.04
3	Paddy	0.02	0.00	0.015	0.00	(-) 0.001	0.00
4	Cotton	0.06	0.06	0.06	0.03	0.00	(+) 0.03
5	Sesame	0.032	0.003	0.032	0.001	(-) 0.002	(+) 0.002
6	Gwar	0.26	0.007	0.24	0.005	(-) 0.004	(+) 0.002
7	Other	0.28	0.12	0.21	0.09	(-) 0.07	(+) 0.03
	Total	**2.202**	**0.52**	**2.127**	**0.376**	**(-) 0.347**	**(+) 0.144**

4.2.8 Change in Cropping Pattern

Crop	Normal Area	Normal Area (as on)	Coverage (as on)		Area diversion to other crops as compared to		Reasons for diversification
			2017-18 (current year)	2016-17 (last year)	Last year	Normal area	
Bajra	1.07	0.17	0.21	1.09	-	-	Nil
Jwar	0.48	0.08	0.12	0.48	-	-	
Paddy	0.02	0.00	0.00	0.015	-	-	
Cotton	0.06	0.03	0.06	0.06	-	-	
Sesame	0.032	0.001	0.003	0.032	-	-	
Gwar	0.26	0.005	0.007	0.24	-	-	
Other	0.28	0.09	0.12	0.21	-	-	
Total	**2.202**	**0.376**	**0.52**	**2.127**	**-**	**-**	

4.2.9 Availability of food grains

S.No.	Food Grains	Availability in Govt. Godowns	Anticipated food Requirements
1	Wheat	32592 M.T. at FCI , RSWC & CWC	7804 MT for per month
2	Rice	197 MT	197 MT Quarterly (MDM)

4.2.10 Availability of fodder

S.No.	District	Fodder Demand		Fodder Availability	
		Dry Fodder	Green Fodder	Dry Fodder	Green Fodder
1	Bharatpur	604650.24	906975.36	613868.40	920802.60

4.2.11 अकाल के दौरान कार्यवाही

सर्वप्रथम अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना होगा। इस हेतु राजस्व अधिकारियो से रिपोर्ट मंगाई जावेगी, जिसमें फसलो की स्थिति, भू–जल स्तर, चारे की उपलब्धता, प्रभावित जनसंख्या एवं पशुओं की संख्या का समावेश होगा। प्रभावित जनसंख्या की आर्थिक स्थिति और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो की संख्या ज्ञात करली गई है।

प्रभावित क्षेत्रो में रोजगार सृजन के अवसर, अन्य विभागो की गतिविधियों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओ एवं नागरिक सुरक्षा गतिविधियो का अध्ययन कर लिया गया है। अकाल के दौरान काम आने वाले औजारौं और संसाधनो का अनुमान कर उनके प्राप्ति स्थल तय कर लिये गये है। अग्निशमन के संसाधनो का इंतजाम करके आपात स्थिति में पीडितो को सुरक्षित निकाल कर सुरक्षित स्थानो पर पहॅुचाने की व्यवस्था तय कर ली गई है। भोजन और चारे की समयबद्व उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी। चारा डिपो कहॉ–कहॉ है यह पता कर लिया गया है। आमजन की सेवा की इच्छुक स्वंयसेवी संस्थाओं को चिन्हित कर लिया गया है। जनसम्पर्क से जुडे अधिकारियों/ कर्मचारियो की भूमिका प्रभावित क्षेत्र के सभी विभागों, के समन्वय से निश्चित कर दी गई है। सूखा के दौरान मानव और पशुओं में फैलने वाले सम्भावित रोगों और उनके उपचार की पूर्व तैयारी हेतु चि0 एवं स्वा. विभाग को सजग कर दिया जावेगा।

4.2.12 अकाल के बाद कार्यवाही

राहत कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण किया जावेगा। अकाल के दौरान परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण और पर्यवेक्षण किया जावेगा। अपूर्ण कार्यो को पूर्ण किया जावेगा। कृषि पर आधारित श्रमिकों को औद्यौगिक सेवा के माध्यम से रोजगार दिलाया जायेगा। पेयजल के लिये स्थाई योजनाये बनाकर उन्हे क्रियान्वित किया जायेगा।

4.2.13 सूखा से पूर्व प्रशासन के उत्तरदायित्व

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	भू राजस्व नियमावली के अनुसार फसलों की गिरदावरी एवं आपदा की सूचना तहसीलदार को उपलब्ध कराना	ग्राम पटवारी
2	मौसम पर निगाह रखने का कार्य, संकेतों की पहचान और क्षेत्र की आवश्यक जानकारी तहसीलदार को उपलब्ध कराना	गिरदावर
3	पटवारी एवं गिरदावर द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी का व्यापक परीक्षण, वर्षा का मापन, मौसम के मिजाज एवं फसलों की स्थिति की साप्ताहिक रिपोर्ट उपखण्डाअधिकारी के माध्यम से जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगा	तहसीलदार
4	क्षेत्र के किसी विभाग में फसलों में भारी खराबा होने की सम्भावना हो अथवा खराबा दिखाई देने की कोई रिपोर्ट प्राप्त हो तो तत्काल मौके पर पहॅुच कर अपने अवलोकन व परिमाणों की रिपोर्ट कलक्टर को देना	उपखण्ड अधिकारी
5	जिले की वर्षा, मौसम सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट, वर्षा की मात्रा, कृषि कार्यों की प्रगति, खाद्यान्न एवं चारा मूल्यों में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव, कीड़ों द्वारा फसल में की गई हानि, पशुओं को पीने के पानी की आपूर्ति आदि का साप्ताहिक नोट जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेंगे।	प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख, अति0 कलक्टर, प्रशासन
6	भू अभिलेख नियमावली के अनुच्छेंद 328 में दिये निर्देशानुसार स्थिति का पाक्षिक प्रतिवेदन सहायता, विभाग को प्रस्तुत करेंगें। मौसम के आरम्भ में वर्षा की प्रगति, और कृषि कार्यों का अन्वेक्षण जिला स्तरीय वेदरवाच ग्रुप करेगा	जिला कलक्टर
7	जिले के किसी भी भाग में संकट के प्रारंभिक संकेत दृष्टिगोचर होने	जिला कलकटर

	लगें तो साप्ताहिक स्थिति, सहायता विभाग को प्रस्तुत की जावेगी।	

4.2.14 सूखा के दौरान दायित्व

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	अभावग्रस्त गांवों को राजस्थान अफैक्टेड एरियाज एक्ट 1952 के तहत अधिसूचित कराने की कार्यवाही	जिला कलक्टर
2	विभिन्न कार्यकारी विभागों की संचालित योजनाओं को राहत कार्यो से डवटेल कर स्वीकृत करने की कार्यवाही	प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन सहायता तथा कार्यकारी एजेन्सी
3	पेयजल व्यवस्था	अधि.अभि. जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार
4	पशुओं के लिए पेयजल एवं चारे की व्यवस्था	अधि.अभि. जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, उपनिदेशक, कृषि/पशुपालन विभाग
5	खाद्यान्न वितरण व्यवस्था	जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी
6	महिला एवं बच्चों के लिए पोषाहार एवं स्वास्थ्य जांच	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग
7	गौशालाओं के लिए अनुदान उपलब्ध कराना	उप निदेशक, पशुपालन विभाग/ प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन सहायता
8	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित कराना	सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग
9	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
10	मानव एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप निदेशक, पशुपालन विभाग
11	शिकायतों की जांच, निरीक्षण एवं निस्तारण	जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी
12	कानून व्यवस्था की स्थिति	जिला पुलिस अधीक्षक

4.2.15 मौसम निगरानी समिति (Whether watch cometteе) :– जिला कलक्टर–अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अधीक्षण अभियन्ता, जलसंसाधन, केन्द्रीय सहकारी बैंक, लीड बैंक आफीसर, विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों के जिला स्तरीय अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता, जेवीवीएनएल, उपनिदेशक कृषि, अधीक्षण अभियन्ता, पीएचईडी, उप निदेशक, पशुपालन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सदस्य होगे इस दल की बैठक सप्ताह में एक बार अवश्य होगी। बैठक की व्यवस्था अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन द्वारा की जावेगी।

4.2.16 सूखे से बचने के दीर्घकालिक उपाय :– सूखे से बचने के लिए दीर्घकालीक उपाय के रूप में पड़ो की कटाई को रोका जायेगे। नऐं पेड़ों लगाये जाएंगे तथा पेड़ो के कारण वर्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसकी जानकारी समुदाय को निम्न विभागो/संस्था द्वारा दी जायेगी।

4.2.17 **शिक्षा विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य** :– छात्र–छात्राओं को प्रार्थना सभाओं में वाद–विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, निबन्धो द्वारा इसकी जानकारी को समुदाय तक पहुंचाया जाएगा कि पेड़ो का पर्यावरण के लिऐ सूखा (अकाल) दूर करने में कितना महत्व है।

4.2.18 **वन–विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य** :– पेड़ लगाकर अवैध कटाई को रोककर तथा समुदाय में जानकारी कर वनों व वृक्षारोपण के महत्व को रेखाकित करने के लिऐ वन क्षेत्रो के आसपास रहने वाले व्यक्तियों में जानकारी का प्रसार–प्रचार किया जावेगा ताकि समुदाय में यह सन्देश दिया जा सके कि वनों/वृक्षो को बचाना सूखा (अकाल) जैसी आपदाओं को रोकने के लिए आवश्यक है :–

- वर्षा के पानी का अधिकतम संग्रहण किया जाए ।
- जल को अनावश्यक/व्यर्थ न बहाएं ।
- वाहनों को धोने के बजाऐं पोंछना अधिक उचित है।
- घर में पौधे ऐसे लगाऐ जिन्हे कम पानी की आवश्यकता हो।
- फल, सब्जी, कपड़े धोने के बाद बचा पानी पौधों में/मकान में पोछा लगाने में प्रयोग करें।
- टंकियो व पाईपो का रिसाव रोकें।

4.2.19 **कृषि विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य** :–

- कृषक ऐसी फसलों का उत्पादन करे जो कम समय में अधिक उत्पादन देती हो।
- कृषक वर्षा के जल को संग्रहित कर सिचाई कर सकते है और जमीन का जल स्तर बढ़ा सकते हैं।
- ऐसे बीजों/खादों की जानकारी व उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते है, जिससे कम जल उपलब्धता में भी अच्छा उत्पादन हो सके।
- फसल चक्र को बदलने के लिऐ विशेषज्ञ सलाह देगें।
- चारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शंकर बीज की उपलब्धता व जानकारी उपलब्ध करायेंगे।
- सूखे पत्तो व लकडी के गोबर आदि का कृषि कार्यो के उपयोग हेतु प्रयोग बावत् जानकारी व प्रदर्शन शिविर आयोजित करायेंगे।
- फलदार वृक्षो के वारे में जानकारी देगें।
- इन सभी जानकारियों के प्रसार–प्रचार के लिऐ प्रेस व गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जाकर लोगों के जानकारी स्तर को बढ़ाया जाएगा।

4.2.20 **सिंचाई विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य**

- बांधों/नहरों का रख रखाव व सुरक्षा।
- नहरों की डिसिल्टिगं समय पर की जायेगी।
- कूप पुनर्भरण योजना लागू करेंगें।

4.2.21 **ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य**

- तालाव/पोखर गहरे करवाये जायेगें ।

- पानी के टांके बनाये जायेगें ।
- खेतों में एससी/एसटी/बीपीएल हेतु कुण्ड बनवाये जायेगें ।
- कुऐ गहरे करवाये जावेगें।
- 'वाटर शेड' योजना की जानकारी का प्रचार प्रसार/प्रदर्शन करेगा ताकि अधिकाधिक समुदाय इसको व्यावहारिक रूप से अपनाये।
- इन सभी योजनाओं की जानकारी प्रेस मीडिया/नारा लेखन/ गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से योजना बजट के प्रावधानों के अन्तर्गत करायेगा।

भरतपुर जिले में पशु गणना 2012 के अनुसार कुल 14,69,654 पशु हैं जो बाढ, अकाल एवं ओलावृष्टि से प्रभावित हो सकते हैं। यदि जिले में किसी प्रकार की आपदा होती है तो पशुओं के बचाव के लिए उन्हे सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की व्यवस्था, चारे पानी की व्यवस्था, रोगों से बचाव हेतु विभिन्न प्रकार के टीकाकरण एवं बीमार होने की स्थिति में चिकित्सा शिविर लगाकर उपचार किया जावेगा। गत वर्षों के अनुभव को देखते हुए 100 से 150 गांव विभिन्न प्रकार की आपदाओं से ग्रसित रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मद में पशु पालन विभाग को औषधियों हेतु 20 लाख रूपये की आवश्यकता रहेगी।

4.3 चक्रवात

चक्रवात की स्थिति में प्रशासनिक दायित्व :–

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	चक्रवात की सूचना/मौसम के बदलाव की स्थिति से/अलर्ट जारी करने की सूचना जिला प्रशासन को देना एंव प्रतिदिन जिला प्रशासन, जिला कलक्टर एंव पी.आर.ओ. को अवगत कराना।	निदेशक, सरसों अनुसंधान केन्द्र, सेवर
2	चक्रवात क्षेत्र में हॉनि का आंकलन करना, हॉनि के अनुसार राजस्व लगान में छूट प्रदान करना, पीडितो को आर्थिक मदद, राहत सामग्री का वितरण, नागरिक समितियों की बैठक करना।	एस.डी.एम/तहसीलदार
3	प्रभावित क्षेत्रो में पशुधन की लाशों का डिस्पोजल, सफाई व्यवस्था, एमएलओ/फाकिंग मशीन द्वारा दवाई का छिडकाव।	आयुक्त नगर निगम/ईओ नगर पालिका
4	कम्यूनिकेशन, कानून व्यवस्था	पुलिस अधीक्षक
5	कारकस डिस्पोजल, जानवरो के लिए इलाज, संभावित आपदा से होने वाली पशु हानि से बचने हेतु पशुधन बीमा हेतु जनता को प्रोत्साहित करना।	उप निदेशक पशुपालन विभाग
6	हानि के फलस्वरूप रिजर्व खाद्य सामग्री की व्यवस्था, खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना	डी.एस.ओ.
7	प्रभावित विद्युत लाईनो का रेस्टोरेशन	अधीक्षण अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.

8	संचार व्यवस्था का रेस्टोरेशन	उप महाप्रबन्धक भारत संचार निगम लिमिटेड
9	विशेष बुलेटिन जारी करना, सही सूचना का प्रकाशन, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रकाशन	पी.आर.ओ.
10	अनाज का आरक्षित स्टॉक उपलब्ध रखना, आवश्यकता पढने पर प्रभावित क्षेत्रो के लिए प्रशासन की मांग पर उसे जारी करना। आगामी फसलों के उन्नत किस्म के बीजो की व्यवस्था।	मैनेजर एफ.सी.आई / वेयर हाउस
11	फसल व नुकसान का सही आंकलन एवं चिन्हीकरण, फसलो के बीमा हेतु किसानो को प्रोत्साहित करना।	उप निदेशक कृषि विभाग
12	वित्तीय संस्थाओ यथा–ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, को – ऑपरेटिव बैंक द्वारा प्रभावित नागरिकों हेतु उचित दर पर ऋण की व्यवस्था।	जिले के समस्त वित्तीय संस्थान

4.4 बादल फटना (अतिवृष्टि)

बादल फटने की स्थिति में प्रशासनिक दायित्व :–

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	मौसम के पूर्वानुमान की सूचना से जिला प्रशासन, जिला कलक्टर एंव पी.आर.ओ. को अवगत कराना।	निदेशक, सरसों अनुसंधान केन्द्र, सेवर
2	सूचनाओ के आदान–प्रदान, कानून व्यवस्था	जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर
3	रेस्टोरेशन वर्क, सुरक्षित स्थानों पर आवश्यकता – नुसार रोड कट करना, वैकल्पिक रास्तों का निमार्ण, ड्रम बोट्स बनाना, सुरक्षित स्थानो का चिन्हीकरण, बचाव साधनो की व्यवस्था।	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, भरतपुर
4	नाला,, नाली सफाई डीवाटरिंग की व्यवस्था, पेयजल सफाई, रोशनी आदि कार्य।	नगर परिषद, भरतपुर , नगर पालिकायें समस्त जिला भरतपुर
5	पानी निकासी के लिये पम्प सेटो की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था,	अधीक्षण अभियन्ता पी.एच.ई.डी. भरतपुर
6	पशुओ का टीकाकरण,	उपनिदेशक, पशुपालन
7	अतिवृष्टी से प्रभावित क्षेत्रो में हुई हानि का आंकलन कर जिला कलक्टर को भिजवाना, पीडितो को राहत सामग्री वितरण एवं आर्थिक मदद उपलब्ध कराना।	उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार
8	अनाज का स्टॉक उपलब्ध रखना, प्रशासन की मांग पर अनाज जारी करना।	जिला रसद अधिकारी
9	फसल में हुए हानि का आंकलन ,बीज खाद, कीटनाशक की व्यवस्था कृषि बीमा योजना हेतु किसानो को प्रोत्साहित करना।	उपनिदेशक, कृषि
10	उचित दर पर ऋण उपलब्ध कराना,	ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक,
11	क्षतिग्रस्त विद्युत लाईनों/ टेलीफोन लाईनों की पुर्नस्थापना	अधीक्षण अभियन्ता जी.वी.वी.एन.एल. उपमाह प्रबंधन बी.एस. एन.एल
12	अतिवृष्टि/बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अध्यापकों एंव छात्रों/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/ग्राम पंचायत के माध्यम से पेयजल एंव मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी देकर जनसाधारण को जागरूक करना। (उक्त बीमारियों से बचाव ही उपाय है)	शिक्षा विभाग/चिकित्सा विभाग/ग्राम पंचायत

4.5 लू

बहुत अधिक समय तक गर्म वातावरण में रहने अथवा कार्य करने से मस्तिष्क की तापमान नियंत्रित करने की क्षमता से अधिक गर्मी होने के कारण लू लगती है।

4.5.1 गर्मी के प्रभाव (HEAT-Exhaustion)

सिर में दर्द, चकक्र आना, जी मिचलाना, उलटी, कमर में दर्द, शक्तिहीनता, मूर्छित हो जाना, चमडी पीली, ठण्डी व गीली व चिपचिपी होना। शरीर का तापमान सामान्य से कम अथवा अधिक हो जाना। सांस की गति तेज व सांस छिछली होना। नाडी की गति तेज व दबाव कम होना।

4.5.2 लू लगना (HEAT Stroke)

लू की स्थिति अचानक उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में सिर में दर्द उलटी व व्यक्ति मूर्छित हो सकता है। चमडी लाल व गर्म हो जाती है। शरीर का तापमान 107 डिग्री फारेनहाईट या उससे अधिक हो जाता है।

गर्मी एवं लू से बचाव ही उपाय है। सूर्य की तेज धूप मे घूमने से बचें भोजन करके बाहर निकलें, खाली पेट धूप मे न जायें, गर्म वातावरण में अधिक देर तक रहने व कठिन कार्य करने से बचें। सिर को ढक कर रखें । तरल पदार्थो का उपयोग करें। सुरक्षा के उपायो को ध्यान मे रखा जावे।

4.5.3 जिला प्रशासन की जिम्मेदारियॉ

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	मौसम के बदलाव एंव दैनिक तापक्रम पिछले तीन वर्षो के औसत से ज्यादा होने पर चेतावनी एंव प्रतिदिन मौसम के बदलाव की उक्तानुसार तुलना करते हुये सूचना जिला प्रशासन को देना। (प्रभारी अधिकारी, आ0प्र0एंव सहा0/पीआरओ भरतपुर)	निदेशक, सरसों अनुसंधान केन्द्र, सेवर
2	जनसाधारण को गर्मी के संभावित कुप्रभावो की जानकारी देने व विभिन्न संचार माध्यमो के द्वारा सावधानियों क्या करे क्या न करे के बारे में समय–समय पर सूचित कर सचेत करना।	अति. कलक्टर .(शहर) एवं पी.आर.ओ. भरतपुर
3	स्वास्थ्य सेवाओ से जुडी संस्थाओ को गर्मी में काम आने वाली दवायें व अन्य वस्तुयें उचित मात्रा में तुरन्त उपलब्ध करावें।	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ. भरतपुर
4	स्वास्थ्य कर्मचारी गर्मी से प्रभावित लोगो के निदान के प्रति सचेत रहें।	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ. भरतपुर
5	कार्य व समय का पुनः निर्धारण	जिला प्रशासन
6	गर्मी में दोपहर के समय होने वाले जन साधारण के समारोह तथा कार्यक्रमों पर रोक लगाएें।	समस्त उपखण्डाधिकारी, भरतपुर
7	चल चिकित्सालय, पुलिस, शमन सेवाऐं व एम्बुलेन्स इत्यादि तैयार रखें।	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ./ एस.पी., भरतपुर
8	मजदूरी करने वालो के कार्य करने का समय सुबह व शाम रखें।	सी.ई.ओ. जिला परिषद/ सार्वजनिक निमार्ण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग/ सिंचाई/विद्युत/नगर निगम /नगरपालिकायें/वनविभाग भरतपुर

9	निजी क्षेत्र मे कार्यरत स्वास्थ्य संस्थानों/गैर सरकार संस्थाओ इत्यादि के सहयोग से लोगों को शिक्षित करना व उनमें चेतना लाना।	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ. भरतपुर
10	दीर्घकालीन उपाय शहरो, कस्बो व गॉवो मे सडक के किनारों पर छायादार पेड लगाने का व्यापक अभियान व जगह–जगह पानी पिलाने के लिए प्याऊ खोलें।	नगरपरिषद/नगरपालिकायें/ सीईओ जिला परिषद/सा.नि.वि. /वन विभाग, भरतपुर
11	जगह–जगह शेल्टर एंव शेड बनाने के लिये	पीएचईडी

12	शेडयुक्त बस स्टॉप एंव गर्मी से प्रभावित मरीजों को नजदीकी चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन व्यवस्था/प्याऊ की व्यवस्था।	परिवहन विभाग
13	धार्मिक स्थलों में कूलर/पंखों एंव शीतल पेयजल की व्यवस्था।	देवस्थान विभाग/वक्फ बोर्ड
14	मौसम के अनुसार ग्रीष्मावकाश एंव स्कूलों का समय निर्धारित करना।	जिला कलक्टर एंव शिक्षा विभाग

4.6 शीत लहर

मौसम में होने वाले अचानक परिवर्तन के प्रति सजग रहें। सावधानियॉ बरते, संचार माध्यमो से मौसम की जानकारी लेते रहें, कपडे कई परतो में पहने, सिर ढक कर रहें, पशुओ को शेड आदि में रखें।

4.6.1 प्रशासन की जिम्मेदारियॉ

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	तापक्रम के गिरावट के पूर्वानुमान की सूचना जिला प्रशासन को प्रतिदिन देना। (जिला कलक्टर एंव पीआरओ)	निदेशक, सरसों अनुसंधान केन्द्र, भरतपुर
2	मौसम के अनुसार शीतकालीन अवकाश व स्कूलों का समय निर्धारित करना।	जिला कलक्टर एंव शिक्षा विभाग
3	गरीब जरूरत मन्द व बेघर लोगो को जिनके शीतलहर से पीडित होने का खतरा होता है। उनको रैन बसेरे के रूप मे शरण स्थल उपलब्ध कराना।	नगर निगम व नगर पालिकाये, जिला भरतपुर
4	खुले स्थान पर बेसहारा लोगो को कम्बल आदि के वितरण हेतु स्वंय सेवी संस्थाओ को प्रेरित करने का कार्य एवं व्यवस्था।	जिला कलक्टर, भरतपुर
5	विभिन्न जन संचार माध्यमो द्वारा जनसाधारण तक समय–समय पर क्या करें क्या न करें की जानकारी देने का कार्य।	जिला सूचना जनसम्पर्क अधिकारी, भरतपुर
6	भ्रमण शील इकाई गश्त पर लगाई जावे, जो लोगो को आवश्यक सहायता प्रदान कर सके।	अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन/डी.एस.ओ. भरतपुर
7	जनसाधारण को अध्यापकों, छात्रों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, ग्राम पंचायत एंव स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से शीत के दुष्प्रभावों व बचने के उपाय के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देकर जागरूकता अभियान चलाना।	चिकित्सा/शिक्षा/पंचायती राज विभाग/स्वयंसेवी संस्थायें
8	रैन बसेरों में उपचार व्यवस्था करना।	पीएमओ एंव सीएमएचओ
9	शेडयुक्त बस स्टॉप एंव सर्दी से प्रभावित मरीजों को नजदीकी चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन व्यवस्था।	परिवहन विभाग

4.7 ओलावृष्टि, पाला, ऑधियॉ, तूफान

ओलावृष्टि, पाला, ऑधियॉ, तूफान ऐसी आपदा है जिसका आकलन पूर्व में नही किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है जो आँधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नही होता तथा यह हवा के रूख एवं उसकी गति के

अनुसार उसी दिशा को क्षति ग्रस्त करते हुए निकलता हैं। इन आपदाओ के कारण सार्वाधिक नुकसान व्यक्तियों, पशुधन, फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट होती है।

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	ओलावृष्टि,पाला, आंधी, तूफान, प्रभावित क्षेत्रो में हानि का आंकलन करना, हानि के अनुसार राजस्व लगान में छूट प्रदान करना, पीडितो को आर्थिक मदद, राहत सामग्री का वितरण, नागरिक समितियों की बैठक करना।	एस.डी.एम / तहसीलदार
2	प्रभावित क्षेत्रो में पशुधन की लाशों का डिस्पोजल, सफाई व्यवस्था,	आयुक्त नगर परिषद /ईओ नगर पालिका
3	कम्यूनिकेशन, कानून व्यवस्था	जिला कलक्टर पुलिस अधीक्षक
4	कारकस डिस्पोजल, जानवरो के लिए ईलाज, संभावित आपदा से होने वाली पशु हॉनि से बचने हेतु पशुधन बीमा हेतु जनता को प्रोत्साहित करना।	उप निदेशक पशुपालन विभाग
5	हानि के फलस्वरूप रिजर्व खाद्य सामग्री की व्यवस्था, खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना	डी.एस.ओ.
6	प्रभावित विद्युत लाइनो का रेस्टोरेशन	अधीक्षण अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
7	संचार व्यवस्था का रेस्टोरेशन	उप महाप्रबन्धक, भारत संचार निगम लिमिटेड
8	विशेष बुलेटिन जारी करना, सही सूचना का प्रकाशन, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रकाशन	पी.आर.ओ.
9	अनाज का आरक्षित स्टॉक उपलब्ध रखना, आवश्यकता पर प्रभावित क्षेत्रो के लिए प्रशासन की मांग पर जारी करना। आगामी फसलो के उन्नत किस्म के बीजो की व्यवस्था।	एफ.सी.आई / वेयर हाउस
10	फसल व नुकसान का सही आंकलन एवं चिन्हीकरण, उन्नत बीज की व्यवस्था, लोगों का मनोबल, बढाना, कीटनाशक दवाओ की अतिरिक्त व्यवस्था। मृदा परीक्षण, किसानो को अधिक से अधिक पैदावारी की जानकारी हेतु डिमोस्ट्रेशन, फसलो के बीमा हेतु किसानो को प्रोत्साहित करना।	उप निदेशक कृषि विभाग
11	वित्तीय संस्थाओ यथा—ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, को — ऑपरेटिव बैंक द्वारा प्रभावित नागरिकों हेतु उचित दर पर ऋण की व्यवस्था।	वित्तीय संस्थान
12	शेडयुक्त बस स्टॉप एंव ओलावृष्टि से प्रभावित मरीजों को नजदीकी चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन व्यवस्था।	परिवहन विभाग
13	चिकित्सा व्यवस्था करना।	पीएमओ / सीएमएचओ

4.8 बिजली का गिरना

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	घटना की सूचना भिजवाना	पुलिस
2	आकाशीय बिजली से हुए घायल पशु एवं मानवो की	उपनिदेशक पशुपालन, मुख्य

	चिकित्सा व्यवस्था।	चिकित्सा अधिकारी,
3	आकाशीय बिजली गिरने से मृतकों के परिजनो को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	एस.डी.ओ. /तहसीलदार
4	मृत पशुओं का निस्तारण एवं बीमा हेतु प्रोत्साहित करना।	उपनिदेशक पशुपालन, नगर निगम, नगर पालिकायें,
5	टूटी हुई विद्युत लाईन एवं टेलीफोन लाईन की पुर्नस्थापना।	अधीक्षण अभियन्ता, जी.वी.वी.एन.एल. /महाप्रबंधक बी.एस.एन.एल

4.9 भूकम्प

भूकम्प पृथ्वी के अन्दर असंतुलन आंतरिक हलचल या ध्वंस, धरातल के सिकुडने पृथ्वी तल में परिवर्तन अथवा फेर बदल के कारण आता है। भूकम्प एकाएक बिना पूर्व सूचना के आते है। इनके विषय में कोई सोच भी नहीं सकता। भूकम्प के नुकसान रोकने अथवा कम करने संबंधी कुछ निवारक उपाय किये जाने आवश्यक हैं। भवनों, संचार माध्यमों, पानी की आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति एवं जीवन को बचाने संबंधी कार्यो को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। भूकम्प के परिणाम स्वरूप वस्तुओ के गिरने, भवनो के आंशिक रूप से नष्ट होने और हल्के निमार्ण आदि के विनाश से उत्पन्न मलबे के कारण अधिकतम समस्यायें पैदा होती हैं। भरतपुर जिला भूकम्प जोन–IV में है। यहॉ भूकम्प की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.0 प्लस हो सकती है।

4.9.1 भूकम्प निवारक उपाय

भूकम्प से मकानो में क्षति न हो अथवा कम क्षति हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत अभियन्ताओ एवं विशेषज्ञो की देखरेख में भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण किया जावे। बने हुए भवनो में भी भूकम्प प्रतिरोधी तकनीक से सुधार किया जावे।

घर के अंदर या घर के बाहर जहॉ पर आप ज्यादा समय गुजारते हैं, सुरक्षित स्थान देख लें। भूकम्प के समय जितनी कम दूरी आपको तय करनी पडेगी उतने ही सुरक्षित आप होगें। भूकम्प कहीं भी किसी भी समय आ सकता है इसके लिए तैयार रहें।
बच्चो को भी स्कूल के अंदर या आसपास सुरक्षित स्थानो के बारे में अवगत करायें ताकि भूकम्प के समय वे सुरक्षित स्थान पर जा सके।

ज्वलनशील पदार्थो को सुरक्षित बक्से में रखें। आपातकाल के लिये आवश्यक भोजन, प्राथमिक चिकित्सा उपचार, दवाईयॉ आदि सुरक्षित स्थानो पर रखें। परिवारो के सभी सदस्यो को आपदा से निपटने के लिये प्रशिक्षित किया जावे।

4.9.2 भूकम्प से पूर्व के उत्तरदायित्व

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	भूकम्प की सूचना/पूर्वानुमान की सूचना से जिला प्रशासन को अवगत कराना।	निदेशक, सरसों अनुसंधान केन्द्र, भरतपुर
2	विभिन्न प्रकार के भवन आदि के निर्माण और डिजाइन संबंधी संहिता को लागू करना	नगर सुधार न्यास/ नगरपरिषद /सा.नि.वि. /सिंचाई विभाग/राजस्थान आवासन मण्डल/ जिला परिषद अन्य सभी कार्यकारी एजेन्सी, भरतपुर

3	भूकम्प इंजीनिरयरिंग के सिद्धान्त व संहिता के प्रयोग के लिये वास्तुकार एवं इंजीनियर को प्रशिक्षण देना।	अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. भरतपुर
4	पहले से बने हुए मकान आदि के सुदृढता का विकास करना।	नगर सुधार न्यास/ नगरपरिषद /सा.नि.वि. /सिंचाई विभाग/राज0आवासन मण्डल/जिला परिषद अन्य सभी कार्यकारी एजेन्सी, भरतपुर
5	भवनो के निमार्ण एवं पुर्नद्धार एवं सम्भावित नुकसान को कम करने के लिये भूकम्प संबंधी बीमा करवाना।	समस्त कार्यकारी एजेन्सी एवं बीमा कम्पनियां भरतपुर
6	भूकम्प प्रभावित क्षेत्रो में जोखिम का आंकलन कर भूकम्प से सुरक्षा सावधानियॉ जानकारियॉ उपलब्ध कराना, जन जाग्रति पैदा कराना,	जिला सॉख्यिकी अधिकारी/पी.आर.ओ. भरतपुर
7	भूकम्प प्रतिरोधी मकान बनाने संबंधी सरल तकनीक की प्रर्दशनियां लगाना, भूकम्प प्रतिरोधी मकानो के नमूनो का प्रदर्शन,	अधीक्षण अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी.
8	कारीगरों को भवन निमार्ण मे भूकम्प प्रतिरोधी तकनीक अपनाने का प्रशिक्षण देना।	अधीक्षण अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी.

4.9.3 विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियॉ

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	भूकम्प की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को देना।	निदेशक, सरसों अनुसंधान केन्द्र, भरतपुर
2	मौसम विभाग से भूकम्प की सूचना जिला कलक्टर, को प्राप्त होते ही उपखण्डाधिकारियो को सूचित करना	अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)/ प्रभारी अधिकारी, आ.प्र. एवं सहायता, भरतपुर
3	भूकम्प प्रभावित क्षेत्र के घेराबन्दी करने संबंधी प्रबंध।	पुलिस अधीक्षक,/स्टेशन कमाण्डर आर्मी, भरतपुर
4	भूकम्प प्रभावित स्थलो को खाली कराने का प्रबंध।	एस.डी.ओ./क्षेत्र के पुलिस अधिकारी
5	मृतक एवं जानवारो के कंकालो को एकत्रित कर निस्तारण की कार्यवाही। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना।	नगरपरिषद/नगरपालिकायें/ ग्राम पंचायतें
6	चिकित्सा , भोजन, पानी की आपूर्ति, टेन्ट, मैटल की चद्दरे उपलब्ध कराना, अस्थाई शरण स्थलो का प्रबंध।	डी.एस.ओ. /सी.एम.एण्ड.एच.ओ. /पी.एम.ओ. /अधीक्षण अभियंता पी.एच.ई.डी. भरतपुर
7	परिवहन सबंधी संसाधनो को उपलब्ध कराना।	डी.टी.ओ. भरतपुर
8	भूकम्प से कितना नुकसान हुआ का आंकलन।	उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार
9	चोरी लूट, आदि की संभावनाओ को कम करने के लिये सैना व पैरा मिलिट्री की मदद।	पुलिस अधीक्षक स्टेशन /कमाण्डर आर्मी, भरतपुर
10	घायलों की चिकित्सा, महामारी से बचने के लिये	सी.एम.एण्ड.एच.ओ./पी.एम.ओ.

	टीकाकरण की व्यवस्था। मोबाईल चिकित्सा यूनिट का प्रबंध।	
11	राशन, कपडे, बर्तन आदि का वितरण।	डी.एस.ओ.
12	महिला और बच्चो के पुनर्वास आदि की व्यवस्थाा।	उपनिदेशक, आई.सी.डी.एस.
13	कृषि संबंधी पुनर्स्थापना, कृषको को बीज/फसल कटाई हेतु सहायता/खाद्य/औजार/कृषि उपकरण/ क्षति ग्रस्त पशुशालाओ का निर्माण/पशु शिविर/ पशुधन की निरोधक चिकित्सा।	उपनिदेशक, पशुपालन/ उपनिदेशक कृषि
14	शैक्षिक क्रियाकलापो का पुनर्जीवन	जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) I, II एवं प्राथमिक शिक्षा

4.9.4 पुनर्वास

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	नये स्थानो पर विस्थापित व्यक्तियो का पुनर्वास	सा.नि.वि./राजस्थान आवासन मण्डल/ नगर निगम/यू.आई.टी./ग्राम पंचायतें।
2	नये स्थानों पर पुनर्वास होने तक अस्थाई आश्रयो की व्यवस्था।	सा.नि.वि./राजस्थान आवासन मण्डल/ नगर निगम/यू.आई.टी./ग्राम पंचायतें।
3	अनाथ बच्चो और विधवाओ का पुनर्वास	उपनिदेशक समाज कल्याण/उप निदेशक शिक्षा
4	सार्वजनिक सम्पतियो का पुनर्रूद्धार और पुनर्स्थापना	सा.नि.वि./राजस्थान आवासन मण्डल/ नगर निगम/यू.आई.टी./ग्राम पंचायतें।
5	निशुल्क/रियायती दर पर जैसा सरकार का निर्णय हो भवन निर्माण सामग्री की व्यवस्था।	एस.ई. पी.डब्ल्यू.डी. भरतपुर
6	रोजगार की व्यवस्था	कार्यकारी संस्थायें
7	कारीगरो का पुनर्वास	कार्यकारी संस्थायें
8	अभिघातोत्तर तनाव विकार के लिये परामर्श व्यवस्था	सी.एम.एण्ड.एच.ओ./पी.एम.ओ./स्वंयसेवी संगठन
9	अस्थाई शरणगृह	सा.नि.वि./राजस्थान आवासन मण्डल/ नगर निगम/यू.आई.टी./ग्राम पंचायतें।
10	विकलांग व अक्षम व्यक्तियो का पुनर्वास	उपनिदेशक समाज कल्याण

4.10 खान में आग लगना

जिले में रासायनिक एवं ज्वलनशील पदार्थों, कोयला आदि की खाने नहीं हैं केवल पत्थर की खाने हैं इसीलिये खान में आग लगने की घटनायें नहीं होती हैं फिर भी इस तरह की घटना होने पर त्वरित कार्यवाही कर दी जावेगी।

4.11 रसायनिक विपदा

जिला भरतपुर में परमाणु एवं जैविक, रासायनिक हमले के समय अपनाई जाने वाली बचाव व मानक कार्यप्रणाली निम्नानुसार हैः–

1. जिले में सिविल डिफेन्स एवं होमगार्डस में 1025 जवान कार्यरत हैं जिनकी नफरी जिला मुख्यालय पर 225 व देहात क्षेत्र में 800 है। होमगार्ड का दूरभाष नम्बर 05644–226295 है। ये जवान आवश्यकता पड़ने पर 2 घण्टे में उपलब्ध हो सकते हैं।
2. आतंकवादी जैविक व परमाणु हमले के दौरान एम्यूनिशन डिपो, धौरमुई–जघीना आयल डिपो, राजकीय चिकित्सालय, राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर स्थिति मोलौनी पुल, दिल्ली मुम्बई रेलमार्ग पर समोगर पुल, प्रशासनिक भवन (संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय), शहर के जल वितरण के प्रमुख श्रोत, बन्ध बारैठा तथा पेयजल(उच्च जलाशयों) आदि को अपना निशाना बना सकते हैं।
3. जैविक हमले के समय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिये जिला पुलिस के पास 161 वायरलैस सैट, वन विभाग के पास 5 वायरलैस सैट उपलब्ध है, जिनको आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है।
4. हमले के दौरान सहायता कैम्प लगाने के लिये नगर निगम भरतपुर, नगर सुधार न्यास, भरतपुर टेण्ट, जनरेटर आदि आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करेंगें।

5. जैविक हमले के समय भरतपुर रेलवे स्टेशन के पास भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में रखे गये अनाज की सुरक्षा का प्रबन्ध उपनिदेशक, कृषि भरतपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर की देखरेख में होगा।
6. जैविक हमले के दौरान परिवहन व्यवस्था हेतु 180 रोडवेज वाहन उपलब्ध हैं, 150 प्राइवेट बसें, जिला पूल के पास 14 वाहन व पुलिस के पास कुल 66 वाहन उपलब्ध हैं आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकेगा। आवश्यक वाहनों की व्यवस्था अति.जिला कलक्टर, शहर एवं जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर द्वारा की जावेगी।
7. जैविक हमले के दौरान विद्युत सप्लाई चालू रखने के लिये अधीक्षण अभियन्ता, जेवीवीएनएल, उत्तरदायी होंगे तथा विद्युत सप्लाई की रूकावट की स्थिति में जनरेटरों द्वारा विद्युत की सप्लाई व्यवस्था रखी जावेगी।
8. कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिये जिला मुख्यालय पर एक ई0आर0टी0 टीम गठित की हुई है जो आपात स्थिति से निपटने के लिये त्वरित कार्यवाही करेगी। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीमें गठित कर कानून व्यवस्था के लिये तत्परता से उपलब्ध रहेंगी जिससे आम जन को कोई परेशानी न हो व जनता में शान्ति व सौहार्द्र का वातावरण बना रहे।
9. जैविक हमले के दौरात राहत कैम्पों की सुरक्षा हेतु पुलिस की माकूल व्यवस्था होगी। चिकित्सा विभाग की टीमें चिकित्सा करेंगी एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाये व नगर परिषद की सहायता से खानपान की व्यवस्था की जावेगी।
10. हमले के दौरान फैलने वाली अफवाहों से निपटने के लिये तथा आतंकवादियों के सम्बन्ध में सूचना के संकलन हेतु सादा वस्त्रधारी पुलिस कर्मियों की तैनाती की जावेगी। आवश्यतानुसार अफवाह फैलाने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध निरोधात्मक
11. कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। अफवाहों व गलतफहमियों को दूर करने के लिये पुलिस वाहनो व नगर परिषद के वाहनों पर माइक लगाकर सम्वाद द्वारा, इलैक्ट्रानिक मीडिया द्वारा सावचेत रहने का प्रसारण किया जावेगा। जैविक हमलों से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को वहॉ से हटा कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जावेगा।
12. **अ**. सम्भावित हमले की स्थिति में जनता को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सिविल डिफेन्स, ट्रान्सपोर्ट आदि की सहायता ली जावेगी।

    ब. स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिये सतर्कता पूर्वक निगरानी गस्त व चैकिंग पुलिस द्वारा की जावेगी।

    स. सहायता केन्द्रो पर जनता के लिये प्राथमिक चिकित्सा सहायता, चलित अस्पताल, चिकित्सा स्टाफ व सहायता कर्मियों के साथ रहकर पीड़ितों की सहायता व सहयोग किया जावेगा।
13. जिला पुलिस की यातायात शाखा, प्रशासन के सहयोग से वैकल्पिक मार्गों को पूर्व से ही चिन्हित कर आवागमन को सुचारू रूप से चालू रखा जावेगा।
14. हमले के दौरान गम्भीर स्थिति से बचने के लिये समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित कर स्थिति को संतुलित किया जावेगा।
15. जिले के सभी थानाधिकारी जनता से बराबर सम्पर्क बनाये रखेगें व गस्त करेंगें तथा सी. एल.जी. की मीटिंग बुलाकर सूचनाओं का आदान प्रदान करेगें जिससे कि गम्भीर स्थिति को रोका जा सके।
16. जैविक हमले की स्थिति में निपटने के लिये सूचना केन्द्र बनायें जावेगें तथा पीड़ितों को सहायता हेतु पुलिस की अतिरिक्त टीम भी गठित की जावेगी जिससे आम जन को कोई असुविधा न हो।

4.12 औद्यौगिक विपदा (जिले के हानिकारक कारखानों का चिन्हीकरण)

क्र. स.	आरजे / संख्या	कारखाने का नाम व पता
1	22645 / 238266	भारत पेट्रोलियम कार्पो० लि० जघीना–भरतपुर
2	19534 / 238270, 238258	इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० जघीना–भरतपुर
3	23824	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि० धौरमुई–भरतपुर
4	2633	प्रभात फायर वर्क्स इण्डस्ट्रीज, कुम्हेर गेट, भरतपुर
5	4394	राजस्थान पिंगमेन्ट एण्ड कैमिकल, भरतपुर
6	2132	एम्यूनिशन डिपो, कंजौली लाइन, भरतपुर

4.12.1 उत्तरदायी विभाग / अधिकारी

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1	रिहायशी बस्तियों की योजना उद्योगों के पास नहीं बनाई जावे।	आयुक्त नगर निगम, सचिव नगर सुधार न्यास,
2	हानिकारक उद्योगों का चिन्हीकरण तथा आबादी से बाहर स्थानान्तरित करने की व्यवस्था	अति0 जिला कलक्टर , शहर, जी0एम0 डी0आई0सी, निरीक्षक वायलर, सम्बन्धित अधिकारी उपखण्डाधिकारी
3	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से सम्बन्धित नियमों की पालना	अति0 जिला कलक्टर , शहर, जी0एम0 डी0आई0सी, निरीक्षक वायलर, उपखण्डाधिकारी, श्रम अधिकारी
4	औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले हानिकारक पदार्थों के प्रभाव की जानकारी, प्रचारित करना कि दुर्घटना से किस प्रकार बचा जा सकता है	श्रम अधिकारी, पी0आर0ओ0
5	सुरक्षा उपायों की अनुपालना	श्रम विभाग

4.13 परमाणु विपदा

क्र.सं.	**कार्य**	**उत्तरदायी विभाग**
1	परमाणु विस्फोट से निकलने वाली रेडियोधर्मिता के मानवजीवन, पशु–पक्षिओं व वनस्पतियों पर प्रभाव का आकलन करना तथा प्रभाव को कम करने के तत्कालीन उपाय	सीएमएण्डएचओ चिकित्सा विभाग, उप निदेशक कृषि विभाग, उप निदेशक पशुपालन विभाग, महारानी श्रीजया कालेज के सम्बन्धित प्रोफेसर
2	कम्पयूनिकेशन, सरुक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था,, बैरीकेटिंग व्यवस्था, अफवाओ का रोकना,	जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर
3	आस–पास के क्षेत्रो को खाली करवाने की कार्यवाही, कार्यवाही की उदद्घोषण, शरण स्थलो का प्रबंध, धन सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था की कार्यवाही, धन सम्पत्ति का अधिग्रहण व सुपुर्दगी की कार्यवाही	एस.डी.एम. / तहसीलदार (समस्त) जिला भरतपुर
4	रेस्क्यू पार्टी की व्यवस्था, एम्बूलेंस की व्यवस्था, फर्स्टएड, कंट्रोल रूम का गठन एवं संबंधित	सहायक कमाण्डेट होमगार्ड, भरतपुर

	सेवाओ को सूचना का प्रेषण।	
5	अतिरिक्त वाहनो की व्यवस्था करना, व प्रशासनिक मांग पर उपलब्ध कराना	जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर
6	कारकस डिस्पोजल, मृतको के दाह संस्कार की व्यवस्था, जनरेर्टस की व्यवस्था, शरण स्थलो की व्यवस्था, मलबा हटाना, फसे हुए लोगो को निकालना, पब्लिक एडरेस सिस्टम की व्यवस्था	आयुक्त नगर परिषद भरतपुर/नगरपालिकायें जिला भरतपुर
7	एम्बूलेस व्यवस्था, मोबाईल टीम का गठन, पैरा मैडिकल स्टाफ की व्यवस्था, दवाओ का अतिरिक्त भण्डार, पृथक बाढ का सृजन इत्यादि।	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर
8	ट्रेक्टर, डम्फर व मजदूरो की व्यवस्था,	अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि., भरतपुर
9	शरण स्थलो व रास्तो में पाली का प्रबंध, जलापूर्ति रोकना व मरम्मत कार्य,	अधीक्षण अभियन्ता पी.एच.ई.डी. भरतपुर

10	विद्युत के प्रसारण की सुचारू व्यवस्था	अधीक्षण अभियंता, जे.वी.वी.एन.एल. भरतपुर
11	रेस्टोरेशन कार्य	नगर सुधार न्यास, भरतपुर
12	टेलीफोन की व्यवस्था सुचारू करना तथा रेस्टोरेशन कार्य	जिला प्रबंधक दूरसंचार,भरतपुर
13	बचाव कार्य, प्रभावित क्षेत्रो की सुरक्षा एवं छानबीन, हॉस्पीटल सेवायें। महत्वपूर्ण प्रशासनिक विभागो के संचालन में मदद करना,	स्टेशन कमाण्डर, आर्मी हैड– क्वार्टर, सेवर/कमाण्डेट एम्यूनेशन डिपो, भरतपुर
14	घायलो का परिवहन, अस्पताल सेवायें	स्टेशन अधीक्षक, रेल्वे स्टेशन, भरतपुर
15	प्रशासन की मांग अनुसार, अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था, वैकल्कि मार्गो का चिन्हीकरण	प्रबंधक राजस्थान परिवहन, निगम लोहागढ,/भरतपुर डिपो, भरतपुर

4.14 आग

1. **हाईरिस्क ऐरियाः–**एम्यूनिशन डिपो, इण्डियन ऑइल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम के पेट्रोलियम डिपो, विश्वविख्यात घना पक्षी विहार, घरेलू गैस के गौदाम, एफ.सी.आई. और वेयर हाऊस, हैं।
2. **मीडियम रिस्क ऐरियाः–**पेट्रोल पम्प कुम्हेर गेट, नई मण्डी, हीरादास, डीग रोड, मथुरा रोड, सेवर रोड, जघीना गेट जिले की आयल मिले, नई मण्डी, रीको क्षेत्र, दूरदर्शन रिले सेन्टर , कच्ची बस्ती रणजीत नगर।

4.14.1 उपलब्ध संसाधन

1. **गोला बारूद भण्डारः–**इस डिपो के पास आग बुझाने की स्वंय की व्यवस्था व स्टॉफ है । इनके पास 2 ट्रेलर पम्प, एवं 7 फायर टेण्डर उपलब्ध हैं।
2. **पेट्रोलियम डिपो धौरमुई** :–में 3 तेल कम्पनियॉ बी.पी.सी., आई. ओ. सी., एच. पी.सी. कार्यरत हैं। इनके पास 8 फायर टेण्डर एवं ट्रेलर पम्प उपलब्ध हैं।
3. **नगर निगम के पासः–** 6 फायर टेण्डर उपलब्ध हैं।
4. **नागरिक सुरक्षा :–** एक फायर टेण्डर हैं।
5. **नगर पालिका, नगर, डीग व नदबई के पास एक–ए**क छोटे अग्निशमन वाहन है।

यदि हाई एवं मीडियम रिस्क ऐरिया में विस्तृत रूप से आग फैलती है और इस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन कारगर नहीं होते हैं तो ऐसे हालात में जिला मजिस्ट्रेट पडौसी जिलो के इमदाद मांग कर सकते हैं। वे जिले निम्न प्रकार हैं जिनके पास संसाधन उपलब्ध हैं :–

क्र.सं.	स्थान/कार्यालय	टेलीफोन नमबर
1	डी.एम. आगरा , उ.प्र. (0562)	2260184, 2466210
2	सी.ओ.डी आगरा उ.प्र. (0562)	2412971, 2412972
3	मथुरा रिफायनरी, उ.प्र. (0565)	2430656
4	4 विंग ऐयर फोर्स आगरा,	301180–85
5	अलवर नगर परिषद अग्निशमन सेवा	2701264
6	जयपुर, नागरिक सुरक्षा अग्नि शमन सेवा, जयपुर	2375926

7	जयपुर नगर निगम, अग्नि शमन सेवा, जयपुर	101

4.14.2 आग लगने पर क्या करें, क्या न करें

क्या करें

1–परिवार के सभी सदस्यो को आग से निपटने के लिये प्रशिक्षण देवें।
2–आग लगने पर तुरन्त अग्निशमन विभाग को सूचित करें। फोन नंम्बर 101
3–बिल्डिंग में आग लगने पर लोगो को निकालने के लिये हमेशा सीढियो का प्रयोग करें।
4–जब यह निश्चित हो जावे कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बन्द कर दें।
5–बिल्डिग में आग लगने के बाद तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहॅुच जायें।
6–अगर संभव हो सके तो नाक व मॅुह को गीले कपड़े से ढक लें।
7–सावधानी पूर्वक निर्देश कर्ता के आदेशों का पालन करें।
8–अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड रहा है, तो अपने कमरे मे ही रहें।
9–नेतृत्व कर्ता को बिल्डिंग छोडने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो। यहॉ तक कि वाथरूम की भी जॉच कर लेनी चाहिये।
10. संभावित आग लगने वाले खतरनाक बिन्दुओ का चिन्हित कर आग लगने की संभावना को कम कर देना चाहिये।
11–आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।

क्या न करें

1–गैस, स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम मे न लें।
2–मकान की छत पर न जायें।
3–लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें।
4–गॉव में घास फूस की झोपडियो के आस –पास जलती माचिस की तीलियॉ, जली हुई बीडी, सिगरेट न फंके ।

4.14.3 ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपदा प्रबन्धन योजना

जिले में कुछ क्षेत्रों में आबादी बहुत दूर बसी हुई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 1482 आबाद ग्राम हैं तथा ग्रामीण आबादी 2053363 है। आज भी गांवों में लोगो के कच्चे मकान है। स्थानीय उपलब्ध सामग्री से बने होते हैं ये घर आपस में मिले हुए होते हैं। जिससे यदि एक बार अग्नि दुर्घटना होती है तो बहुत सारे परिवार इसकी चपेट में आ जाते हैं। दूर–दराज ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि शमन के मंहगे संयंत्रों को स्थापित करना न तो आर्थिक रूप से सम्भव है और न ही उन्हें संधारित किया जाना संभव है। स्थानीय अग्नि शमन व्यवस्था किया जाना प्रासंगिक है।

4.14.4 पूर्व तैयारी

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	तहसील मुख्यालय से संबंधित ग्राम की दूरी तथा वहां से तहसील पहुंचने के समय का आंकलन रास्तों की स्थिति आदि की सूचना तथा अग्नि शमन वाहन के लिए रास्ते आदि की उचित व्यवस्था	स्थानीय सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी
2	सार्वजनिक व निजी जल स्रोतों की उपलब्धता	सरपंच, सचिव, जलदाय विभाग का स्थानीय प्रभारी

3	स्वयं सेवको की सूची तहसीलदार को उपलब्ध कराना	पटवारी
4	ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध अग्नि शमन संसाधन तैयार रखना	सरपंच, सचिव
5	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्कूल/सार्वजनिक भवन का चिन्हीकरण	सचिव, पटवारी, शाला का प्रधानाध्यापक
6	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य संसाधनों को तैयार रखना	सचिव, पटवारी, शाला का प्रधानाध्यापक

4.14.5 विलेज फायर की सूचना

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	गांव में आग लगने की सूचना निकट तहसील, उप तहसील मुख्यालय तथा पुलिस स्टेशन को देना	पटवारी, सचिव
2	स्थानीय संसाधनों से अग्नि बुझाने का तात्कालिक प्राथमिक कार्य	ग्राम सेवक, सरपंच, स्थानीय पाठशाला का प्रधानाध्यापक एवं पटवारी

4.14.6 उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा तत्काल की जाने वाली कार्यवाही

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों को मौके पर पहुचाने की कार्यवाही	तहसीलदार
2	दुर्घटना की सूचना जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को उपलब्ध कराना	तहसीलदार
3	उपलब्ध संसाधनों से अग्नि शमन की कार्यवाही सुनिश्चित करना	उपखण्डाधिकारी
4	घायल लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं गंभीर रूप से घायलों को उच्चीकृत चिकित्सालयों में रैफर कराना तथा चिकित्सकों एवं दवाइयों की व्यवस्था कराना	उपखण्डाधिकारी, ब्लाक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
5	अग्नि से हुई हानि का आंकलन कर रिपोर्ट जिला कलक्टर को उपलब्ध कराना	तहसीलदार
6	अग्नि दुर्घटना में पीडित परिवार जिनका सबकुछ नष्ट हो गया है, उनके भोजन, आवास आदि की व्यवस्था	तहसीलदार, उपखण्डाधिकारी
7	माह अप्रैल–जून में अग्नि से जलकर घायलों की स्थानीय चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सा एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना	उपखण्डाधिकारी, ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
8	सहायता राशि का वितरण	तहसीलदार

4.15 बम विस्फोट

आज के युग में दुनिया भर में आतंकवाद चरम सीमा पर है। आतंकवादियो द्वारा आतंक फैलाने के लिये आमतौर पर अपनाये जाने वाली प्रक्रिया, बम विस्फोट है। इस क्रिया का मुख्य उद्धेश्य लोगो में आतंक फैलाना, तथा जानमाल की हॉनि पहुॅचाना है। ये विस्फोट अधिकतर ऐसे इलाको में किये जाते हैं। जहॉ अधिक लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। बम विस्फोट आर. डी. एक्स., सी.–3, सी.–4, पी.ई.के., डेटोनेटर आदि के हो सकते हैं।

4.15.1 पूर्व तैयारी

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	परिसर में आने जाने वाली गाडियो का रिकार्ड रखे एवं ड्राईवर का नाम, अन्दर आने का समय, बाहर जाने का समय आदि नोट करे तथा अगर हो सके तो एक टोकन जारी किया जावे।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी

2	सुरक्षा कर्मियो द्वारा परिसर के अन्दर आने जाने वाली सभी तरह की गाडियो की जॉच–पडताल की जानी अत्यन्त आवश्यक है, जैसै उनका बोनट, डिक्की एवं अन्दर के हिस्से को टटोला जाना चाहिये।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
3	कार्यालय की गाडियो के ड्राईवरो को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये िकवे अपनी गाडी का इस्तेमाल करने से पहले जॉच करें। इसी क्रम में कार्यालय की गाडियों की पार्किंग सुरक्षित एवं अधिकृत स्थान पर करने की हिदायत दी जाए।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
4	ऐसी चीजें जो पहले परिसर में नहीं देखी गई जैसे ब्रीफकेस, बैग व बिजली का तार आदि को देखकर अनदेखा न करें।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
5	ऐसी जगह जहॉ पर आना–जाना कम हो उस जगह का खास ख्याल रखते हुए निरीक्षण करें।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
6	स्टॉफ के लोगो की गतिविधियों एवं उनके चाल–चलन पर नजर रखे एवं निरीक्षण करें।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
7	ऐसे कर्मचारी (स्टॉफ) जो कि असंतुष्ट हो, उन पर खास तौर से नजर रखें।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
8	ऑफिस समय के बाद व छुट्टी के दिन किसी को भी परिसर में घुसने की इजाजत न दें।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
9	स्टॉफ व आगन्तुको के लिए वाहन पार्किग स्थल अलग–अलग जगह पर निश्चित करें और ऐसी जगह बनाये जो मुख्य भवन से दूरी पर हो। किसी भी वाहन को मुख्य भवन या कार्यस्थल के नजदीक न खडा करने दिया जावे।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
10	आने व जाने के लिए एक ही मुख्य्द्वार की व्यवस्था हो।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
11	एक इमरजेन्सी द्वार की व्यवस्था हो जिसकी जानकारी पूरे स्टाफ को हो।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
12	आम व्यक्तियो को परिसर के सीमित इलाकों में ही आवाजाही की इजाजत होनी चाहिये।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
13	सभी कर्मचारियों (स्टाफ) के लिए पहचान पत्र होना जरूरी है।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
14	अगर भण्डार कार्यालय परिसर में हो तो वहॉ आवाजाही पर पूरी तरह नियंत्रण होना चाहिये। कुशल कर्मचारियो द्वारा उसका निरीक्षण करते रहना चाहिये।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
15	सफाई कर्मचारियो को स्टाफ की उपस्थिति में ही सफाई करने को कहें।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी

4.15.2 बम विस्फोट होने के बाद के कार्य

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	कम्यूनिकेशन, सरुक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था,, बैरीकेटिंग	जिला पुलिस अधीक्षक

	व्यवस्था, बम्ब निरोधन दस्ते, खोजी कुत्तो का प्रबंध, अफवाओ का रोकना	भरतपुर
2	आस–पास के क्षेत्रो को खाली करवाने की कार्यवाही, कार्यवाही की उद्घोषण, शरण स्थलो का प्रबंध, धन सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था की कार्यवाही, धन सम्पत्ति का अधिग्रहण व सुपुर्दगी की कार्यवाही	एस.डी.एम. / तहसीलदार (समस्त) जिला भरतपुर
3	रेस्क्यू पार्टी की व्यवस्था, एम्बूलेंस की व्यवस्था, फर्स्टएड, कंट्रोल रूम का गठन एवं संबंधित सेवाओ को सूचना का प्रेषण।	स्हायक कमाण्डेट होमगार्ड, भरतपुर
4	अतिरिक्त वाहनो की व्यवस्था करना, व प्रशासनिक मांग पर उपलब्ध कराना	जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर
5	कारकस डिस्पोजल, मृतको के दाह संस्कार की व्यवस्था, जनरेर्टस की व्यवस्था, शरण स्थलो की व्यवस्था, मलबा हटाना, फसे हुए लोगो को निकालना, पब्लिक एडरेस सिस्टम की व्यवस्था	नगरपरिषद भरतपुर / नगरपालिकायें जिला भरतपुर
6	एम्बूलेस व्यवस्था, मोबाईल टीम का गठन, पैरा मैडिकल स्टाफ की व्यवस्था, दवाओ का अतिरिक्त भण्डार, पृथक बाढ का सृजन इत्यादि।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर
7	टूटे हुए मकानो की मरम्मत की व्यवस्था, मलवा हटाने की व्यवस्था, क्षतिग्रस्त इमारतो को तोडने की व्यवस्था, ट्रेक्टर, डम्फर व मजदूरो की व्यवस्था,	अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि., भरतपुर
8	शरण स्थलो व रास्तो में नाली का प्रबंध, जलापूर्ति रोकना व मरम्मत कार्य,	अधीक्षण अभियन्ता पी.एच.ई.डी. भरतपुर
9	विद्युत के संचार की सुचारू व्यवस्था	अधीक्षण अभियंता जे.वी.वी.एन.एल. भरतपुर
10	रेस्टोरेशन कार्य	नगर सुधार न्यास, भरतपुर
11	टेलीफोन की व्यवस्था सुचारू करना तथा रेस्टोरेशन कार्य	जिला प्रबंधन दूरसंचार
12	बचाव कार्य, प्रभावित क्षेत्रो की सुरक्षा एवं छानबीन, हॉस्पीटल सेवायें। महत्वपूर्ण प्रशासनिक विभागो के संचालन में मदद करना,	स्टेशन कमाण्डर, आर्मी हेड क्वार्टर, सेवर / कमाण्डेट एम्यूनेशन डिपो, भरतपुर
13	घायलो का परिवहन, अस्पताल सेवायें	स्टेशन अधीक्षक, रेल्वे स्टेशन, भरतपुर
14	प्रशासन की मांग अनुसार, अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था, वैकल्कि मार्गो का चिन्हीकरण	प्रबंधक राजस्थान परिवहन, निगम लोहागढ, / भरतपुर डिपो, भरतपुर

4.15.3 पुर्नवास

अचानक हुए बम विस्फोट में काफी जन, धन की हॉनि होती है। ऐसी घटनाओ में मृतको के परिजनो के पुर्नवास की आवश्यकता होती है। पीड़ित परिवारो का पुर्नवास एवं तत्काल सहायता उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी

1	बम विस्फोट में मृतक के परिजनो को तात्कालिक सहायता मुख्य मंत्री एवं प्रधान मंत्री राहत कोष से सहायता उपलब्ध कराना	(समस्त) तहसीलदार जिला भरतपुर

4.16 रेल दुर्घटना

भरतपुर जिला जो, कि राजस्थान के पूर्व में बसा हुआ है, के अन्दर दिल्ली –भरतपुर– बम्बई ब्राडगेज, आगरा– भरतपु– जयपुर ब्राडगेज लाईन निकलती हैं। इन ट्रेकों पर लगभग 30 सवारी गाडियॉ, 40 औसत माल गाडियॉ पास होती हैं। इन ट्रेकों पर भविष्य में यदि कोई दुर्घटना होती है तो ब्राडगेज रारह से बयाना के बीच में ट्रेक के दॉय–बॉये साइड पर मुख्य सडकें गुजरती हैं। यदि दिल्ली से बम्बई चलें तो रेलवे के दॉय–बॉय साइड पर रारह से भरतपुर, भरतपुर से बयाना, बयाना से हिण्डौन तक गुजरती हैं। अतः इस मुख्य रोड से जिनसे रेल्वे ट्रेक को छूती हुई व क्रास करती हुई छोटी सडके भी निकलती हैं। आपदा स्थल तक इन सडको के माध्यम से सहायता हेतु पहॅुचायी जा सकता है।

रेल्वे दिल्ली–बम्बई मार्ग वाया भरतपुर हेतु सहायता पहॅुचाने की व्यवस्था

1–रारह सेवर के बीच तथा सेवर पर सहायता हेतु सामग्री और मशीने उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

2–सेवर से झीलकावाडा रेल्वे ट्रेक पर यदि घटना घटित होती है तो उच्चैन, पिंगौरा रोड से सहायता प्रदान की जा सकती है।

3–पिंगौरा से बयाना रेल्वे ट्रेक के बीच यदि दुर्घटना घटित होती है तो बयाना –पिंगौरा सडक मार्ग से पहॅुच कर सहायता पहॅुचाई जा सकती है। इसी तरह ट्रेक के दाईने ओर घटना घटित होती है एवं दायें ओर पहॅुचना हो तो भरतपुर से छोंकरवाडा, भुसावर, वैर होकर बयाना पहॅुच कर सहायता पहॅुचाई जा सकती है।

रेल्वे आगरा–जयपुर मार्ग वाया भरतपुर हेतु सहायता पहॅुचाने की व्यवस्था

1–यदि नदबई और भरतपुर के बीच दुर्घटना घटित होती है तो हेलक, पपरेरा, नदबई, सडक मार्ग के द्वारा सहायता उपलब्ध करावाई जा सकती है।

2–भरतपुर अछनेरा के बीच दुर्घटना होती है तो भरतपुर–चिकसाना सडक मार्ग के द्वारा सहायता उपलब्ध करावाई जा सकती है।

3–नदबई–खेडली के मध्य यदि घटना होती है तो नदबई खेडली सडक तथा इनसे गुजरने वाली लिंक सडको के माध्यम से राहत पहॅुचाई जा सकती है।

रेल्वे आगरा–बयाना–सवाईमाधोपुर मार्ग हेतु सहायता पहॅुचाने की व्यवस्था

1–यदि इस ट्रेक पर बन्धबारैठा, के बीच घटना घटित होती है तो बयाना धौलपुर सडक मार्ग से राहत पहॅुचाई जा सकती है।

2–यदि बयाना रूपबास के बीच घटना घटित होती है तो भरतपुर रूपबास सडक के द्वारा व लिंक सड़को से राहत पहॅुचाई जा सकती है।

4.17 सड़क दुर्घटना

भरतपुर जिले की प्रमुख सडकें, भरतपुर–डीग– नगर–अलवर रोड, भरतपुर–डीग–कामां –नन्द गॉव रोड, भरतपुर–मथुरा रोड, भरतपुर–जयपुर, भरतपुर–आगरा, भरतपुर–अछनेरा, भरतपुर–नदबई, भरतपुर–बयाना–हिण्डौन रोड, हैं उक्त सभी सडको पर यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो तकरीवन सभी सडको के पॉच से दस किलोमीटर दूरी पर गॉव मौजूद हैं जिनमें दूरभाष एवं वाहन सुविधा मौजूद है। निकटस्थ गांव के टेलीफोन से दुर्घटना की सूचना पास के पुलिस थाने एवं अस्पताल में पहॅुचाई जावे। जिले के पुलिस थानों और अस्पतालों के नम्बर, आपदा प्रबंधन योजना में उपलब्ध हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल के प्रभारी

अधिकारी एम्बूलेंस, पैरा मैडिकल स्टॉफ, एवं उपचार हेतु आवश्यक दवाओ के साथ दुर्घटना स्थल रवाना हो जावेगें। इसी प्रकार दुर्घटना की सूचना मिलते ही थाने, चौकी प्रभारी, घटना स्थल पर पहुॅच कर घायलो को अस्पताल पहॅुचाने में मदद करेगें और कानूनी कार्यवाही पूरी करेगें। अतः ऐसी किसी दुर्घटना के घटित होते ही यदि कोई सूचना पुलिस जिला प्रशासन आपदा विभाग या जनसाधारण द्वारा प्राप्त होती है तो संबंधित विभाग तुरन्त घटना स्थल पर उपलब्ध संसाधनो सहित मदद हेतु पहॅुच जावेगा।

4.18 खान में बाढ़ आना व ढहना

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1	कम्यूनिकेशन, कानून व्यवस्था रिकवरी वेन, कम्फर क्रेन, गैस कटर, प्रभावित क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था	पुलिस विभाग
2	मोबाईल टीमो का गठन ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध रखना। घटना स्थल पर मैडिकल शिविर स्थापित करना, ऑक्सीजन सलेण्डर, एम्बूलेंस व भारी मात्रा में घायलों के परिवहन की व्यवस्था, हड्‌डी व मनोरोग विशेषज्ञो की अतिरिक्त व्यवस्था। मोस्टमार्टम व्यवस्था,	सी.एम.एण्ड.एच.ओ /पी.एम.ओ.
3	जनरेटर, पम्पसेट्‌स डीवाटरिंग व्यवस्था	जलदाय विभाग
4	जे.सी.वी. एल.एन.टी. क्रेन व अन्य बचाव संसाधनों की व्यवस्था	सार्वजनिक निर्माण विभाग
5	डीवाटरिंग पम्पसेट्‌स, ट्रेक्टर्स, जे.सी.वी. क्रेन रस्से ऑक्सीजन गेस सिलेण्डर, मास्क सहित डायवर्स की व्यवस्था करना	नगरपरिषद
6	अस्थाई टेलीफोन लाइनो की व्यवस्था महत्वूपर्ण लाईनो की व्यवस्था	टेलीफोन विभाग
7	एल.एन.टी.जे.सी.वी. कम्प्रेसर क्रेन डम्फर ट्रेक्टर्स, आदि की व्यवस्था साहसी काय र्कर्ताओ की व्यवस्था खनिज ठेकेदारों की सूची व क्षेत्र की जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना, खान में कार्यरत मजदूर व कर्मचारियो की बीमा की व्यवस्था।	खान विभाग
8	क्षेत्र में हुई हॉनि व जन हॉनि का आंकलन पीडितो को आर्थिक मदद राहत सामग्री की व्यवस्था सही सूचना का संग्रहण व प्रेषण	एस.डी.एम. व तहसीलदार
9	प्रशासनिक मांग के अनुसार परिवहन की वैकल्पिक व्यवस्था	परिवहन विभाग

4.19 मुख्य भवनो का ढहना

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1	बहुमंजिली इमारती क्षेत्रों में तथा शहर के अतिव्यस्त क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड में पानी के लिये हाइडेण्ट की समुचित व्यवस्था	आयुक्त, नगर परिषद,
2	सिनेमाहाल, प्रेक्षागृह, प्रदर्शनीहाल, स्कूल आदि के निरीक्षण वर्ष में दो बार	अति0कलक्टर, शहर,
3	बहुमंजिली इमारत के निर्माण में आई0एस0 कोड, एन0बी0ओ0 कोड की अनुपालना	आयुक्त नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, हाउसिंग बोर्ड
4	बहुमंजिली भवन, सॅकड़ी गलियों में नहीं बनाये जावें, जहॉ फायर ब्रिगेड नहीं पहॅुच सकती हों वहॉ बहुमंजिली भवनों की अनुमति किसी भी हालत में न दी जावे।	आयुक्त नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, हाउसिंग बोर्ड
5	बहुमंजिली भवनों में फायर फाइटिंग की व्यवस्था हेतु भवन	उपखण्ड अधिकारी,

	मालिकों को पाबन्द करना तथा इस व्यवस्था के निरीक्षण करना	नगर सुधार न्यास, नगर परिषद,

4.20 महामारी

परिचय :– किसी भी समुदाय मे किसी रोग के सामान्य से अधिक रोगी पाये जाने को महामारी कहते हैं। महामारी होने की संभावना रोग का कितना प्रभाव है। रोग फैलने के कारकों व नियंत्रित करने वाले प्रभावी उपाय किये जाने चाहिये। महामारी के मूल प्रश्न हैं। रोग कब प्रारंभ हुआ (समय) रोग कहॉ से प्रारंभ हुआ कौन लोग प्रभावित हुये रोग होने का कारण नियंत्रण करने एवं बचाने के प्रभावी उपाय।

महामारी जनित आपदा की स्थिति में आवश्यक संसाधन यथा धन, व्यक्तिगत देखभाल करने वाले प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सकीय सहायता, प्रयोगशाला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ के दल का गठन, टीकाकरण, स्वच्छ वातावरण, चिकित्सीय व राहत सामग्री, यातायात के साधन, संचार के साधन, जन साधरण की भागीदारी तथा स्वंय सेवी संस्थाओ की भागीदारी।

4.20.1 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने की योजना

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1	आपात कालीन स्वास्थ्य सेवाओ की उपलब्धता निश्चित करना।	मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर एवं प्रमुख चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर जिला अस्पताल एवं ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी
2	आवश्यक संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर एवं प्रमुख चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर
3	पूर्व चेतावनी तंत्र की स्थापना करना।	मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर
4	आपात कालीन ऑपरेशन हेतु स्टॉफ को प्रशिक्षण देना।	मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर एवं प्रमुख चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर
5	जन साधारण को प्रशिक्षित करना।	स्वास्थ्य कार्य कर्ता
6	स्थिति संबंधी मूल आंकडो की सूचनायें खतरे की तुरन्त सूचनाओ के संकेत।	मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर एवं प्रमुख चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर
7	आर्थिक व सामाजिक प्रभावों का आंकलन।	जिला सॉख्यिकी अधिकारी, मैडिकल एडमिस्ट्रेशन और सी.पी.ओ. भरतपुर
8	मच्छर या जलजनित बीमारियों की रोकथाम में छात्रों एंव अध्यापकों/ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/ग्राम पंचायत के माध्यम से जनसाधारण को इन रोगों से बचाव के उपाय की जानकारी देकर सचेत/जागरूक करना।	शिक्षा/चिकित्सा विभाग/ग्राम पंचायत/स्वयंसेवी संस्थायें।
9	गांव में पानी के छोटे/बड़े गड्ढों में नरेगा के माध्यम से मिट्टी भरवाना ताकि पानी एकत्रित ना हो। साथ ही पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करना।	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर/ग्राम पंचायत/पंचायत समिति
10	जलजनित बीमारियों की रोकथाम हेतु क्लोरीनेशन करवाना एंव शुद्ध पेयजल	पीएचईडी/स्थानीय प्रशासन तहसीलदार

	आपूर्ति करवाना।	
11	महामारी को रोकने में स्थानीय जनता एंव प्रशासन द्वारा चिकित्सा विभाग को सहयोग देना।	पीएचईडी/शिक्षा/कृषि/पंचायत राज विभाग

4.21 टिड्डी दल आक्रमण

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1	टिड्डियों के प्रजनन क्षेत्र पर निगरानी	कृषि विभाग,
2	टिड्डी आने की स्थिति में पूर्व चेतावनी से कृषको को अवगत कराना तथा ऐहतिहाती उपाय।	कृषि विभाग,
3	टिड्डियों को दवाई छिड़ककर समाप्त करने की व्यवस्था	कृषि विभाग एवं जिला कलक्टर,
4	टिड्डी द्वारा की गई हानि का आंकलन	तहसीलदार एवं उपखण्डाधिकारी
5	कानून व्यवस्था बनाये रखना	पुलिस विभाग
6	कृषकों को हुये नुकसान का अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था	तहसीलदार, उपखण्डाधिकारी, एवं जिला कलक्टर

4.22 जानवरों की महामारी

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	बीमारी की सूचना का प्रसारण, पशु चिकित्सालय को निर्देश	एस.डी.एम.
2	क्षेत्र में शिविर लगाने की व्यवस्था, गौशाला आदि की व्यवस्था,मोबाइल टीमों का गठन, अतिरिक्त दवाओ की व्यवस्था, पोष्टिक आहार की व्यवस्था, हॉनि का आंकलन, पशु बीमा की सलाह	पशुपालन विभाग
3	मृत पशुओं का निस्तारण	नगरपरिषद, नगरपालिका, ग्राम पंचायत
4	गांव में पशुओ के पीने के पानी की व्यवस्था,	जलदाय विभाग
5	हरे चारे से फैलने वाली पशुओं की बीमारी की जानकारी देना, चारे से संक्रमण फैलने वाली बीमारियो की दवा की व्यवस्था	कृषि विभाग

4.23 आतंकवादी गतिविधियॉ

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	कम्यूनिकेशन, कानून व्यवस्था, बम निरोधक दस्तों का व्यापक गठन, सभी इन्टेलीजेन्स एजेन्सीज से निरंतर तालमेल, बुलेट प्रूफ संसाधन, क्विक रियेक्सन टीम मय हथियार जो हर समय तैयार रहे, आर्मी व अन्य वर्दीधारी सेवाओं को तुरंत सूचना का संप्रेषण	पुलिस अधीक्षक, भरतपुर
2	पुलिस की मदद करना,	डिप्टी कमाण्डेट हॉमगार्ड, भरतपुर

3	क्षेत्र में हुई हानि का आकलन, जनहानि का आकलन, पीड़ितों को आर्थिक मदद, राहत सामग्री की व्यवस्था, सही सूचना का संग्रहण व संप्रेषण, जन सहयोग की अपेक्षा का आहवान, पीड़ितों के शरणस्थलों की व्यवस्था, प्रेसनोट जारी करना, संवेदनशील स्थानो का चिन्हिकरण एवं सुरक्षा व्यवस्था ।	जिला कलक्टर / ए.डी.एम. (प्रशासन) / एस.डी.एम. / तहसीलदार समस्त जिला भरतपुर
4	अग्निशमन वाहन मय फायरमैन, रैस्क्यूइक्विपमेण्ट, पानी के टैंकर, क्रेन, डम्फर, जनरेटर, सम्वेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण, सुरक्षा हेतु प्रशासन को अवगत कराना,	आयुक्त नगरपरिषद भरतपुर, जिले की नगरपालिका
5	पुर्नस्थापना, बेरीकेटिंग, जेसीबी, क्रेन, डम्फर की व्यवस्था,	अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,

6	दवाई, बिस्तर, एम्बुलैन्स, एवं घायलों की चिकित्सा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
7	वाहनों की व्यवस्था	जिला परिवहन अधिकारी,
8	पेट्रोल डीजल की व्यवस्था, शिविरों में खाद्य सामग्री की व्यवस्था	जिला रसद अधिकारी,

4.24 उपद्रव, दंगे, बलवा, त्योहारों, उत्सवों, मेलों आदि पर होने वाली भगदड़

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	कम्प्यूनिकेशन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, बैरीकेटिंग व्यवस्था, अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था।	पुलिस अधीक्षक, भरतपुर
2	स्वय सेवको की व्यवस्था एवं पुलिस की मदद	डिप्टी कमाण्डेड हॉमगार्ड, भरतपुर
3	एरिया मजिस्ट्रेटो की नियुक्ति, कानून व्यवस्था का सुनिश्चिय, घटना स्थलो का भ्रमण व संवेदनशील क्षेत्रो का चिन्हीकरण, व्यवस्था पर निरंतर निगरानी, घायल व पीडितो की हानि का आंकलन, आर्थिक मदद उपलब्ध कराना।	जिला मजिस्ट्रेट / ए.डी.एम. (प्रशासन) /एस. डी.एम./तहसीलदार समस्त जिला भरतपुर
4	अग्नि शमन वाहन व प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था, उत्सव स्थल पर दुकानो व खाद्य प्रदार्थो का नमूनीकरण, डी.डी.टी. का प्रयोग व पानी के स्त्रोतो में लाल दवा का प्रयोग तथा पानी के शुद्धीकरण की व्यवस्था, प्रशासन व कानूनी व्यवस्थाओ में लगे विभागो की जानकारी, व तालमेल जनरेटर, ट्रेक्टर्स, व वाटर टेक, डम्फर आदि की व्यवस्था, वाहन पार्किग की व्यवस्था।	आयुक्त नगरपरिषद भरतपुर, जिले की नगरपालिकाऐं
5	मोबाईल टीमो का गठन, डॉक्टर, पैरामैडिकल स्टॉफ की व्यवस्थायें, एम्बूलेस व अतिरिक्त दवाओ की व्यवस्था अस्थाई मैडिकल बूथ की स्थापना।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर
6	घटना स्थल पर पानी की अतिरिक्त व्यवस्था	अधीक्षण अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, विभाग, भरतपुर
7	विद्युत तारो को कसना एवं पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति	अधीक्षण अभियन्ता जी.वी. वी.एन.एल. भरतपुर
8	सही सूचनाओ का प्रकाशन, अस्थाई घोषण कक्ष की स्थापना	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, भरतपुर
9	महत्वपूर्ण टेलीफोन लाईनो का रखरखाव	जिला प्रबंधक बी.एस.एन. एल./निजी क्षेत्र के दूरसंचार सेवा प्रदाता
10	पैट्रोल, डीजल, कैरोसिन, डीलरो को आरक्षित कोटा रखने के लिये पाबन्द करना, स्वंय सेवी संस्थाओ को रियायती दर पर खाद्य सामग्री का प्रबंध	जिला रसद अधिकारी, भरतपुर

अध्याय – 5

पूर्व तैयारी

प्राकृतिक आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता परन्तु समय रहते सजगता का परिचय दिया जावे, तो आपदा से होने वाली क्षति को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है। बाढ़ एंव सूखे से निपटने के लिये जिले की पूर्व तैयारी के सम्बन्ध में जिले में उपलब्ध मानव एंव बचाव संसाधनों का विस्तृत विवरण अध्याय सं0 4 में उपलब्ध है। विभिन्न आपदाओं के सम्बन्ध में की जाने वाली पूर्व तैयारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

<u>मानसून पूर्व की तैयारी</u>

क्र.सं.	संबंधित अधिकारी	मानसून पूर्व तैयारी
1	जिला कलक्टर भरतपुर	संभावित बाढ प्रभावी क्षेत्रो की सूची तैयार कराना, क्षेत्र में उपलब्ध स्थानीय ट्रेक्टरो, पम्प सेटो, नावों, तैराक स्वंय सेवको की सूची तैयार कराना, संबंधित विभागो की बाढ की पूर्व तैयारी की समीक्षा एवं मोनिटरिंग
2	अधीक्षण अभियन्ता जलसंसाधन, भरतपुर	समस्त प्रणाली का विस्तृत निरीक्षण करना तथा मानसून पूर्व कराये जाने वाले कार्य का चिन्हीकरण कर मरम्मत कराया जाना। नदी में कैनाल हैड पर क्रास बन्द बनाने, नहरों की डीसिल्टंग, कमजोर तट बन्दों की मरम्मत के के प्रस्ताव तैयार करना तथा सम्पादन 15 जून से पूर्व कराया जाना। 15 जून से पूर्व समस्त गेटो की जॉच कर आवश्यक मरम्मत तथा ऑयलिंग व ग्रीसिंग कराना। 15 जून से बाढ नियंत्रण कक्षो को सौपना तथा टेलीफोन व वायर लैस सैटो की स्थापना सुनिश्चित करना। मानसून सत्र में आवश्यक सामग्री का भण्डारण एवं 15 जून तक की सभी चिन्हित स्थानो पर सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक विभाग, भरतपुर	सडक मार्ग में प्राकृतिक ड्रेनेज की पुलियों, काजवे इत्यादि के निरीक्षण कर आवश्यक सफाई मरम्मत कार्य कराये जाकर बहाव क्षेत्र को सुरक्षित बनाना काजवे पर गेज लगाना, जिले के मार्गो (सडकों) का मानचित्र तैयार करना।
4	मण्डल /जोन अधिकारी, रेल्वे विभाग	रेल मार्गो से क्रास हो रहे नाले, नदियॉ के सी.डी. वर्क्स एवं तटबंधो का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कराया जाना।
5	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	संभावित बाढ प्रभावित क्षेत्रों की पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था तथा पीने के शुद्ध पानी हेतु ब्लीचिंग पाउडर आदि की व्यवस्था बावत प्लान तेयार करना।
6	चिकित्सा विभाग	संभावित बाढ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, दवाओ की उपलब्धता बीमारियो की रोकथाम की व्यवस्था एवं कुओ में ब्लीचिंग पाउडर डाले जाने की व्यवस्था हेतु कार्य योजना तैयार करना।
7	अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग	संभावित बाढ प्रभावित क्षेत्रो में गुजर रही पावर लाइनो को खिंचवाना तथा बाढ के दौरान करन्ट से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावनाओ को समाप्त करने तथा सप्लाई बनाये रखने हेतु प्लान तैयार करना।
8	उप निदेशक	पशुओ को बाढ के दौरान चारा आपूर्ति व्यवस्था एवं चिकित्सा सुविधा

	पशुपालन विभाग	तथा दवाओ की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना तैयार करना।
9	जिला रसद अधिकारी	बाढ प्रभावित संभावित क्षेत्रो में खाद्य सामग्री उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा पेट्रोल, डीजल मिट्टी के तेल की आपूर्ति हेतु कोटा आरक्षित करने बावत प्लान तैयार करना।
10	आयुक्त नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, भरतपुर	नगर परिषद व नगर न्यास क्षेत्रो में बहने वाले पानी के निकास के नाले नालियॉ आदि के बहाव क्षेत्र की सफाई कराई जाकर सुरक्षित करना तथा बाढ की स्थिति से निपटने हेतु कार्य योजना तैयार करना।

बाढ़ से पूर्व की तैयारी

बाढ नियंत्रण कक्ष

जिले में बाढ नियंत्रण हेतु 15 जून से नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाते है। सिंचाई विभाग द्वारा जिले के विभिन्न चिन्हित 22 स्थानों पर बाढ नियंत्रण कक्षो की स्थापना की जाती है, जिसमें से 16 केन्द्रो को टेलीफोन, 7 केन्द्रो पर वायरलैस व 6 केन्द्रो को वायरलैस तथा टेलीफोन दोनो सुविधाओ से सुसज्जित किया जाता है। इनके अतिरिक्त जिला कलक्ट्रेट मुख्यालय में केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना के साथ–साथ प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर भी बाढ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है।

महत्वपूर्ण सूचना के माध्यम

जिले में बाढ आपदा के दौरान सूचना का आदान–प्रदान करना एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। इस हेतु आवश्यक सूचना माध्यमो को चिन्हित किया गया है ताकि शीघ्रतिशीघ्र सूचना प्रसारित की जा सके तथा त्वरित बचाव कार्य समय रहते कराये जा सकें। ऐसे माध्यमो की सूची निम्नानुसार दर्शित है।

पूर्व चेतावनी व्यवस्था

जिले में बाढ नियंत्रण हेतु विभिन्न मुख्य–मुख्य स्थानो पर सिंचाई विभाग द्वारा 22 नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाते हैं जो 15 जून से कार्य प्रारंभ करते हैं तथा 30 सितम्बर तक स्थापित रहते हैं। इनके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय पर मुख्य नियंत्रण कक्ष के साथ साथ प्रत्येक तहसील स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाते हैं। इनके साथ भरतपुर जिले में प्रवेश से पूर्व तीनो प्रमुख नदियो वाणगंगा, गम्भीर तथा रूपारेल पर दूसरे जिलों के नियंत्रण कक्ष मय दूर संचार/वायरलैस सुविधा के स्थापित किये जाते हैं तथा सिंचाई विभाग का मुख्य नियंत्रण कक्ष हाइड्रोलोजी युनिट जयपुर में स्थापित किया जाता है।

वर्षा सत्र के दौरान रोजाना सुबह 8 बजे स्थापित नियंत्रण कक्षों के माध्यम से जिले के समस्त क्षेत्र की वर्षा एवं गेजों की सूचना प्राप्त की जाती है तथा प्राप्त सूचना प्रातः 10 बजे तक जिला कलेक्ट्रेट नियंत्रण कक्ष तथा मुख्य नियंत्रण कक्ष जयपुर को भेजी जाती है। इसी तरह बाढ के पानी के नियंत्रण एवं संग्रहण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कार्यरत प्रभारी अधिकारियो/कर्मचारियो को इन्ही नियंत्रण कक्षो के माध्यम से सूचना दी जाकर त्वरित कार्यवाही की जाती है।

मानसून काल में मय मौसम विभाग जयपुर से समय–समय पर चेतावनी मुख्य नियंत्रण कक्ष, जयपुर के माध्यम से प्राप्त होती है। जिसकी अविलम्ब सूचना स्थापित नियंत्रण कक्षों के

माध्यम से कार्यरत प्रभारी अधिकारियो को दी जाती है। साथ ही बाणगंगा नदी पर दौसा जिले में स्थापित बांदीकुई नियंत्रण कक्ष से गंभीर नदी पर पांचना बांध जिला करौली पर स्थापित नियंत्रण कक्ष से सूचना प्राप्त की जाकर तथा रूपारेल नदी पर स्थापित नियंत्रण कक्ष घाट पिकअप वीयर, अलवर से दूरभाष द्वारा सम्पर्क स्थापित कर सूचना प्राप्त की जाकर स्थिति का आंकलन कर आवश्यक निर्देश/चेतावनी सभी नियंत्रण कक्षों के माध्यम से दी जाती है।

प्रभावी बाढ नियंत्रण हेतु नदियो के जिले में विद्यमान गेज स्टेशनो तथा अप स्ट्रीम में दूसरे जिलों में स्थापित गेट स्टेशनों के गेजों के आंकडे लिये जाकर तैयार ग्राफ से प्राप्त आंकडो के अनुसार संभावित गेज एवं पानी की मात्रा तथा पानी पहुॅचने की अवधि का आंकलन कर बाढ पूर्व की चेतावनी सूचना तथा दिशा–निर्देश नियंत्रण कक्षों के माध्यम से क्षेत्रों में कार्यरत प्रभारी अधिकारियो/कर्मचारियो को प्रसारित किये जाते हैं तथा सभी संबंधित विभागों से सामंजस्य स्थापित कर कार्य योजना अमल में ली जाती है बाढ आपदा की स्थिति में विभिन्न तहसीलों पर स्थापित प्रशासनिक नियंत्रण कक्षों को एलर्ट कर संभावित प्रभावित क्षेत्रों को उपलब्ध हरसंभव संचार/सूचना/सरकारी मशीनरी गैर सरकारी संस्थाओं /जन सेवकों के माध्यम से सूचना गांवो तक ग्रामीण क्षेत्रों में पहुॅचाई जाती है ताकि समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुॅच सके।

संभावित बाढ की स्थिति में नियंत्रण कक्षों को 24 घन्टे खुले रखकर हर आधे घन्टे पर गेजों एवं फील्ड की स्थिति प्राप्त की जाकर आवश्यक कार्य योजना अमल में ली जाती है जिसके लिये विभिन्न विभागो के दायित्व अगले पैरा में दर्शाये गये हैं, जिसमें बाढ पूर्व, दौरान एवं बाढ के बाद में ली जाने वाली योजना विभिन्न विभागों द्वारा अमल में लाई जावेगी।

<u>सूखा</u>

<u>Preparedness of Contingency Plan</u>

1. Water - सूखा की स्थिति में जिले के प्रभावित क्षेत्रों टेंकरों के माध्यम से पेयजल परिवहन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
2. Health -
   - **पशुपालन विभाग** – भरतपुर जिले में वर्तमान में पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के स्वास्थ्य हेतु 01 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, 23 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, 52 पशु चिकित्सालय, 07 पशु औषधालय, 03 चल चिकित्सा इकाई तथा 219 पशु चिकित्सा उप केन्द्र कार्यरत् हैं, जिनमें बीमार पशुओं को 28 प्रकार की दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध करा पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में कोई आउटब्रेक की सूचना नहीं है।
   - **चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें** – किसी भी आपदा से निपटने के लिये जिला स्तर पर एक रेपिड रेस्पोन्स टीम का गठन किया गया है। उक्त टीम मय समुचित औषधियों के आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित क्षेत्र में प्रस्थान कर आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध करायेगी। जिला मुख्यालय की टीम के अलावा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी रेपिड रेस्पोन्स टीम का गठन किया गया है। सामान्य चिकित्सालय एंव सभी राजकीय चिकित्सलय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारियों को रोगियों के उपचार हेतु वार्डों में सभी प्रकार की समुचित व्यवस्था रखने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक दवाईयां उपलब्ध करा दी गई हैं। जिले के सभी 10 ब्लॉकों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी हैं।
3. Power/Energy -

- जल स्त्रोतों के लिये विद्युत व्यवस्था को नियमित रूप से आवश्यकतानुसार चालू रखने की व्यवस्था की गई है।
- जल स्त्रोतों के लिये स्थापित लाईन एंव ट्रांसफार्मर को खराब होने पर तुरन्त प्रभाव से दुरूस्त करने हेतु वृत भण्डार में प्रचुर मात्रा में सामान रखा गया है।
- जलदाय विभाग द्वारा जमा पत्रावलियों के कनेक्शन 7 दिवस में जारी करने हेतु सहायक अभियंताओं को निर्देश दे दिये गये हैं, जिसके लिये सामान की उपलब्धता को सहायक अभियन्ता कार्यालय में सुनिश्चित कर दिया गया है।
- कृषि के निर्धारित ब्लॉकों में विद्युत सप्लाई दी जा रही है तथा कृषि के लिये ब्लॉकों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यदि भविष्य में सूखा पड़ता है, तो राज्य सरकार द्वारा पुनः निर्धारित ब्लॉकों में समुचित विद्युत सप्लाई दी जायेगी।
- <u>सूखा से पूर्व तैयारी</u>

क्र. सं.	पूर्व तैयारी	उत्तरदायी अधिकारी
1	भू राजस्व नियमावली के अनुसार फसलों की गिरदावरी एवं आपदा की सूचना तहसीलदार को उपलब्ध कराना	ग्राम पटवारी
2	मौसम पर निगाह रखने का कार्य, संकेतों की पहचान और क्षेत्र की आवश्यक जानकारी तहसीलदार को उपलब्ध कराना	गिरदावर
3	पटवारी एवं गिरदावर द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी का व्यापक परीक्षण, वर्षा का मापन, मौसम के मिजाज एवं फसलों की स्थिति की साप्ताहिक रिपोर्ट उपखण्डाअधिकारी के माध्यम से जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगा	तहसीलदार
4	क्षेत्र के किसी विभाग में फसलों में भारी खराबा होने की सम्भावना हो अथवा खराबा दिखाई देने की कोई रिपोर्ट प्राप्त हो तो तत्काल मौके पर पहुँच कर अपने अवलोकन व परिमाणों की रिपोर्ट कलक्टर को देना	उपखण्ड अधिकारी
5	जिले की वर्षा, मौसम सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट, वर्षा की मात्रा, कृषि कार्यों की प्रगति, खाद्यान्न एवं चारा मूल्यों में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव, कीड़ों द्वारा फसल में की गई हानि, पशुओं को पीने के पानी की आपूर्ति आदि का साप्ताहिक नोट जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेंगे।	प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख, अति0 कलक्टर, प्रशासन
6	भू अभिलेख नियमावली के अनुच्छेंद 328 में दिये निर्देशानुसार स्थिति का पाक्षिक प्रतिवेदन सहायता, विभाग को प्रस्तुत करेंगें। मौसम के आरम्भ में वर्षा की प्रगति, और कृषि कार्यों का अन्वेक्षण जिला स्तरीय वेदरवाच ग्रुप करेगा	जिला कलक्टर
7	जिले के किसी भी भाग में संकट के प्रारंभिक संकेत दृष्टिगोचर होने लगें तो साप्ताहिक स्थिति, सहायता विभाग को प्रस्तुत की जावेगी।	जिला कलकटर

<u>लू</u>

बहुत अधिक समय तक गर्म वातावरण में रहने अथवा कार्य करने से मस्तिष्क की तापमान नियंत्रित करने की क्षमता से अधिक गर्मी होने के कारण लू लगती है।

गर्मी के प्रभाव (HEAT-Exhaustion)

सिर में दर्द, चकक्र आना, जी मिचलाना, उलटी, कमर में दर्द, शक्तिहीनता, मूर्छित हो जाना, चमडी पीली, ठण्डी व गीली व चिपचिपी होना। शरीर का तापमान सामान्य से कम अथवा अधिक हो जाना। सांस की गति तेज व सांस छिछली होना। नाडी की गति तेज व दबाव कम होना।

लू लगना (HEAT Stroke)

लू की स्थिति अचानक उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में सिर में दर्द उलटी व व्यक्ति मूर्छित हो सकता है। चमडी लाल व गर्म हो जाती है। शरीर का तापमान 107 डिग्री फारेनहाईट या उससे अधिक हो जाता है।

गर्मी एवं लू से बचाव ही उपाय है। सूर्य की तेज धूप मे घूमने से बचें भोजन करके बाहर निकलें, खाली पेट धूप मे न जायें, गर्म वातावरण में अधिक देर तक रहने व कठिन कार्य करने से बचें। सिर को ढक कर रखें । तरल पदार्थो का उपयोग करें। सुरक्षा के उपायो को ध्यान मे रखा जावे।

लू से बचाव हेतु पूर्व तैयारी

क्र.सं.	पूर्व तैयारी	उत्तरदायी अधिकारी
1	मौसम के बदलाव एंव दैनिक तापक्रम पिछले तीन वर्षों के औसत से ज्यादा होने पर चेतावनी एंव प्रतिदिन मौसम के बदलाव की उक्तानुसार तुलना करते हुये सूचना जिला प्रशासन को देना। (प्रभारी अधिकारी, आ0प्र0एंव सहा0/पीआरओ भरतपुर)	निदेशक, सरसों अनुसंधान केन्द्र, सेवर
2	जनसाधारण को गर्मी के संभावित कुप्रभावो की जानकारी देने व विभिन्न संचार माध्यमो के द्वारा सावधानियों क्या करे क्या न करे के बारे में समय–समय पर सूचित कर सचेत करना।	अति. कलक्टर .(शहर) एवं पी.आर.ओ. भरतपुर
3	स्वास्थ्य सेवाओ से जुडी संस्थाओ को गर्मी में काम आने वाली दवायें व अन्य वस्तुयें उचित मात्रा में तुरन्त उपलब्ध करावें।	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ. भरतपुर
4	स्वास्थ्य कर्मचारी गर्मी से प्रभावित लोगो के निदान के प्रति सचेत रहें।	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ. भरतपुर
5	कार्य व समय का पुनः निर्धारण	जिला प्रशासन
6	गर्मी में दोपहर के समय होने वाले जन साधारण के समारोह तथा कार्यक्रमों पर रोक लगाऐं।	समस्त उपखण्डाधिकारी, भरतपुर
7	चल चिकित्सालय, पुलिस, शमन सेवाऐं व एम्बुलेन्स इत्यादि तैयार रखें।	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ. / एस.पी., भरतपुर
8	मजदूरी करने वालो के कार्य करने का समय सुबह व शाम रखें।	सी.ई.ओ. जिला परिषद/ सार्वजनिक निमार्ण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग/ सिंचाई/विद्युत/नगर निगम

		⁄नगरपालिकायें⁄वनविभाग भरतपुर
9	निजी क्षेत्र मे कार्यरत स्वास्थ्य संस्थानों⁄गैर सरकार संस्थाओ इत्यादि के सहयोग से लोगों को शिक्षित करना व उनमें चेतना लाना।	पी.एम.ओ.⁄सी.एम.एण्ड.एच.ओ. भरतपुर
10	दीर्घकालीन उपाय शहरो, कस्बो व गॉवो मे सडक के किनारों पर छायादार पेड लगाने का व्यापक अभियान व जगह–जगह पानी पिलाने के लिए प्याऊ खोलें।	नगरपरिषद⁄नगरपालिकायें⁄ सीईओ जिला परिषद⁄सा.नि.वि. ⁄वन विभाग, भरतपुर
11	जगह–जगह शेल्टर एंव शेड बनाने के लिये	पीएचईडी
12	शेडयुक्त बस स्टॉप एंव गर्मी से प्रभावित मरीजों को नजदीकी चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन व्यवस्था⁄ प्याऊ की व्यवस्था।	परिवहन विभाग

13	धार्मिक स्थलों में कूलर/पंखों एंव शीतल पेयजल की व्यवस्था।	देवस्थान विभाग/वक्फ बोर्ड
14	मौसम के अनुसार ग्रीष्मावकाश एंव स्कूलों का समय निर्धारित करना।	जिला कलक्टर एंव शिक्षा विभाग

शीत लहर

मौसम में होने वाले अचानक परिवर्तन के प्रति सजग रहें। सावधानियॉ बरते, संचार माध्यमो से मौसम की जानकारी लेते रहें, कपडे कई परतो में पहने, सिर ढक कर रहें, पशुओ को शेड आदि में रखें।

प्रशासन द्वारा की जाने वाली पूर्व तैयारी

क्र.सं.	पूर्व तैयारी	उत्तरदायी अधिकारी
1	तापक्रम के गिरावट के पूर्वानुमान की सूचना जिला प्रशासन को प्रतिदिन देना। (जिला कलक्टर एंव पीआरओ)	निदेशक, सरसों अनुसंधान केन्द्र, भरतपुर
2	मौसम के अनुसार शीतकालीन अवकाश व स्कूलों का समय निर्धारित करना।	जिला कलक्टर एंव शिक्षा विभाग
3	गरीब जरूरत मन्द व बेघर लोगो को जिनके शीतलहर से पीडित होने का खतरा होता है। उनको रैन बसेरे के रूप मे शरण स्थल उपलब्ध कराना।	नगर निगम व नगर पालिकाये, जिला भरतपुर
4	खुले स्थान पर बेसहारा लोगो को कम्बल आदि के वितरण हेतु स्वंय सेवी संस्थाओ को प्रेरित करने का कार्य एवं व्यवस्था।	जिला कलक्टर, भरतपुर
5	विभिन्न जन संचार माध्यमो द्वारा जनसाधारण तक समय–समय पर क्या करें क्या न करें की जानकारी देने का कार्य।	जिला सूचना जनसम्पर्क अधिकारी, भरतपुर
6	भ्रमण शील इकाई गश्त पर लगाई जावे, जो लोगो को आवश्यक सहायता प्रदान कर सके।	अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन/डी.एस.ओ. भरतपुर
7	जनसाधारण को अध्यापकों, छात्रों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, ग्राम पंचायत एंव स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से शीत के दुष्प्रभावों व बचने के उपाय के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देकर जागरूकता अभियान चलाना।	चिकित्सा/शिक्षा/पंचायती राज विभाग/स्वयंसेवी संस्थायें
8	रैन बसेरों में उपचार व्यवस्था करना।	पीएमओ एंव सीएमएचओ
9	शेडयुक्त बस स्टॉप एंव सर्दी से प्रभावित मरीजों को नजदीकी चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन व्यवस्था।	परिवहन विभाग

बिजली का गिरना

क्र.सं.	पूर्व तैयारी	उत्तरदायी अधिकारी
1	घटना की सूचना भिजवाना	पुलिस
2	आकाशीय बिजली से हुए घायल पशु एवं मानवो की चिकित्सा व्यवस्था।	उपनिदेशक पशुपालन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
3	आकाशीय बिजली गिरने से मृतकों के परिजनो को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	एस.डी.ओ. /तहसीलदार

4	मृत पशुओं का निस्तारण एवं बीमा हेतु प्रोत्साहित करना।	उपनिदेशक पशुपालन, नगर निगम, नगर पालिकायें,

5	टूटी हुई विद्युत लाईन एवं टेलीफोन लाईन की पुर्नस्थापना।	अधीक्षण अभियन्ता, जी.वी.वी.एन.एल. /महाप्रबंधक बी.एस.एन.एल

भूकम्प निवारक उपाय

भूकम्प से मकानो में क्षति न हो अथवा कम क्षति हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत अभियन्ताओ एवं विशेषज्ञो की देखरेख में भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण किया जावे। बने हुए भवनो में भी भूकम्प प्रतिरोधी तकनीक से सुधार किया जावे।

घर के अंदर या घर के बाहर जहॉ पर आप ज्यादा समय गुजारते हैं, सुरक्षित स्थान देख लें। भूकम्प के समय जितनी कम दूरी आपको तय करनी पडेगी उतने ही सुरक्षित आप होगें। भूकम्प कहीं भी किसी भी समय आ सकता है इसके लिए तैयार रहें।
बच्चो को भी स्कूल के अंदर या आसपास सुरक्षित स्थानो के बारे में अवगत करायें ताकि भूकम्प के समय वे सुरक्षित स्थान पर जा सके।

ज्वलनशील पदार्थो को सुरक्षित बक्से में रखें। आपातकाल के लिये आवश्यक भोजन, प्राथमिक चिकित्सा उपचार, दवाईयॉ आदि सुरक्षित स्थानो पर रखें। परिवारो के सभी सदस्यो को आपदा से निपटने के लिये प्रशिक्षित किया जावे।

भूकम्प की पूर्व तैयारी

क्र. सं.	पूर्व तैयारी	उत्तरदायी अधिकारी
1	भूकम्प की सूचना/पूर्वानुमान की सूचना से जिला प्रशासन को अवगत कराना।	निदेशक, सरसों अनुसंधान केन्द्र, भरतपुर
2	विभिन्न प्रकार के भवन आदि के निर्माण और डिजाइन संबंधी संहिता को लागू करना	नगर सुधार न्यास/ नगरपरिषद /सा. नि.वि./ सिंचाई विभाग/राजस्थान आवासन मण्डल/ जिला परिषद अन्य सभी कार्यकारी एजेन्सी, भरतपुर
3	भूकम्प इंजीनिरयरिंग के सिद्धान्त व संहिता के प्रयोग के लिये वास्तुकार एवं इंजीनियर को प्रशिक्षण देना।	अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. भरतपुर
4	पहले से बने हुए मकान आदि के सुदृढता का विकास करना।	नगर सुधार न्यास/ नगरपरिषद /सा. नि.वि./सिंचाई विभाग/राजस्थान आवासन मण्डल/जिला परिषद अन्य सभी कार्यकारी एजेन्सी, भरतपुर
5	भवनो के निमार्ण एवं पुर्नद्धार एवं सम्भावित नुकसान को कम करने के लिये भूकम्प संबंधी बीमा करवाना।	समस्त कार्यकारी एजेन्सी एवं बीमा कम्पनियां भरतपुर
6	भूकम्प प्रभावित क्षेत्रो में जोखिम का आंकलन कर भूकम्प से सुरक्षा सावधानियॉ जानकारियॉ उपलब्ध कराना, जन जाग्रति पैदा कराना,	जिला सॉख्यिकी अधिकारी/पी.आर.ओ. भरतपुर
7	भूकम्प प्रतिरोधी मकान बनाने संबंधी सरल तकनीक की प्रर्दशनियां लगाना, भूकम्प	अधीक्षण अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी.

	प्रतिरोधी मकानो के नमूनो का प्रदर्शन,	
8	कारीगरों को भवन निमार्ण मे भूकम्प प्रतिरोधी तकनीक अपनाने का प्रशिक्षण देना।	अधीक्षण अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी.

अग्निकाण्ड से पूर्व तैयारी

क्र. सं.	पूर्व तैयारी	उत्तरदायी अधिकारी
1	तहसील मुख्यालय से संबंधित ग्राम की दूरी तथा वहां से तहसील पहुंचने के समय का आंकलन रास्तों की स्थिति आदि की सूचना तथा अग्नि शमन वाहन के लिए रास्ते आदि की उचित व्यवस्था	स्थानीय सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी
2	सार्वजनिक व निजी जल स्रोतों की उपलब्धता	सरपंच, सचिव, जलदाय विभाग का स्थानीय प्रभारी
3	स्वयं सेवको की सूची तहसीलदार को उपलब्ध कराना	पटवारी
4	ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध अग्नि शमन संसाधन तैयार रखना	सरपंच, सचिव
5	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्कूल/सार्वजनिक भवन का चिन्हीकरण	सचिव, पटवारी, शाला का प्रधानाध्यापक
6	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य संसाधनों को तैयार रखना	सचिव, पटवारी, शाला का प्रधानाध्यापक

विलेज फायर की सूचना

क्र. सं.	पूर्व तैयारी	उत्तरदायी अधिकारी
1	गांव में आग लगने की सूचना निकट तहसील, उप तहसील मुख्यालय तथा पुलिस स्टेशन को देना	पटवारी, सचिव
2	स्थानीय संसाधनों से अग्नि बुझाने का तात्कालिक प्राथमिक कार्य	ग्राम सेवक, सरपंच, स्थानीय पाठशाला का प्रधानाध्यापक एवं पटवारी

विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं हेतु उनके घटित होने के सम्भावित समय से पूर्व संबंधित एडवाईजरी जारी कर जन सम्पर्क कार्यालय के माध्यम से आम जनता को जागरूक करना।

किसी भी आपदा की पूर्व चेतावनी के लिये जिला/तहसील मुख्यालय पर कलक्ट्रेट, भरतपुर में 24 X 7 ई.ओ.सी. स्थापित है।

स्वयंसेवी संस्थायें, जिनसे आपदा के दौरान सहायता प्राप्त की जा सकती है

क्र.सं.	नाम स्वंयसेवी संस्था	पदाधिकारी	मोबाईल नम्बर
1	अपना घर	डॉ0 बी0एम0भारद्वाज	9950737673 9414023049

2	ल्यूपिन फाउण्डेशन	श्री सीताराम गुप्ता	9414023271
3	लॉयन्स क्लब पैराडाईज	श्री मोहन चतुर्वेदी	9414023063
4	रैडक्रास सोसायटी	श्री पवन खण्डेलवाल	9414023859

अध्याय – 6

क्षमता, निर्माण एंव प्रशिक्षण उपाय

1. जिले में जिला त्वरित अनुक्रिया दल के रूप में नागरिक सुरक्षा, भरतपुर में 142 स्वयंसेवक चिन्हित हैं, जो प्रशिक्षित/आपदा प्रबन्धन में दक्ष हैं, जिनमें से 17 तैराक/गोताखोर, 20 चालक हैं।
2. इसी प्रकार 1035 होमगार्ड्स हैं, जो कि अलग–अलग ट्रेडों में दक्ष हैं, जिनको भी किसी भी आपदा में योगदान लिया जा सकता है।
3. नागरिक सुरक्षा द्वारा वर्ष में 2 बार विभिन्न आपदाओं के सम्बन्ध में मॉक ड्रिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त तेल कम्पनियां यथा आईओसी/बीपीसी/एचपीसी के द्वारा भी समय–समय पर मॉक ड्रिल किया जाता है।
4. किसी भी आपदा की स्थिति में अनुक्रिया करने वाले सबसे पहले स्थानीय लोग होते हैं। आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में स्थानीय लोगों को शिक्षित करने हेतु विद्यालय स्तर पर भी विद्यालय आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जा रही है, जिसमें विद्यालय के अध्यापकों एंव बच्चों के साथ–साथ अभिभावक एंव स्थानीय लोगों को भी विद्यालय स्तर पर गठित समिति में शामिल किया गया है।
5. विभिन्न आपदाओं से निबटने के लिय प्रशिक्षित गृह रक्षा स्वयंसेवकों की सूची निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	नाम स्वंय सेवक	बैल्ट नं0	निवास का पता	मो. नम्बर
1.	श्री प्रेम चन्द	27	जसवन्त नगर, भरतपुर	9667205848
2.	श्री दलवीर सिंह	30	सूरजपोल, भरतपुर	9950038142
3.	श्री भानू	38	गांधी नगर, भरतपुर	9549010335
4.	श्री बलवीर सिंह	43	गिराई लाइन, भरतपुर	9887787015
5.	श्री प्रदीप कुमार	48	गिराई लाइन, भरतपुर	9610652992
6.	श्री पीयूष शर्मा	49	रोज विला, भरतपुर	8947943802
7.	श्री प्रद्युमन	55	मडरपुर रोड, भरतपुर	9782683182
8.	श्री हरीकान्त	85	धौरमुई, भरतपुर	9875093714
9	श्री आविद खान	86	अल्लादीन का नगला	8107926786
10	श्री निहाल सिंह	106	जिरोली	9829514968
11	श्री जाकिर हुसैन	124	सूरजपोल, भरतपुर	9613685018
12	श्री महेन्द्र सिंह	128	पक्का बाग, भरतपुर	843783513
13	श्री पुष्पेन्द्र सिंह	131	नीमदागेट, भरतपुर	8741829898
14	श्री देवेन्द्र प्रसाद	142	जघीना गेट, भरतपुर	8824850995
15	श्रीकान्त	158	गिराई लाइन, भरतपुर	8233323366
16	श्री रोहतास	165	बछामदी	9460493053
17	श्री प्रदीप कुमार	200	नबाव गली, मथुरा गेट	9414584092
18	श्री नरेन्द्र सिंह	222	बीनारायण गेट, भरतपुर	8857980520
19	श्री नरेन्द्र कुमार	318	सूरजपोल, भरतपुर	9828863919
20	श्री गम्भीर सिंह	455	महुआ	9636325981
21	श्री मुकेश कुमार	483	जवाहर नगर भरतपुर	9887196602
22	श्री निहाल सिंह	491	तिलक नगर, भरतपुर	9828556674
23	श्री रामप्रकाश	494	मथुरागेट, भरतपुर	9649429994
24	श्री वीरीसिंह	502	कूॅम्हा	9636255370
25	श्री ताराचन्द	508	महुआ	7898812147
26	श्री भूपेन्द्र सिंह	610	महुआ	9783465684

27	श्री करतार सिंह	613	महुआ	9785651154
28	श्री भागीरथ	614	महुआ	7898812147
29	श्री अजय कुमार	617	मथुरा गेट, भरतपुर	9413238485
30	श्री दिलीप शर्मा	622	सोगर	9782634625
31	श्री सोनू कुमार	625	मथुरा गेट, भरतपुर	9785651154
32	श्री घनश्याम	626	सोगर	9660160910
33	श्री रामफूल	650	सी 43 इन्द्रानगर, भरतपुर	9882614619
34	श्री मुरारी लाल	652	महाराजसर	8560999803
35	श्री विजय सिंह	653	जघीना	8696108368
36	श्री संजय सिंह	663	जघीना	9414902782
37	श्री सूरजभान	666	बरसो	9772346492
38	श्री देवीसिंह	667	बरसो	7891359576
39	श्री गजेन्द्र सिंह	668	बरसो	9636955848
40	श्री देवेन्द्र सिंह	673	जघीना	9166652907
41	श्री जोगेन्द्र सिंह	680	धौरमुई, भरतपुर	9460181824
42	श्री अनिल कुमार	683	गोपालगढ, भरतपुर	7742791633
43	श्री ओमप्रकाश	717	हथैनी	9672823812
44	श्री रामभरोसी	727	जिरोली	9694227656
45	श्री भरतसिंह	734	घसौला	9694447221

<u>साधारण तैराक नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवकों की सूची</u>

क्र. सं.	तैराक का नाम	सदस्य संख्या	पता	मो. नम्बर
1	श्री भूपेन्द्र	35	गोलपुरा पो0 मुरवारा, भरतपुर	9929463526
2	श्री भरत सिंह	44	गोलपुरा पो0 मुरवारा, भरतपुर	9649442783
3	श्री मानिक चन्द	94	विजय नगर कॉलोनी, भरतपुर	8740876944
4	श्री लेखराज	95	विजय नगर कॉलोनी, भरतपुर	8058809151
5	श्री प्रीतम सिंह	114	बीनारायण गेट, छोंकरा वाली बाखर, भरतपुर	9549764296
6	श्री सुखवीर सिंह	160	नगला पूठिया पो0 ऊँदरा, भरतपुर	9521357063
7	श्री बच्चू सिंह	175	चन्द्रशेखर स्कूल के सामने तिलक नगर, भरतपुर	9887378274
8	श्री वीरेन्द्र सिंह	190	नोह, वार्ड नं. 40, भरतपुर	8963891179
9	श्री राकेश सैनी	207	बीनारायण गेट, छोंकरा वाली बाखर, भरतपुर	9887471293
10	श्री शशिकान्त	220	म.नं. 67 खादी कॉलोनी, जवाहर नगर, भरतपुर	8561999004
11	श्री भागमल	229	गावं व पोस्ट मलाह, भरतपुर	7891087057
12	श्री सुन्दर सिंह	234	जवाहर नगर, भरतपुर	8104368660
13	श्री विजय शंकर	257	सहयोग नगर, भरतपुर	9784901515
14	श्री हरीश चन्द	504	इन्द्रा नगर कॉलोनी, भरतपुर	8875239347
15	श्री तेजवीर	514	इन्द्रा नगर कॉलोनी, भरतपुर	9785889942

अध्याय – 7

उत्तरदायी एंव सहायता के उपाय

1. आपदा प्रबन्धन हेतु पूर्व चेतावनी एंव संचार व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर, त्वरित कार्यवाही किये जाने के लिये अध्याय 4 में उत्तरदायी विभागों को दायित्व सोंपा गया है।
2. किसी भी आपदा की पूर्व चेतावनी के लिये जिला मुख्यालय पर कलक्ट्रेट, भरतपुर में 24 X 7 ई.ओ.सी. स्थापित है, जिसका दूरभाष नम्बर 05644–220320 है व इसी प्रकार तहसील मुख्यालय पर भी ई.ओ.सी. स्थापित है।

अध्याय – 8

पुनर्निर्माण, पुनर्वास व राहत उपाय

आपदा पश्चात् आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के नौर्म्स अनुसार पुनर्वास एंव पुनर्निर्माण का कार्य संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है।

मानसून के पश्चात् दायित्व

क्र.सं.	संबंधित अधिकारी	मानसून के बाद दायित्व
1	जिला कलक्टर भरतपुर	सभी विभागो से बाढ से हुई क्षति की सूचना से सरकार को सूचित करना, सभी विभागो की मांनिटरिंग कर क्षति ग्रस्त कार्यो की मरम्मत सुनिश्चित कराना।
2	अधीक्षण अभियन्ता जलसंसाधन, भरतपुर	बाढ क्षतिग्रस्त कार्यो का निरीक्षण कर हुई क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट जिला कलक्टर के माध्यम से राहत विभाग, राजस्थान सरकार को भेजना, सहायता की स्वीकृति पर क्षतिग्रस्त कार्यो की मरम्मत करना तथा निचले क्षेत्रो में भरे पानी को निकालने की व्यवस्था करना।
3	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक विभाग, भरतपुर	बाढ क्षतिग्रस्त मार्गो का निरीक्षण कर हुई क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट जिला कलक्टर के माध्यम से राहत विभाग जयपुर को भेजना तथा बाद स्वीकृति कार्यो की मरम्मत करना।
4	मण्डल /जोन अधिकारी, रेल्वे विभाग	क्षतिग्रस्त रेलमार्गो कार्यो की मरम्मत करना।
5	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	पेयजल आपूर्ति बहाल करना तथा क्षतिग्रस्त कार्यो की क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा बाद स्वीकृति मरम्मत कराया जाना।
6	चिकित्सा विभाग	बाढ के बाद फैलने वाली बीमारियो की रोकथाम सुनिश्चित करना।
7	अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग	विद्युत आपूर्ति बहाल करना तथा क्षतिग्रस्त लाइनो की त्वरित मरम्मत करना।
8	पशुपालन विभाग	बाढ उपरान्त फैलने वाली बीमारियो की रोकथाम करना तथा चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करना।
9	रसद विभाग	प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुए एवं खाद्य सामग्री की सप्लाई बनाये रखना।
10	आयुक्त नगर निगम, नगर सुधार न्यास, भरतपुर	क्षतिग्रस्त जल निकास प्रणाली की त्वरित मरम्मत करना तथा निचले क्षेत्रो में भरे पानी को निकालना।

अकाल के बाद कार्यवाही

राहत कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण किया जावेगा। अकाल के दौरान परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण और पर्यवेक्षण किया जावेगा। अपूर्ण कार्यो को पूर्ण किया जावेगा। कृषि पर आधारित श्रमिकों को औद्योगिक सेवा के माध्यम से रोजगार दिलाया जायेगा। पेयजल के लिये स्थाई योजनाये बनाकर उन्हे क्रियान्वित किया जायेगा।

चक्रवात की स्थिति में प्रशासनिक दायित्व

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	चक्रवात की सूचना/मौसम के बदलाव की स्थिति से/ अलर्ट जारी करने की सूचना जिला प्रशासन को देना एंव प्रतिदिन जिला प्रशासन, जिला कलक्टर एंव पी.आर.ओ. को	निदेशक, सरसों अनुसंधान केन्द्र, सेवर

	अवगत कराना।	
2	चक्रवात क्षेत्र में हॉनि का आंकलन करना, हॉनि के अनुसार राजस्व लगान में छूट प्रदान करना, पीडितो को आर्थिक मदद, राहत सामग्री का वितरण, नागरिक समितियों की बैठक करना।	एस.डी.एम / तहसीलदार
3	प्रभावित क्षेत्रो में पशुधन की लाशों का डिस्पोजल, सफाई व्यवस्था, एमएलओ / फाकिंग मशीन द्वारा दवाई का छिडकाव।	आयुक्त नगर निगम / ईओ नगर पालिका
4	कम्यूनिकेशन, कानून व्यवस्था	पुलिस अधीक्षक
5	कारकस डिस्पोजल, जानवरो के लिए इलाज, संभावित आपदा से होने वाली पशु हानि से बचने हेतु पशुधन बीमा हेतु जनता को प्रोत्साहित करना।	उप निदेशक पशुपालन विभाग
6	हानि के फलस्वरूप रिजर्व खाद्य सामग्री की व्यवस्था, खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना	डी.एस.ओ.
7	प्रभावित विद्युत लाईनो का रेस्टोरेशन	अधीक्षण अभियंता, जेवीवीएनएल
8	संचार व्यवस्था का रेस्टोरेशन	उप महाप्रबन्धक, बीएसएनएल
9	विशेष बुलेटिन जारी करना, सही सूचना का प्रकाशन, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रकाशन	पी.आर.ओ.
10	अनाज का आरक्षित स्टॉक उपलब्ध रखना, आवश्यकता पढने पर प्रभावित क्षेत्रो के लिए प्रशासन की मांग पर उसे जारी करना। आगामी फसलों के उन्नत किस्म के बीजो की व्यवस्था।	मैनेजर एफ.सी.आई / वेयर हाउस
11	फसल व नुकसान का सही आंकलन एवं चिन्हीकरण, फसलो के बीमा हेतु किसानो को प्रोत्साहित करना।	उप निदेशक कृषि विभाग
12	वित्तीय संस्थाओ यथा–ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, को – ऑपरेटिव बैंक द्वारा प्रभावित नागरिकों हेतु उचित दर पर ऋण की व्यवस्था।	जिले के समस्त वित्तीय संस्थान

बादल फटने की स्थिति में प्रशासनिक दायित्व

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	मौसम के पूर्वानुमान की सूचना से जिला प्रशासन, जिला कलक्टर एंव पी.आर.ओ. को अवगत कराना।	निदेशक, सरसों अनुसंधान केन्द्र, सेवर
2	सूचनाओ का आदान–प्रदान, कानून व्यवस्था	जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर
3	रेस्टोरेशन वर्क, सुरक्षित स्थानों पर आवश्यकतानुसार रोड कट करना, वैकल्पिक रास्तों का निमार्ण, ड्रम बोट्स बनाना, सुरक्षित स्थानो का चिन्हीकरण, बचाव साधनो की व्यवस्था।	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, भरतपुर
4	नाला, नाली सफाई डीवाटरिंग की व्यवस्था, पेयजल सफाई, रोशनी आदि कार्य।	नगर परिषद, भरतपुर नगर पालिकायें समस्त जिला भरतपुर
5	पानी निकासी के लिये पम्प सेटों की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था	अधीक्षण अभियन्ता पी.एच.ई.डी. भरतपुर
6	पशुओ का टीकाकरण	उपनिदेशक, पशुपालन
7	अतिवृष्टी से प्रभावित क्षेत्रो में हुई हानि का आंकलन कर जिला कलक्टर को भिजवाना, पीडितो को राहत सामग्री वितरण एवं आर्थिक मदद उपलब्ध कराना।	उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार
8	अनाज का स्टॉक उपलब्ध रखना, प्रशासन की मांग पर	जिला रसद अधिकारी

	अनाज जारी करना।	
9	फसल में हुए हानि का आंकलन, बीज खाद, कीटनाशक की व्यवस्था कृषि बीमा योजना हेतु किसानो को प्रोत्साहित करना।	उप निदेशक, कृषि
10	उचित दर पर ऋण उपलब्ध कराना,	ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक

11	क्षतिग्रस्त विद्युत लाईनों / टेलीफोन लाईनों की पुर्नस्थापना	अधीक्षण अभियन्ता जी.वी.वी.एन.एल. उपमाह प्रबंधन बी.एस.एन.एल
12	अतिवृष्टि / बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अध्यापकों एंव छात्रों / स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं / ग्राम पंचायत के माध्यम से पेयजल एंव मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी देकर जनसाधारण को जागरूक करना। (उक्त बीमारियों से बचाव ही उपाय है)	शिक्षा विभाग / चिकित्सा विभाग / ग्राम पंचायत

<u>लू (HEAT Stroke) जिला प्रशासन की जिम्मेदारियॉ</u>

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	मौसम के बदलाव एंव दैनिक तापक्रम पिछले तीन वर्षों के औसत से ज्यादा होने पर चेतावनी एंव प्रतिदिन मौसम के बदलाव की उक्तानुसार तुलना करते हुये सूचना जिला प्रशासन को देना। (प्रभारी अधिकारी, आ0प्र0एंव सहा0 / पीआरओ भरतपुर)	निदेशक, सरसों अनुसंधान केन्द्र, सेवर
2	जनसाधारण को गर्मी के संभावित कुप्रभावो की जानकारी देने व विभिन्न संचार माध्यमो के द्वारा सावधानियों क्या करे क्या न करे के बारे में समय–समय पर सूचित कर सचेत करना।	अति. कलक्टर .(शहर) एवं पी.आर.ओ. भरतपुर
3	स्वास्थ्य सेवाओ से जुडी संस्थाओ को गर्मी में काम आने वाली दवायें व अन्य वस्तुयें उचित मात्रा में तुरन्त उपलब्ध करावें।	पी.एम.ओ. / सी.एम.एण्ड.एच.ओ. भरतपुर
4	स्वास्थ्य कर्मचारी गर्मी से प्रभावित लोगो के निदान के प्रति सचेत रहें।	पी.एम.ओ. / सी.एम.एण्ड.एच.ओ. भरतपुर
5	कार्य व समय का पुनः निर्धारण	जिला प्रशासन
6	गर्मी में दोपहर के समय होने वाले जन साधारण के समारोह तथा कार्यक्रमों पर रोक लगाऐं।	समस्त उपखण्डाधिकारी, भरतपुर
7	चल चिकित्सालय, पुलिस, शमन सेवाऐं व एम्बुलेन्स इत्यादि तैयार रखें।	पी.एम.ओ. / सी.एम.एण्ड.एच.ओ. / एस.पी., भरतपुर
8	मजदूरी करने वालो के कार्य करने का समय सुबह व शाम रखें।	सी.ई.ओ. जिला परिषद / सार्वजनिक निमार्ण विभाग / जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग / सिंचाई / विद्युत / नगर निगम / नगरपालिकायें / वनविभाग भरतपुर
9	निजी क्षेत्र मे कार्यरत स्वास्थ्य संस्थानों / गैर सरकार संस्थाओ इत्यादि के सहयोग से लोगों को शिक्षित करना व उनमें चेतना लाना।	पी.एम.ओ. / सी.एम.एण्ड.एच.ओ. भरतपुर
10	दीर्घकालीन उपाय शहरो, कस्बो व गॉवो मे सडक के किनारों पर छायादार पेड लगाने का व्यापक अभियान व जगह–जगह पानी पिलाने के लिए प्याऊ खोलें।	नगरपरिषद / नगरपालिकायें / सीईओ जिला परिषद / सा.नि.वि. / वन विभाग, भरतपुर
11	जगह–जगह शेल्टर एंव शेड बनाने के लिये	पीएचईडी
12	शेडयुक्त बस स्टॉप एंव गर्मी से प्रभावित मरीजों को नजदीकी चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन व्यवस्था / प्याऊ की व्यवस्था।	परिवहन विभाग

13	धार्मिक स्थलों में कूलर/पंखों एंव शीतल पेयजल की व्यवस्था।	देवस्थान विभाग/वक्फ बोर्ड

14	मौसम के अनुसार ग्रीष्मावकाश एंव स्कूलों का समय निर्धारित करना।	जिला कलक्टर एंव शिक्षा विभाग

शीत लहर की स्थिति में प्रशासन की जिम्मेदारियॉ

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	तापक्रम के गिरावट के पूर्वानुमान की सूचना जिला प्रशासन को प्रतिदिन देना। (जिला कलक्टर एंव पीआरओ)	निदेशक, सरसों अनुसंधान केन्द्र, भरतपुर
2	मौसम के अनुसार शीतकालीन अवकाश व स्कूलों का समय निर्धारित करना।	जिला कलक्टर एंव शिक्षा विभाग
3	गरीब जरूरत मन्द व बेघर लोगो को जिनके शीतलहर से पीडित होने का खतरा होता है। उनको रैन बसेरे के रूप मे शरण स्थल उपलब्ध कराना।	नगर निगम व नगर पालिकाये, जिला भरतपुर
4	खुले स्थान पर बेसहारा लोगो को कम्बल आदि के वितरण हेतु स्वंय सेवी संस्थाओ को प्रेरित करने का कार्य एवं व्यवस्था।	जिला कलक्टर, भरतपुर
5	विभिन्न जन संचार माध्यमो द्वारा जनसाधारण तक समय–समय पर क्या करें क्या न करें की जानकारी देने का कार्य।	जिला सूचना जनसम्पर्क अधिकारी, भरतपुर
6	भ्रमण शील इकाई गश्त पर लगाई जावे, जो लोगो को आवश्यक सहायता प्रदान कर सके।	अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन / डी. एस.ओ. भरतपुर
7	जनसाधारण को अध्यापकों, छात्रों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, ग्राम पंचायत एंव स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से शीत के दुष्प्रभावों व बचने के उपाय के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देकर जागरूकता अभियान चलाना।	चिकित्सा / शिक्षा / पंचायती राज विभाग / स्वयंसेवी संस्थायें
8	रैन बसेरों में उपचार व्यवस्था करना।	पीएमओ एंव सीएमएचओ
9	शेडयुक्त बस स्टॉप एंव सर्दी से प्रभावित मरीजों को नजदीकी चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन व्यवस्था।	परिवहन विभाग

ओलावृष्टि, पाला, ऑधियॉ, तूफान की स्थिति में प्रशासन की जिम्मेदारियॉ

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	ओलावृष्टि,पाला, आंधी, तूफान, प्रभावित क्षेत्रो में हानि का आंकलन करना, हानि के अनुसार राजस्व लगान में छूट प्रदान करना, पीडितो को आर्थिक मदद, राहत सामग्री का वितरण, नागरिक समितियों की बैठक करना।	एस.डी.एम / तहसीलदार
2	प्रभावित क्षेत्रो में पशुधन की लाशों का डिस्पोजल, सफाई व्यवस्था,	आयुक्त नगर परिषद /ईओ नगर पालिका
3	कम्यूनिकेशन, कानून व्यवस्था	जिला कलक्टर पुलिस अधीक्षक
4	कारकस डिस्पोजल, जानवरो के लिए ईलाज, संभावित आपदा से होने वाली पशु हॉनि से बचने हेतु पशुधन बीमा हेतु जनता को प्रोत्साहित करना।	उप निदेशक पशुपालन विभाग
5	हानि के फलस्वरूप रिजर्व खाद्य सामग्री की व्यवस्था, खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना	डी.एस.ओ.
6	प्रभावित विद्युत लाइनो का रेस्टोरेशन	अधीक्षण अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
7	संचार व्यवस्था का रेस्टोरेशन	उप महाप्रबन्धक, भारत संचार निगम

		लिमिटेड
8	विशेष बुलेटिन जारी करना, सही सूचना का प्रकाशन, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रकाशन	पी.आर.ओ.
9	अनाज का आरक्षित स्टॉक उपलब्ध रखना, आवश्यकता पर प्रभावित क्षेत्रो के लिए प्रशासन की मांग पर जारी करना। आगामी फसलो के उन्नत किस्म के बीजो की व्यवस्था।	एफ.सी.आई / वेयर हाउस
10	फसल व नुकसान का सही आंकलन एवं चिन्हीकरण, उन्नत बीज की व्यवस्था, लोगों का मनोबल, बढाना, कीटनाशक दवाओ की अतिरिक्त व्यवस्था। मृदा परीक्षण, किसानो को अधिक से अधिक पैदावारी की जानकारी हेतु डिमोस्ट्रेशन, फसलो के बीमा हेतु किसानो को प्रोत्साहित करना।	उप निदेशक कृषि विभाग
11	वित्तीय संस्थाओ यथा–ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, को – ऑपरेटिव बैंक द्वारा प्रभावित नागरिकों हेतु उचित दर पर ऋण की व्यवस्था।	वित्तीय संस्थान
12	शेडयुक्त बस स्टॉप एंव ओलावृष्टि से प्रभावित मरीजों को नजदीकी चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन व्यवस्था।	परिवहन विभाग
13	चिकित्सा व्यवस्था करना।	पीएमओ / सीएमएचओ

<u>बिजली का गिरने की स्थिति में प्रशासन की जिम्मेदारियॉ</u>

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	घटना की सूचना भिजवाना	पुलिस
2	आकाशीय बिजली से हुए घायल पशु एवं मानवो की चिकित्सा व्यवस्था।	उपनिदेशक पशुपालन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
3	आकाशीय बिजली गिरने से मृतकों के परिजनो को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	एस.डी.ओ. /तहसीलदार
4	मृत पशुओं का निस्तारण एवं बीमा हेतु प्रोत्साहित करना।	उपनिदेशक पशुपालन, नगर निगम, नगर पालिकायें,
5	टूटी हुई विद्युत लाईन एवं टेलीफोन लाईन की पुर्नस्थापना।	अधीक्षण अभियन्ता, जी.वी.वी.एन.एल. /महाप्रबंधक बी.एस.एन.एल

<u>भूकम्प की स्थिति में विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियॉ</u>

क्र.सं.	**कार्य**	**उत्तरदायी अधिकारी**
1	भूकम्प की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को देना।	निदेशक, सरसों अनुसंधान केन्द्र, भरतपुर
2	मौसम विभाग से भूकम्प की सूचना जिला कलक्टर, को प्राप्त होते ही उपखण्डाधिकारियो को सूचित करना	अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी, आ.प्र. एवं सहायता, भरतपुर
3	भूकम्प प्रभावित क्षेत्र के घेराबन्दी करने संबंधी प्रबंध।	पुलिस अधीक्षक,/स्टेशन कमाण्डर आर्मी, भरतपुर
4	भूकम्प प्रभावित स्थलो को खाली कराने का प्रबंध।	एस.डी.ओ./क्षेत्र के पुलिस अधिकारी
5	मृतक एवं जानवारो के कंकालो को एकत्रित कर निस्तारण की कार्यवाही। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना।	नगरपरिषद/नगरपालिकायें /ग्राम पंचायतें
6	चिकित्सा , भोजन, पानी की आपूर्ति, टेन्ट, मैटल की चद्दरे उपलब्ध कराना, अस्थाई शरण स्थलो का प्रबंध।	डी.एस.ओ. /सी.एम.एण्ड.एच.ओ. /पी.एम.ओ. /अधीक्षण अभियंता पी.एच.ई.डी. भरतपुर

7	परिवहन सबंधी संसाधनो को उपलब्ध कराना।	डी.टी.ओ. भरतपुर
8	भूकम्प से कितना नुकसान हुआ का आंकलन।	उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार
9	चोरी लूट, आदि की संभावनाओ को कम करने के लिये सैना व पैरा मिलिट्री की मदद।	पुलिस अधीक्षक स्टेशन / कमाण्डर आर्मी, भरतपुर

10	घायलों की चिकित्सा, महामारी से बचने के लिये टीकाकरण की व्यवस्था। मोबाईल चिकित्सा यूनिट का प्रबंध।	सी.एम.एण्ड.एच.ओ. / पी.एम.ओ.
11	राशन, कपडे,वर्तन आदि का वितरण।	डी.एस.ओ.
12	महिला और बच्चो के पुनर्वास आदि की व्यवस्थाा।	उपनिदेशक, आई.सी.डी.एस.
13	कृषि संबंधी पुनर्स्थापना, कृषको को बीज /फसल कटाई हेतु सहायता/खाद्य/औजार/कृषि उपकरण/ क्षति ग्रस्त पशुशालाओ का निर्माण/पशु शिविर/ पशुधन की निरोधक चिकित्सा।	उपनिदेशक, पशुपालन/ उपनिदेशक कृषि
14	शैक्षिक क्रियाकलापो का पुनर्जीवन	जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) I, II एवं प्राथमिक शिक्षा

<u>भूकम्प की स्थिति में पुनर्वास</u>

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	नये स्थानो पर विस्थापित व्यक्तियो का पुनर्वास	सा.नि.वि./राजस्थान आवासन मण्डल/नगर निगम/यू.आई.टी/ ग्राम पंचायतें।
2	नये स्थानों पर पुनर्वास होने तक अस्थाई आश्रयो की व्यवस्था।	सा.नि.वि./राजस्थान आवासन मण्डल/नगर निगम/यू.आई.टी/ ग्राम पंचायतें।
3	अनाथ बच्चो और विधवाओ का पुनर्वास	उपनिदेशक समाज कल्याण/उप निदेशक शिक्षा
4	सार्वजनिक सम्पतियो का पुनर्रूद्धार और पुनर्स्थापना	सा.नि.वि./राजस्थान आवासन मण्डल/ नगर निगम/यू.आई.टी./ग्राम पंचायतें।
5	निशुल्क/रियायती दर पर जैसा सरकार का निर्णय हो भवन निर्माण सामग्री की व्यवस्था।	एस.ई. पी.डब्ल्यू.डी. भरतपुर
6	रोजगार की व्यवस्था	कार्यकारी संस्थायें
7	कारीगरो का पुनर्वास	कार्यकारी संस्थायें
8	अभिघातोत्तर तनाव विकार के लिये परामर्श व्यवस्था	सी.एम.एण्ड.एच.ओ. /पी.एम.ओ./ स्वंय सेवी संगठन
9	अस्थाई शरणगृह	सा.नि.वि./राजस्थान आवासन मण्डल/नगर निगम/यू.आई.टी. /ग्राम पंचायतें।
10	विकलांग व अक्षम व्यक्तियो का पुनर्वास	उपनिदेशक समाज कल्याण

<u>खान में आग लगने पर</u> जिले में रासायनिक एवं ज्वलनशील पदार्थों, कोयला आदि की खाने नहीं हैं केवल पत्थर की खाने हैं इसीलिये खान में आग लगने की घटनायें नहीं होती हैं फिर भी इस तरह की घटना होने पर त्वरित कार्यवाही कर दी जावेगी।

<u>रसायनिक विपदा</u>

जिला भरतपुर में परमाणु एवं जैविक, रासायनिक हमले के समय अपनाई जाने वाली बचाव व मानक कार्यप्रणाली निम्नानुसार हैः—

1. जिले में सिविल डिफेन्स एवं होमगार्डस में 1025 जवान कार्यरत हैं, जिनकी नफरी जिला मुख्यालय पर 225 व देहात क्षेत्र में 800 है। होमगार्ड का दूरभाष नम्बर 05644—226295 है। ये जवान आवश्यकता पड़ने पर 2 घण्टे में उपलब्ध हो सकते हैं।

2. आतंकवादी जैविक व परमाणु हमले के दौरान एम्यूनिशन डिपो, धौरमुई–जघीना आयल डिपो, राजकीय चिकित्सालय, राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर स्थिति मोलौनी पुल, दिल्ली मुम्बई रेलमार्ग पर समोगर पुल, प्रशासनिक भवन (संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय), शहर के जल वितरण के प्रमुख श्रोत, बन्ध बारैठा तथा पेयजल (उच्च जलाशयों) आदि को अपना निशाना बना सकते हैं।
3. जैविक हमले के समय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिये जिला पुलिस के पास 161 वायरलैस सैट, वन विभाग के पास 5 वायरलैस सैट उपलब्ध है। जिनको आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है।
4. हमले के दौरान सहायता कैम्प लगाने के लिये नगर निगम भरतपुर, नगर सुधार न्यास, भरतपुर टेण्ट, जनरेटर आदि आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करेंगें।
5. जैविक हमले के समय भरतपुर रेलवे स्टेशन के पास भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में रखे गये अनाज की सुरक्षा का प्रबन्ध उपनिदेशक, कृषि भरतपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर की देखरेख में होगा।
6. जैविक हमले के दौरान परिवहन व्यवस्था हेतु 180 रोडवेज वाहन उपलब्ध हैं, 150 प्राइवेट बसें, जिला पूल के पास 14 वाहन व पुलिस के पास कुल 66 वाहन उपलब्ध हैं आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकेगा। आवश्यक वाहनों की व्यवस्था अति.जिला कलक्टर, शहर एवं जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर द्वारा की जावेगी।
7. जैविक हमले के दौरान विद्युत सप्लाई चालू रखने के लिये अधीक्षण अभियन्ता, जेवीवीएनएल, उत्तरदायी होंगे तथा विद्युत सप्लाई की रूकावट की स्थिति में जनरेटरों द्वारा विद्युत की सप्लाई व्यवस्था रखी जावेगी।
8. कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिये जिला मुख्यालय पर एक ई0आर0टी0 टीम गठित की हुई है जो आपात स्थिति से निपटने के लिये त्वरित कार्यवाही करेगी। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीमें गठित कर कानून व्यवस्था के लिये तत्परता से उपलब्ध रहेंगी जिससे आम जन को कोई परेशानी न हो व जनता में शान्ति व सौहार्द्र का वातावरण बना रहे।
9. जैविक हमले के दौरात राहत कैम्पों की सुरक्षा हेतु पुलिस की माकूल व्यवस्था होगी। चिकित्सा विभाग की टीमें चिकित्सा करेंगी एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाये व नगर परिषद की सहायता से खानपान की व्यवस्था की जावेगी।
10. हमले के दौरान फैलने वाली अफवाहों से निपटने के लिये तथा आतंकवादियों के सम्बन्ध में सूचना के संकलन हेतु सादा वस्त्रधारी पुलिस कर्मियों की तैनाती की जावेगी। आवश्यतानुसार अफवाह फैलाने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध निरोधात्मक
11. कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। अफवाहों व गलतफहमियों को दूर करने के लिये पुलिस वाहनो व नगर परिषद के वाहनों पर माइक लगाकर सम्वाद द्वारा, इलैक्ट्रानिक मीडिया द्वारा सावचेत रहने का प्रसारण किया जावेगा। जैविक हमलों से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को वहॉ से हटा कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जावेगा।
12. **अ.** सम्भावित हमले की स्थिति में जनता को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सिविल डिफेन्स, ट्रान्सपोर्ट आदि की सहायता ली जावेगी।

    ब. स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिये सतर्कता पूर्वक निगरानी गस्त व चैकिंग पुलिस द्वारा की जावेगी।

    स. सहायता केन्द्रो पर जनता के लिये प्राथमिक चिकित्सा सहायता, चलित अस्पताल, चिकित्सा स्टाफ व सहायता कर्मियों के साथ रहकर पीड़ितों की सहायता व सहयोग किया जावेगा।
13. जिला पुलिस की यातायात शाखा, प्रशासन के सहयोग से वैकल्पिक मार्गों को पूर्व से ही चिन्हित कर आवागमन को सुचारू रूप से चालू रखा जावेगा।
14. हमले के दौरान गम्भीर स्थिति से बचने के लिये समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित कर स्थिति को संतुलित किया जावेगा।
15. जिले के सभी थानाधिकारी जनता से बराबर सम्पर्क बनाये रखेगें व गस्त करेंगें तथा सी.एल.जी. की मीटिंग बुलाकर सूचनाओं का आदान प्रदान करेगें जिससे कि गम्भीर स्थिति को रोका जा सके।

औद्यौगिक विपदा उत्तरदायी विभाग/अधिकारी

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1	रिहायशी बस्तियों की योजना उद्योगों के पास नहीं बनाई जावे।	आयुक्त नगर निगम, सचिव नगर सुधार न्यास,
2	हानिकारक उद्योगों का चिन्हीकरण तथा आबादी से बाहर स्थानान्तरित करने की व्यवस्था	अति0 जिला कलक्टर , शहर, जी0एम0 डी0आई0सी, निरीक्षक वायलर, सम्बन्धित अधिकारी उपखण्डाधिकारी

3	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से सम्बन्धित नियमों की पालना	अति0 जिला कलक्टर , शहर, जी0एम0 डी0आई0सी, निरीक्षक वायलर, उपखण्डाधिकारी, श्रम अधिकारी
4	औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले हानिकारक पदार्थों के प्रभाव की जानकारी, प्रचारित करना कि दुर्घटना से किस प्रकार बचा जा सकता है	श्रम अधिकारी, पी0आर0ओ0
5	सुरक्षा उपायों की अनुपालना	श्रम विभाग

परमाणु विपदा

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1	परमाणु विस्फोट से निकलने वाली रेडियोधर्मिता के मानवजीवन, पशु–पक्षिओं व वनस्पतियों पर प्रभाव का आकलन करना तथा प्रभाव को कम करने के तत्कालीन उपाय	सीएमएण्डएचओ चिकित्सा विभाग, उप निदेशक कृषि विभाग, उप निदेशक पशुपालन विभाग, महारानी श्रीजया कालेज के सम्बन्धित प्रोफेसर
2	कम्पयूनिकेशन, सरुक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था,, बैरीकेटिंग व्यवस्था, अफवाओ का रोकना,	जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर
3	आस–पास के क्षेत्रो को खाली करवाने की कार्यवाही, कार्यवाही की उदद्घोषण, शरण स्थलो का प्रबंध, धन सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था की कार्यवाही, धन सम्पत्ति का अधिग्रहण व सुपुर्दगी की कार्यवाही	एस.डी.एम./तहसीलदार (समस्त) जिला भरतपुर
4	रेस्क्यू पार्टी की व्यवस्था, एम्बूलेंस की व्यवस्था, फर्स्टएड, कंट्रोल रूम का गठन एवं संबंधित सेवाओ को सूचना का प्रेषण।	सहायक कमाण्डेट होमगार्ड, भरतपुर
5	अतिरिक्त वाहनो की व्यवस्था करना, व प्रशासनिक मांग पर उपलब्ध कराना	जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर
6	कारकस डिस्पोजल, मृतको के दाह संस्कार की व्यवस्था, जनरेर्टस की व्यवस्था, शरण स्थलो की व्यवस्था, मलबा हटाना, फसे हुए लोगो को निकालना, पब्लिक एडरेस सिस्टम की व्यवस्था	आयुक्त नगर परिषद भरतपुर/ नगरपालिकायें जिला भरतपुर
7	एम्बूलेस व्यवस्था, मोबाईल टीम का गठन, पैरा मैडिकल स्टाफ की व्यवस्था, दवाओ का अतिरिक्त भण्डार, पृथक बाढ का सृजन इत्यादि।	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर
8	ट्रेक्टर, डम्फर व मजदूरो की व्यवस्था,	अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि., भरतपुर
9	शरण स्थलो व रास्तो में पाली का प्रबंध, जलापूर्ति रोकना व मरम्मत कार्य,	अधीक्षण अभियन्ता पी.एच.ई.डी. भरतपुर
10	विद्युत के प्रसारण की सुचारू व्यवस्था	अधीक्षण अभियंता जे.वी.वी.एन.एल. भरतपुर
11	रेस्टोरेशन कार्य	नगर सुधार न्यास, भरतपुर
12	टेलीफोन की व्यवस्था सुचारू करना तथा रेस्टोरेशन कार्य	जिला प्रबंधक दूरसंचार,भरतपुर
13	बचाव कार्य, प्रभावित क्षेत्रो की सुरक्षा एवं छानबीन, हॉस्पीटल सेवायें। महत्वपूर्ण प्रशासनिक विभागो के संचालन में मदद करना,	स्टेशन कमाण्डर, आर्मी हैड–क्वार्टर, सेवर /कमाण्डेट एम्यूनेशन डिपो, भरतपुर
14	घायलो का परिवहन, अस्पताल सेवायें	स्टेशन अधीक्षक, रेल्वे स्टेशन, भरतपुर
15	प्रशासन की मांग अनुसार, अतिरिक्त परिवहन	प्रबंधक राजस्थान परिवहन, निगम

	व्यवस्था, वैकल्कि मार्गो का चिन्हीकरण	लोहागढ,/भरतपुर डिपो, भरतपुर

अग्निकाण्ड की स्थिति में तत्काल की जाने वाली कार्यवाही

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों को मौके पर पहुचाने की कार्यवाही	तहसीलदार
2	दुर्घटना की सूचना जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को उपलब्ध कराना	तहसीलदार
3	उपलब्ध संसाधनों से अग्नि शमन की कार्यवाही सुनिश्चित करना	उपखण्डाधिकारी
4	घायल लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं गंभीर रूप से घायलों को उच्चीकृत चिकित्सालयों में रैफर कराना तथा चिकित्सकों एवं दवाइयों की व्यवस्था कराना	उपखण्डाधिकारी, ब्लाक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
5	अग्नि से हुई हानि का आंकलन कर रिपोर्ट जिला कलक्टर को उपलब्ध कराना	तहसीलदार
6	अग्नि दुर्घटना में पीडित परिवार जिनका सबकुछ नष्ट हो गया है, उनके भोजन, आवास आदि की व्यवस्था	तहसीलदार, उपखण्डाधिकारी
7	माह अप्रैल–जून में अग्नि से जलकर घायलों की स्थानीय चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सा एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना	उपखण्डाधिकारी, ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
8	सहायता राशि का वितरण	तहसीलदार

बम विस्फोट

आज के युग में दुनिया भर में आतंकवाद चरम सीमा पर है। आतंकवादियो द्वारा आतंक फैलाने के लिये आमतौर पर अपनाये जाने वाली प्रक्रिया, बम विस्फोट है। इस क्रिया का मुख्य उद्धेश्य लोगो में आतंक फैलाना, तथा जानमाल की हॉनि पहुँचाना है। ये विस्फोट अधिकतर ऐसे इलाको में किये जाते हैं। जहॉ अधिक लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। बम विस्फोट आर. डी. एक्स., सी.–3, सी.–4, पी.ई.के., डेटोनेटर आदि के हो सकते हैं।

बम विस्फोट होने के बाद के कार्य

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	कम्यूनिकेशन, सरुक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था,, बैरीकेटिंग व्यवस्था, बम्ब निरोधन दस्ते, खोजी कुत्तो का प्रबंध, अफवाओ का रोकना,	जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर
2	आस–पास के क्षेत्रो को खाली करवाने की कार्यवाही, कार्यवाही की उद्घोषण, शरण स्थलो का प्रबंध, धन सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था की कार्यवाही, धन सम्पत्ति का अधिग्रहण व सुपुर्दगी की कार्यवाही	एस.डी.एम. / तहसीलदार (समस्त) जिला भरतपुर
3	रेस्क्यू पार्टी की व्यवस्था, एम्बूलेंस की व्यवस्था, फर्स्टएड, कंट्रोल रूम का गठन एवं संबंधित सेवाओ को सूचना का प्रेषण।	स्हायक कमाण्डेट होमगार्ड, भरतपुर
4	अतिरिक्त वाहनो की व्यवस्था करना, व प्रशासनिक मांग पर उपलब्ध कराना	जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर
5	कारकस डिस्पोजल, मृतको के दाह संस्कार की व्यवस्था, जनरेर्टस की व्यवस्था, शरण स्थलो की व्यवस्था, मलबा हटाना, फसे हुए लोगो को निकालना, पब्लिक एडरेस सिस्टम की व्यवस्था	नगरपरिषद भरतपुर / नगरपालिकायें जिला भरतपुर
6	एम्बूलेस व्यवस्था, मोबाईल टीम का गठन, पैरा मैडिकल स्टाफ की व्यवस्था, दवाओ का अतिरिक्त भण्डार, पृथक बाढ का सृजन इत्यादि।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर
7	टूटे हुए मकानो की मरम्मत की व्यवस्था, मलवा हटाने की व्यवस्था, क्षतिग्रस्त इमारतो को तोडने की व्यवस्था, ट्रेक्टर, डम्फर व मजदूरो	अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि., भरतपुर

	की व्यवस्था,	
8	शरण स्थलो व रास्तो में नाली का प्रबंध, जलापूर्ति रोकना व मरम्मत कार्य	अधीक्षण अभियन्ता पी.एच.ई.डी. भरतपुर
9	विद्युत के संचार की सुचारू व्यवस्था	अधीक्षण अभियंता जे.वी.वी.एन.एल. भरतपुर
10	रेस्टोरेशन कार्य	नगर सुधार न्यास, भरतपुर
11	टेलीफोन की व्यवस्था सुचारू करना तथा रेस्टोरेशन कार्य	जिला प्रबंधन दूरसंचार,भरतपुर
12	बचाव कार्य, प्रभावित क्षेत्रो की सुरक्षा एवं छानबीन, हॉस्पीटल सेवायें। महत्वपूर्ण प्रशासनिक विभागो के संचालन में मदद करना,	स्टेशन कमाण्डर, आर्मी हेड क्वार्टर, सेवर/कमाण्डेट एम्यूनेशन डिपो, भरतपुर
13	घायलो का परिवहन, अस्पताल सेवायें	स्टेशन अधीक्षक, रेल्वे स्टेशन, भरतपुर
14	प्रशासन की मांग अनुसार, अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था, वेकल्कि मार्गो का चिन्हीकरण	प्रबंधक राजस्थान परिवहन, निगम लोहागढ,/भरतपुर डिपो, भरतपुर

<u>बम विस्फोट होने के बाद पुर्नवास</u>

अचानक हुए बम विस्फोट में काफी जन, धन की हॉनि होती है। ऐसी घटनाओ में मृतको के परिजनो के पुर्नवास की आवश्यकता होती है। पीड़ित परिवारो का पुर्नवास एवं तत्काल सहायता उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	बम विस्फोट में मृतक के परिजनो को तात्कालिक सहायता मुख्य मंत्री एवं प्रधान मंत्री राहत कोष से सहायता उपलब्ध कराना	(समस्त) तहसीलदार जिला भरतपुर

<u>रेल दुर्घटना</u>

<u>रेल्वे दिल्ली–बम्बई मार्ग वाया भरतपुर हेतु सहायता पहॅुचाने की व्यवस्था</u>

1–रारह सेवर के बीच तथा सेवर पर सहायता हेतु सामग्री और मशीने उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

2–सेवर से झीलकावाडा रेल्वे ट्रेक पर यदि घटना घटित होती है तो उच्चैन, पिंगौरा रोड से सहायता प्रदान की जा सकती है।

3–पिंगौरा से बयाना रेल्वे ट्रेक के बीच यदि दुर्घटना घटित होती है तो बयाना –पिंगौरा सडक मार्ग से पहॅुच कर सहायता पहॅुचाई जा सकती है। इसी तरह ट्रेक के दाईने ओर घटना घटित होती है एवं दायें ओर पहॅुचना हो तो भरतपुर से छोंकरवाडा, भुसावर, वैर होकर बयाना पहॅुच कर सहायता पहॅुचाई जा सकती है।

<u>रेल्वे आगरा–जयपुर मार्ग वाया भरतपुर हेतु सहायता पहॅुचाने की व्यवस्था</u>

1–यदि नदबई और भरतपुर के बीच दुर्घटना घटित होती है तो हेलक, पपरेरा, नदबई, सडक मार्ग के द्वारा सहायता उपलब्ध करावाई जा सकती है।

2–भरतपुर अछनेरा के बीच दुर्घटना होती है तो भरतपुर–चिकसाना सडक मार्ग के द्वारा सहायता उपलब्ध करावाई जा सकती है।

3–नदबई–खेडली के मध्य यदि घटना होती है तो नदबई खेडली सडक तथा इनसे गुजरने वाली लिंक सडको के माध्यम से राहत पहॅुचाई जा सकती है।

<u>रेल्वे आगरा–बयाना–सवाईमाधोपुर मार्ग हेतु सहायता पहॅुचाने की व्यवस्था</u>

1–यदि इस ट्रेक पर बन्धबारैठा, के बीच घटना घटित होती है तो बयाना धौलपुर सडक मार्ग से राहत पहॅुचाई जा सकती है।

2–यदि बयाना रूपबास के बीच घटना घटित होती है तो भरतपुर रूपबास सडक के द्वारा व लिंक सड़को से राहत पहॅुचाई जा सकती है।

सड़क दुर्घटना

भरतपुर जिले की प्रमुख सडकें, भरतपुर–डीग– नगर–अलवर रोड, भरतपुर–डीग–कामां –नन्द गॉव रोड, भरतपुर–मथुरा रोड, भरतपुर–जयपुर, भरतपुर–आगरा, भरतपुर–अछनेरा, भरतपुर–नदबई, भरतपुर–बयाना–हिण्डौन रोड, हैं उक्त सभी सडको पर यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो तकरीवन सभी सडको के पॉच से दस किलोमीटर दूरी पर गॉव मौजूद हैं जिनमें दूरभाष एवं वाहन सुविधा मौजूद है। निकटस्थ गांव के टेलीफोन से दुर्घटना की सूचना पास के पुलिस थाने एवं अस्पताल में पहॅुचाई जावे। जिले के पुलिस थानों और अस्पतालों के नम्बर, आपदा प्रबंधन योजना में उपलब्ध हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल के प्रभारी अधिकारी एम्बूलेंस, पैरा मैडिकल स्टॉफ, एवं उपचार हेतु आवश्यक दवाओ के साथ दुर्घटना स्थल रवाना हो जावेगें। इसी प्रकार दुर्घटना की सूचना मिलते ही थाने, चौकी प्रभारी, घटना स्थल पर पहॅुच कर घायलो को अस्पताल पहॅुचाने में मदद करेगें और कानूनी कार्यवाही पूरी करेगें। अतः ऐसी किसी दुर्घटना के घटित होते ही यदि कोई सूचना पुलिस जिला प्रशासन आपदा विभाग या जनसाधारण द्वारा प्राप्त होती है तो संबंधित विभाग तुरन्त घटना स्थल पर उपलब्ध संसाधनो सहित मदद हेतु पहॅुच जावेगा।

खान में बाढ़ आना व ढहना

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1	कम्यूनिकेशन, कानून व्यवस्था रिकवरी वेन, कम्फर क्रेन, गैस कटर, प्रभावित क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था	पुलिस विभाग
2	मोबाईल टीमो का गठन ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध रखना। घटना स्थल पर मैडिकल शिविर स्थापित करना, ऑक्सीजन सलेण्डर, एम्बूलेंस व भारी मात्रा में घायलों के परिवहन की व्यवस्था, हड्डी व मनोरोग विशेषज्ञो की अतिरिक्त व्यवस्था। मोस्टमार्टम व्यवस्था,	सी.एम.एण्ड.एच.ओ /पी.एम.ओ.
3	जनरेटर, पम्पसेट्स डीवाटरिंग व्यवस्था	जलदाय विभाग
4	जे.सी.वी. एल.एन.टी. क्रेन व अन्य बचाव संसाधनों की व्यवस्था	सार्वजनिक निर्माण विभाग
5	डीवाटरिंग पम्पसेट्स, ट्रेक्टर्स, जे.सी.वी. क्रेन रस्से ऑक्सीजन गेस सिलेण्डर, मास्क सहित डायवर्स की व्यवस्था करना	नगरपरिषद
6	अस्थाई टेलीफोन लाइनो की व्यवस्था महत्वूपर्ण लाईनो की व्यवस्था	टेलीफोन विभाग
7	एल.एन.टी.जे.सी.वी. कम्प्रेसर क्रेन डम्फर ट्रेक्टर्स, आदि की व्यवस्था साहसी काय र्कर्ताओ की व्यवस्था खनिज ठेकेदारों की सूची व क्षेत्र की जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना, खान में कार्यरत मजदूर व कर्मचारियो की बीमा की व्यवस्था।	खान विभाग
8	क्षेत्र में हुई हॉनि व जन हॉनि का आंकलन पीडितो को आर्थिक मदद राहत सामग्री की व्यवस्था सही सूचना का संग्रहण व प्रेषण	एस.डी.एम. व तहसीलदार
9	प्रशासनिक मांग के अनुसार परिवहन की वैकल्पिक व्यवस्था	परिवहन विभाग

मुख्य भवनो का ढहना

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1	बहुमंजिली इमारती क्षेत्रों में तथा शहर के अतिव्यस्त क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड में पानी के लिये हाइडेण्ट की समुचित व्यवस्था	आयुक्त, नगर परिषद,
2	सिनेमाहाल, प्रेक्षागृह, प्रदर्शनीहाल, स्कूल आदि के निरीक्षण वर्ष में दो बार	अति0कलक्टर, शहर,
3	बहुमंजिली इमारत के निर्माण में आई0एस0 कोड, एन0बी0ओ0 कोड की अनुपालना	आयुक्त नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, हाउसिंग बोर्ड
4	बहुमंजिली भवन, सॅकड़ी गलियों में नहीं बनाये जावें, जहॉ फायर ब्रिगेड नहीं पहॅुच सकती हों वहॉ बहुमंजिली भवनों की अनुमति किसी भी हालत में न दी जावे।	आयुक्त नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, हाउसिंग बोर्ड

5	बहुमंजिली भवनों में फायर फाइटिंग की व्यवस्था हेतु भवन मालिकों को पाबन्द करना तथा इस व्यवस्था के निरीक्षण करना	उपखण्ड अधिकारी, नगर सुधार न्यास, नगर परिषद

<u>महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने की योजना</u>

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1	आपात कालीन स्वास्थ्य सेवाओ की उपलब्धता निश्चित करना।	सी.एम.एण्ड एच.ओ., भरतपुर, पी.एम.ओ.,भरतपुर जिला अस्पताल एवं ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी

2	आवश्यक संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	सी.एम.एण्ड एच.ओ., भरतपुर व पी.एम.ओ.,भरतपुर
3	पूर्व चेतावनी तंत्र की स्थापना करना।	
4	आपात कालीन ऑपरेशन हेतु स्टॉफ को प्रशिक्षण देना।	
5	जन साधारण को प्रशिक्षित करना।	स्वास्थ्य कार्य कर्ता
6	स्थिति संबंधी मूल आंकडो की सूचनायें खतरे की तुरन्त सूचनाओ के संकेत।	सी.एम.एण्ड एच.ओ., भरतपुर व पी.एम.ओ.,भरतपुर
7	आर्थिक व सामाजिक प्रभावों का आंकलन।	जिला सॉख्यिकी अधिकारी, मैडिकल एडमिस्ट्रेशन और सी.पी.ओ. भरतपुर
8	मच्छर या जलजनित बीमारियों की रोकथाम में छात्रों एंव अध्यापकों/ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/ग्राम पंचायत के माध्यम से जनसाधारण को इन रोगों से बचाव के उपाय की जानकारी देकर सचेत/जागरूक करना।	शिक्षा/चिकित्सा विभाग/ग्राम पंचायत/स्वयंसेवी संस्थायें।
9	गांव में पानी के छोटे/बड़े गड्ढों में नरेगा के माध्यम से मिट्टी भरवाना ताकि पानी एकत्रित ना हो। साथ ही पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करना।	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर/ ग्राम पंचायत/पंचायत समिति
10	जलजनित बीमारियों की रोकथाम हेतु क्लोरीनेशन करवाना एंव शुद्ध पेयजल आपूर्ति करवाना।	पीएचईडी/स्थानीय प्रशासन तहसीलदार
11	महामारी को रोकने में स्थानीय जनता एंव प्रशासन द्वारा चिकित्सा विभाग को सहयोग देना।	पीएचईडी/शिक्षा/कृषि/पंचायत राज विभाग

टिड्डी दल आक्रमण

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1	टिड्डियों के प्रजनन क्षेत्र पर निगरानी	कृषि विभाग
2	टिड्डी आने की स्थिति में पूर्व चेतावनी से कृषको को अवगत कराना तथा ऐहतिहाती उपाय।	कृषि विभाग
3	टिड्डियों को दवाई छिड़क कर समाप्त करने की व्यवस्था	कृषि विभाग एवं जिला कलक्टर
4	टिड्डी द्वारा की गई हानि का आंकलन	तहसीलदार एवं उपखण्डाधिकारी
5	कानून व्यवस्था बनाये रखना	पुलिस विभाग
6	कृषकों को हुये नुकसान का अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था	तहसीलदार, उपखण्डाधिकारी एवं जिला कलक्टर

जानवरों की महामारी

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	बीमारी की सूचना का प्रसारण, पशु चिकित्सालय को निर्देश	एस.डी.एम.
2	क्षेत्र में शिविर लगाने की व्यवस्था, गौशाला आदि की व्यवस्था,मोबाइल टीमों का गठन, अतिरिक्त दवाओ की व्यवस्था, पोष्टिक आहार की व्यवस्था, हॉनि का आंकलन, पशु बीमा की सलाह	पशुपालन विभाग

3	मृत पशुओं का निस्तारण	नगर परिषद / नगर पालिका, ग्राम पंचायत
4	गांव में पशुओ के पीने के पानी की व्यवस्था,	जलदाय विभाग
5	हरे चारे से फैलने वाली पशुओं की बीमारी की जानकारी देना, चारे से संक्रमण फैलने वाली बीमारियो की दवा की व्यवस्था	कृषि विभाग

आतंकवादी गतिविधियॉ

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	कम्यूनिकेशन, कानून व्यवस्था, बम निरोधक दस्तों का व्यापक गठन, सभी इन्टेलीजेन्स एजेन्सीज से निरंतर तालमेल, बुलेट प्रूफ संसाधन, क्विक रियेक्सन टीम मय हथियार जो हर समय तैयार रहे, आर्मी व अन्य वर्दीधारी सेवाओं को तुरंत सूचना का संप्रेषण	पुलिस अधीक्षक, भरतपुर
2	पुलिस की मदद करना,	डिप्टी कमाण्डेट हॉमगार्ड, भरतपुर
3	क्षेत्र में हुई हानि का आकलन, जनहानि का आकलन, पीड़ितों को आर्थिक मदद, राहत सामग्री की व्यवस्था, सही सूचना का संग्रहण व संप्रेषण, जन सहयोग की अपेक्षा का आहवान, पीड़ितों के शरणस्थलों की व्यवस्था, प्रेसनोट जारी करना, संवेदनशील स्थानो का चिन्हिकरण एवं सुरक्षा व्यवस्था ।	जिला कलक्टर / ए.डी.एम. (प्रशासन) / एस.डी. एम. / तहसीलदार समस्त जिला भरतपुर
4	अग्निशमन वाहन मय फायरमैन, रैस्क्यूइक्विपमेण्ट, पानी के टैंकर, क्रेन, डम्फर, जनरेटर, सम्वेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण, सुरक्षा हेतु प्रशासन को अवगत कराना,	आयुक्त नगरपरिषद भरतपुर, जिले की नगरपालिका
5	पुर्नस्थापना, बेरीकेटिंग, जेसीबी, क्रेन, डम्फर की व्यवस्था,	अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
6	दवाई, बिस्तर, एम्बुलैन्स, एवं घायलों की चिकित्सा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
7	वाहनों की व्यवस्था	जिला परिवहन अधिकारी,
8	पेट्रोल डीजल की व्यवस्था, शिविरों में खाद्य सामग्री की व्यवस्था	जिला रसद अधिकारी,

उपद्रव, दंगे, बलवा, त्योहारों, उत्सवों, मेलों आदि पर होने वाली भगदड़

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	कम्प्यूनिकेशन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, बैरीकेटिंग व्यवस्था, अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था।	पुलिस अधीक्षक, भरतपुर
2	स्वय सेवको की व्यवस्था एवं पुलिस की मदद	डिप्टी कमाण्डेड हॉमगार्ड, भरतपुर
3	एरिया मजिस्ट्रेटो की नियुक्ति, कानून व्यवस्था का सुनिश्चिय, घटना स्थलो का भ्रमण व संवेदनशील क्षेत्रो का चिन्हीकरण, व्यवस्था पर निरंतर निगरानी, घायल व पीडितो की हानि का आंकलन, आर्थिक मदद उपलब्ध कराना।	जिला मजिस्ट्रेट / ए.डी.एम. (प्रशासन) / एस.डी. एम. / तहसीलदार समस्त जिला भरतपुर
4	अग्नि शमन वाहन व प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था, उत्सव स्थल पर दुकानो व खाद्य प्रदार्थो का नमूनीकरण, डी.डी.टी. का प्रयोग व पानी के स्त्रोतो में लाल दवा का प्रयोग तथा पानी के शुद्धीकरण की व्यवस्था, प्रशासन व कानूनी व्यवस्थाओ में लगे विभागो की	आयुक्त नगरपरिषद भरतपुर, जिले की नगरपालिकाऐं

	जानकारी, व तालमेल जनरेटर, ट्रेक्टर्स, व वाटर टेक, डम्फर आदि की व्यवस्था, वाहन पार्किंग की व्यवस्था।	
5	मोबाईल टीमो का गठन, डॉक्टर, पैरामैडिकल स्टॉफ की व्यवस्थायें, एम्बूलेस व अतिरिक्त दवाओ की व्यवस्था अस्थाई मैडिकल बूथ की स्थापना।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर

6	घटना स्थल पर पानी की अतिरिक्त व्यवस्था	अधीक्षण अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, विभाग, भरतपुर
7	विद्युत तारो को कसना एवं पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति	अधीक्षण अभियन्ता जी.वी.वी. एन.एल. भरतपुर
8	सही सूचनाओ का प्रकाशन, अस्थाई घोषण कक्ष की स्थापना	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, भरतपुर
9	महत्वपूर्ण टेलीफोन लाईनो का रखरखाव	जिला प्रबंधक बी.एस.एन.एल. /निजी क्षेत्र के दूरसंचार सेवा प्रदाता
10	पैट्रोल, डीजल, कैरोसिन, डीलरो को आरक्षित कोटा रखने के लिये पाबन्द करना, स्वंय सेवी संस्थाओ को रियायती दर पर खाद्य सामग्री का प्रबंध	जिला रसद अधिकारी, भरतपुर

अध्याय – 9

जिला आपदा प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्त्रोत

जिले की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिये सरकारी संस्थाओं के साथ–साथ सभी गैर सरकारी संगठनों शैक्षणिक एंव शोध संस्थानों, निजी क्षेत्र, उद्योगों, सामुदायिक संगठनों की भागीदारी भी आवश्यक है। आपदा प्रबन्धन के बदलते परिप्रेक्ष्य में आपदा की स्थिति में बचाव केन्द्रित दृष्टिकोण की अपेक्षा आपदा के प्रभावों को न्यूनतम करने के लिहाज से क्षमता निर्माण एंव पूर्व तैयारी करने की आवश्यकता है। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का यह दायित्व है कि जिले में विभिन्न विभागों के द्वारा बनाई जा रही कार्ययोजनाओं, कार्यक्रमों में सम्भावित आपदाओं के खतरों को न्यूनीकरण करने के उद्देश्य का ध्यान रखा जावे। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एंव कार्यक्रमों में निम्नानुसार कार्य लिये जाकर सम्भावित आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

योजना एंव कार्यक्रम	आपदा से प्रासंगिकता	कार्यकारी एजेन्सी
नरेगा	1. सूखा सम्भावित क्षेत्रों में जन संरचनाओं का निर्माण 2. पुरानी जल संरचनाओं का पुनर्निमाण 3. सूखा सम्भावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण	ग्राम पंचायत
इन्दिरा आवास योजना	छप्परपोश या कच्चे आवासीय घरों को पक्के घरों में बदलना, जिससे अग्निकाण्ड संबंधित दुर्घटनाओं को रोका जा सके।	ग्राम पंचायत
एम.पी.लैड	1. ऐसी संरचनाओं का निर्माण करना, जिसका सुरक्षित आश्रय के रूप प्रयोग किया जा सके। 2. आधारभूत सुविधायें जैसे पेयजल, साफ–सफाई संबंधित कार्य। 3. गैर पहुंच वाले क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना।	जिला प्रशासन
जनता जल योजना	सूखा सम्भावित क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था कराना	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ग्राम पंचायत
वाटर शेड स्कीम	1. सूखा सम्भावित क्षेत्रों में सिंचाई हेतु संसाधनों का निर्माण करना। 2. सूखा सम्भावित क्षेत्रों में चारागाह विकास।	जल संसाधन विभाग पशुपालन विभाग
मेवात ऐरिया डवलपमेंन्ट प्रोग्राम	1. सूखा सम्भावित क्षेत्रों में ट्यूबवैल लगाना। 2. आधारभूत संरचनाओं का निर्माण। 3. सफाई संबंधित महामारियों की रोकथाम हेतु सामुदायिक	जिला मजिस्ट्रेट एंव जिला परिषद

	शौचालयों का निर्माण।	

स्वच्छ भारत मिशन	सफाई संबंधित महामारियों की रोकथाम हेतु प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण कराना व स्वच्छता के प्रति जागरूक करना।	जिला परिषद
मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान	सूखा सम्भावित क्षेत्रों में जल संचयन करने वाली संरचनाओं का निर्माण।	जिला परिषद
पंचायत राज संस्थाओं हेतु अनटाईड फण्ड	आपदा की पूर्व तैयारी हेतु कार्य करवाना।	जिला परिषद
धनवन्री एम्बूलेन्स योजना 108	आपात स्थिति में मरीज अथवा सड़क दुर्घटना वाले क्षेत्रों में तुरन्त एम्बूलेन्स '108' का पहुंचना।	चिकित्सा विभाग
मिड–डे–मील योजना	राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को पोषाहार उपलब्ध करवाना।	शिक्षा विभाग

जिला आपदा प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु आपदा प्रबन्धन, सहायता एंव नागरिक सुरक्षा विभाग, राज0जयपुर द्वारा विभिन्न मदों के उप मदों में मांगानुसार पृथक–पृथक बजट आवंटित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न मदों में राहत कार्यों हेतु प्राप्त बजट की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	मद का विवरण	प्राप्त बजट (लाखों में)
1	पशु क्षति चक्रवात	22.47
2	जन क्षति चक्रवात	124.00
3	गम्भीर घायल चक्रवात	1.02
4	साधारण घायल चक्रवात	5.00
5	कपड़ा–बर्तन चक्रवात	10.00
6	आंशिक क्षतिग्रस्त घर चक्रवात	23.74
7	पशुबाड़ा चक्रवात	5.00
8	गंभीर क्षतिग्रस्त कच्चा घर चक्रवात	7.50
9	पूर्ण क्षतिग्रस्त झोंपड़ी चक्रवात	1.00
10	पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चा घर चक्रवात	5.00
11	पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्का घर चक्रवात	5.00
12	सर्च एण्ड रैस्क्यू	20.00
13	एस.डी.आर.एफ. योजनान्तर्गत अग्निकाण्ड मद में	11.96

अध्याय – 10

आपदा प्रबन्धन योजना का मूल्यांकन एंव अद्यतन

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 31 के अनुसार जिले के लिये एक जिला आपदा प्रबन्धन योजना होगी, जिसको बनाने का दायित्व जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का है, जिसके पदेन अध्यक्ष जिला कलक्टर हैं। उक्त प्राधिकरण ही जिला कार्ययोजनाओं के निर्माण, अनुमोदन एंव अद्यतन करने हेतु उत्तरदायी है। जिले की आपदा प्रबन्धन योजना गत् बार 2012 में तैयार की गई थी, जिसका वर्ष 2017 में अद्यतन किया जाकर, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया गया। जिला आपदा प्रबन्धन योजना एक परिवर्तनशील अभिलेख है, जिसका पुनः वर्ष 2019 में गत् वर्ष के अनुभवों एंव परिवर्तनों के अनुरूप अद्यतन व नवीनीकरण किया जा रहा है, जिसका राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् एसडीएमए वेबसाईट पर अपलोड किया जावेगा।

मॉक ड्रिल :– किसी भी आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारियों की समीक्षा हेतु आपदा प्रबन्धन एंव सहायता विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार वर्ष में दो बार मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। गत् वर्ष विश्व आपदा न्यूनीकरण दिवस पर दिनांक 13.10.2017 को नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। नागरिक सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 06 दिसम्बर को विभिन्न आपदाओं के सम्बन्ध में मॉक ड्रिल/पूर्वाभ्यास का आयोजन किया जाता है।

इसी प्रकार दिनांक 22.02.2018 को जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा ''गैस सिलैण्डर में विस्फोट एंव आगजनी'' से संबंधित मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उक्त मॉक ड्रिल हेतु अपरान्ह 04.00 बजे सभी संबंधित विभागों/कार्यालय के अधिकारियों को लोहागढ़ स्टेडियम के पास गैस सिलैण्डर में विस्फोट एंव आगजनी की सूचना दी गई। संबंधित विभागों/कार्यालयों के अधिकारियों के उक्त स्थल पर आगमन व गैस सिलैण्डर से हुई दुर्घटना से बचाव के लिये जिन तैयारियों के साथ वो आये, उनका क्षण–प्रतिक्षण का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	अधिकारी का नाम/पद	पहुँचने का समय	की गयी तैयारी
1.	सिग्मा पुलिस	04.05 पी.एम.	
2.	थानाधिकारी, अटलबंध, भरतपुर	04.11 पी.एम.	कन्ट्रोल रूम को फोन कर आये।
3.	सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर	04.18 पी.एम.	
4.	प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, भरतपुर	04.20 पी.एम.	एल.पी.जी. डिस्ट्रिक्ट कॉरडीनेटर को फोम सहित आने हेतु सूचित कर श्री पवन अग्रवाल व श्री संजीव शर्मा, प्र0अ0 आये।
5.	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, भरतपुर	04.20 पी.एम.	संयुक्त निदेशक, पशुपालन ने डॉ0चंदन सिंह को भेजा।
6.	श्री अमित मीना, फायर ऑफीसर, नगर निगम भरतपुर	04.22 पी.एम.	04.08 पी.एम. पर नागरिक सुरक्षा, भरतपुर से सूचना मिली। फायर बिग्रेड वाहन नं. आर.जे.–05/ईए–0504 व 3 फॉयर मैन लेकर उपस्थित।
7.	सहायक निदेशक, सूचना एंव जन सम्पर्क कार्यालय, भरतपुर	04.23 पी.एम.	
8.	अति0जिला कलक्टर (शहर),	04.25	

	भरतपुर	पी.एम.	
9.	अधिशाषी अभियंता, PWD, भरतपुर	04.25 पी.एम.	04.45 पर जेसीबी आई।
10.	उपखण्डाधिकारी, भरतपुर	04.26 पी.एम.	आर.बी.एम.अस्पताल भरतपुर, तहसीलदार भरतपुर, नगर निगम व नागरिक सुरक्षा भरतपुर को सूचना दी।
11.	उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, भरतपुर	04.27 पी.एम.	डी.क्यू.आर.टी.वाहन व उपकरणों सहित आये। 04.45 पी.एम. पर फॉयर बिग्रेड आई।
12.	ADMN कमांकडेंट, आर्मी	04.30 पी.एम.	दूरभाष पर वार्ता की तथा 05 मिनिट में फॉयर सिस्टम रवाना करना बताया।
13.	तहसीलदार, भरतपुर	04.33 पी.एम.	कन्ट्रौल रूम व उपखण्डाधिकारी, भरतपुर से दूरभाष पर सूचना प्राप्त।
14.	अति0पुलिस अधीक्षक(ADF), भरतपुर	04.40 पी.एम.	
15.	श्री पुष्कर पाण्डे, SDRF, भरतपुर	04.41 पी.एम.	मय जाप्ता आये। 04.05 पर सूचना मिली। 04. 15 पी.एम. पर जयपुर मुख्यालय से अनुमति ली।
16.	वृत्ताधिकारी पुलिस, भरतपुर	04.42 पी.एम.	
17.	108 सर्विसेज, भरतपुर	04.50 व 04.52 पी.एम.	02 एम्बूलेन्स, डॉक्टर व नर्सिंग स्टॉफ उपस्थित हुआ।
18.	प्रबंधक, बीपीसीएल, भरतपुर	05.07 पी.एम.	04.40 पी.एम. पर सूचना प्राप्त होने पर 2 फॉयर सिलैण्डर व 4 कर्मियों सहित आये।
19.	प्रबंधक, इंडियन ऑयल, भरतपुर	05.20 पी.एम.	10 किग्रा. फोम, 2 फॉयल हॉज, 2 नोजल व 4 कर्मियों सहित आये।

अध्याय – 11

समन्वय प्रक्रिया

- जिले में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी अपने ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एंव ग्राम स्तरीय अधिकारी के मध्य समन्वय का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से सभी विभागों के पास अपने–अपने विभाग से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों की जानकारी एंव सूची रहती है, जिनका आपदा के दौरान आवश्यकतानुसार विभाग प्रयोग करते हैं।
- राज्य स्तर पर मा0मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गठित है, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 09 सदस्य हैं। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (SDMA) की सहायता के लिये राज्य कार्यकारी समिति (SEC) गठित है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं, जो SDMA के पदेन सदस्य एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।
- समस्त विभागों के बीच में समन्वयक के रूप में जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट (पदेन अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण) सम्पूर्ण जिले में महत्वपूर्ण भूमिकायें निभाता है।
- इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर उपखण्डाधिकारी, समस्त विभागों ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के मध्य समन्वयक के रूप में कार्य करता है।
- जिले में समस्त प्रकार की सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिये व्हाट्सअप ग्रुप टीम भरतपुर बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से तुरन्त दुर्घटना की जानकारी के साथ–साथ संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की अपडेट जानकारी भी शेयर की जाती है। व्हाट्सअप ग्रुप दुर्घटना की सूचना के आदान–प्रदान हेतु आज के समय में महत्वपूर्ण साबित हुआ है।
- इसी प्रकार ग्राम स्तरीय रैस्क्यू टीम के, जिसमें स्थानीय पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच एंव राजकीय अध्यापक शामिल हैं, का एस.एम.एस. ग्रुप बनाया हुआ है।
- सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु जिला मुख्यालय पर एक केन्द्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष, कलक्ट्रेट, भरतपुर में 24 X 7 संचालित है, जिसका दूरभाष नं. 05644–220320 व टोल फ्री नं0 1077 है।
- दुर्घटना की जानकारी के साथ–साथ संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की अपडेट जानकारी भी एन.आई.सी. (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र) के माध्यम से आदान–प्रदान की जाती है।
- आई.डी.आर.एन. पोर्टल पर जिले में आपदा से निपटने हेतु आवश्यक संसाधनों का विवरण अपलोड है।

अध्याय – 12

मानदण्ड परिचालन प्रक्रिया (SOP)

- आपदा एक ऐसी अचानक होने वाली घटना है, जिससे बड़े पैमाने पर मानव, पशु, आर्थिक व पर्यावरणीय क्षति होती है, जिसका सामना स्थानीय संसाधनों व समुदाय की क्षमता से बाहर होता है लेकिन सक्रिय पूर्व चेतावनी तंत्र द्वारा आपदा से होने वाली क्षति को रोका/कम किया जा सकता है।
- पूर्व चेतावनी सिस्टम डी.आर.आर. (आपदा जोखिम न्यूनीकरण) का महत्वपूर्ण घटक है। पूर्व चेतावनी से आने वाली आपदा से होने वाली जीवन व अन्य आर्थिक, पर्यावरणीय संसाधनों की क्षति को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है।
- प्रत्येक आपदा, चाहे प्राकृतिक हो अथवा मानव जनित से संबंधित उत्तरदायी विभाग अलग–अलग हैं, जो आपदावार अपनी एस.ओ.पी. तैयार करते हैं एंव आपदा की सूचना प्राप्त होते ही सक्रिय होकर सर्वप्रथम स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मानव व अन्य संसाधनों की घटनास्थल पर पहुँच सुनिश्चित कराकर आपदा के खतरों को न्यूनतम स्तर तक लाने का प्रयास करते हैं।
- प्रत्येक विभाग के द्वारा ऐसी स्थिति से निबटने के लिये जिला एंव ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं। आपदा पश्चात् संबंधित विभागों द्वारा राहत एंव पुनर्वास की कार्यवाही की जाती है। व्हाट्सअप ग्रुप, एस.एम.एस. ग्रुप व नियंत्रण कक्ष किसी भी आपदा के समय सूचनाओं के प्रबन्धन एंव प्रसार हेतु काम में लिया जाता है।
- राहत एंव पुनर्वास हेतु मानक राज्य कार्यकारी समिति द्वारा भारत सरकार के नौर्म्स अनुसार तय किये जाते हैं।

एनेक्जर–1

सुरक्षित स्थानों की सूची

क्र.सं.	नाम तहसील	स्थान का नाम
1.	वैर	रा.उ.मा.विद्यालय, वैर
2.		रा.उ.मा.विद्यालय भुसावर
3.		रा.मा.विद्यालय, सरसैना
4.		रा.उ.मा.विद्यालय, हलैना
5.		रा.मा.विद्यालय ललिता मूडिया
6.		रा.मा.विद्यालय, छोंकरवाडा
7.		रा.मा.विद्यालय, बाछरैन
1	नगर	रा.सी.मा.वि. सीकरी
2		रा.प्रा.वि. जयश्री
3		रा.प्रा.वि. रायपुर सुकेती
4.		रा.मा.विद्यालय डाबक
5		रा.मा.विद्यालय, पालका
6.		रा.मा.विद्यालय बेरू
7.		रा.मा.विद्यालय सुन्दरावली
8.		सिटी स्कूल, बोर्डिंग हाउस, नगर पालिका, वैर नगर कस्वा
1.	नदबई	अग्रवाल धर्मशाला,
2.		जगवायन धर्मशाला,
3.		रा.सी.मा.वि. नदबई
1.	बयाना	रा.मा.वि. कलसाडा,
2.		रा.मा.वि. खरैरी, बागरैन,
3.		रा.उ.मा.वि. समोगर,
4.		रा.सी.मा.वि. बयाना
5.		कन्या उ.मा.वि. बयाना,
6.		रा.उ.मा.वि. खेडली गडासिया
7.		रा.उ.मा.वि. लहचौरा,
8.		रा.उ.मा.वि. ब्रह्मवाद,
9.		अग्रवाल धर्मशाला, बयाना
1	रूपवास	रैस्ट चौकी रूपवास
1.	कांमा	कोट ऊपर कांमा
2.		जैन धर्मशाला कांमा,
3.		अग्रवाल धर्मशाला
4.		खण्डेलवाल धर्मशाला कांमा
5.		रा.उ.मा.वि. कांमा,
6.		पहाड़ स्थल नन्देरा
7.		रा.मा.वि. नौनेरा
8.		जी.एम.सी. नहर के बैंक
9.		पहाड़ स्थल, लेवड़ा
10.		पहाड़ सलि कनवाड़ी

1	डीग	किशनलाल जोशी रा0सी0सै0स्कूल, डीग
2		मास्टर आदित्येन्द्र कॉलेज, डीग
3		पंचायत समिति भवन डीग
4		तहसील भवन डीग
1	पहाड़ी	ग्राम पंचायत भवन पहाड़ी
2		केहरीसिंह रा0उ0मा0वि0पहाड़ी
3		रा0उ0मा0वि0पहाड़ी

एनेक्जर–2

आपातकालीन स्टॉफ–कॉल (दूरभाष पंजिका)

दूरभाष निर्देशिका–जिला भरतपुर					
महत्वपूर्ण अधिकारीगण			दूरभाष नम्बर		
क्र. स.	नाम अधिकारी	पद	कार्यालय (05644)	निवास (05644)	मो.नं.
1	श्री चन्द्रशेखर मूथा	संभागीय आयुक्त फैक्स 234894	234891	234892	9413311152
2	डॉ0आरूषी मलिक	जिला कलक्टर, भरतपुर फैक्स 223355	223086	223316	9413374411
3	श्री शौकत अली	कार्यवाहक अति0 संभागीय आयुक्त	234894	234895	9414302736
4	श्री नारायण सिंह चारण	अति0जिला कलक्टर (प्रशासन), भरतपुर	222545	223089	9828213469
5	श्री उम्मेदीलाल मीणा	अति0जिला कलक्टर (शहर)	223592	223075	7427828848
6	श्री सुरेन्द्र सिंह मीणा	अति0जिला कलक्टर, डीग (05641)	220542	224011	9414481278
बाढ़ नियंत्रण कक्ष, कलक्ट्रेट, भरतपुर					
1	श्रीमती बीना महावर	प्रभारी अधिकारी, आ0प्र0 एंव सहायता	222584	–	9875073829
कलक्ट्रेट परिसर					
1	श्री बी.के.सिंह	अति0निदेशक, पैंशन	220121	–	9414715702
2	श्री अवधेश कुमार	कोषाधिकारी भरतपुर	223575		9414025791
3	श्री संजय गोयल	उप नियंत्रक (कार्य.), नागरिक सुरक्षा, भरतपुर	223595	–	9530316100 9001200891
4	श्री लखनलाल मीणा	सहा. निदेशक अभियोजन	223721	–	9414383396
5	श्री जगदीश मथुरिया	राजस्व अपील प्राधिकारी	223572	222523	9413345009
6	श्री प्रदीप सांगावत	भू–प्रबंध अधिकारी	222684	224648	8290911111
7	श्री शौकत अली	डी0आई0जी0 रजिस्ट्रेशन	222297	222972	9414302736
8	श्री मानसिंह	उप निदेशक साख्यिकी	222723	–	9414308731
9	श्री अशोक कुमार वर्मा	डी0आई0ओ0, एनआईसी	225081	220602	9829493313
10	श्री धीरज मित्तल	एडीआईओ एनआईसी	224440	–	9530316168 9460181398
11	श्री गोपीचन्द	मुख्य आयोजना अधि0	222467	–	9414366673
12	श्री बृजेश कुमार सांवरिया	सहा0निदेशक, सूचना एंव जन सम्पर्क कार्यालय	225172 226811	9414844951	9414035123
13	श्री अनिल कुमार	एपीआरओ	225172	–	8386963835
14	श्री एस.एन.चौहान	ए.सी.पी., डीओआईटी	–	–	9781018380

15	श्री राजेन्द्र प्रसाद	लेखाधिकारी, कलक्ट्रेट	—	—	9414877498

उपखण्डाधिकारी/सहायक कलक्टरगण					
1	श्री संजय गोयल	भरतपुर	05644–222476	222876	9530316100 9001200891
2	श्री भूपेन्द्र यादव	कुम्हेर	05644–241224	241425	9530316101 9785969218
3	श्री विनोद कुमार मीणा	नदबई	05643–275411	224090	9530316102 9785752528
4	श्री साधूराम जाट	डीग	05641–220018	230645	9530316103 9530012852
5	श्री सुरेश यादव	नगर	05641–243053	243053	9530316104 8560020480
6	श्री रामकिशोर मीणा	कामॉ	05640–270496	270495	9530316105 9660777538
7	श्री रामरतन शर्मा	पहाडी	05640–258040	–	9530316106 9414275019
8	श्री विशम्भर शर्मा	वैर	05643–272825	272825	9530316108 9511512360
9	श्री कैलाश चन्द मीणा	भुसावर	–	–	9414373255
10	श्री संतोष कुमार मीणा	बयाना	05648–220004	220004	9530316107 9950640319
11	श्री दिनेश धाकड़	रूपवास	05645–273960	273960	9530316109 8290722956
तहसीलदारगण जिला भरतपुर					
1	श्री सोहनसिंह नरूका	भरतपुर	05644–222984	222984	9530316110 8094125050
2	श्री हरकेश मीणा	कुम्हेर	05644–240572	240064	9530316111 9610208710
3	श्री रामकरण मीणा	नदवई	05643–275598	275598	9530316112 9460880186
4	श्री श्रीलाल मीणा	डीग	05641–230746	230746	9530316113 9571881840
5	श्री त्रिलोक गुप्ता	नगर	05641–242053	242053	9530316114 9460441423
6	श्री मधूसदन शर्मा	कामॉ	05640–270018	270018	9530316115 9414484012
7	श्री रामकुमार	पहाडी	05640–242030	242030	9530316116 9982150015
8	श्री रंजीत सिंह	वैर	05643–272220	272220	9530316118 9929517120
9	श्री सम्पतलाल मीणा	भुसावर	–	–	9530316148

					9413036205
10	श्री घनश्याम	बयाना	05648–220063	220063	9530316117 9950440384
11	श्री भगवत शरण	रूपवास	05645–273206	273206	9414583463
12	श्री सोहनसिंह नरूका	तहसीलदार, भू0अ0 / चुनाव / सब रजिस्ट्रार (कार्य0)	05644–222297	–	8094125050
नायब तहसीलदार उप तहसील					
1		रारह	–	–	
2	श्री धनेश	जनूथर	–	–	9414715838
3		जुरहरा	–	–	
4	श्री प्रकाश मीणा	सीकरी	–	–	9530316120 8009631864
5	श्री भगवानसिंह	उच्चैन	05645–220694	–	9414583906
6	श्री गजेन्द्रसिंह	लखनपुर	–	–	9269311611
7	श्री छीतरसिंह	रूदावल	–	–	9636490397
पुलिस विभाग					
1	श्री भूपेन्द्र साहू	महानिरीक्षक,पुलिस फैक्स 231422	222859	223339	7574802100
2	श्री हैदरअली जैदी	जिला पुलिस अधीक्षक	223116	223366	9829072299 8764505201
3	श्री मूलसिंह राना	एडी0एस0पी0 (मुख्या0)	223364	223209	9982919867 9414491867
4	श्री महेश चन्द मीना	एडीशनल एस0पी0 डीग 8764505303	224018	9694686251	9414006007
	श्री हिमान्शु शर्मा	एडीशनल एस0पी0 (विजी.) 8764507304	231422	231421	978237950
5	श्री रमेश मौर्य	एडीशनल एस0पी0 एडीएफ	220317	8764505302	9460897100
6	श्री हवासिंह	सी0ओ0सिटी 8764862484	230505	228259	9929888666
7	श्री परमालसिंह	सी0ओ0 ग्रामीण	225469	8764862497	9983577277
8	श्री चेतराम सेवदा	सी0ओ0 बयाना 8764862574	05648–225058	222058	9828530514
9	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	सी0ओ0 भुसावर 8764862589	05643–270057	271071	9414248551
10	श्री जनेश सिंह तंवर	सी0ओ0कामां 8764862604	05640–250105	250605	9799777799

11	श्री अनिल कुमार मीना	सी0ओ0 डीग 8764862711	05641– 220015	230299	9414031222
12	श्री सीताराम मीना	यातायात निरीक्षक	228115	876486 2673	9166310948
13	श्री रामकुमार मीना	इन्स्पैक्टर टैलीकॉम	221831	–	9530429290

14	श्री विक्रमसिंह	सी0आई0, रिजर्व पुलिस लाईन, भरतपुर	222791	9530411107	9928833339
15	डीसीआर, पुलिस लाईन	पुलिस नियंत्रण कक्ष	223929 222570	9530411128	
16	श्री सुधीर पूनिया	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, सेवर			
आर्मी					
1	कर्नल अंशुमन श्रीवास्तव	स्टेशन कमाण्डर–एम्यूनिशन डिपो	236216 236304	–	7057200024
2	मेजर राहुल डे	कार्यवाहक कमाण्डेन्ट–सेवर फोर्ट	236216	–	8750880057
3	कर्नल सम्पत जाधव	अलवर आर्मी स्टेशन	–	–	9103471020
4	मेजर प्रशान्त सक्सैना	अलवर आर्मी स्टेशन	–	–	8437010189
5	मेजर ईशान कटोच	अलवर आर्मी स्टेशन	–	–	8732884401
6	डॉ0रामेश्वर सिंह	कमाण्डेन्ट, आरएसी 7वीं बटालियन	228052	–	9772533999
एस.डी.आर.एफ.					
1	सूचना कन्ट्रोल रूम	राज्य मुख्यालय, जयपुर	0141–2759903	–	8764873114
2	श्री महेश चन्द शर्मा	प्लाटून कमाण्डर	–	9588293485	9414878638
3	श्री कवरपाल सिंह	हैड कानिस्टेबल 03	–		9414707408
4	श्री तेजवीर सिंह	हैड कानिस्टेबल 779	–	9414551244	9414726223
5	श्री पुनित शर्मा	हैड कानिस्टेबल 285	–	9549148662	8949308146
एन.डी.आर.एफ.					
1		मुख्यालय गांधीनगर (गुजरात)	02668–274245		
2	श्री अमरसिंह चौहान	डिप्टी कमाडेण्ट, अजमेर	–	–	9414005412
3	श्री अशोक कुमार सूतलिया	इंस्पेक्टर, अजमेर	–	–	8949519206
4	श्री हाकिमसिंह	कांस्टेबिल, अजमेर	–	–	9414054362
जिला परिषद					
1	श्री बी.एल.रमण	सी.ई.ओ., जिला परिषद	222633	223386	9414305148
2	श्री रामावतार शर्मा	ए.सी.ई.ओ. जिला परिषद	223647	221874	9414752218
3	श्री अशोक अम्बेश	अधीक्षण अभियन्ता वाटर शेड	222251	–	9414282820
4	श्री घनश्याम मीणा	एक्स.ई.एन पंचायती राज	222633	–	9414846406

5	श्री मुकेश अग्रवाल	एक्स.ई.एन ग्रामीण विकास	—	—	9462483746
6	श्री महेश गोयल (कार्य0)	अधि0अभियन्ता नरेगा	—	—	9413309870
7	श्री हरी शर्मा	सहा0अभि0 पंचायती राज परिअधि0अभियन्ता नरेगा	—	—	9950422503
8	श्री सुरेश गुम्बर	वरिष्ठ लेखाधिकारी	223647	231605	9414715244
9	श्री राधेश्याम	एईएन ग्रामीण विकास	—	—	8290480547
10	श्री मानसिंह सोनी	मैनेजर, आरएससीडीसी	222487	—	9414308731
विकास अधिकारीगण					
1	श्रीमती दीपाली शर्मा	सेवर 05644—	260329	—	8114420407
2	श्री ऋतुराज महला	कुम्हेर 05644—	240619	—	9414819021
3	श्रीमती पूजा शर्मा	डीग 05641—	220021	—	8384933956
4	श्री बृजेश पाराशर	नगर 05641—	242039	—	8619672096
5	श्री के0के0जैमन	कामॉ 05640—	250016	—	9414016125
6	श्री रामफल शर्मा	वैर 05643—	272203	—	9530302134
7	श्री नरेश कुमार शर्मा	बयाना 05648—	222033	—	9785820785
8	श्रीमती दिव्या राठौड़	रूपवास (कार्य0)05645—	273262	—	9414025607
9	श्री राजीव जैन	पहाडी (कार्य0)	—	—	9680934905
10	श्री शिवसिंह पोसवाल	नदबई 05643—	275646	—	9460861203
जिला प्रमुख/उप जिला प्रमुख					
1	भरतपुर	श्रीमती बीनासिंह (भाजपा)	223647		9001099959
प्रधान पंचायत समिति					
1	सेवर (05644)	श्रीमती प्रतिभा (कांग्रेस)	260329	258219	9414025889
2	कुम्हेर (05644)	श्रीमती वन्दना (भाजपा)	240619	—	9950988505
3	डीग (05641)	श्रीमती गायत्री (भाजपा)	220021	224045	9252041296
4	नगर (05641)	श्रीमती रूपा (भाजपा)	242039	—	9928455868
5	कामॉ (05640)	श्रीमती रचना	220016	—	7728085019
6	वैर (05643)	श्रीमती सीमा गुर्जर (कांग्रेस)	272203	—	9887581883
7	बयाना (05648)	श्रीमती सुमन (भाजपा)	222033	—	9950540687
8	रूपवास (05645)	श्रीमती लक्ष्मी देवी (भाजपा)	243262	—	9462481852
9	नदवई (05643)	श्रीमती डिम्पल फौजदार (भाजपा)	222646	—	9414041594
10	पहाड़ी (05640)	श्री भजनलाल (भाजपा)	—	—	9928573334
वन विभाग/केवलादेव घना वर्ड सेन्चुरी					

1	श्री वी.केतन कुमार	मण्डल वन अधिकारी	222488	223289	7073928123
2	श्री अजित उचोई	उप वन संरक्षक (वन्यजीव)	222777	222824	9410992675
3	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	मुख्य वन संरक्षक	236017	—	
4	श्री बी..एस.कटेल	ए.सी.एफ. डीएफओ	—	—	9829903412
खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग/निगम					
1	श्रीमती बीना महावर	जिला रसद अधिकारी (द्वितीय)	222584	—	9875073829
2	श्री बनवारीलाल मीणा	जिला रसद अधिकारी (प्रथम)	—	—	9887565431
3	श्री मनदीप सिंह	प्रबंधक, आरएससीएससी (रसद विभाग)	—	—	9024227927
4	श्री पवन अग्रवाल	प्रवर्तन अधिकारी	—	—	9413094860
5	श्री संजीव शर्मा	प्रवर्तन अधिकारी	—	—	9414023402 7374089666
रोडवेज					
1	श्री महेश गुप्ता	चीफ मैनेजर रोडवेज लोहागढ डिपो	—	—	9549653193
2	श्री कालूराम मीणा	चीफ मैनेजर रोडवेज (भरतपुर) डिपो	260289	—	9549653205
3	रोडवेज पूछताछ	—	260330	—	—
परिवहन					
1	श्री राजेश शर्मा	आर0टी0ओ0	260199	—	9461631218
2	श्री सत्यप्रकाश शर्मा	डी0टी0ओ0प्रथम	260106	—	9602196968
3	श्री राजीव चौधरी	डी0टी0ओ0द्वितीय	260106	226085	9610251818
राज0सरकार के विविध कार्यालय					
1	श्री राजूलाल गुर्जर	क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग	223459	—	9950204702
2	श्री राकेश गुप्ता	आर0ओ0, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	228114	—	7073897774
3	श्री राजेन्द्र शर्मा	उप निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता	223576	—	9460950770
4	श्री गौरव सोनी	सहायक आयुक्त देवस्थान वृन्दावन	0565—2455146	228405	9929637447
5	श्री दिलीप सिंह राठौड़	उप निदेशक, पर्यटन	222542	—	9414337204
6	श्री सत्यप्रकाश लुहाच	जिला खेल अधिकारी कार्य0	260478	221610	9413063006
7	श्री मौहम्मद जाकिर	अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	220364	—	9414030137

8	श्री सतीश दीक्षित	जिला प्रबंधक, आर0एस0एल0डी0सी0	220386	—	7726007730
9	कर्नल श्री के.वी.एस.ठेनुआ	जिला सैनिक कल्याण अधि0	223707	223707	9897968855
10	श्री मानसिंह सोनी (कार्य0)	पीएम, आर.एस.सी.डी.सी.	222487	—	9414308731
11	श्री बृजेश (कार्य0)	मत्स्य विकास अधिकारी	224572	233124	9833716634
12	श्री श्यामलाल	जिला रोजगार अधिकारी	223478	229024	9414467157
13	श्री सोहनलाल चौधरी	अधीक्षक, राजकीय संग्रहालय, भरतपुर	228185	—	9414455543
14	श्री रामजीलाल	कम्पनी कमांडर होमगार्ड	—	—	9610652992
15	श्री बी.एल.मीणा	जी.एम. उद्योग विभाग	—	—	9414364625
नगर निगम/नगर पालिकाओं के सभापति/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी					
1	भरतपुर (05644)	मेयर श्री शिवसिंह भौंट	223079	229354	9414024647
		उप महापौर — श्री इन्द्रजीत सिंह पाले	223079	—	9414268659
		आयुक्त — श्री मानसिंह मीणा	231336	223459	9414190416
2	कुम्हेर (05644)	सभापति—श्री महेन्द्र नागर (कांग्रेस)	240540	240144	9694584507
		अधिशाषी अधिकारी — श्री शशिकांत शर्मा	240540	—	9829519994
3	नदबई (05643)	सभापति—श्री बालमुकुन्द (बीजेपी)	223696	223182	9413671817
		अधिशाषी अधिकारी— श्री पदमसिंह	276696	—	7976289914
4	डीग (05641)	सभापति—श्रीमती मोनिका	220027	—	8058833468
		अधिशाषी अधिकारी श्री मनीष शर्मा	220027	—	9414715912
5	कामां (05640)	सभापति—श्रीमती गीता शर्मा (बीजेपी)	270088	—	9413835864
		अधिशाषी अधिकारी श्री नरसीलाल	250386	220008	9414359177
6	नगर (05641)	सभापति— श्रीमती प्रीति अम्बेश	242062	242133	
		अधिशाषी अधिकारी श्री रविन्द्र	242062	—	9413915706
7	बयाना (05648)	सभापति—श्रीमती मीना जाटव (बीजेपी)	220062	223623	9461626036
		अधिशाषी अधिकारी— श्री हिमान्शु अग्रवाल	223221	220776	8740979051
8	वैर (05643)	सभापति—श्रीमती मंजू सैनी (बीजेपी)	272237	—	9667808828

		अधिशाषी अधिकारी – श्री योगेश पिप्पल	272237	221724	7742567099
9	भुसावर (05643)	सभापति–श्री मुकेश तिवाड़ी (निर्द/बीजेपी)	270867	231225	9413113366
		अधिशाषी अधिकारी– श्री जितेन्द्र	270867	270867	9460814789
10	रूपवास (05645)	अधिशाषी अधिकारी – श्री नटवर बसवाल	–	–	9694320007

कृषि उपज मण्डी समिति					
1	भरतपुर (05644)	अध्यक्ष – श्रीमती सपनासिह	238664		8739999455
		सचिव–श्री कैलाश सिंघल	238664	238664	9413109471
2	नदबई (05643)	अध्यक्ष – श्रीमती मंजू सिंह	233466	223689	9414711004
		सचिव–श्री राजेश कर्दम	223466	–	7073756070
3	बयाना (05648)	अध्यक्ष–श्री महेन्द्र सिंह	222047	–	9887230054
		सचिव–श्री कौशल शर्मा	222047	–	9460518135
4	डीग (05641)	अध्यक्ष – श्री हरीकेश मीणा	220047	280683	9413594394
		सचिव – श्री प्रदीप	220047	–	9468693608
5	नगर (05641)	अध्यक्ष – श्री बलजीत सिंह	242028	–	9828022452
		सचिव –श्री दिलीप सिंह	242028	–	9001012249
6	कामां (05640)	अध्यक्ष – श्रीमती प्रवीण सैनी	220028	220186	9950804677
		सचिव – श्री	220028	220028	
माननीय सांसद					
1	भरतपुर (05644)	श्रीमती रंजीता कोली (भाजपा)	–	–	6350605203
विधायकगण					
1	भरतपुर (05644)	श्री सुभाष गर्ग (रालोद)	–	223254	9166611999
2	डीग–कुम्हेर (05644)	श्री विश्वेन्द्र सिंह (कांग्रेस)	226111 महल	223436	9828478899
3	नदबई (05643)	श्री जोगेन्द्र सिंह अवाना (बसपा)	9818186065	–	7791911111
4	नगर (05641)	श्री वाजिव अली (बसपा)	–	242076	9571163843
5	कामा (05640)	श्रीमती जाहिदा खान (कांग्रेस)	9212619786	220190	9414600106
6	बयाना (05648)	श्री अमरसिंह जाटव (कांग्रेस)	–	–	9828039468
7	वैर (05643)	श्री भजनलाल जाटव (कांग्रेस)	9868220494	–	9784778861
ऑयल डिपो					
1	श्री अमित सिंह	आई.ओ.सी.	238270	238330	9414040268
2	सेल्स मैनेजर	एच.पी.सी.एल.	238407	–	9772215333
3	श्री संजय जायसवाल	गेल इण्डिया	0120–2446400	–	9818992792
4	सेल्स मैनेजर	बीपीसी	238353	–	9414020676

सार्वजनिक निर्माण विभाग					
1	श्री सुभाष जानू	पी0डी0एन0एच0ए0आई0 दौसा	01427–224918	–	9414541664
2	श्री लोकेश विजयवर्गीय	अति.मुख्य.अभि.	22890	221599	9414185085
3	श्री चन्दनसिंह	अधीक्षण अभियन्ता	222745	223761	9829177121
4	श्री बी.एस.यादव	अधि0अभियन्ता विद्युत खन्ड–प्रथम	223760	–	9413343309
5	श्री एस.एस.मीना	PD RSRDC	–	–	9414442171
6	श्री जी.एल.राव	चीफ रेजी. रोड्स, पीडब्ल्यूडी जयपुर	–	–	9414118798
7	श्री विजयसिंह छोंकर	अधि0अभियन्ता, खन्ड–द्वितीय–बयाना	222759	229415	9660451146
8	श्री गोपीनाथ (कार्य0)	अधि0अभियन्ता, डीग	224044	–	9468618588
9	श्री विनोद पाराशर	अधि0अभियन्ता, क्वालिटी कन्ट्रोल	–	–	9414303498
10	श्री आशाराम सैनी	पीडी ब्रज चौरासी	220143	–	9461484049
11	श्री हरीश अग्रवाल	अधि0अभियन्ता आर0यू0आई0डी0पी0	222243	–	9983770222
12	श्री निशान्त श्रीवास्तव	एसोसियेट वाईस प्रिसीडेंट रिडकोर	222243	–	9413388915
13	श्री महिपाल सिंह	एक्सईएन रिडकोर	–	–	9413388955
14	श्री वीकेश मीणा	एईएन प्रदूषण नियं. बोर्ड	–	–	9252067443
15	श्री ए.के.जैन	पीडी, एनएचएआई जयपुर	–	–	9351784598
16		पीडी, एनएचएआई भरतपुर	224918	–	
17	श्री राकेश गुप्ता	आर0ओ0प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	228114	–	7073897774
जन स्वा0अभि0विभाग					
1	श्री राकेश लुहाड़िया	अति0मुख्य अभियन्ता	222731	223050	9414312320
2	श्री हेमन्त कुमार	अधीक्षण अभियन्ता	222731	224774	9414340940
3	श्री उत्तम सिंह	अधिशाषी अभियन्ता भरतपुर	222776	222630	9414877889 8279100972
4	श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	एक्स0ई0एन0डीग	220180	220190	9414024090
5	श्री भगवान दास	एक्स0ई0एन0बयाना	–	–	9461001238
6	श्री लियाकत अली	एसई, चम्बल प्रोजेक्ट	232423	227594	9414655357
7	श्री लालसिंह	एक्सईएन, चम्बल	–	–	9462704570
8	श्री आर.पी.शर्मा	एक्सईएन, भू–जल कार्य0, अलवर	–		9829828616
सिंचाई विभाग					

1	श्री राकेश गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता	222552	—	9352714841 8949297818
2	श्री बनय सिंह	अधि0अभियन्ता भरतपुर	222532	—	9414282868
3	श्री सुरेश विजय	अधि0अभियन्ता, डीग	220106	—	9828448795
4	श्री जगमोहन गोयल	अधि0अभियन्ता, कामां	—	—	9928670012
विद्युत विभाग (जेवीवीएनएल)					
1	श्री एम.एन.कुर्मी	अति0मुख्य अभियन्ता	236009	—	9414018103
2	श्री मूलचन्द चौधरी	अधीक्षण अभियंता	236282	236880 फै	9413390683
3	श्री संजय अग्रवाल	अधि0अभि0(ओ0एण्ड एम0)	225533	223526	9413390686
4	श्री बी.डी.गोयल	अधिशाषी अभियंता,डीग (05641)	220476	220246	9413390688
5	श्री विवेक शर्मा	अधि. अभि. बयाना (05648)	222999	223199	9413390695
6	श्री एस0के0बंसल	सहा0 अभियन्ता– वितरण			9413390691
खनिज विभाग					
1	श्री जगदीश चन्द मैरावत	एम0ई0	222128	—	9414576109
2	श्री पन्नालाल मीणा	एस0एम0ई0	—	—	9413351989
3	श्री मुकेश मंगल	ए.एम.ई. भरतपुर	—	—	9829098304
4	श्री ललित मंगल	ए.एम.आई. रूपवास	—	—	9784474175
चिकित्सा विभाग					
1	डॉ0प्रशान्त कुमार	संयुक्त निदेशक	225152	232055	9414630955
2	डॉ0गोपाल शर्मा	सी0एम0 एण्ड एच0ओ0	223660	—	9829753177
3	डॉ0के.सी.बंसल	पी.एम.ओ.	223633	—	9414206668
4	डॉ0सुनील शर्मा	डी0पी0सी0,राज0हेल्थ सि0 डवलपमेन्ट	220869	227118	9414268794
5	श्री सतवीर सिंह	आर0सी0एच0ओ0	224272	—	9549204401
6	डॉ0कप्तानसिंह	जिला क्षय रोग अधिकारी	223712	—	9414973700
7	श्री जगदीश गुप्ता	खाद्यान्न निरीक्षक			9649757633
8	श्री कौशल कुमार	डीपीएम, एन0आर0एच0एम0	221919	224555	9414357858
9	श्री आर0बी0तिवारी	अधि0अभि0,आर0एच0 एस0डी0पी0	223090	—	9414028170
10	श्री बी0डी0इन्दौरा	अधि0अभि0, एनआरएचएम	—	—	9414357787
11	डॉ0निरंजन सिंह	जिला आयुर्वेद अधिकारी	225671	243410	9414877599
12	श्री नरेश चन्द तिवारी	प्रभारी – आयुर्वेद औषधालय	223175	222306	9414579527
13	श्री अशोक बाबू शर्मा	प्रभारी, आयुर्वेद रसायन	222461	224748	9414268355

		शाला			
14	श्री अभिनव शर्मा	औषधी निरीक्षक	—	—	7014318518
15	श्री चन्द्रभूषण गुप्ता	सहा0औषधी निरीक्षक	—	—	9460762040

16		अधीक्षक, एसएमएस जयपुर	0141–2612426	–	–
वरिष्ठ/कनिष्ठ विशेषज्ञ					
1	डॉ. आर.डी.गोयल	सर्जरी	223633	223036	9414877542
2	डॉ. रमेश गक्खड़	अस्थि	–	–	9828563403
3	डॉ0 के0एम0बंसल	(जे0एस0) ईएनटी	–	–	9414357639
4	डॉ0 सुरेश बंसल	(जे0एस0) गायनी	–	–	9414023545
5	डॉ0एस.एन.शर्मा	(जे0एस0) शिशु	–	–	9414026206
	डॉ0 गिरधारी लाल	मैडीसिन	–	224347	9414712445
6	डॉ0 मुकेश गुप्ता	मैडीसिन	–	–	9414278618
7	डॉ0 विवेक भारद्वाज	मैडीसिन	–	–	9414203884
8	डॉ0 हरीश शर्मा	मैडीसिन	–	–	9414268259
निजी नर्सिंग होम					
1	डा0 एम0एम0बापना	तक0निदे0 (महावीर विकलांग समिति)	224932	223311	9414224683
2	डा0 कुसुम शर्मा	गायनी हॉस्पीटल	223805	–	9414214841
3	डा0 भूषण अरोड़ा	अरोड़ा हॉस्पीटल	223334	224240	9414023357
4	डा0 यू0एस0 जुरैल	राजा क्लिनिक (हॉम्योपैथिक)	–	–	9414221740
5	डा0 गुरदीप सिंह	तारा महेन्द्र हॉस्पीटल	223770	228680	9414023500
6	डॉ0 आर0पी0जिन्दल	जिन्दल सुपर स्पेसिलिटी हॉस्पीटल	236550	236800	9414025942
पशुपालन विभाग					
1	डॉ0नागेश चौधरी	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग	222640	225471	9460291778
2	डॉ0नागेश चौधरी (कार्य0)	उप निदेशक, पशुपालन	–	–	9460291778
3	डॉ0गजेन्द्र सिंह	उप निदेशक, पोलीक्लीनिक, भरतपुर	224375	226201	9414271836
4	डॉ0राजीव सिंघल	डप निदेशक, पशु प्रजनन फार्म, कुम्हेर	240210	225471	9414207820
शिक्षा विभाग					
1	श्रीमती इन्द्रा सिंह	संयुक्त निदेशक शिक्षा	–	–	9887368290
	श्री प्रेमसिंह कुन्तल	जि0शि0अधि0माध्य.मुख्या.	223556	223474	9414485241
	श्री विष्णु भगवान	जि0शि0अधि0प्रार0.	224711	–	9413309144
2	श्री महेशचन्द शर्मा	एडीपीसी रमसा	220643	–	9351366236
विश्वविद्यालय/कालेज					
1	डॉ0अजय कुकरेजा	प्राचाय, मेडीकल कॉलेज	–	–	9873343304
2	श्री राजेश गोयल	रजिस्ट्रार, बृज विश्वविद्यालय	220560	–	9414333175
3	श्री ओमप्रकाश महावर	प्राचार्य, MSJ कालेज	223641	225660	9166636119
4	लता	प्राचार्य, RD Girls कालेज	222774	223185	9414304909

5	श्री नीरज शर्मा	प्राचार्य, पौलिटेक्निक कॉलेज	222554	—	9828040014
6	डॉ0अनीता टांक	प्राचार्य, महिला पॉलिटैक्निक कॉलेज	—	—	9414718347
नगर सुधार न्यास					
1	श्री दाताराम	सचिव, यू0आई0टी0	222695	222663	9414219570
2	श्री विष्णु गुप्ता	उप नगर नियोजक	228346	—	9214352946
उद्योग विभाग					
1	श्री बाबूलाल मीणा	महाप्रबंधक	222422	223601	9414364625
2	श्री रमेशचन्द	सहा0निदेशक खादी	—	—	9828196549
3	श्री वीरेन्द्र सिंह	जिला उधोग अधिकारी	—	—	9414693815
4	श्री योगी	पीए डीआईसी	—	—	9667851170
5	श्री बी.एल.मीणा	रीजनल मैनेजर, रीको	222881		9414040691
6	श्री अरूण गुप्ता	मैनेजर, आर0एफ0सी0	222779	223823	9414097476
कृषि विभाग					
1	श्री देशराज सिंह	संयुक्त निदेशक, कृषि	222666	222092	94147139769 468963272
2	डॉ0धर्मपाल	उप निदेशक, कृषि	222604	—	9414693845
3	श्री कैलाश मीणा	अधिशाषी अभि0, कृषि विपणन बोर्ड	222675	—	941338798
4	डॉ0 अमर सिंह	प्र0अधि0कृषि विज्ञानकेन्द्र कुम्हेर	240691	222438	9414486052
5	श्री राजपाल सिंह पूनीया	अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी समिति	—	—	9414973349
6	श्री रामलाल पुरोहित	संयुक्त निदेशक, कृषि (तिलहन)	—	—	9413385322
सहकारिता विभाग					
1	श्री सुधीर बंसल	अति0रजिस्ट्रार	223594	222528	9413851911
2	श्री सत्येन्द्र मीणा	उप रजिस्ट्रार	222979	—	9982114122
3	श्री वी0के0वर्मा	एम0डी0, सी0सी0वी0	222766	—	9460180559
4	श्री शंकर लाल	सचिव, भूमि विकास बैंक	—	—	9414979980
5	श्री आर0के0मीणा (कार्य0)	जीएम आईसीडीपी (संयुक्त रजिस्ट्रार)	233441	—	9413190318
6	श्री ओ0पी0माहेश्वरी	प्रबंध संचालक, को0डेयरी	221424	231145	9928064642
7	श्री अमृतसिंह	अध्यक्ष को0डेयरी	221424	—	7023003512
8	श्री राजीव शर्मा	जीएम भंडार, इन्दरराज 9929804443	—	—	9414376943
9	श्री शिवचरन मीणा	मैनेजर क्रय—विक्रय	238661	—	—
आबकारी विभाग					
1	श्री प्रकाश रैगर	जिला आबकारी अधि0	225477	236053	9530396104
2	श्री अरूण अग्रवाल	इन्सपैक्टर आबकारी	225477	—	9413502124

श्रम विभाग					
1	श्री ओ0पी0सहारण	संयुक्त श्रम आयुक्त	297016	—	9413060194
2	श्री हसीना बानो	लेवर वेलफेयर ऑफीसर	297016	—	8118895405

नेहरू युवा केन्द्र					
1	श्री सुनील राना	उप निदेशक, नेहरू युवा केन्द्र	260672	223103	9414028288
2	श्री जगदीश	लेखाकार, नेहरू युवा केन्द्र	—	—	9785072123
महिला एंव बाल विकास विभाग					
1	श्री अमित गुप्ता	उप निदेशक (कार्य0)	223688	—	9414210320
2	श्रीमती सुशीला देवी	सी0डी0पी0ओ0 भरतपुर	222366	—	9829850803
आवासन					
1	श्री ओ0पी0बैरवा	अधि0अभि0	223672	225150	9828551606
2	श्री रामेश्वर चौधरी	सहा0अभि0	223672	—	9982634555
3	श्री पृथ्वीसिंह	सहा0अभि0, आवास विकास लि0	—	—	9649998888
4	श्री एस.एस.रिजवी	सहा0अभि0, आवास विकास लि0	—	—	9414087786
राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग					
1	श्री राजबहादुर	संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा	228207	—	9413348568
2	श्री गौरव	उप निदेशक, GPF	222123		9784578303
विविध केन्द्रीय कार्यालय					
1	श्री पी.के.राय	निदेशक, एन0आर0 सी0आर0एम0	260495	260381	9549810486
2	डॉ0 अशोक शर्मा	एनआरसीआरएम	—	—	9549157392
3	श्री ओमप्रकाश	मौसम, एनआरसीआरएम	—	—	9414714433
4	डा0 नंजदन	इन्चार्ज गैस्ट हाउस एनआरसीआरएम	—	—	9571459442
5	श्री आर0के0मीना	सेन्ट्रल आरकेलौजी डीग	—	—	9414716068
6	श्री गोपाल शर्मा	अधीक्षक सेन्ट्रल एक्साइज, भरतपुर	223392	226510	—
बैंक					
1	श्री उमेश दीक्षित	एजीएम, आर.बी.आई.			9929034647
2	श्री योगेश माथुर	क्षेत्रीय प्रबंधक, आरजीबी	224610	222530	7727006501
3	श्री आर.एस.चौहान	एल0डी0एम0, पी.एन.बी.	222463	223708	8003898462
4	श्री संजीव सिंगला	मुख्य प्रबंधक, पीएनबी	223915	—	9602669922
5	श्री ए0एल0 यादव	चीफ मैनेजर, बैंक आफ इण्डिया	222492	—	—
6	श्री पी.के.मित्तल	ए.जी.एम., एस.बी.आई.	—	—	9061030322
7	श्री ए.के. अग्रवाल	सी0मैनेजर, एस.बी.आई. बीनारायनगेट	231415	223340	8384982376

8	साक्षी गुप्ता	एस0बी0आई0कलै0ब्रान्च	222502	232112	9950048258
9	श्री जे.पी.मीणा	सीएम एसबीआई कुम्हेर गेट	226086	—	700026602
10	श्री एम0के0राजोटिया	मैनेजर राज0बैंक मथुरा गेट	—	—	9314421286
11	श्री ओ0पी0गुप्ता	सी0मैनेजर औरियन्टल बैंक	260270	—	9828130655
12	श्री अमित लोहिया	मैनेजर आईसीआईसीआई बी—नारायन गेट	—	—	8003295844
13	श्री रवि निठाला	एक्सिस बैंक	—	—	8875007901
14	श्री आरसी शर्मा	रीजनल हैड,बैंक आफ बडोदा	—	—	8094018471
15	श्री अभय कुमार सिंह	डी.डी.एम. नाबार्ड	220186	220186	8949864239
विश्राम भवन					
1	श्री अजीत उचोई	निदेशक, केवलादेव (शांति कुटीर)	222777	222824	9410992675
2	श्री के.पी.सिंह	मैनेजर, फौरेस्ट लॉज	222760	—	7665620890
3	श्री श्याममोहन सिंघल	मैनेजर, सर्किट हाउस	223766	—	9414208605
4	श्री मोहन लाल सिंघल	सीनियर हाउस कीपर सर्किट हाउस	223766	—	9414307829
5	श्री मुकेश जैन	सीनियर हाउस कीपर सर्किट हाउस	223766	—	9414240931
6	श्री दिलीप सिंह राठौढ़	उप निदेशक, टयूरिज्म	222542	—	9414337204
7	श्री अरविंद सौंखिया	मैनजर, सारस (कार्य.)	223790	—	9875126330
8	श्री पदमसिंह	सहा0 मैनेजर सारस	—		9460608375
होटल्स					
1	श्री राम मीणा	एम0डी0, आर.टी.डी.सी.	0141—5115777		9413300777
2	कुंवर रघुराज सिंह	होटल लक्ष्मी विलास	223523	231199	9414024152
3	श्री देवेन्द्र तिवारी	होटल पार्क पैलेस	223051	234037	9414023173
4	श्री विजय बंसल	होटल दी पार्क	233192	223254	9414023149
5	श्री विष्णु सिंह	होटल दी बाग	228333	—	9414023559
6	श्री गौरव गुप्ता	होटल कदम्ब कुंज	220122	—	9414023709
7	श्री होतीसिंह लाम्बा	होटल ईगल नैस्ट	225145		9414023160
8	श्री रनवीर सिंह	होटल सनबर्ड	225701		9414205767
9	श्री कृष्णकुमार	होटल क्रेनक्रेव	222224		9414026140
स्वयंसेवी संस्था					
1	श्री पवन खंडेलवाल	रेडक्रास	—	—	9414023859
2	श्री एस0आर0गुप्ता	एग्जी0डायरेक्टर, ल्यूपिन	225247	225463	9414023271
3	श्री शरद चतुर्वेदी	केयर भरतपुर	233160	—	9828581316 9761999223
4	डॉ0बी0एम0भारद्वाज	अपनाघर	224694	—	9950737673

					9414023049
पोस्ट आफिस					
1	श्री एस.सी.शर्मा	अधीक्षक	222125	236306	7597437447
2	श्री ओ0पी0 गोठिया	मुख्य डाक घर	230709	–	9602798985
3	श्री राजेश शर्मा	एस0आर0ओ0–आर0एम0 एस0	238312	237550	9461074200
दूरसंचार विभाग					
1	श्री एल.एन.मीना	महाप्रबंधक	231000	232000	9414001625
2	श्री एन.एल.मीना	उप महाप्रबंधक	226700	226800	9413394610
3	श्री जे.पी.गौड	डी0ई0 एडमिसटेशन	222000	228500	9413394844
4	श्री भगवानसिंह	एस0डी0ओ0फौन्स	228510	223448	9413395977
5	श्री आर.पी.मीना	मुख्य लेखाधिकारी	226200	236677	9414001536
6	श्री आर आर कलवार	ए0ओ0(राजस्व)	234826	–	9413395931
7	–	सी0 डॉट	220000	–	–
8	–	फॉल्ट कन्ट्रोल	198	228510	–
9	श्री सी.पी.सिंह	एसडीओ ब्राडबैण्ड	–	–	9413395148
10	–	लोकल इन्क्वायरी	197	–	–
रेलवे – डीआरएम		आगरा–09760536000 / 2420650 (फै0)	0562–2421200	2421201	–
1	श्री मधुसूदन राव	डी0आर0एम0कोटा (कोड–0744)	2467000	2467159	9001017000
2	श्री ओ.पी.मीना	एस0एस0, रेल्वे – भरतपुर 9001017574	238274	227151	8386962774
3	श्री चन्द्रशेखर शर्मा	पर्यवेक्षक आरक्षण–डिवी. इंजी 9001017250	238382	–	9460963111
4	श्री बनय सिंह	पूछताछ रेल्वे	139	–	9887323235
5		वरिष्ठ वाणिज्यक प्रबंधक, कोटा	0744–2467014		
6	श्री बाबूखान	थाना जी0आर0पी0	238315	–	9414240656
राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष (आपदा प्रबन्धन, सहायता एंव नागरिक सुरक्षा विभाग, राज0जयपुर)					
1.	श्री बृजेन्द्र सिंह	विशेषाधिकारी प्रथम, ईओसी, आपदा प्रबन्धन एंव सहायता विभाग, जयपुर फैक्स – 0141–2227230	0141–2227885 2227296	–	9414000240
2	केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष	जल संसाधन, जयपुर फैक्स – 0141–2702672	0141–2702480	–	–
3		उप निदेशक(हाईड्रोलोजी) जल संसाधन, जयपुर	9649191165	–	–
4		भारत मौसम विज्ञान विभाग, जयपुर फैक्स – 0141–2793254	0141–2173733		

निकटवर्ती जिलों के जिला कलक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक					
आगरा – एस0टी0डी0 कोड – 0562					
1	श्री अनिल कुमार	संभागीय आयुक्त 2464718	2226812	2226533 2226536	9454417491
2	श्री एन.जी.रविकुमार	जिला मजिस्ट्रेट	2260184	2466210 2464718	9454417509
3	श्री अजय आनन्द	ए.डी.जी0 पुलिस	2463347	226100	9454400178
4	श्री लव कुमार	डी.आई.जी. पुलिस	2265736	2227255 2227256	9454400197
5	श्री एस.के.सक्सैना	इन्चार्ज–एयरपोर्ट, आगरा	2400569	2400570	9837035605
मथुरा – एस.टी.डी.कोड 0565					
1	श्री सर्वज्ञ मिश्र	जिला मजिस्ट्रेट (फैक्स 0565–2404613)	2471152 2404613	2403200 2505225	9454417512
2	श्री सिद्धार्थ अनिरूद्ध	एस0एस0पी0	2404600	2409620 2409620	9454400298
3	श्री ए.के. अवस्थी	एडीएम एफ.आर.	2471128		9454417583
गुडगांवा – एस.टी.डी.कोड 0124					
1	श्री मौ.शाईन	सम्भागीय आयुक्त	2324033	2324023	8146111222
2	श्री अमित खत्री	जिला मजिस्ट्रेट	2325500	2320508 2303333	8901241678
3	श्री के.के.राव	पुलिस कमिश्नर	2311200	2311200	9999981801
नूंह मेवात – एस.टी.डी.कोड 01267					
1	श्री पंकज	जिला मजिस्ट्रेट	274602	274605	9050605267
2	संगीता कालिया	एस0पी0	274617	274647	8930900200
फरीदावाद – एस.टी.डी.कोड 0129					
1	श्री अतुल कुमार द्विवेदी	जिला मजिस्ट्रेट	2227936	2227272 2226262	9667121789
2	श्री ए.एस.चावला	पुलिस कमीश्नर	2438000	–	9582200100
पलवल – एस.टी.डी.कोड 01275					
1	श्री के.एम.पांडुरंग	जिला मजिस्ट्रेट	248900	248901	9466875511
2	श्री वसीम अकराम	एस0पी0	298069,70,	246800	8814000400
करौली – एस.टी.डी.कोड 07464					
1	श्री नन्नूमल पहाड़िया	**जिला कलक्टर**	250122	–	9414033400
2	श्री सुरेश कुमार	**प्रभारी अधिकारी, सहायता**	250205	–	9660409999
3	–	**नियंत्रण कक्ष, कलक्ट्रेट**	251335	–	–

<u>एनेक्जर–3</u>

जिले में आने वाली बाढ़ों से काफी बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है। प्रभावित गांवों की तहसीलवार सूची निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	तहसील का नाम	प्रभावित गांवों की संख्या
1	भरतपुर	55
2	नदबई	41
3	बयाना	29
4	रूपवास	54
5	डीग	27
6	कामां	95
7	नगर	19
8	वैर	68
9	कुम्हेर	63

बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांव

बाणगंगा नदी के संवेदनशील बिन्दुओं के टूटने पर बाढ़ से प्रभावित होने वाले मुख्य–मुख्य गांवों की सूची :–

1. पथैना हैड से ऊपर ओवर फ्लोईंग होने पर

पथैना केनाल हैड के ऊपर साइड से बांयी तटबंध से ओवर फ्लोईंग होने पर मुख्यतः निम्न

गांव बाढ से प्रभावित होते हैं ।

तह.–वैर पथैना, महाराजपुरा, नवलपुरा, खदराया, नैवारी, अखैगढ, सेमपुर, से होकर खुर्रमपुर

नहर में गिरता है,

तह.–नदबई आगे भदीरा, उसेर

तह.–कुम्हेर तथा दहवा, बिरहरू, कुरवारा, लांकी, थेरावर, उसरानी

तह.–डीग सिनसिनी, माढेरा डीग तहसीलों के गांवों को प्रभावित कर होम्स कैनाल में मिलता है ।

2. सैडल नं. 2 व सैडल नं. 3 के टूटने पर

सैडल नं.3 के टूटने पर आंशिक प्रभाव ही पड़ता है जबकि सैडल नं.2 के टूटने पर बाणगंगा नदी का सम्पूर्ण बहाव ही बदल कर भरतपुरशहर की तरफ हो जाता है। इससे प्रभावित होने वाले गांवों की तहसीलवार सूची निम्न प्रकार है –

तह.वैर–भैसीना, बिजवारी, जहानपुर, सरसेना, मुखैना, भूतौली, न. हेतराम, पाली, नया गांव, गाजीपुर इत्यादि ।

तह.नदबई–न्यौठा, नूरपुर खांगरी, नाम, झारकई, गुदावली, अरोदा, हन्तरा, डहरा, रैना, बीलौठ, शाहपुर, बुखारी, कवई, बैलारा, रायशीश, नदबई, लुलहारा शाहपुर, पहरसर, गादौली इत्यादि ।

तह.कुम्हेर–पपरेरा, भटावली, गुहावली, आजउ, पाहुआ, धनवाडा, पूंठ, चकबनी, न. मना, नगला गंगा, चिमनी, सरसई, बांसरौली, बावेन, सत्यनगर, डहरा, बौरई, सैह, इत्यादि से होम्स कैनाल द्वारा मोतीझील में होकर बाढ़ का पानी निकलता है ।

तह.भरतपुर–हेलक, हिण्डौला, बहुआ, सिनपिनी, सेवर, गुदावली, पडौला, सीही, बनी, भाण्डौर, अवार, तुहिया इत्यादि ।

3. बारा, ललितया मूडिया, मंदिर गांव, धरसोनी, बरखेडा से बांये तटबंध के टूटने पर –

तह.वैर हलैना, खेडली गूजर, मूडिया, न्यामदपुर, हतीजर, धरसोनी, मंदिरगांव, बेवर, तह.नदबई–झामरी, डहरा, अरौदा, हन्तरा, शाहपुर, बीलौठ, बरखेडा, लुलहारा, से फिर सैडल नं.2 के बाद रास्ते पर प्रभावित नदबई, कुम्हेर व भरतपुर तहसील के गांवों में होकर बाढ़ का पानी गुजर कर पड़ने वाले गांवों को प्रभावित करता है।

4. खरवेरा दांये तटबंध के टूटने पर

भारी बाढ़ की स्थिति में ही इस कोर्स से गांव प्रभावित होते हैं जो कि निम्न हैं–

तह.वैर रमासपुर, खरवेरा के पास के नगले, नया बरखेडा, बांसी, लुहासा

तह.बयाना गुर्धा, नगला होता, फरसो, खोरा, पिदावली, नगला बहादुरिया, वीरमपुरा, मिलकपुरा, सिंघाड़ा होकर पिचूना नहर में मिलता है।

5. बरखेडा, नगला मई के टूटने से प्रभावित गांव –

तह.नदबई – बरखेडा, नगला मई, मई लखनुपर, रेाहिला, जहांगीरपुर, बछामदी, सैंत,

तह. भरतपुर – मुरवारा, अड्डी बंध के द्वारा मोतीझील से गुजरता है ।

6. शेखपुर, दूदूपुरा दांये तटबंध के टूटने पर प्रभावित होने वाले गांव –

तह.बयाना – खेडली गढासिया, दूदूपुरा

तह.नदबई – गोबरा, शेखपुर, जहांगीरपुर

तह.रूपवास – बहरा रेखपुरा पना, नगला तेहरिया,

गम्भीर नदी के संवेदनशील बिन्दुओं के टूटने पर बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों की सूची

1. पांचना बांध के काफर डेम टूटने पर

तह.रूपवास–रीठौठी, पीपरी, मिलकपुर, हाडौली, कुन्देर, मुढेरा

2. चौखण्डा से दांये तटबंध टूटने पर –

तह.रूपवास–चोखंडा, ककरऊआ, कंजोली, माडापुरा, श्रीनगर, बोसोली, मडोली

3. कुरका मार्जिनल बंध के टूटने पर

तह.रूपवास–कुरका, पीलू का नगला, छटी का नगला, सोनौठी, बहरावली, मदरियापुरा, बंशी बागरी, भैंसा

4. खुडासा बंधली के टूटने पर –

तह.रूपवास–खुडासा, बाघा, चन्दनपुरा, चक खुडासा, चांदौली

5. अत्यधिक पानी आने की स्थिति में

तह. बयाना – के नदी के तटबंधों के पास बसे निम्न गांवों को प्रभावित करता है – चीकरू, पीपरिया, धुरेरी, मावली, महरावर, नदी का गांव, नहरौली, चक बीछी

तह.रूपवास–दाहिना, महलपुर काछी, मुर्रिका, कांधौली, दौलतगढ, सिकरौदा, पिचूना, रसीलपुर, मिल्सवां, देवरी, पांड्री, मैरथा

रूपारेल नदी के संवेदनशील बिन्दुओं के टूटने पर बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों की सूची

तह.नगर सीकरी, गाजूका, गोलपुरा, कैथवाडा, रॉफ, डाबक, मातूकी, पथरौली, खेरली, रामपुरा, मोहनपुरा, निहाय, पीपलखेडा, वर्दी, सतवारी, बिहारी, आलमपुर,गोपालगढ, नगर, जयश्री, बेरू, विधारी, कुरकैन, बनौरी, धोकला, पडलवास, इत्यादि ।

तह.कामां सहसन, लाडलाका, हुसना, कबतरिया, हल्का, खेडली काजी, वमनपुरा, कचनेरा करहरी, सादपुरा उहलखेडा, खेडा नानू, घोसिंगा, ईखनका, मूसका, काकनखेडी, सागवैर, मल्हाका, हीराहेडा इत्यादि गांव।

तह.डीग ककड़ा बेडम, पूछरी, डबारा, जनूथर, मौरोली, कुचावटी, अऊ, डीग, क्षोह, महमदपुर, बंधा चौथ, बहत, खालसा, बरई, निगोही, शहपुर, बहज, दिदावली माढेरा, तमरेर, करऊआ, सेंहती, न. चाहर, कटैला, इत्यादि।

तह.कुम्हेर गांगरौली, नगला कूम्हां, नगला लखन, नगला समनका, इन्दूका, नगला दांदू का, नगला खनका, अधैया, सूरौता, सुनारी, अभोर्रा, बेलारा, नगला गोपाल, बाबूला, सेह, बोरई, बावेन, उवार, डहरा से होकर होम्स कैनाल द्वारा मोतीझील में बाढ़ का पानी निकलता है ।

तह.भरतपुर भांडोर, सोगर, तुहिया, अवार, भरतपुर शहर क्षेत्र, जघीना, पीपला, बछामदी, नोह, मैनड्रेन के आस पास के गांवों को प्रभावित करता है ।

बाण गंगा नदी के संवेदनाशील बिन्दुओं के टूटने पर बाढ़ से प्रभावित होने वाले मुख्य–मुख्य गांव

तहसील भरतपुर

1. धानौता 2. बांसीखुर्द 3. बांसी कला 4. रूंध बांसी खुर्द 5. चितोकरी 6. नगलाभान 7. नगला धर्म सिंह 8. झारौली 9. हिण्डौला 10. सेवर 11. घाट 12. दारापुर 13. दारापुर नं1 14. दारापुर नं. 2 15. चक नगला फटियार 16. नगला फटियार 17. नगला टीकेता 18. चक टीकेता 19. चक नसवारिया 20. चक काजी 21. अघापुर 22. चक श्योरावली 23. चक श्यो सिंह 24. चक कुरका 25. चक धोबी 26. चक चौका 27. कपरौला 28. कपरौली 29. चक ऊंचा गांव 30. धनागढ. 31. मई गूजर 32. सनहूली 33. चिचाना 34. गहनौली 35. नगला दूल्हेराम 36. नगला सोलम 37. कल्याणपुर 38. नगला कल्यानपुर 39. नगला अजान 40.अजान 41. चक कपरौली 42. सुनारी 43. खैमरा 44. मांझी 45. ऊंचा गांव 46.खरेरा 47.खडेरा 48. चक एक्टा 49. रामनगर 50. चक रामनगर 51. श्योराना 52. कूम्हां 53. बहनेरा 54. चक बहनेरा 55. नगला अभयराम

<u>तहसील नदबई</u>

1. महरमपुर 2. डहरा 3. बीलोठ शाहपुर 4.रैना 5. बझेरा 6. गुदावली 7. नाम 8. पहरसर 9. लुलहारा 10. हन्तरा 11.गादौली 12.हसनपुर 13. झारकई 14.घोसिंगा 15.खेडिया ब्राह्मण 16. अरोदा 17. खेडी देवी सिंह 18.बैलारा 19.लालबाग 20.खटोटा 21.नगला खटोटी 22. बढवारी कलां 23. बुढवारी खुर्द 24. कवई 25. बिनऊआ 26. सेवला 27. नगला बुढवारी खुर्द 28. डांगरो 29. चौंठा 30.नूरपुर 31.रायसीस 32. कलां बड़ा 33. पीली 34. नगला मई 35. मई 36. गोबरा 37. होता 38. अस्थल 39. जहांगीरपुर 40. पींगोरा 41. अटारी

<u>तहसील बयाना</u>

1. कस्वा बयाना 2. मुर्रिका 3. सिंघान खेडा, 4. खीसराय, 5. नगला झामडा. 6. चक नावली 7. मोरपुर 8. फरसो 9. नगला बहादुरिया 10. चक वीछी 11. नगला कुलाटिया 12. नगला खुशफहम 13. नगला भेद सिंह 14. नदीगांव 15. मिलकपुर 16. सेवला 17. मोलोनी 18. चोखण्डा 19. बड़ोदा 20. पुरावई खेडा 21. साधपुरा 22. बहल 23. नगला निर्माण 24.विडयारी 25. पीलूपुरा 26. सिंघाड़ा 27. वीरमपुरा 28. शेखपुर 29. दूंदूपुरा

<u>तहसील रूपवास</u>

1. महलपुर काछी 2. मुर्रिका 3. कांधोली 4. भैंसा 5. वंशी वागरी 6. वेदपुरा 7. महल 8. वारिया 9.खुडासा 10. चन्दनपुरा 11. चक खुडासा 12.जिन्दपुरा 13. चांदोली 14.सोनोकी 15. मदरियापुरा 16. नगला भगवत 17. नगला राम 18. बहरावली 19. दौलतगढ 20. सिकरौदा 21. पिचूना 22. माडापुरा 23. ककरवा 24. कंजोली 25. खातीपुरा 26. मंडौली 27. बोसोली 28. श्रीनगर 29. सूपरा 30. निभेरा 31. रतऊआ 32. रसीलपुर 33.सीनेर 34. दाहिनागांव 35. मिल्सवां 36. मोरोली डहर 37.पोहरी 38. वैरवा 39. पना 40. नगला तेहरिया माफी 41. नगला दौजा 42. शेरी खुर्द 43.रहीमपुर 44. बहरा रेखपुरा 45. मुडेरा 46 नेकपुर 47. चुरारी गूजर 48. गहलऊ 49. कैमासी 50. तुहिया पट्टी 51. कारा माफी 52. पनोह 53. नगला बीजा 54. नगला तेरहिया इत्यादि

<u>तहसील डीग</u>

1. कस्वा डीग 2. घसारी 3. चक घसारी 4. दीनापुर 5. रासका 6. रौनीजा 7. अढावली 8. निगोही 9. अऊ 10. डहरखोह 11.मधुवना 12. ककड़ा 13. अनजीरी 14. डभादा 15. महमदपुर 16. बरई 17. नगला खोह 18. बंधा चौथ 19.श्योपुरा 20. बंधा खालसा 21. शाहपुर 22. बेढम 23. मालपुर 24. किशनपुरा 25. अचलपुर 26. चक ऊंदरा 27. फना 28. गिरसे

तहसील कांमा

1. सहजन 2.लाडलाका 3.हूसना 4.कवतरिया 5.हल्का 6.खेडली काजी 7.वमनपुरा 8. कंचननेर 9. करहरी 10.सादपुरा 11.उहलखेडी 12. खेडा नानू 13. घोसिंगा 14. सबलाना 15. दाहिना 16. वानिया कलां 17. सोमका 18. खेराका 19. बड़ौदा 20. ईशनका 21. मूसाका 22.चानिया खुर्द 23. जीराहेडा 24. बहादुरपुर 25.काकनखोरी 26.सांगवेर 27. मल्हाका 28.धोरा 29. भीमाका 30.खल्लूका 31.सामराका 32.खेडा अलीमुद्दीन 33. धीमरा 34.कस्वा कांमा 35. नन्देरा 36.गुडगांवा 37. आसूका 38. सतवास 39.आराजी सतवास 40.पालडी 41.नगला सीताराम 42. कुलवाना 43. नगला कुलवाना 44.दिलावटी 45.उदाका 46. टैंकोरा 47. धनवाडा 48. बझेरा 49.डाना 50. नरोला 51.अकासा 52.राधानगरी 53.तुन्हारा 54. कनवाडा 55. अगमा 56.छिछरवाडी 57. रूंध कनवाडा 58. करमूला 59. मुदाका 60. लालपुर 61. कलावटी 62.ऊधन 63. मूसेपुर 64. खेडली बल्लो 65. समधारा 66.नौगांवा 67.वादीपुर 68. नगला वादीपुर 69. कोतका 70. नितबाड़ी 71. यामनी 72. खेंचातान 73. नगला डूबोखर 74. नगला मोगरा 75. नगला खोहरा 76. नगला बल्देव 77. नगला जालिम सिंह 78. ऐंचवाडा 79.सहेडा 80. बसई डहरा मय लोहागढ़ 81. नगला दादू 82. खेडली गुमानी 83. नगला कुन्दन 84. किरायता 85. चम्बाड़ी 86.पथराली 87. नावड़ी 88. रसूलपुर 89. नौनेरा 90. पन्डारा 91. सबलगढ 92. पाई 93. धुहरा 94. बावरी

तहसील नगर

1. सीकरी 2. खेडेकमा 3. गाजूका 4. गोलकी 5. कैथवाडा 6. रॉफ 7. डाबक 8. मातूकी 9. पथराली 10. खेरली 11. वूडली 12. रामपुर 13. मोहनपुर 14. निहाम 15. पीपलखेडा 16. वर्दी 17. सतवारी 18. बिहारी

तहसील वैर एवं भुसावर

1. नैवाड़ा 2. नैवाड़ी 3. बिजवारी 4. रूंध नैवाडी 5.आमोली 6. मूडिया जाट 7. झालाटाला 8. भूतौली 9. मुखैना 10. जहानपुर 11. नगला हेतराम 12.रहीमगढ 13. बबला बंध 14. नगला कोठारी 15. ताजपुर 16. झरनिंग 17.बारा खुर्द 18. गांगारोली 19. सिंगरावली 20. हिसामडा 21. मूडिया साद 22.शाहपुरा 23. गादौली 24.धरसोनी 25.न्यामदपुर 26. हतीजर 27. ओना खुर्द 28. सिदीकी 29. पाली 30. जेठली गूजर 31. बेवर 32. सरसेना 33. भैसीना 34. गाजीपूर 35.खदराया 36. बाछरैन 37. अनु 38. आराजी बवेखर 39. नवलपुरा 40. महाराजपुरा 41. बवेखर 42. नारौली 43. खानपुर 44. हींगोटारकलां 45. सलेमपुर खुर्द 46. चैंटोली 47. गनावेती 48. झारोटी 49. मालाहेडा 50. छोंकरवाडा 51. छोंकरवाडा खुर्द 52. गोविन्दपुरा 53. गढी साद 54. कमालपुरा 55. मुखैना 56. खरवेरा 57. रमासपुर 58. चक धरसोनी 59. मौलापुरा 60. बांसी 61. गढ बांसी 62. बरखेडा 63. जटबलाई 64. चक खेडली गूजर 65. उम्मेदपुरा 66. अजरोदा 67.दीवली 68. इटामदा

एनेक्जर–5

सुरक्षित स्थानों की सूची

क्र.सं.	नाम तहसील	स्थान का नाम
1.	वैर	रा.उ.मा.विद्यालय, वैर
2.		रा.उ.मा.विद्यालय भुसावर
3.		रा.मा.विद्यालय, सरसैना
4.		रा.उ.मा.विद्यालय, हलैना
5.		रा.मा.विद्यालय ललिता मूडिया
6.		रा.मा.विद्यालय, छोंकरवाडा
7.		रा.मा.विद्यालय, बाछरैन
1	नगर	रा.सी.मा.वि. सीकरी
2		रा.प्रा.वि. जयश्री
3		रा.प्रा.वि. रायपुर सुकेती
4.		रा.मा.विद्यालय डाबक
5		रा.मा.विद्यालय, पालका
6.		रा.मा.विद्यालय वेरू
7.		रा.मा.विद्यालय सुन्दरावली
8.		सिटी स्कूल, बोर्डिंग हाउस, नगर पालिका, वैर नगर कस्वा
1.	नदबई	अग्रवाल धर्मशाला,
2.		जगवायन धर्मशाला,
3.		रा.सी.मा.वि. नदबई
1.	बयाना	रा.मा.वि. कलसाडा,
2.		रा.मा.वि. खरैरी, बागरैन
3.		रा.उ.मा.वि. समोगर,
4.		रा.सी.मा.यवि. बयाना
5.		कन्या उ.मा.वि. बयाना
6.		रा.उ.मा.वि. खेडली गडासिया
7.		रा.उ.मा.वि. लहचौरा
8.		रा.उ.मा.वि. ब्रह्मवाद
9.		अग्रवाल धर्मशाला, बयाना
1	रूपवास	रैस्ट चौकी रूपवास
1.	कांमा	कोट ऊपर कांमा
2.		जैन धर्मशाला कांमा,
3.		अग्रवाल धर्मशाला
4.		खण्डेलवाल धर्मशाला कांमा
5.		रा.उ.मा.वि. कांमा,
6.		पहाड़ स्थल नन्देरा
7.		रा.मा.वि. नौनेरा
8.		जी.एम.सी. नहर के बैंक
9.		पहाड़ स्थल, लेवड़ा

10.		पहाड़ स्थल कनवाड़ी
1	डीग	किशनलाल जोशी रा0सी0सै0स्कूल, डीग
2		मास्टर आदित्येन्द्र कॉलेज, डीग
3		पंचायत समिति भवन डीग
4		तहसील भवन डीग
1	पहाड़ी	ग्राम पंचायत भवन पहाड़ी
2		केहरीसिंह रा0उ0मा0वि0पहाड़ी
3		रा0उ0मा0वि0पहाड़ी

एनेक्जर–6

उपलब्ध संसाधन

जल संसाधन विभाग

क्र. सं.	नाम सामग्री	तादाद		
		भरतपुर खण्ड	डीग खण्ड	कुल तादाद
1.	खाली सीमेंट के कट्टे	11200	6000	17200
2.	खाली जूट के कट्टे	3450	–	3450
3.	बल्ली	130	25	155
4.	बान–मूंज	155 किलो	15 किलो	170 किलो
5.	सुतली	53 किलो	10 किलो	63 किलो
6.	नारियल रस्सी	50 किलो	10	60 किलो
7.	फावड़े बटों सहित	6	20	26
8.	परात	5	20	25
9.	बांस	500	200	700
10.	छाता	2	10	12

पम्प सैट (उपलब्ध संसाधन)

क्र.सं.	आईटम	मात्रा	स्थान का नाम
1	पम्प सैट इलैक्ट्रिक 7.5 एच.पी	4	कामां
2	पम्प सैट डीजल 40 एच पी	1	कामां
3	पम्प सैट डीजल 25 एच पी	1	कामां
4	पम्प सैट डीजल 15 एच पी	1	कामां
5	पम्प सैट डीजल 12 एच पी	1	वर्कशॉप भरतपुर
6	पम्प सैट डीजल 6 एच पी	2	वर्कशॉप भरतपुर
7	पम्प सैट डीजल 5 एच पी	2	वर्कशॉप भरतपुर
8.	पम्प सैट डीजल 7 एच पी	2	वर्कशॉप भरतपुर

नगर सुधार न्यास, भरतपुर

क्र.सं.	नाम वस्तु	तादाद
1.	फावड़े	5 नग
2.	परात	5 नग
3.	इंजन	3 नग
4.	टार्च (3 सैल)	2 नग
5.	पैट्रोमैक्स	3 नग
6.	छाता	2 नग

नगर निगम, भरतपुर

क्र.सं.	नाम वस्तु	तादात
1.	ट्रेक्टर	1 नग
2.	ट्रक	2 नग

3.	ऑटो ट्रिप्स	50 नग
4.	जे.सी.बी. मशीन	4 नग
5.	फायर वाहन	7 नग
6.	फ्लड लाईट	10 छोटी, 3 बडी
7.	रस्सा	80 मीटर

<u>आपदा प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षित गृह रक्षा स्वंय सेवकों की सूची</u>

क्र.सं.	नाम स्वंय सेवक	बैल्ट नं0	निवास का पता	मोबाईल नं0
1	2	3	4	5
9.	श्री प्रेम चन्द	27	जसवन्त नगर, भरतपुर	9667205848
10.	श्री दलवीर सिंह	30	सूरजपोल, भरतपुर	9950038142
11.	श्री भानू	38	गांधी नगर, भरतपुर	9549010335
12.	श्री बलवीर सिंह	43	गिराई लाइन, भरतपुर	9887787015
13.	श्री प्रदीप कुमार	48	गिराई लाइन, भरतपुर	9610652992
14.	श्री पीयूष शर्मा	49	रोज विला, भरतपुर	8947943802
15.	श्री प्रद्युमन	55	मडरपुर रोड, भरतपुर	9782683182
16.	श्री अशोक कुमार	63	बिजलीघर, भरतपुर	8560939102
9	श्री राजेश कुमार	72	एसटीसी हाउसिंहग बोर्ड	9694442865
10	श्री हरीकान्त	85	धौरमुई, भरतपुर	9875093714
11	श्री आविद खान	86	अल्लादीन का नगला	8107926786
12	श्री निहाल सिंह	106	जिरोली	9829514968
13	श्री जाकिर हुसैन	124	सूरजपोल, भरतपुर	9613685018
14	श्री महेन्द्र सिंह	128	पक्का बाग, भरतपुर	843783513
15	श्री पुष्पेन्द्र सिंह	131	नीमदागेट, भरतपुर	8741829898
16	श्री देवेन्द्र प्रसाद	142	जघीना गेट, भरतपुर	8824850995
17	श्री मोहन सिंह	153	हैड पोस्ट ऑफिस के पास	9460012435
18	श्रीकान्त	158	गिराई लाइन, भरतपुर	8233323366
19	श्री रोहतास	165	बछामदी	9460493053
20	श्री प्रदीप कुमार	200	नबाव गली, मथुरा गेट	9414584092
21	श्री नरेन्द्र सिंह	222	बीनारायण गेट, भरतपुर	8857980520
22	श्री नरेन्द्र कुमार	318	सूरजपोल, भरतपुर	9828863919
23	श्री गम्भीर सिंह	455	महुआ	9636325981
24	श्री मुकेश कुमार	483	जवाहर नगर भरतपुर	9887196602
25	श्री निहाल सिंह	491	तिलक नगर, भरतपुर	9828556674
26	श्री रामप्रकाश	494	मथुरागेट, भरतपुर	9649429994
27	श्री वीरीसिंह	502	कूॅम्हा	9636255370
28	श्री ताराचन्द	508	महुआ	7898812147
29	श्री लक्ष्मण सिंह	518	बीनारायण गेट, भरतपुर	9828289697
30	श्री भूपेन्द्र सिंह	610	महुआ	9783465684
31	श्री करतार सिंह	613	महुआ	9785651154
32	श्री भागीरथ	614	महुआ	7898812147

33	श्री अजय कुमार	617	मथुरा गेट, भरतपुर	9413238485
34	श्री दिलीप शर्मा	622	सोगर	9782634625
35	श्री सोनू कुमार	625	मथुरा गेट, भरतपुर	9785651154
36	श्री घनश्याम	626	सोगर	9660160910
37	श्री रामफूल	650	सी 43 इन्द्रानगर, भरतपुर	9882614619
38	श्री मुरारी लाल	652	महाराजसर	8560999803
39	श्री विजय सिंह	653	जघीना	8696108368
40	श्री संजय सिंह	663	जघीना	9414902782
41	श्री सूरजभान	666	बरसो	9772346492
42	श्री देवीसिंह	667	बरसो	7891359576
43	श्री गजेन्द्र सिंह	668	बरसो	9636955848
44	श्री देवेन्द्र सिंह	673	जघीना	9166652907
45	श्री जोगेन्द्र सिंह	680	धौरमुई, भरतपुर	9460181824
46	श्री अनिल कुमार	683	गोपालगढ, भरतपुर	7742791633
47	श्री ओमप्रकाश	717	हथैनी	9672823812
48	श्री रामभरोसी	727	जिरोली	9694227656
49	श्री भरतसिंह	734	घसौला	9694447221

नागरिक सुरक्षा, भरतपुर

क्र. सं.	नाम वस्तु	तादात
1	स्ट्रेचर	4
2	फाइवर रोप 14 एम.एम.	345′
3	टार्च 3 सैल वाली	17 (मरम्मत योग्य)
4	लाईफ जैकेट	12
5	हैलमेट	88
6	वेल्चा	13
7	फावडा	1
8	गेंती	6
9	कुल्हाडी	1
10	हेमर	2
11	क्रोवार	4
12	बिलाई	3
13	फर्स्ट एड बॉक्स	10
14	पोर्टेबल इनफ्लमेबल इमरजेन्सी लाइटिंग सिस्टम	1
15	सन का मोटा रस्सा	175 फुट
16	लाईफ बॉय	10
17	ड्रेगन लाईट	4 (2 नये व 2 इस्तेमाली)
18	वी.ओ.वी.रोप 9 एम.एम.	90 मीटर

साधारण तैराक नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवकों की सूची

क्र.	तैराक का नाम	सदस्य	पता	मो. नम्बर

सं.		संख्या		
1	श्री भूपेन्द्र	35	गोलपुरा पो0 मुरवारा, भरतपुर	9929463526
2	श्री भरत सिंह	44	गोलपुरा पो0 मुरवारा, भरतपुर	9649442783
3	श्री मानिक चन्द	94	विजय नगर कॉलोनी, भरतपुर	8740876944
4	श्री लेखराज	95	विजय नगर कॉलोनी, भरतपुर	8058809151
5	श्री प्रीतम सिंह	114	बीनारायण गेट, छोंकरा वाली बाखर, भरतपुर	9549764296
6	श्री सुखवीर सिंह	160	नगला पूठिया पो0 ऊँदरा, भरतपूर	9521357063
7	श्री बच्चू सिंह	175	चन्द्रशेखर स्कूल के सामने तिलक नगर, भरतपुर	9887378274
8	श्री वीरेन्द्र सिंह	190	नोह, वार्ड नं. 40, भरतपुर	8963891179
9	श्री राकेश सैनी	207	बीनारायण गेट, छोंकरा वाली बाखर, भरतपुर	9887471293
10	श्री शशिकान्त	220	म.नं. 67 खादी कॉलोनी, जवाहर नगर, भरतपुर	8561999004
11	श्री भागमल	229	गावं व पोस्ट मलाह, भरतपुर	7891087057
12	श्री सुन्दर सिंह	234	जवाहर नगर, भरतपुर	8104368660
13	श्री विजय शंकर	257	सहयोग नगर, भरतपुर	9784901515
14	श्री हरीश चन्द	504	इन्द्रा नगर कॉलोनी, भरतपुर	8875239347
15	श्री तेजवीर	514	इन्द्रा नगर कॉलोनी, भरतपुर	9785889942

एनेक्जर–7

निजी क्षेत्र में उपलब्ध मछुआरा नावों की सूची

क्र. सं.	नाव मालिक का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर	नाव चालक का नाम, पता एंव मो.नं.	नावों की संख्या	नावें उपलब्ध होने का स्थान
1	2	3	4	5
1	झमील खॉ/अल्लाबवश मछली मार्केट के पास, गोवर्धन गेट भरतपुर मो.नं. 9785754384	झमील खॉ/अल्लाबवश मछली मार्केट के पास, गोवर्धन गेट भरतपुर मो.नं. 9785754384	02 (मछुआरा नावें)	मछली मार्केट, गोवर्धन गेट, भरतपुर
2	श्री इरशाद अहमद/अब्दुल रहमान, मत्स्य ठेकेदार, बंध बारैठा, भरतपुर मो.नं. 983358884	श्री इरशाद अहमद/ अब्दुल रहमान, मत्स्य ठेकेदार, बंध बारैठा, भरतपुर मो.नं. 983358884	05 (मछुआरा नावें)	बंध बारैठा

निजी क्षेत्र में उपलब्ध मछुआरों के नामों की सूची

क्र. सं.	मछुआरों का नाम	आयु	पता
1	कदीर/झमील खां	30	मछली मौहल्ला गोवर्धन गेट, भरतपुर
2	मुस्तकीम/सलीम खॉ	42	
3	उस्मान/अब्दुल रहमान	43	
4	फज्जो/सुभान खॉ	48	
5	फकरूद्दीर/रसीद खॉ	36	
6	आफताब/फरजन्दअली	28	
7	अयूब/यूसुफ	45	
8	महबूब/यूसुफ	40	

एजेक्जर–8

चिकित्सा केन्द्रो की सूची

जिले में उपलब्ध सरकारी चिकित्सा केन्द्रो एवं प्राईवेट चिकित्सा केन्द निम्नानुसार हैः–

राजकीय चिकित्सालय

1. बाबू राजबहादुर मेमोरियल चिकित्सालय भरतपुर	05644–223633
2. टी0वी चिकित्सालय भरतपुर	05644–223712
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डीग	05641–220017
4. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बयाना	05648–220097
5. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भुसावर	05643–230020
6. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कामॉ	05640–200098
7. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगर	05641–242010
8. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवर	05644–261549
9. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रूपवास	05645–243044
10. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नदबई	05643–223032
11. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुम्हेर	05644–240562
12. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भरतपुर	05644–220320
13. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीकरी	05640–260232
14. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रारह	05644–27250
15. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैर	05643–272667

प्राइवेट नर्सिग होम

1. फतह सिंह हास्पीटल भरतपुर	05644–223025
2. चाइल्ड वैलफेयर हास्पीटल, भरतपुर	05644–225142
3. गुप्ता नर्सिग होम, भरतपुर	05644–223955
4. दिगम्बर हास्पीटल, भरतपुर	05644–223436
5. भरतपुर नर्सिंग होम, भरतपुर	05644–222836
6. तारा महेन्द्र हास्पीटल, भरतपुर	05644–225507
7. रस्तोगी नर्सिंग होम, भरतपुर	05644–236550
8. जिन्दल नर्सिंग होम, भरतपुर	05644–223368
9. अशोक नर्सिंग होम, भरतपुर	05644–260144
10. सिंघल नर्सिग होम, भरतपुर	05644–225867
11. किरन नर्सिंग होम, भरतपुर	05644–224653
12. अरोड़ा नर्सिंग होम, भरतपुर	05644–224650
13. आर्य नर्सिंग होम, भरतपुर	05644–223098
14. अग्रवाल नर्सिंग होम, भरतपुर	05644–223399
15. सलूजा नर्सिंग होम, भरतपुर	05644–222517
16. नीतम नर्सिंग होम, भरतपुर	05644–225088
17. संगीता नर्सिंग होम, भरतपुर	05644–238135
18. डा0 हरेन्द्र नर्सिंग होम, भरतपुर (नेत्र)	05644–238135
19. डा0 व्यास नर्सिंग होम, भरतपुर (नेत्र)	05644–222626
20. डा0 बापना नर्सिंग होम, भरतपुर (अस्थि)	05644–223311

21. डा0 महेश क्लीनिक, डीग	05641–220343
22. डा0 काजरा नर्सिंग होम, डीग	05641–230363
23. कृष्णा क्लीनिक, डीग	05641–220934
24. पाठक, क्लीनिक, डीग	05641–220314
25. डा0 वेदप्रकाश सिंघल क्लीनिक, डीग	05641–220554
26. गिर्राज क्लीनिक, डीग	05641–221139
27. गुप्ता क्लीनिक, डीग	05641–220217
28. गॉधी क्लीनिक, डीग	05641–220110
29. डा0 बी0 के0 बंगाली क्लीनिक, डीग	05641–220697
30. डा0 सी0पी0 गोदिया क्लीनिक, डीग	05641–220697
31. श्याम बंगाल चिकित्सालय, डीग	05641–221217
32. नत्थामल चिकित्सालय, कामॉ	05640–220359
33. डा0 आहूजा चिकित्सालय, कामॉ	05640–220206
34. डा0 लूथरा चिकित्सालय, कामॉ	05640–220150
35. डा0 महबूब चिकित्सालय, कामॉ	05640–220225
36. डा0 किशन चिकित्सालय, कामॉ	05640–220730
37. कामेश्वर चिकित्सालय, कामॉ	05640–220846
38. डा0 गोविन्द शर्मा, क्लीनिक, नगर	9414017814
39. डा0 लक्ष्मण क्लीनिक, नगर	05641–242377
40. नृसिंह नर्सिंग होम, बयाना	05648–220393
41. सिंह हास्पीटल, भुसावर	05643–230500
42. कल्सी चिल्ड्रन हॉस्पीटल	05644–262031
43. बलवीर हॉस्पीटल, भरतपुर	05644–224085
44. मानव सेवा हॉस्पीटल, भरतपुर	05644–237264
45. शर्मा हॉस्पीटल, भरतपुर	05644–231614
46. एस0आर0हॉस्पीटल, भरतपुर	05644–261361
47. एम0जे0हॉस्पीटल, भरतपुर	05644–226070
48. संजीवनी हॉस्पीटल, भरतपुर	05644–238120
49. डा0 कुसुम शर्मा, मेटरनिटी होम, भरतपुर	05644–229210
50. यशवन्त हॉस्पीटल,307कृष्णा नगर, भरतपुर	05644–220699
51. प्रदीप हॉस्पीटल, भरतपुर	05644–227222
52. गुरुनानक हॉस्पीटल, भरतपुर	05644–237029
53. विजय हॉस्पीटल, भरतपुर	05644–237599
54. डा0 पदमेश आई हॉस्पीटल, भरतपुर	05644–224321
55. गोपाल नर्सिंग होम दत्त मौ0 कांमा	05640–220098

एनेक्जर–9

श्री बृजेश कुमार सांवरिया – सहा.निदेशक, सूचना एंव जन सम्पर्क विभाग, भरतपुर – 9079327351

नेशनल न्यूज एजेन्सी

क्र. सं.	प्रतिनिधि का नाम	एजेन्सी	टेलीफोन नम्बर	मोबाईल नम्बर
1	श्री मुरारी लाल चौधरी,	प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (P.T.I.)	05644–223377	9460269477
2	श्री मनोज शर्मा	ETV	9413747347	9667063053
3	श्री देवेन्द्र सिंह	ब्यूरो चीफ जी न्यूज	–	9610083810
4	श्री दीपक लवानियां	समाचार प्लस रिपोर्टर	–	9414268477
5	श्री राजीव भट्ट	इण्डिया न्यूज राजस्थान	–	9414900900

राष्ट्रीय समाचार पत्र

क्र. सं.	प्रतिनिधि का नाम	समाचार पत्र	टेलीफोन नम्बर	मोबाईल नम्बर
1	श्री मेघश्याम पाराशर, सम्पादकीय प्रभारी	दैनिक राजस्थान पत्रिका	223344	9983445476
2	1. श्री प्रमोद कल्याण	ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर	231500	9672912203
	2. श्री विजय मित्रा	दैनिक भास्कर सम्पादक	–	9672862406
3	श्री देवेन्द्रसिंह	पंजाब केसरी समाचार पत्र	–	9610083810
4	श्री उमेश लवानिया,	दैनिक प्रातःकाल	–	9414223518
5	श्री नरेश खण्डेलवाल,	दैनिक अमर उजाला	222987	9414282945
6	श्री प्रकाश मोहन गुप्ता	दैनिक जागरण	–	9414023238
7	श्री प्रदीप शर्मा	Hindustan Times	–	9414944683

राज्य स्तरीय समाचार पत्र

क्र. सं.	प्रतिनिधि का नाम	समाचार पत्र	टेलीफोन नम्बर	मोबाईल नम्बर
1	श्री राजेन्द्र शर्मा ''जती''	दैनिक राष्ट्रदूत फैक्स 220210	223893 / 224604	9414023893
2	श्री हेमेन्द्र शर्मा	दैनिक समाचार जगत	–	9414025874
3	श्री देवेन्द्र बंसल	दैनिक अरुण प्रभा	222787	9414023358
4	श्री विजयसिंह चौहान	दैनिक पक्षी का संदेश	–	9413787564
5	श्री जगदीश अग्रवाल	दैनिक सांध्य ज्योति दर्पण	223780	9414023410
6	श्री संजीव चीनिया	दैनिक तस्वीरे भारत	–	9950952321

प्रेस फोटोग्राफर				
1	श्री विनोद शर्मा	दैनिक राजस्थान पत्रिका	–	9414268467
2	श्री सोमेन्द्र कान्हा	पंजाब केसरी	–	9414208420
3	श्री कैलाश नवरंग	दैनिक भास्कर	223587	9672864673 9610275230
4	श्री नवीन शर्मा	दैनिक अमर उजाला	225811	9414902220
5	श्री मुकेश कुमार	दैनिक प्रातःकाल	–	9680055560

नेशनल एवं राज्य स्तरीय टीवी चैनल

क्र,स	प्रतिनिधि का नाम	ज्ट बेंददमस	फोन नं.	मोबाईल नं.
1	श्री देवेन्द्र सिंह गुर्जर	Zee News ब्यूरो चीफ	—	9610083810
	श्री दिलीप सिंह	Zee News कैमरामैन	—	8426848998
2	श्री राजीव कुमार भट्ट	इडिया न्यूज/इंडिया टीवी	—	9414900900
3	श्री मनोज शर्मा	ईटीवी	9413747347	9667063053
4	श्री लोकेश नागर	ईटीवी रिपोर्टर	—	9887727371
5	श्री दीपक लवालियां	समाचार प्लस रिपोर्टर	—	9414268477
6	श्री रवि कटारा	फर्स्ट इण्डिया रिपोर्टर	—	9887523013

स्थानीय टीवी चैनल				
1	श्री धनेश चतुर्वेदी,	सम्पादक ब्रज न्यूज	—	9694317000
2	श्री सोमेन्द्र गोपालिया,	एसवीएम चैनल	05644—228384	9414307422

<u>एनेक्जर–10</u>

स्वयंसेवी संस्थाएं

क. सं.	नाम अधिकारी एवं पद	संस्था का नाम	दूरभाष नम्बर	
			मोबाईल	कार्यालय/निवास
1	श्री सीताराम गुप्ता	ल्यूपिन	9414023271	225247/225463
2	श्री जे0पी0सिंह		–	9314161396
3	श्री भूपेन्द्र पालीवाल		9414204638	
4.	श्री राजेन्द्र माहुरे		9414023012	224241 फैक्स
5	श्रीमती स्वाति संवत्सर		9413160500	223023/232437
6	डॉ0 बी0एम0भारद्वाज	अपना घर	9414023049	224694/9950737673
7	श्री चन्द्रभान शर्मा	बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास शिक्षा समिति अनाह गेट	9887886577	
8	श्री छत्तर सिंह	आर.के. ज्ञानदीप सूरजमल नगर भरतपुर	9413012092	
9	श्री मनोज	सुधार संस्थान भरतपुर	9828595333	
10	श्री बलवीर	निर्मल संस्थान मण्ड्रेला भरतपुर	9314734765	9460293733
11	श्री धीरेन्द्रपाल सिंह अध्यक्ष	महाराजा सूरजमल फाउन्डेशन	9314861744	9414218375
12	श्री जीतेन्द्रसिंह पूर्व प्रधान	महाराजा सूरजमल फाउण्डेशन	9858541317	
13	श्री योगेश दीक्षित	उर्मीद्वार फाउण्डेशन	9828595111	
14	श्री बनवारी	मातृभूमि सेवा संस्थान	9875218046	
15	श्री सुरेश शर्मा	पवन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान	9413837855	
16	श्री देवलाल कुन्तल	जनसेवा समिति	9413304934	
17	श्री दीवान सिंह	विशाल भारती आदर्शविकास समिति	9461072327	
18	श्री संजीव गुप्ता	अध्यक्ष व्यापार महासंघ	9414023508	224158
19	श्री चन्द्रकान्त गर्ग		9414024100	
20	श्री नरेन्द्र गोयल		8963032300	
21	श्री रामनाथ बसंल		9414023250	
22	श्री राधेश्याम		9414023190	
23	श्री कृष्णकुमार अग्रवाल	चैम्बर ऑफ कामर्स	9414023541	223471
24	श्री सुनील गोयल		9414376042	
25	श्री कर्नल जार्ज जासफ	एन0सी0सी0		222462
26	श्री डा0 हरवीर सिंह	एन.एस.एस. एम.एस.जे. कालेज	9414291730	
27	श्री मेजर शिवदेव सिंह	एन.सी.सी. एम.एस.जे.	9413916744	
28	श्री हरेन्द्र सिंह	एन0एस0एस0 स्कूली शिक्षा	9024313251	
29	श्री मोहनबल्लभ शर्मा	हिन्दी साहित्य समिति	9414268402	
30	श्री राजेन्द्र लाल अग्रवाल		9414023427	
31	श्री महेन्द्र सिंह सिकरवार		9461692927	
32	श्री खुराना	रामकृष्ण परमहंस स्कूल	9461074462	
33		सचिव बृजगोप अभारण्य	9282901481	
34	श्री सर्वेन्द्र सिंह	प्रबन्धक बजाज क्षेत्र आगरा	09319809451	
35	श्री	जागृति संस्थान जयपुर	9314353046	9829053031

36	श्री आनन्द खण्डेलवाल	दैनिक भास्कर ट्रस्ट जयपुर	9672977974	
37	श्री मोहन माहेश्वरी अध्यक्ष	लायंस क्लब	9414023379	
38	श्री देवेश भारतीय अध्यक्ष	रोटेरी क्लब	9414025816	222891
39	श्री पवन खण्डेलवाल सचिव	रेडक्रास सोसाइटी	9414023859	
40	श्री अमित सिंघल	जे0सी0आई0	9414238372	
41	श्री योगेश	जे0सी0आई0 सेन्चुरी	9414023283	
42	श्री राजीव सिंघल	जे0सी0आई0	9460912824	
43	श्री लख्मीचन्द अग्रवाल		9461462636	
44	श्री शंकरलाल अग्रवाल		9414023169	
45	श्री शिवचरण तिवारी		9314743181	
46	श्री गगन	जेसीआई	9782496434	9414396434
47	श्री शिशुपाल विद्यार्थी	महन्त सांवलदास गौशाला	9530386366	
48	श्री लालसिंह	अध्यक्ष दूधिया संघ	9828173913	
49	श्री रमोली	दूधियासंघ	8875875923	
50		आजाद गरीब असहाय सेवा संस्थान	9784519166	9875294404
51	श्री पवन खण्डेलवाल	रेडक्रास सोसाइटी		9414023859
52	डा0 जुरैल	सचिव महावीर विकलांग समिति	224932	9414221740
53		विकलांग एकता समिति	9785843476	7062455869
24		ब्रह्मा कुमारी आश्रम	225149	
55	श्री सोगरवाल	पतजंली योग पीठ		9461695916
56	श्री प्रशान्त अग्रवाल	नारायण सेवा संस्थान उदयपुर	9828027943	9928744444
57	श्री तुलाराम पटेल			9929534444